राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 12

सोमवार,

12 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीरासिंह चौहान।

मालवाहक वाहनों को ट्रांजिट पास प्रकरण

298. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) एवं श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 व 14 पर अन्य राज्यों को जाने वाले माल से भरे वाहनों को ट्रांजिट पास, उक्त राज्यों के ट्रकों व इसी प्रकार के अन्य माल ढोने वाले वाहनों को वर्ष 1992 के पूर्व की भांति देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी नहीं।

16-11-91 से प्रायोगिक तौर पर राज्य की सीमा पर स्थापित 6 चैक पोस्टों पर ट्रांजिट पास की व्यवस्था की गई थी जो अन्ततः सफल नहीं रही। ट्रांजिट पास की व्यवस्था के बावजूद भी माल राज्य में उतरता था और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अन्य रास्तों से माल का परिवहन किया जाता था। इस कारण, ट्रांजिट पास व्यवस्था सफल नहीं होने के कारण, चार-पांच माह बाद ही समाप्त कर दी गई।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मेरा प्रश्न था, इसके 2 भाग काट दिये गये। इसका एक सवाल था कि इस ट्रांजिट पास व्यवस्था से; पिछले 6 साल में जो अपने नेशनल हाइ-वे से गुजरने वाले वाहन हैं, उन पर कितना जुर्माना या कितना दण्ड किया गया और अपने राजस्थान के वाहनों से जो वाहन चलते थे उनकी दोनों की तुलना का मैंने पूछा था। वे दोनों ही भाग इसमें काट दिये गये। न

(श्री हीरासिंह चौहान)

मुझे इसमें किसी प्रकार की सूचना दी गयी है। और आपत्तिजनक सवाल भी नहीं था जिससे कोई आपत्ति उठाई जा सके।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह तो इन्होंने डिस्कन्टीन्यू कर दिया। 5 महीने बाद ही, ट्रांजिट पास लागू होने के बाद डिस्कंटीन्यू कर दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, मैं बड़े अदब से आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : जो पूछना है उसके द्वारा...(व्यवधान)...

श्री हीरासिंह चौहान : कम से कम कोई सूचना की तो व्यवस्था करें कि कम से कम हमें मालूम तो पड़े।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप यह पूछ लीजिए। आपने अपने प्रश्न में पूछा है कि उस व्यवस्था को ....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तो अब मैं पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) नहीं, मेरे तो 2 खण्ड इन्होंने काट ही दिये सवाल में। मूल सवाल को ही इन्होंने काट दिया।

श्री अध्यक्ष : है ?

एक माननीय सदस्य : इस प्रश्न को स्थगित कर दो।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, नहीं, स्थगित तो नहीं कराएंगे।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दें और जो काटे हुए खण्ड हैं, उनका भी वापस जवाब आए। तो मेरा विचार है कि यह ठीक रहेगा। बहुत जरूरी क्वेश्चन है।

श्री रामनारायण चौधरी : काटे हुए की तो यहां चर्चा ही नहीं हो सकती है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिवालय का जो निर्णय है; उसके ऊपर यहां कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : आपने इसलिये उसको डिलीट किया है कि आप..(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : चर्चा तो हो सकती है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय का हुक्म होगा, जो शिरोधार्य है। (व्यवधान) मेरी व्यवस्था तो कर सकते हैं। मेरी पीड़ा तो यहां कहूंगा ना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन..(व्यवधान) नहीं, आप सुनिये, आपने सुझाव दिये हैं उसमें। जो सुझाव आपको देने हैं अभी दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अभी तो यह सवाल चालू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन तो इन्फार्मेशन के लिए है। इन्फार्मेशन तो मांगी नहीं है और अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, सुझाव नहीं दे रहा हूं, साहब । यह तो सकारात्मक इसलिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो बात डिलीट की है, उसमें आपने सुझाव दिये हैं ।

श्री हीरासिंह चौहान : जिससे हाउस को भी मालूम पड़ जाता...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, हाउस को... (व्यवधान)...

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रकार के अन्तर्राज्यीय वाहनों पर कितना ये वाणिज्य कर अधिकारी जुल्म करते हैं, वह मैं बता रहा था ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : विधान सभा सचिवालय के द्वारा जो कार्यवाही हुई उसकी यहां पर स्पष्ट तौर से चर्चा है, उसकी आलोचना है । जो नियमों के तहत हुआ, यहां पर उसकी चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, आलोचना नहीं हो रही है । आलोचना नहीं, मैं तो निवेदन कर रहा था । (व्यवधान) मैं तो निवेदन कर रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका निर्णय सर्वोपरि होगा । विधान सभा में, आपके सचिवालय में क्या हुआ, उसकी यहां चर्चा नहीं हो सकती है । आपके चैम्बर में जाकर माननीय सदस्य बात कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने इसमें बहुत सुझाव दिये हैं और आप चाहते हैं कि पहले वाली जो ट्रांजिट पास की व्यवस्था थी उसको वापस रेस्टोर किया जाए ।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, व्यवस्था नहीं, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं ।

श्री रमजान खान : हम निवेदन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप क्वेश्चन पूछिये ।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है कि 16-11-91 को ट्रांजिट पास व्यवस्था शुरू की गई थी और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति शासन के काल में इस व्यवस्था को समाप्त किया गया । तो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उस अवधि में, ऐसा उत्तर में पाया गया है कि जो अन्तर्राज्यीय वाहन चलते थे उनसे भी माल उतारते हुए पकड़े गये । तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अवधि में कितने वाहन हैं जो अपने राज्य में माल उतारते हुए पाये गये और पकड़े गये ? दूसरी सूचना मैं आपसे चाहता हूं कि नेशनल हाइ-वे से ये सारे अन्तर्राज्यीय वाहन गुजरते हैं तो कितने वाहन ये जो दूसरे रास्तों से जाते हुए, आते हुए पकड़े गये । मैं पहले 2 सवालों का उत्तर चाहता हूं, जो आपने इसमें इंगित किये हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ ?

श्री हीरासिंह चौहान : 16 दिसम्बर, 1992 को पूर्व सरकार...

श्री अध्यक्ष : यह तो 16-11-91 की बात है। (व्यवधान) इस दौरान यहां राष्ट्रपति शासन कहां था ?

श्री हीरासिंह चौहान : वह चाहे कुछ भी करो, लेकिन यह राष्ट्रपति शासन के दौरान ट्रांजिट प्रणाली...

श्री चन्दनमल बैद : यह सही नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : तो आप बता दो कि यह किस तारीख को समाप्त हुई ?

श्री चन्दनमल बैद : यह 4-5 महीने बाद ही समाप्त हुई।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, वेग-वे में उत्तर नहीं मांगा है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, तारीख बताइये आप।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात सुनिये। आप देखिये, शांति से बात सुनिये। 16-11-91 को यह तत्कालीन सरकार ने ट्रांजिट पास जारी किया। 4-5 महीने बाद ही उसी सरकार ने इसको...

श्री हीरासिंह चौहान : 4-5 महीने का नहीं चलेगा। मतलब there must be a fixed date. कौनसी तारीख ? 4–5 महीने तो बहुत वेग-टर्म्स का रिप्लाई है। इसको माना नहीं जा सकता है। जब मैं कह रहा हूं कि यह राष्ट्रपति शासन में समाप्त की गयी। निश्चित तौर से तारीख निश्चित कीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आगे क्वेश्चन पूछिये।

श्री हीरासिंह चौहान : और वाणिज्यक विभाग के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से अपना टार्गेट पूरा करने के लिये; क्योंकि अपने राज्य में चलते थे उनसे वे टार्गेट पूरा कर नहीं पाते थे। यह बिलकुल जंगल राज बना रखा है। रोड पर आते हैं, मन चाहे जब उनकी गाड़ियां खड़ी करा देते हैं। मन चाहे, जब चाहे, उनसे पैनल्टी वसूल करते हैं, जबकि पहले की तरह एण्ट्री फीस वापस कर दीजिए तो उनका सारा व्यवधान ही खत्म हो जाए। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह तारीख बता दीजिए, आप।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, तारीख बता रहा हूं। इस बीच में मैंने कागज देख लिये हैं और मुझे यह मालूम हुआ है कि मई, 1992 में इसे समाप्त कर दिया गया। मई, 1992 में वही सरकार थी, जो दिसम्बर, 16–11–91 में थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जब यह ट्रांजिट पास का सिस्टम बंद किया गया उसके साथ ही तत्कालीन सरकार, जो भी रही हो, उसने सारे राज्य में बेरियर हटा दिये ? क्या यह सही है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब वर्तमान में आपने बेरियर तो लगा दिये, परन्तु ट्रांजिट पास की व्यवस्था आप ट्रांसपोर्ट व्यवसाइयों को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। कृपया इसमें बतायें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ट्रांजिट पास से किस तरह की सुविधाएं ट्रांसपोर्टरों को उस वक्त प्राप्त होती थीं, उसका अर्थ क्या था, जरा यह भी बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : ये ट्रांजिट पास जिस सरकार ने जारी किये थे उसी सरकार ने उसको वापस कर दिया। (व्यवधान) सुनिये आप, उस सरकार को यह महसूस हुआ कि ट्रांजिट पास से टैक्सों की चोरी हो रही है, इस वास्ते उन्होंने उसको बन्द कर दिया। अब कितनी चोरी हुई, 92 में कितनी चोरी नहीं हुई, यह तो कहना, अध्यक्ष महोदय, आज इस समय यह सवाल का कलेवर भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, (व्यवधान) परन्तु मैं जो जानना चाह रहा था, मंत्री महोदय, ट्रांजिट पास सिस्टम को बन्द करने के साथ ही पूरे राज्य में नेशनल हाइ-वे पर, सवाल नेशनल-हाइ-वे से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाइ-वे पर बेरियर पर रोक-रोक कर जो चेक करने का सिस्टम था, वह हटाया। वह हटा दिया तो ट्रांजिट पास दिये किसको? ट्रांजिट पास को हिन्दी में क्या कहते हैं, यह भी बता दो थोड़ा। आप यह बताओ कि बेरियर इसके साथ ही हटाये कि नहीं हटाये। अब आपने बेरियर लगा दिये हैं। अब आपने जो बेरियर लगा दिये तब आप क्या ट्रांजिट पास की व्यवस्था करना चाह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, क्वेश्चन पूछिये आप। हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि एक दिन में, जो नेशनल हाइ-वे से अपने राज्य में प्रतिदिन कितने ट्रक प्रवेश करते हैं और वे ट्रक जो प्रवेश करते हैं क्या उन पर कोई, जैसे ट्रांजिट पास के रूप में पहले जो पैसे लिये जाते थे, क्या अब भी लिये जा रहे हैं? दूसरा, क्या ट्रक एसोसियेशंस ने बार-बार सरकार से निवेदन किया है कि हमारे साथ लूट-खसोट हो रही है तो इस प्रकार की एण्ट्री फीस वापस करने की व्यवस्था पर भी आप विचार कर रहे हैं क्या? सीधे-सीधे सवाल हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि ट्रांजिट पास शुरू किया गया और बन्द करते ही बेरियर हटा दिये गये, यह सही नहीं है। ट्रांजिट पास शुरू किया गया 16-11-91को। बन्द किये गये मई, 1992 में। और बेरियर हटाये गये सन 1995 में। बेरियर हटाने से ट्रांजिट पास का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जो गलत तरीके से बेरियर हटाने से ट्रांजिट पास से करेक्ट करना चाहते हैं, वह सही नहीं है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रांजिट पास शुरू किया एक सरकार ने, उसी सरकार ने जब देखा कि टैक्स की चोरी हो रही है तो 5–6 महीने में वापस

(श्री चन्दनमल बैद)

उसको बन्द कर दिया और बेरियर हटाने का काम 1995 में किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप यह सुविधा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, यह तो बता दें आप। ट्रांजिट पास का अर्थ क्या है। मंत्री महोदय, ट्रांजिट पास का अर्थ है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माल जा रहा है, वह अपने राज्य से भी गुजर रहा है, वह जब हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करेगा तब एक ट्रांजिट पास, कागज दे देगा कि यह मैं माल ले जा रहा हूं और बाहर निकलेगा तब वह कागज उस नाके पर दे जाएगा।

पहले बेरियर नहीं थे, मैं मानता हूं। आपने कहा कि सन 1995 में, परन्तु अब जो आपने बेरियर लगा दिये, अब आपने वापस वही चौथ वसूली का काम वापस शुरू कर दिया। तो आप बता दें कि ट्रांजिट पास की सुविधा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते हैं तो मना कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : चौथ वसूली तो आप करते थे, आपके समय में।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने बेरियर नहीं लगाये हैं, केवल 30 जगह पर कम्प्यूटराइज्ड स्थान बनाये हैं, जहां कि अब डाकूमैंट्स कलेक्ट किये जाएंगे। वहां वसूली नहीं की जाएगी केवल वहां डाकूमैंट कलेक्ट किये जाएंगे। 30 स्थान ऐसे बनाये गये हैं, जहां कंप्यूटर से डाकूमैंट कलेक्ट करके कम्प्यूटर से हमारे हैड-ऑफिस को भेजे जाएंगे। बेरियर नहीं लगाये हैं, आप यह गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कंप्यूटराइज्ड कर दिया, बड़ा अच्छा किया परन्तु उस कंप्यूटर में तो कोई जन्म-पत्री तो निकलेगी नहीं। आप उस कंप्यूटराइज्ड में यह जो 18-ए फार्म है वह लेंगे। तथा 18-सी फार्म लेंगे और उसके तहत आप क्या करेंगे? कौनसा बिल आपका ठीक है और कौनसा बिल ठीक नहीं है, आप सीधे-सीधे क्यों नहीं कहते कि कंप्यूटरीकरण के नाम पर आपने वापस बेरियर्स लागू कर दिये हैं। सारे नेशनल हाइ-वे में...

श्री अध्यक्ष : नहीं, बैठिये।

श्री सी.पी. जोशी : यह आधुनिक बेरियर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप इनको आधुनिक बेरियर कह दो। पंचायत मंत्रीजी की बात तब तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपकी रेवेन्यू बढ़ी है, सेल्स टैक्स बढ़ा है? सेल्स टैक्स बढ़ा है तो वह बताओ आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्रीजी, आप बात क्यों कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा सीधा सा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, बेरियर लगे हैं या नहीं लगे हैं। इतनी सी बात तो पूछना चाहते हैं। मेरा इस संबंध में निवेदन है, अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपका जवाब दूं पहले। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एण्टर होने के और राजस्थान से निकलने के सैंकड़ों रास्ते हैं। अब अगर हमने छह जगह पर, पहले सन 1991 में ट्रांजिट पास का काम शुरू किया तो एक जगह से ट्रक माल लेकर के आता और वह किसी रास्ते से निकल सकता था। इस वास्ते से तत्कालीन सरकार ने यह देखा कि टैक्स की चोरी हो रही है। इस वास्ते उस सिस्टम को उन्होंने बन्द कर दिया।

अब आपने 1995 में, आप कहते हैं कि बेरियर बंद कर दिये गये। उनके बेरियर बन्द होने से बहुत से व्यापारियों ने मुझे इस बात को बताया कि बेरियर बन्द होने से ईमानदार व्यापारी को नुकसान हुआ है। बेईमान व्यापारी को फायदा हुआ है क्योंकि बेईमान व्यापारी माल लेकर के निकल जाता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए ईमानदार व्यापारी को नुकसान होता है। इस वास्ते मैंने बेरियर तो नहीं लगाये, लेकिन 30 जगह पर कंप्यूटराइज्ड स्टेशन ऐसे बना दिये जहां पर जो ट्रक आएंगे, उन ट्रकों के हम कागज लेकर के कंप्यूटर के द्वारा अपने हैड–आफिस को भेज देंगे, जिससे हमको मालूम हो जाएगा कि यह माल किसका है, किसका नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका अर्थ यह हुआ मंत्रीजी, कि आप उस बेरियर पर आने वाले ट्रक को रोकेंगे तो सही। बेरियर को कहते क्या हैं? अवरोधक। अवरोधक का मतलब एक बार आपने रोका उसको, उसके आगे जाने के मार्ग को रोका है। तो उस कंप्यूटराइज्ड में रोककर उसके कागज लोगे आप, चलते तो कोई कागज पकड़ा देगा नहीं। तो यह जो पंचायत मंत्रीजी कह रहे हैं कि नयी सरकार ने आधुनिक बेरियर लगाये हैं..

श्री अध्यक्ष : आप पंचायत मंत्रीजी को छोड़िए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतनी सी बात कह रहे हैं कि बेरियर लगा दिये तो लगा दिये साहब .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप पंचायत मंत्रीजी को बीच में क्यों कर रहे हो। आप अपनी पंचायत करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं–नहीं, आप बैठिये। आप नहीं समझते हो तो बीच में मत बोला करो। हम आपसे पूछने नहीं आये हैं, इस हाउस में। हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा भी अधिकार है। सदस्यों का टाइम खराब कर रहे हैं। यह क्या बात हुई कि बहुत से सदस्यों का टाइम खराब करेंगे आप और हम... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं आपस में नहीं...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कौनसा तरीका है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह रोज-रोज जो ट्रक आते जाते हैं, ट्रोलर हैं, पिछले वर्षों में उनके खिलाफ विभाग ने क्या कोई कार्यवाही की है? ऐसे कोई केस बने हैं कि शहर में कोई माल उतरा हो या गांव में कोई माल उतरते हुए पकड़ा गया हो? ऐसे कोई केस बने हैं? मंत्रीजी जानकारी देंगे, और साथ ही यह जो ट्रांजिट पास है, इसको शुरू करने का क्या सरकार विचार रखती है? क्योंकि तीन हजार ट्रक प्रतिदिन, जहां तक मेरी जानकारी में है, प्रतिदिन आते जाते हैं। अगर सौ रुपये ट्रांजिट पास के भी हम लें तो सरकार को कितनी इनकम होगी, इसके लिए आप विचार रखते हैं या नहीं?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय; रोजाना पांच हजार ट्रक नेशनल हाइवे से गुजरते हैं। हम यह सौ रुपये की बात करते हैं, उसको अगर हम ले भी लें तो जो माल चोरी, टैक्स इवेजन जो हमारा होगा वह उससे ज्यादा होगा। इस वास्ते अब यह चाहते हैं कि हम ट्रांजिट पास शुरू करें। सरकार उसको शुरू नहीं करना चाहती है तो यह तो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, उसका अपने टैक्स का मामला है, इसको मैं कैसे किसी दबाव से ट्रांजिट पास शुरू कर दूं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह कहा है, दबाव वाली बात नहीं है इसमें कोई (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम हाउस के अन्दर कोई भी बात उठायें... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : विचार रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हरेक मामले में फौरन कह देते हैं दबाव। इसका मतलब यह हुआ कि हम आपसे पूछ ही नहीं सकते कुछ भी..(व्यवधान)..

श्री हीरासिंह चौहान : दबाव वाली बात नहीं है। दबाव वाली बात नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान) हम पूछ ही नहीं सकते आपसे। यह कुछ कर सकते हैं क्या आप? हम पूछें ही नहीं आपसे। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मान्यवर, यह तो (व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपसे इतना ही पूछना चाह रहा था कि आपने कम्प्यूटर....

श्री चन्दनमल बैद : आपने जो बात पूछी उसका मैंने जवाब दे दिया कि आप कहते हैं कि ट्रांजिट पास शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने कहा हम शुरू नहीं करेंगे।

(श्री चन्दनमल बैद)

सन् 1991 में एक बार शुरू किया गया था, 92 में बन्द हो गया, उसको दुबारा हम शुरू नहीं करेंगे।

डा. चन्द्रभान : बात खत्म हो गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने पहले उत्तर में, अध्यक्ष महोदय, यह कहा.. (व्यवधान).. यह राजस्थान की विधान सभा है, तर्क करना हमारा अधिकार है। आपका कहते हो नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने पहले उत्तर में यह कहा कि पांच-छह महीने बाद खत्म कर दिये। आपको स्पेसिफिक तारीख बतानी चाहिए थी। फिर अब आपने कहा कि हमने कंप्यूटर लगा दिये तो...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तारीख बतायी है। मैंने तारीख बतायी है। मैंने बतायी है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आपने कहा कि हमने कम्प्यूटर लगा दिये। कम्प्यूटर लगाकर ....(व्यवधान) फिर हमने कहा कि आप रोक रहे हैं? तो आपने कहा कि रोक नहीं रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि बेरियर आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? बेरियर आपने लगाये या नहीं लगाये, सवाल इतना सा है। इतनी सी बात है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि.. (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मई, 1992 में यह हटाये गये हैं। मैंने तारीख बतायी है। अब यह कह रहे हैं कि तारीख नहीं बता रहे हैं। मैंने तारीख बतायी है। मैंने तारीख बतायी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, बड़ी कृपा की आपने।

श्री चन्दनमल बैद : कृपा तो मैं करता ही रहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दो कि आप बेरियर लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। कम्प्यूटर आपने वहां लगाये हैं; वहां पर आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे; बात इतनी सी है। इतनी सी बात बता दो; बात खत्म होती है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आपकी ओर से मुकदमे कितने बने हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि मुकदमे कितने बने हैं?

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये। कृपलानीजी, आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मुकदमे कितने बने हैं?

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी उत्तर दे रहे थे, आप खड़े हो। प्रश्नकर्ता अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते थे, आप इनको पूछने नहीं दे रहे हैं। उसके बीच में आप खड़े हो गये; आप खड़े हो गये। पीछे ही पीछे से खड़े हो रहे हैं। प्रश्नकर्ता दो सप्लीमेंट्री और एक पूरक प्रश्न पूछ सकेगा, इस सम्बन्ध में मैं कल व्यवस्था दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। हम अनुशासित हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों के सम्बन्ध में; क्योंकि प्रश्न इतने कम आ रहे हैं कि एक–एक प्रश्न में इतना समय लग जाता है इसलिए इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य मुझसे मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रश्न आने चाहिए और आपको जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा पांच पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होनी चाहिए, मैं कल व्यवस्था दे रहा हूं। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, नैक्स्ट क्वेश्चन। आप तो....

श्री हीरासिंह चौहान : मैं पूछना चाहता हूं कि इस सेल्स टैक्स का क्या अर्थ है ?

श्री अध्यक्ष : कौनसा है ?

श्री हीरासिंह चौहान : क्या जो वाहन आउट टू आउट गुजरते हैं, जो अपने इस राज्य में माल का चढ़ाना उतारना, किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करते हैं, क्या वे भी सेल्स टैक्स परिधि में आते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी, नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : जब वह सेल्स टैक्स की परिधि में नहीं आते हैं तो नाजायज तौर से आपके सेल्स टैक्स आफिसर जगह–जगह पर गाड़ियों को पकड़कर कई दिनों तक खड़ी रखते है और बेरियर....

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं रोकते।

श्री हीरासिंह चौहान : और अगर बेरियर वापस लगाना चाहते हैं तो यह जो व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे एक राज्य को एकदम सीधी, डाइरेक्ट इनकम है, करोड़ों रुपये की इनकम है। मासिक इनकम है। एक दिन की नहीं है, मासिक है यह।

पहले ट्रांजिट पास के पचास रुपये देते थे, अब आप सौ कर दीजिए। 150 कर दीजिए। इस जंगल राज से तो लोगों को बचाइये। कम से कम हमारे राज्य में कोई माल भरा हुआ वाहन गुजर जाए और उस को नाजायज रूप से सभी सेल्स टैक्स आफिसर तंग करते रहे और कई दिनों तक सेल्स टैक्स आफिस में, ट्रक खड़े रहते हैं और लेना-देना कुछ नहीं है। अंत में समझौता करके,

(श्री हीरासिंह चौहान)

उस पर पैनल्टी जुर्माना कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं। लम्बा भाषण नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : तो मेरा निवेदन है, हुकम, यह राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

श्री हीरासिंह चौहान : यह डाइरेक्ट टैक्स आता है। डाइरेक्ट टैक्स है, आपने कहा कि पांच हजार गाड़ियां थीं, मैं कहता हूं कि बीस हजार गाड़ियां अपने रोज, प्रतिदिन प्रवेश करती हैं।

श्री अध्यक्ष : पचास हजार आती होंगी राज्य सरकार जन हित में उसको बेरियर वापस नहीं लगाना चाहती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बात इतनी सी है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह इतना सा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतनी सी बात थी कि आप कह दो लगा रहे हो। आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कह दिया है, तीन जगह पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हमने बनाये हैं। वहां पर हम इनके डाकुमेंट लेकर के इन डाकुमेंट को कंप्यूटर के मार्फत हैड-ऑफिस भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष : ताकि वह आ जाए, बात क्या है ? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हीरासिंह चौहान : सर, मेरा रह गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट-नेक्स्ट। कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरजीराम बुरड़क।

बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन के कर्मी का निलम्बन प्रकरण

299. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान, जयपुर में लाखों रुपयों के गबन का मामला प्रकाश में आने पर सरकार के आदेशानुसार बोर्ड के तत्कालीन केशियर को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त गबन से संबन्धित लेखों की आडिट जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो कब और किससे, तथा उसमें उक्त

(श्री हरजीराम बुरड़क)

केशियर को कितनी राशि के गबन के लिए दोषी पाया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त केशियर के विरुद्ध विभागीय जांच में बोर्ड ने सचिवालय सेवानिवृत्त एक कर्मचारी को नियम विरुद्ध उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसने जांच अधिकारी के समक्ष कोई साक्षी पेश नहीं की और न ही पूर्ण रेकार्ड पेश किया जो आवश्यक था, जिसके कारण उक्त केशियर को 92,930 रुपये के गबन के लिए ही दोषी बताया गया ? यदि हां, तो गबन की शेष राशि 48,652 रुपये के लिए कौन कर्मचारी दोषी है, तथा उसके विरुद्ध अब क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या तत्कालीन उक्त केशियर को पंजीयन कार्यों में अनियमितताएं करने के लिए बोर्ड के पत्रांक 720, दिनांक 13-7-88 के द्वारा आरोप पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक जांच अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया और इस तथ्य को छुपाकर उसको ड्यूटी पर बहाल कर उसके निलम्ब काल का भी निर्णय कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त कारणों से बिना सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये उक्त कर्मचारी को बोर्ड द्वारा बहाल किया जाना उचित है ? यदि हां, तो किस नियम/आदेश के अंतर्गत ?

(6) क्या उक्त कर्मचारी को बोर्ड द्वारा बहाल करने एवं उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने को अनुचित मानते हुए राज्य सरकार ने उसको सेवा से बर्खास्त करने एवं उसके विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उसके पश्चात अब तक क्या कार्यवाही की गई ? आडिट एवं जांच रिपोर्ट एवं आरोप-पत्र तथा की गई कार्यवाही के समस्त अभिलेखों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) जी, हां। दिनांक 7-2-83 को निलम्बित किया गया था।

(2) जी, हां। विभागीय जांच दल द्वारा 18-5-83 से 12-4-84 के मध्य आडिट की गई। जिसमें उक्त केशियर के विरुद्ध रुपये 1,41,680,23 पैसे के गबन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया।

(3) जी, नहीं। बोर्ड के सभी कर्मचारी निलम्बित थे अतः सचिवालय के सेवानिवृत्त सहायक सचिव श्री लक्ष्मण स्वरूप शर्मा बोर्ड में संविदा के आधार पर कार्यरत थे। उनको नियमानुसार उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया था। उपस्थापक अधिकारी ने जांच अधिकारी के समक्ष दो गवाह एवं सम्पूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत किया था। जांच अधिकारी ने उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट में उक्त केशियर को 92,930/- रुपये के गबन के लिए उत्तरदायी ठहराया। शेष राशि रुपये 48,752/- का उत्तरदायित्व जांच कराने

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

जाने के बाद निर्धारित किया जाएगा।

(4) जी, हां। जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। उक्त केशियर को दिनांक 26-10-98 को अध्यक्ष आई. एम. बी. द्वारा पूर्व में जारी निलम्बन आदेश दिनांक 7-2-83 के संदर्भ में गबन की जांच सम्पूर्ण होने के उपरान्त गबन की गयी राशि दोषी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते से वसूल करने की शर्त के साथ दो अन्य शास्ती अधिरोपित करते हुए बहाल किया गया। बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अध्यक्ष अधिकृत हैं जिन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए निर्णय लिया है। इसलिए कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(5) जी, हां। राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अनुसार बोर्ड स्वशासी संस्थान है और उसके अध्यक्ष विभागाध्यक्ष हैं। अतः सी. सी. ए. रूल्स के नियम, 16 के अन्तर्गत जांच के बाद उन्होंने अपने अधिकारों के अन्तर्गत बहाल किया है।

(6) एफ. आई. आर. रजिस्टर्ड पोस्ट से दर्ज कराने हेतु पुलिस स्टेशन, बजाज नगर, को भेज दी गयी है। बर्खास्त करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। की गयी कार्यवाही के समस्त अभिलेख की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं, जो परिशिष्ट 'म' पर उपलब्ध हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह सत्यता के कहीं नजदीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस कर्मचारी ने 1 लाख 41 हजार 680 रुपये का गबन किया और इन्हीं के साथ जिसमें हजार, पन्द्रह सौ रुपये के चार्जेज थे, उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करके उनका चालान हो गया और कोर्ट में उनको सजा हो गयी। और इसमें यह बचाते रहे। 83 का मामला है यह। आप कह रहे हैं कि यह बोर्ड स्वायत्तशासी संस्था है और उसको यह अधिकार था। तो इनको कोर्ट ने सस्पैण्ड किया नहीं। इन कर्मचारियों को सस्पैण्ड किया राज्य सरकार ने। और राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि इसमें आगे आप जो भी करेंगे, वह हमसे पूछेंगे। उस पत्र की आपने इसमें प्रति दी है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि अब आप जो कह रहे हैं और इसके पहले जनवरी में आपके डिप्टी सेक्रेटरी ने बोर्ड को जो पत्र लिखा है, जो इसमें आपने मुझे दिया है, उसमें यह सारी कार्यवाही अवैध मानी है। यह पत्र है, जो इसी के साथ मुझे दिया है। 7-1-99 का, "उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्रांक 2162 दिनांक 12-10-98 के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि बोर्ड आफ इंडियन मेडि-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सम में बताये गये गबन का प्रकरण एक गंभीर मामला है। जब एक लाख से अधिक की राशि का गबन 1983 में उजागर हो गया था तो आरोपी के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। चूंकि आरोप अभी तक परसेक्युटी है, अतः पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवा दी जाए। अध्यक्ष, बोर्ड आफ मेडिसिन ने विभागीय जांच पूरी होने पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस लैटर का प्रश्न बना कर बोल दो। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न ही है यह। नहीं, यह प्रश्न है कि डिप्टी सैक्रेटरी ने जनवरी में यह पत्र लिखा बोर्ड को, कि आपने इसको जो बहाल किया है, यह कार्यवाही अवैधानिक है और इनके खिलाफ पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाए। वह आपने किया नहीं। अब आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से एफ.आई.आर. भेजो। जनवरी में एफ.आई.आर. भेजी रजिस्टर्ड पोस्ट से, जयपुर की जयपुर में और वह आज तक दर्ज नहीं हुई। यदि दर्ज हो तो आप एफ.आई.आर. के नम्बर बता दीजिये। वहां पोस्ट से भेजने की कहां जरूरत पड़ी थी। आपके अधिकारी जाकर यह दे देते। तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार ने जब यह मान लिया कि जिस अधिकारी ने इनको बहाल किया है कि वह कार्यवाही अवैधानिक है तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा है कि यह जरूरत क्यों पड़ी कि हमको रजिस्टर्ड पोस्ट से दर्ज करानी पड़ी। उसका कारण यह था कि बजाज नगर थाने में जब हमारे लोग गये एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये, तो उन्होंने कहा इतने वर्ष बाद इसको दर्ज कराने की जरूरत इसलिए नहीं कि गबन का पैसा इससे वसूल कर लिया गया है। फिर भी हमने यह कहा कि नहीं, यह दर्ज करानी चाहिये। इसलिए हमने रजिस्टर्ड पोस्ट से यह रिपोर्ट दर्ज करायी।

दूसरा, आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप ने वहां उसको जब मान लिया था तो आप ने उसका निलम्बन क्यों नहीं किया ? मैंने यह पहले ही आपको बता दिया अपने जवाब में, कि वह स्वायत्तशासी संस्था है और उन्हीं को अधिकार है, करने का, कि वह बहाल करे या इसके विरुद्ध कार्यवाही करें। हमको जब पहले-पहले सूचना दी बोर्ड ने, कि इस प्रकार की गबन की कार्यवाही हुई है, तुरंत राज्य सरकार ने इनको निलम्बित किया और तुरंत इनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिये और तुरंत ही जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता को पूछने दें।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट, पहले मुझे पूछने दें। मेरा सवाल यह था

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कि जब राज्य सरकार ने सस्पेंड किया और राज्य के कहने में उनको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने 17 साल बाद जो भी कार्यवाही करके राज्य सरकार को सूचना भेजी, राज्य सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी ने जनवरी में जो यह पत्र मैंने पढ़ा है, उसमें लिख दिया है कि आपकी कार्यवाही अवैधानिक है। तो इसके बाद में क्या कार्यवाही की? अब आप कह रहे हैं कि स्वायत्तशासी संस्था थी, क्या जनवरी में नहीं थी? जनवरी में कोई डिपार्टमेंट था? 1999 के बाद यह कार्यवाही हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): डिप्टी सेक्रेटरी ने कैसे आदेश दे दिया? स्वायत्तशासी संस्था के मामले में डिप्टी सेक्रेटरी ने कैसे आदेश दे दिया? जब यह आटोनोमस बॉडी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : गवर्नमेंट ने जब यह मान लिया जनवरी में, डिप्टी सेक्रेटरी का आदेश गवर्नमेंट का आदेश है तो उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि यह तो स्वायत्तशासी संस्था है। तो 1983 में आपने लिखकर सस्पेंड कराया और 1999 में आपने उनकी कार्यवाही को अवैध मान लिया। अब आज आप यह दूसरी बात कह रहे हैं। इसमें कहां तक सच्चाई है?

श्रीमती इंदिरा मायाराम : हमने अवैध नहीं माना है। हमने यह कहा है कि जैसे ही हमको बोर्ड द्वारा यह सूचित किया गया कि इस तरह की गबन की हमारे यहां शिकायत है और कुछ गबन हुआ है तो हमने अपना अधिकारी नियुक्त किया। मैं आपको पूरा पढ़कर सुना देती हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : पढ़ने की जरूरत कहां है?

श्री जगमाल सिंह यादव : पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : नहीं, जो कुछ हुआ है, आपको इसलिए बता रही हूं, आप कह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने साफ माना है। आपने उसमें यह भी लिखा है कि इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। इससे ज्यादा और क्या लिखते आप। अब अधिकारी आएगा नहीं। अब कोई जांच होनी बाकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मंत्री उत्तर दे रही हैं।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : नहीं, मैंने जो आपको जवाब दिया है, वह आपने सुना नहीं..(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्री महोदया तो पढ़ रही हैं, उत्तर कहां दे रही हैं?

श्री अध्यक्ष : नहीं, बैठें। वह समझ रही हैं कि मैंने बैठने की घण्टी बजा दी। (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मैं सिर्फ यह निवेदन कर रही थी कि यह मेडिसन बोर्ड के द्वारा सरकार के नोटिस में लाया गया। जब सरकार के नोटिस में लाया गया तब हमने उनके कहने पर, क्योंकि वह स्वायत्तशासी संस्था है, जब उन्होंने हमसे यह अनुरोध किया कि इस तरह का गबन का मामला है, तब हमने इस मामले में अपना जांच अधिकारी नियुक्त किया।

इसलिए आप जो कह रहे हैं कि स्वायत्तशासी के मामले में सरकार को अधिकार है, सरकार को स्वायत्तशासी संस्था कोई प्रार्थना करती है कि हमारे यहां गबन का मामला है और आप इसमें अधिकारी नियुक्त करिये तो यह हमको अधिकार है करने का।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि 7-1-99 को राज्य सरकार ने जो पत्र लिखा, वह सही है कि या आप जो कह रही हैं, वह सही है। बस इतना-सा बता दीजिये।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : 7-1-99 को जो पत्र लिखा, वह बिलकुल सही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : तो अब फिर आप आज जो कह रहे हो वह गलत है ?

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी सदन को यह सूचित किया कि जैसे ही आटोनोमस बाडी ने हमको सूचित किया, हमने उनको सस्पेन्ड कर दिया और अपने जवाब में अगले पैरा में बताया कि आटोनोमस बाडी है, उनके कार्य में हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ आटोनोमस बाडी पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होगा। चाहे आर.एस.आर.टी.सी हो, चाहे वह आर.एस.ई.बी एफ ओ. हो चाहे कोई बोर्ड, फैडरेशन और निगम हो, उसमें कितने ही गबन होते रहें, सरकार उसमें इन्टरवीन नहीं करेगी और यह इस मामले से सिद्ध हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं जैसा लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी ने उसमें कार्यवाही कर दी, अगर कोई आटोनोमस बाडी किसी मामले में प्रार्थना सरकार से नहीं करे तो क्या सरकार सुओ-मोटो ऐसी अनियमितताएं और गबन के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी क्या ? केवल यही पूछना है।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से बहुत पुराना और मैं... (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : सुओ-मोटो हम कर सकते हैं अगर हमारे पास जानकारी हो। लेकिन हमारे पास जानकारी आएगी तब ही तो हम सुओ-मोटो करेंगे। आज क्या हो रहा है उस संस्था में, यह जानकारी जब मालूम होगी, तब ही हम कार्यवाही करेंगे। हमें मालूम ही नहीं होगा तो कैसे कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि किसी आटोनोमस बाडी में, जो राजकीय उपक्रम है; उसमें क्या हो रहा है, अगर यह जानकारी विभाग को नहीं है तो विभाग अक्षम है। कुछ होगा ही नहीं, अगर कोई आटोनोमस बाडी नहीं बताए कि हमारे यहां यह गबन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार सोती रहेगी। सरकार राजकीय उपक्रमों के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय; जनवरी में राज्य सरकार ने आदेश दिया है एफ.आई.आर. दर्ज कराने का। राज्य सरकार के आदेश की तामील हुई नहीं और वह एफ.आई.आर. आज की तारीख तक दर्ज नहीं है। यह फर्जी बता रहे हैं। डाक से भेजी नहीं है, यह फर्जी आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी है न।

श्री हरजीराम बुरड़क : भेजी है, तो दर्ज क्यों नहीं है। (व्यवधान) एफ.आई. आर. के नम्बर बता दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं विधान सभा में कोई सत्र 1983 से लेकर अब तक नहीं निकला होगा जिसमें इस प्रश्न को नहीं पूछा गया हो। पिछली विधान सभा के समय में भी भाटीजी, जो पाली से थे, उन्होंने इस विषय में पूछा और विभाग यह मानता है कि हां, वास्तव में गबन हुआ है। आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि इस विभाग का काम कैसा है। यह 7 तारीख की डिप्टी सेक्रेटरी की चिट्ठी थी; उसके आधार पर 11 तारीख को एफ.आई.आर. लिखने का एक नाटक हुआ रजिस्टर्ड। और वह जो रजिस्टर्ड कागज आपका यहां से गया वह कागज दर्ज ही नहीं हुआ। वहां जाकर उस कागज को वापस निकाल लिया गया; डाक पहुंचने से पहले यह डाक, रजिस्टर लैटर निकाल ली गयी ताकि एफ.आई.आर. दर्ज ही नहीं हुई। क्या यह सच है कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए आप रजिस्टर लैटर द्वारा एफ.आई.आर. भेज रहे हैं वह वहां रिसीव ही नहीं हुई है और जो मंशा डिप्टी सेक्रेटरी की थी उसकी पूर्ति नहीं हुई ?

दूसरा, आपने कहा कि इसमें हम भविष्य निधि से वसूल कर लेंगे और दो गारंटर रख लिये; क्या यह वास्तव में जो इतना गबन हुआ है और 1983 से लेकर अब तक इस विधान सभा का हजारों-हजारों रुपया इस प्रश्न को पूछने में लग गया है; कम से कम यह दस-बारह बार इस हाउस में उठ चुका है और हर बार यह का यह जवाब। आप कहो तो पिछली बार का जवाब, उसमें एक नहीं दस आदमी दोषी हैं; आपकी दी हुई सूची में यह 10 लोग हैं।

यह भाटीजी के पिछले साल के विधान सभा के प्रश्न में, दस लोग दोषी हैं। उन दस में से केवल आपने एक पर कार्यवाही की। और वह भी इस तरह की कार्यवाही कि एफ.आई.आर. एक फार्मेलिटी के हिसाब से चिट्ठी ड्राप कर दी। दो कदम दूर आपका थाना है वहां आप उसके बारे में पता नहीं लगा सके कि डिप्टी सेक्रेटरी की चिट्ठी जाने के बाद भी और आपने जो बहाल कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया। बड़ा दुख, अफसोस तो इस बात का है कि इतना बड़ा गबन और पता लगने के बाद भी आपने उसको बहाल कर दिया। और यह सारी कार्यवाही जो शुरू की है, इस प्रश्न के आने के बाद आपने इसकी लीपापोती के लिए यह सब कागज चलाये हैं। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं; भाषण नहीं क्वेश्चन।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा प्रश्न यह है कि आप अब एफ.आई.आर. कब तक दर्ज कर देंगे ? जिस अधिकारी ने यह गलत कार्यवाही की है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा क्वेश्चन तो यह है कि डिप्टी सेक्रेटरी, गवर्नमेंट का एफ.आई.आर. दर्ज कराये और इनका थाना प्रभारी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करे। इससे ज्यादा गवर्नमेंट अक्षम क्या होगी कि कोई डिप्टी सेक्रेटरी, आई.ए.एस. अगर किसी गबन के मामले में एफ. आई. आर. दर्ज कराये और थाना प्रभारी मना कर दे। तो यह रजिस्टर्ड लैटर की जरूरत क्यों पड़ी ? यह बता दें कि आपने अपने विभाग द्वारा रजिस्टर्ड डाक से आज तक कितनी एफ.आई.आर. दर्ज करायी हैं ? एक भी मिसाल बता दें। डिप्टी सेक्रेटरी थाना प्रभारी के पास जाए और थाना प्रभारी एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार कर दे।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि आज तक रजिस्टर्ड डाक से कितनी एफ.आई.आर. विभाग ने दर्ज करायी हैं ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह आटोनोमस बाडी का मैटर है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। महत्वपूर्ण मामला इसलिए है कि डाक में रजिस्टर्ड लैटर डालने और डालने से पहले उसमें से मूल दस्तावेज निकाल लिया और लिफाफा पुलिस में भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह जो आटोनोमस बाडी का मैटर है; परिवहन निगम भी आटोनोमस बाडी है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उनके गबन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ट्रांसपोर्ट, रोडवेज का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तो कहीं तो हस्तक्षेप कर सकते हैं कहीं नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आटोनोमस बाडी का हस्तक्षेप करने के बारे में...।

श्री अध्यक्ष : मैं पैरों पर हूं । आसन पैरों पर है, आप बैठिये । अब आप एक लिमिटेड प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा प्रश्न यह है मंत्री महोदया से कि कल ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आटोनोमस बाडी, परिवहन निगम के गबन के खिलाफ कार्यवाही की है और आज एक मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं सदन में कि आटोनोमस बाडी में हम लोग, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती । तो क्या वास्तव में सरकार...

श्री अध्यक्ष : हां, बन गया आपका प्रश्न । मंत्रीजी ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाह रही हूं कि, यहां पर सदस्य जो बड़ी जोर से बोल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, कि उसको पिछली सरकार ने बहाल किया था 10-1998 को । हमारी सरकार ने नहीं किया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह नहीं है । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप क्या कर रही हैं ? इन्होंने जो गुनाह कर दिया इनके गुनाह के बाद आप क्या कार्यवाही कर रही हैं ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : हर बात पिछली सरकार पर ढोल दोगे क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह नहीं है कि हमने कर दिया या उन्होंने कर दिया...(व्यवधान)...सवाल यह है कि किसने बहाल कर दिया और क्या हुआ ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक लाख 41 हजार का गबन था उसमें से 92 हजार तो आपने कैशियर पर निर्धारित कर दिया कि वो चुकायेगा । लेकिन जो बाकी बचा हुआ 48,752 रुपया है, यह किससे वसूल होगा ? इसमें जांच में से आपने दो चीजें निकालीं कि एक लाख 41 हजार का गबन था उसमें से 92 हजार तो कैशियर देगा और उसके बाद में 48,752 रुपया रह गया इस गबन में, इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : किस तारीख को बहाल किया ? डेट क्या है ? आपने कह दिया पिछली सरकार के जमाने में बहाल हुआ, आप तो यह बता दें कि डेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : जगमाल सिंहजी, आप बीच में...

श्री जगमाल सिंह यादव : 1998 में आपने कह दिया, 1998 में तो दिसम्बर भी था ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी से डाइरेक्ट बात मत कीजिये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : 26-10-1998 को ।

श्री हरजीराम बुरड़क : इन्होंने गलत किया तो आप उसको मान क्यों रही हैं ? तो आप विड्रा करिये उस आर्डर को। या इन्होंने गलत किया है तो संशोधित करिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब उस दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूं, आप जो कह रहे हैं...

श्री हरजीराम बुरड़क : उसी आदेश को मान रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया। उन्होंने कर दिया और आपने मान लिया...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : केवल यह कह कर के पिछली सरकार ने किया है इस सरकार ने किया है; आप यह बताइये आपकी जानकारी के हिसाब से बहाल जो किया है वह सही है या नहीं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वर्तमान सर–कार क्या करना चाहती है वह तो आप जानकारी दीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो उस सर-कार ने किया उसी को आपने मान लिया। आपने क्या नयी बात कर दी; यह बताओ न। यह तो कह दिया कि ठीक है उन्होंने किया, उन्होंने गलत किया तो आप सही करो।

श्री अध्यक्ष : आप आसन के मार्फत पूछिये। आपको जो पूरक प्रश्न पूछना है, आप डाइरेक्टली बात नहीं कर सकते।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाह रही हूं कि 180 दिन के अन्दर हम को इनके खिलाफ कार्यवाही कर लेनी चाहिए, अगर कोई नहीं करेगा। अभी हमारे यहां इसका प्रकरण चल रहा है। और 180 दिन से पहले ही जो आप कह रहे हैं कि बचा हुआ है उसकी कार्यवाही की जाए।

माननीय सदस्य, आप दो प्रकरण मिला रहे हैं। एक प्रकरण तो गबन का है जो प्रभूनारायण का है, वह अलग प्रकरण है; उस आदमी के बारे में अभी मैं जवाब दे रही हूं। जो 10 आदमियों का प्रकरण है वह दूसरा प्रकरण है। वह अलग प्रश्न है, आप अलग से पूछिये। वो लोप हुए हैं वैद्यों के रजिस्ट्रेशन के बारे में और वह प्रश्न इसमें नहीं आता है। उसमें हुए हैं जो आप 10 आदमियों की बात कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी कर के उस प्रश्न के बारे में मैंने जो जवाब दिया है वह सही है।

हम यह भी कर रहे हैं कि इसके खिलाफ 40 हजार और कुछ का जो आप मामला बता रहे हैं उसके लिए हम आफि-सर जांच के लिए नियुक्त करें, यह 180 दिन के अंदर हमारा प्रकरण चल रहा है और हम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

महिला होलसेल उपभोक्ता भण्डार, करधनी द्वारा राशन के गेहूं के विक्रय में अनियमितता प्रकरण

300. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे— (1) क्या जयपुर महिला होलसेल उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, करधनी द्वारा राशन के गेहूं का व्यवसाय किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक कितनी-कितनी मात्रा का एवं कितनी-कितनी राशि का व्यवसाय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में भण्डार के वित्तीय घाटे में चलने के क्या कारण हैं व घाटे को समाप्त करने के लिए उक्त अवधि में क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इस भण्डार ने गेहूं के व्यापार में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशन विक्रेताओं को गेहूं सप्लाई करने से पूर्व गेहूं की कीमत की सारी राशि प्राप्त कर ली थी? यदि हां, तो भंडार द्वारा राशन विक्रेताओं को गेहूं जारी करने की बिल एवं राशन विक्रेताओं द्वारा जमा करायी गयी राशि की काटी गयी रसीद का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो विक्रेताओं से गेहूं लिए बिना एफ.सी. आई. को भंडार की निजी राशि अदा कर राशन विक्रेताओं को उधार में गेहूं सप्लाई करने के आदेश किस अधिकारी ने जारी किए?

(4) क्या राशन विक्रेताओं पर गेहूं के व्यवसाय की राशि बकाया है? यदि हां, तो किस-किस राशन विक्रेता पर किस-किस वर्ष की किस-किस अवधि की कितनी-कितनी राशि बकाया रही है? विवरण वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक का सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इस भंडार का आडिट किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री परसादीलाल मीणा): (1) जी हां, वर्ष 1990 से भण्डार द्वारा फरवरी, 1999 तक नियमानुसार व्यवसाय किया गया है:—

क्रम सं.	वर्ष	उठाये गये गेहूं की मात्रा क्विंटल में	विक्रय राशि(लाखों में)
1	2	3	4
(1)	1990-91	37007.58	93.69
(2)	1991-92	90147.50	246.48
(3)	1992-93	65502.34	207.15

(श्री परसादी लाल मीणा)

1	2	3	4
(4)	1993-94	12300.00	46.73
(5)	1994-95	निल	निल
(6)	1995-96	35000.00	15.40
(7)	1996-97	122590.92	533.93
(8)	1997-98	19179.52	85.56
(9)	1998-99 (फरवरी, 99 तक)	7522.59	37.45

(2) भण्डार में निरंतर व्यावसायिक गतिविधियां कम रहने तथा कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं खर्चों में लगातार वृद्धि होने के कारण भंडार में हानि रही है। भंडार के घाटे को समाप्त करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि करने के प्रयास किये गये तथा व्यवसाय हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में हिस्सा राशि रु. 3.00 लाख भी प्रदान की गयी किन्तु व्यवसाय में वृद्धि नहीं होने के कारण एवं प्रशासनिक व्यय अधिक होने के कारण प्रशासनिक खर्चों में कमी करने हेतु कुछ कर्मचारियों की नियमानुसार छंटनी की गयी है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सहकारी विभाग के निरीक्षकों को प्रतिनियुक्ति से वापस कर, महाप्रबन्धक, के पद का अतिरिक्त कार्य अन्य अधिकारी को सौंप दिया गया जिससे लगभग 70,000/-रुपये प्रतिमाह खर्चों में कमी हुई है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप पूरा पढ़ेंगे क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : यह मामला दो सालों का है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आप उत्तर अधूरा पढ़ते थे कि पूरा ?

(3) जी हां। भण्डार द्वारा राशन विक्रेताओं को जारी किये गये बिल एवं राशन विक्रेताओं द्वारा जमा करायी गयी राशि की काटी गयी रसीद का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है :—

(श्री परसादी लाल मीणा)

राशन के दुकानदारों को जारी किये गये	बिलों की संख्या	जमा राशि के पक्ष में जारी की गयी रसीदों की संख्या	
1990-91	688	1008	रसीदें
1991-92	1549	2092	"
1992-93	1077	1843	"
1993-94	212	455	"
1994-95	निल	निल	"
1995-96	65	123	"
1996-97	2223	3077	"
1997-98.	262	371	"
1998-99	97	131	"

भण्डार में प्रचलित मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार वस्तुवार क्रय विक्रय का लेखा नहीं रखा जाता है, अपितु नियंत्रित वस्तुओं का एक ही खाता संधारित किया जाता है, जिसमें डीलर द्वारा क्रय की गयी समस्त वस्तुओं की लेखा प्रविष्टि की जाती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत खातों में भी वस्तुवार विवरण अंकित नहीं किया जाता है। राशन विक्रेताओं को उधार में सप्लाई करने के आदेश किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किया जाना रिकार्ड पर नहीं है।

(4) जी हां। राशन विक्रेताओं जमा अग्रिम राशि एवं विक्रय किये गये गेहूं के बिलों के अंतर की राशि का 28-2-99 तक का विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(5) जी हां। वर्ष 90 से 96 तक की आडिट पूर्ण की जाकर रिपोर्ट जारी की जा चुकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : इतना अच्छा और लम्बा जवाब आ गया, अब क्या पूछना है ?

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो पूरा है लेकिन अच्छा नहीं है।

श्रीमती बीना काक : परसादी लालजी ने दिया है इसलिए अच्छा नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो मिला है; राशन विक्रेताओं को उधार में सप्लाई करने के आदेश किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किया जाना रिकार्ड में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उधार की एक लिस्ट मुझे दी है। इन्होंने किया क्या है कि जो भण्डार है, भण्डार ने अपनी पूंजी से गेहूं खरीदा और वे गेहूं राशन विक्रेताओं को दे दिया और राशन विक्रेताओं से आज तक रिकवरी नहीं की। इन्होंने मेरे को 1990 से फरवरी, 1999 तक का राशन विक्रेताओं का उधार का एक कागज पकड़ाया है। उसमें उधार है केवल 92 हजार 632 रुपये की, और इसी भण्डार का जो पत्र है डी.एस.ओ. को, मंत्री महोदय, आप नोट करें, डी. एस. ओ. जयपुर को जो पत्र लिखा, पत्र क्रमांक 469/97-98 दिनांक 11–7–97।

अध्यक्ष महोदय, इस पत्र के द्वारा इन्होंने केवल वर्ष 1997 की उधार रुपये 5 लाख 87 हजार की रिकवरी के नोटिस डी.एस.ओ. द्वारा दिलवाये हैं एक ही साल के। यह मेरे को 1990 से 1997 की उधार बता रहे हैं 92 हजार की, और एक ही साल की उधार, जो डी.एस.ओ. को पत्र इनके होल सेल भण्डार के मैनेजमेंट के यहां से दिया है, उसमें केवल अकेले साल के 5 लाख 87 हजार की रिकवरी के नोटिस इन्होंने दिये हैं। वैसे तो इनको खुद को देना चाहिए था लेकिन डी.एस.ओ. के थ्रू उस पैसे की ये रिकवरी करना चाहते हैं, प्रश्न एक। एक साल में 5 लाख 87 हजार। और 1990 से 98 तक का लेंगे तो करीब 50–60 लाख का घोटाले का मामला इस अकेले साल में। एक।

दूसरा, इन्होंने यह कहा है कि प्रशासकीय हमने जो व्यवस्था कर रखी थी उसके कारण हमको घाटा हुआ और व्यवसाय में वृद्धि नहीं हुई। ये इन्होंने नुकसान के कारण बताये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। क्या मंत्री महोदय, यह बतायेंगे कि होल सेल भंडार द्वारा सर्जिकल आइटम तथा मैडिसंस को भंडार द्वारा उच्च दरों पर खरीदा गया और कम दरों पर बेचकर के कम से कम अकेले इस भंडार ने 50 लाख का मैडिसंस का घोटाला किया? इन दो सवालों का जवाब दे दें।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि जो यह लिस्ट दी गयी है, उससे ज्यादा राशन विक्रेताओं पर बकाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हमारी जो सूची है 1990 से 1999 तक की, इसके अलावा भंडार का कोई भी बकाया राशन विक्रेताओं पर नहीं है। यदि सूची के बावजूद भी ऐसी बात उभर कर आती है और हमको और सरकार को गलत जानकारी दी है तथा अगर आप जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी और कार्यवाही के लिए अधिकारियों को भी दण्डित किया जायेगा।

दूसरा सवाल जो पूछा-घाटे के कारण। घाटे के कारण स्पष्ट हैं। माननीय सदस्य को हमने बता दिया कि इसमें लगातार जो

(श्री परसादी लाल मीणा)

घाटा हुआ, दो तीन सालों से जो घाटा हो रहा है, उसका प्रमुख कारण है कि कर्मचारी ज्यादा लगा लिये गये। इतना काम नहीं था होल सेल भंडार के पास। जिसके कारण कर्मचारियों को हटाना पड़ा। सरकार ने मार्जिन मनी भी इसको चलाने के लिए दी फिर भी यह जब कन्ट्रोल में नहीं आया इसलिए कर्मचारियों की छंटनी करके कि भंडार किस तरह दुबारा अपनी पटरी पर आये, दुबारा किसी तरह मुनाफे में आये और किसी भी कर्मचारी को परेशानी नहीं हो। इसका जो कारण रहा, उन कारणों को नयी सरकार ने आने के बाद ये सारे कर्मचारी मुझसे मिले थे अध्यक्ष महोदय।

मैंने विभाग के, जो इसके एम.डी. वगैरह हैं, उनको बुलाकर निर्देश दिये थे कि इस भण्डार को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जो भी इसमें कार्यवाही की जा सकती है वह कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि आप इस होलसेल भण्डार को जिससे आम लोगों की जरूरत मंद चीजें यहां पर सस्ती दरों पर मिलती हों, सुलभ होती हों, उनको चलाने के लिए जो भी इसमें किया जा सकता है, वह कार्यवाही सरकार निश्चित रूप से करेगी। नयी सरकार के आने के बाद हमने देखा है कि यह भण्डार चलना चाहिए और इसमें जो भी कमी आये, सरकार उन कमियों को दूर करेगी।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है। मंत्रीजी ने कहा है कि अगर मैं जानकारी दूंगा तो ये कार्यवाही करेंगे। मैंने जयपुर जिला होल सेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार के पत्र का पत्र क्रमांक पढ़ा है। मंत्रीजी ने नोट किया होगा और वह 11–7–97 का पत्र 469/97–98 इसमें अकेले साल का जो उधार है वह 5 लाख 87 हजार की है। यह कागज इसमें साथ लगा हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष : कागज ? पोथा है नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : हां, हां, पोथा होगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें स्पेसिफिक आपने पूछा है।

डा. किरोड़ी लाल : उधार का पोथा। आडिट का पोथा अलग है। मैं उधार के पोथे के लिए कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मेरे समाने रखा है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है, माननीय सदस्य को सरकार की तरफ से दे दी गयी है और इसके बावजूद भी कोई शंका है तो आप लिखकर दे दीजिए उसकी जांच करवायेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय, आप फिर लिखकर देने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : अगर अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट सरकार को दी है तो सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। मैं आज की स्थिति की बात बता रहा हूं। आज की स्थिति जो है, वह यह है कि अगर आप इसका नोटिस देते हैं तो इसकी जांच करा लेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, लिखकर किसको दूं ? आप मेरे को इसमें व्यवस्था दे दें। (व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं। मंत्रीजी का जवाब है। 1990 से फरवरी, 1999 तक का राशन विक्रेताओं को, इन्होंने जो जानकारी दी है, मंत्री महोदय ने वह बकाया केवल बताया है 92 हजार का, और डी.एस.ओ. को जो पत्र लिखा है उसी होलसेल भण्डार ने, उसमें बकाया है 5 लाख 87 हजार का एक साल का, और ये बता रहे हैं सात साल का। मेरा यह है कि एक साल का जो पत्र है मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मेरे को लिखकर किसको देना है, यह और व्यवस्था बता दें। आप कहें तो मैं लिखकर आपके घर पर दे आऊं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है उसमें आज की तारीख में जो बकाया है उसका विवरण आपको हमने दिया है। 1997 में रुपया ज्यादा बाकी हो सकता है लेकिन वह रुपया बाद में वसूल हो गया। और वसूल होने के बाद आज जो बकाया राशि है, उसका विवरण हमने आपको दिया। अगर इस तथ्य को आप गलत मानते हो तो चेलेन्ज करिये, मैं उसको स्वीकार करता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि पूर्व राज्य मंत्रीजी ने उत्तर दिया था कि किसी अधिकारी ने आदेश उधार देने के लिए नहीं दिये, तो फिर क्या राशन विक्रेता वहां उपभोक्ता भण्डार की राशि को चुरा करके ले गये ? जिसके कारण उपभोक्ता मांगते हैं अगर किसी अधिकारी ने आदेश नहीं दिये तो राशन विक्रेता, उन्होंने उधार की बात की है। अगर बगैर आदेश के उठा करके ले गये तो चोरी की रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए थी, वसूली कहां से हो गयी। इसलिए किस अधिकारी ने दिये, उसका स्पष्ट नाम और पद आप बतायें मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी मेरे पास नहीं है। मैंने उत्तर में भी निवेदन किया है कि रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जांच करने पर जिस अधिकार ने गलत आदेश दिया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इस भण्डार के अन्दर थोक उपभोक्ताओं से जिस सामान को क्रय किया गया उससे सस्ता, थोक विक्रेता तो ज्यादा पैसों में खरीदते हैं और उससे सस्ता सामान यह उपभोक्ताओं को बेचते हैं जिसके कारण विभाग घाटे में है।

दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उत्तर के खंड तीन के अन्दर राशन दुकानदारों के द्वारा जारी किये गये बिलों की संख्या और जमा राशि के पक्ष में जारी किये गये रसीदों की संख्या, अब इसमें 1990 से लेकर अब तक अन्तर दिख रहा है। आप जरा स्पष्ट करें कि यह अन्तर क्यों है।

मैंने दो सवाल किये पहले तो क्या थोक विक्रेताओं से ज्यादा रेट पर खरीद कर कम रेट में नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब किया गया। और मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस विभाग की क्रय करने की कोई समिति बनी हुई थी? अगर नहीं तो बिना निविदाएं आमंत्रित किये क्रय क्यों किया गया; कितनी बार की गयी, उसकी भी आप जांच करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है कि किसी वस्तु का जिक्र करते कि यह वस्तु ज्यादा पैसे में खरीदी और सस्ते में बेची; इसलिए घाटा हुआ, तो मैं उसका उत्तर देता। आपने पूछा ही नहीं इस प्रश्न में कहीं पर। स्पेसिफिक सवाल पूछते। स्पेसिफिक सवाल अगर आप पूछते कि यह वस्तुएं ज्यादा कीमत पर आपने खरीदीं और सस्ते में बेचीं इसलिए घाटा हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फ्रूट्स ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप पूरा सवाल पढ़ लीजिए। और जो पीछे पूछी गयी हैं विशेष कर के राशन विक्रेता के सम्बन्ध में हैं और गेहूं के वितरण के संबंध में हैं। वह राशि फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया को जमा करवायी जाती है और उसके आधार पर निकाली जाती है और विक्रेताओं को दिया जाता है। उसमें कहां ज्यादा कीमत पर खरीदो है और उसमें घाटा होने का कहां सवाल है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो दवाइयां खरीदी गयीं वह किसी नीति के मुताबिक नहीं खरीदी गयी, ना टेण्डर लिये गये। डायरेक्ट ही खरीदी गयी है। और इसी कारण यह घाटा हुआ है। इसी के लिए कर्मचारियों ने भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि इसकी जांच की जाये लेकिन उसकी आज तक कोई जांच नहीं की गयी है।

मेरा निवेदन यह है कि जो कर्मचारियों ने निवेदन किया था मुख्य मंत्री महोदय से कि इसकी पूरी जांच हो कि इस घोटाले में क्या है, तभी इसका निर्णय निकल सकेगा। क्योंकि इस तरह से तो लीपापोती होती रहेगी।

श्री अध्यक्ष : लीपापोती कुछ नहीं है। प्रश्न पूछ लिया आपने, फरदर इल्यूसिडेट मत कीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक घाटे की जांच का प्रश्न है; यह सही है कि हमारी स्टाफ कमेटी ने सोचा कि कितने कर्मचारी इसमें सरप्लस डिक्लेयर किया जाना था; एक कमेटी बैठी। उन्होंने रिकमण्डेशन किया और जो बाद में भर्ती हुए थे; ऐसे चल रहे आदमियों को कानून के अनुसार हमने रिट्रेन्च किया है। यदि कर्मचारियों द्वारा ऐसी शिकायत मुख्य मंत्रीजी के दफ्तर में भेजी गयी हो और मेरे पास आ गयी होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उन्होंने विशेष कारण उल्लेख किये उसकी गड़बड़ी की वजह से घाटा हुआ तो मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और दोषी आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमका–थाना) : जहां गबन हुए हैं पूर्व चिकित्सा मंत्री ने कोई जुबानी आदेश दिये हो.... (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : होल सेल भण्डारों में जहां गबन हुए हैं वहां धारा 74 को–आपरेटिव के अनुसार....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : सोसायटी से वसूल किया जाता है ऐसा क्यों।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता है। अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नहीं-नहीं। अनुमति नहीं दूंगा पृथक प्रश्न पूछने की। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि महिला उपभोक्ता जो भंडार है इसमें राशन की गेहूं की जांच हुई है उसके साथ में अन्य कोई जांच भी....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री कन्हैया लाल : दवाइयों की जो दुकानें चल रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

प्रश्न संख्या-301

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल विश्नोई।

तहसील सांचोर में सड़क निर्माण कार्य

302. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल बिश्नोई)

(1) वर्ष 1993 से 1998 तक तहसील सांचोर में कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से सरकार के किन-किन सड़कों की स्वीकृति प्रदान की थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण/अपूर्ण है ? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : (1) वर्ष 1993 से 1998 तक तहसील सांचोर में मंडी विकास निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति की राशि से 6 सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की गयी है जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त सभी सड़कों का कार्य अभी अपूर्ण है, किन्तु कार्य प्रगति पर है। क्योंकि इन सड़कों की स्वीकृति माह जून, 1998 में ही जारी की गयी है। सभी सड़कें चालू वित्त वर्ष में ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2-देखें)

श्री हीरालाल बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल की स्वीकृत सड़कें, और मंत्री महोदय कह रहे हैं अभी तो कई ऐसी सड़कें हैं उनका कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। जिस सड़क का कार्य शुरू नहीं हुआ तो अगले माह तक या अगले साल तक कैसे शुरू होगी ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा 1993 से 1998 तक तो 1993 से 98 तक कोई सड़क स्वीकृत नहीं हुई थी। सड़कें 1998 में ही शुरू हुई हैं; जून में सैंक्शन, और अधिकांश सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय अवधि के अनुसार ही उनका काम पूरा करने का पूरा प्रयास होगा और मेरा विश्वास है कि सड़कें समयावधि में हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री हीरालाल बिश्नोई : क्या कारण था कि 1993 से 1998 तक एक भी सड़क....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं। यह कह रहे हैं कि 1998 में ही प्रारंभ हुई है।

श्री हीरालाल बिश्नोई : 1993 से 1998 तक एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई इसका क्या कारण था ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 1993 से लेकर 1998 तक सड़कें स्वीकृत क्यों नहीं हुई यह तो माननीय सदस्य भी जानते हैं और आप भी जानते हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : क्या इतना पक्षपात भी होता है अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी की जो इन्कम होती है उसकी इन्कम का कितना प्रतिशत पैसा अपन सड़कों पर लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न में, सांचोर की सड़कों का प्रश्न नहीं है यह।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं बैलेन्स राशि पूछ रहा हूं। जो बैलेन्स राशि....

श्री अध्यक्ष : श्री खेमराज कटारा। नहीं आप नहीं पूछ सकते। असम्बन्धित इर्रिलेवेन्ट क्वेश्चन है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (उदयपुर शहर) के काश्तकारों का भूमि बेचान प्रकरण

303. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में उदयपुर शहर के 10 किलोमीटर परिधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों की कितनी भूमि के बेचान अथवा एग्रीमेंट हुए हैं?

(2) उक्त वर्षों में उक्त काश्तकारों की भूमि का रूपान्तरण आवासीय/गैर आवासीय प्रयोग हेतु किये गये प्रकरणों की संख्या कितनी है? क्या कुछ भूमि दलालों द्वारा ही उक्त खरीद फरोख्त पर बेनामी सम्पत्ति अर्जित की गयी है?

(3) उदयपुर व गिर्वा में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां/व्यावसायिक संस्थान हैं जो बिना भूमि रूपान्तरण की राशि जमा कराये चल रहे हैं? उक्त प्रकरणों से सरकार को कितनी हानि हो रही है?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती कमला) (राजस्व मंत्री के स्थान पर) : (1) गत तीन वर्षों में उदयपुर शहर के 10 किलोमीटर परिधि (पैराफेरी) में अनुसूचित जाति के 60 काश्तकारों की 10.8082 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं अनुसूचित जन जाति के 188 काश्तकारों की 76.2030 हैक्टेयर कृषि भूमि का बेचान हुआ है। यह बेचान अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों को ही हुआ है।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त काश्तकारों की भूमि का आवासीय, प्रयोजनार्थ 503 प्रकरणों एवं गैर आवासीय 5 प्रकरणों में रूपान्तरण किया जा चुका है।

जी नहीं।

(3) उदयपुर व गिर्वा क्षेत्र में 192 फैक्ट्रियां/व्यावसायिक संस्थान बिना भूमि रूपान्तरण की राशि जमा कराये चल रहे हैं। चूंकि यह सभी प्रकरण संपरिवर्तन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र में है, अतः संपरिवर्तन

(श्रीमती कमला)

से राज्य सरकार को किसी प्रकार की आय अथवा हानि होना सम्भव नहीं है।

श्री खेमराज कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जवाब इसमें दिया है प्रश्न, यह प्रकरण जो है यह बहुत गम्भीर है इस प्रदेश के लिए। लेकिन खाली जो जवाब दिये हैं, यह औपचारिकता है। मैंने सवाल किया है कि, अनुसूचित जाति और जनजाति की आज तक कोई न कोई जमीन तीन वर्ष में बिकी है ऐसे कितने एग्रीमेंट हुए हैं। एग्रीमेंट का कहीं जिक्र नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय उदयपुर इलाके में एक भी इंच जमीन अनुसूचित जाति, जनजाति की बची नहीं है, सारी जमीनें एग्रीमेंट के जरिये बिक गयी हैं। और यह जो आंकड़े दिये गये हैं यह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, और कुछ भी नहीं है। यह सारे तथ्य से काफी दूर हैं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या जो जमीन का बेचान जिसका हुआ है उस पर जिनके नाम से, जिन्होंने खरीदी है, जो जमीन पर काबिज हैं, अगर उस पर काबिज वह नहीं है तो राज्य सरकार उनको बेदखल करने की कार्यवाही करेगी। दूसरा मेरा सवाल है कि इन्होंने बताया कि जो काश्तकारों का रूपान्तरण हुआ है वह क्या अनुसूचित जनजाति और जाति के नाम पर ही हुआ है और वह उस पर काबिज हैं ?

दूसरा मेरा सवाल, इसमें यह लिखा है, आपने यह बताया है कि इसमें भूमि दलालों का कोई लेन-देन नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपको मार्फत बताना चाहता हूं कि सारी जमीनें, लेन–देन जो हुआ है वह भूमि दलालों के जरिये हुआ है और एक-एक जमीन एक-एक साल में तीन–तीन बार बिक चुकी है और करोड़ों रुपये भूमि दलालों ने इसमें कमाये हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि इस तरह से जो...

श्री अध्यक्ष : शोर्ट। जल्दी से पूछो। संक्षेप में पूछिये आप। थोड़ी जल्दी है ना।

श्री खेमराज कटारा : यह पांच गैर आवासीय जो परिवर्तन हुए हैं वह कौन लोग हैं और क्या वह अनुसूचित जाति और जनजाति के ही हैं ?

तीसरा, मेरा सवाल यह है कि इसमें जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मंत्री महोदय ने बताया है कि इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कई ऐसी फैक्ट्री हैं जो वर्षों से उस पर काबिज हैं, क्या उनको अभी भी परिवर्तन करके उनसे राशि वसूलने की सरकार मंशा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, कानून में अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि, जो कृषि भूमि है, वह किसी अन्य जाति के व्यक्तियों को बेचान नहीं

(श्रीमती कमला)

की जा सकती है किन्तु उसी जाति के व्यक्तियों को बेचान की जा सकती है। इसलिये यह जानकारी प्राप्त की गयी थी। तो पता लगा कि यह जो भी बेचान हुए हैं वह नियमान्तर्गत हुए हैं।

दूसरा, जो बेचान हुए हैं उन्हें नियम के ग्रन्तर्गत सम परिवर्तन किया गया, रूपान्तरित किया गया, उसमें भी कहीं कोई ग्रनियमितता नहीं हुई। सिर्फ एक मुद्दा यह है कि जिन प्रतिबन्धित भूमियों के ऊपर औद्योगिक या व्यावसायिक इकाइयां प्रतिस्थापित हैं उनको वहां से हटाये जाने के लिये जो कार्यवाही तत्परता से होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई है। जांच इसकी करायी हुई है और इसमें प्रभावी कार्यवाही कराने के लिये ग्रादेश जारी करने बाकी हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। शोकाभिव्यक्ति।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3-देखें)

ग्रनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न ग्रौर उसका उत्तर

छबड़ा में स्वीकृत बैरल पाइंट

301. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक ग्रापूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में केरोसिन फिलिंग के लिये बैरल पाइंट कब से स्वीकृत है ?

(2) उक्त बैरल पाइंट को कब-कब, कितना-कितना केरोसिन दिया गया और उसका वितरण किस प्रकार किया गया ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में केरोसीन फिलिंग के लिए कोई बैरल पाइंट स्वीकृत नहीं है।

(2) चूंकि बैरल पाइंट ही स्वीकृत नहीं है। ग्रतः केरोसीन दिये जाये एवं वितरण का प्रश्न ही नहीं है।

ग्रतारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्रालयिक कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान

390. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में राज्य सरकार ने मुद्रण कर्मचारियों, मैड व क्लन के तकनीकी स्टाफ, नेत्र चिकित्सा के सहायकों/कम्प्यूटर ग्रापरेटरों सहित मंत्रालयिक कर्मचारियों के पांचवे वेतन ग्रायोग में रही विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतनमान 4000-6000 देने के लिए लिखित में कर्मचारी संघ के समझौता

(श्री रामस्वरूप मीणा)

किया था ? यदि हां, तो कब ? लिखित में किये गये समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अपने समझौते के अनुसार इन वर्गों के लोगों को पांचवें वेतन आयोग (संशोधित) के आधार पर वेतन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने मुद्रण कर्मचारियों, भेड़ व ऊन विभाग के तकनीकी कर्मचारियों, चिकित्सा विभाग के नेत्र सहायक व कम्प्यूटर विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान परिवर्तित करने के संबध में संबंधित कर्मचारी संघों से लिखित में समझौता नहीं किया। कनिष्ठ लिपिक के पद का वेतनमान 3050-4590 के स्थान पर 4000-6000 परिवर्तित करने के संबंध में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ से लिखित में एक समझौता किया गया था। समझौते की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पिछली सरकार ने जिन पदों का वेतनमान परिवर्तित करने का निर्णय लिया था किन्तु आदेश जारी नहीं किये गए थे उन सभी मामलों का परीक्षण वेतन विसंगति निराकरण समिति से कराया जा रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्रीगंगानगर में वाणिज्य कर विभाग का भवन निर्माण प्रकरण

391. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों की सुविधा हेतु विभाग का स्वयं का भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्तमान में विभाग ने कौनसा भवन ले रखा है। और उसका कितना किराया वहन करता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने 'कर भवन' बनाने के लिए पुराने राजकीय चिकित्सालय परिसर में खाली पड़ी भूमि का मौका मुआयना कराया था ? क्या सरकार कर भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा इसी पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में कर भवन श्री गंगानगर में बनाने का विचार है तथा श्री गंगानगर में भूमि क्रय हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

(2) वर्तमान में श्री गंगानगर में विभिन्न चार कार्यालय प्राइवेट किराये के भवनों में है। उनका मासिक किराया

(वित्त मंत्री)

27,723/- प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। जिनमें से उपायुक्त (प्रशासन) के पास मैसर्स महालक्ष्मी काटन जीनिंग एण्ड फैक्ट्री श्री गंगानगर का भवन किराये पर है, जिसका मासिक किराया 15,580/- है।

(3) यह सही है कि उपायुक्त (प्रशासन) श्री गंगानगर द्वारा राजकीय चिकित्सालय की भूमि का अवलोकन किया गया था। अधिशासी अभियन्ता श्री गंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि 50574 वर्ग मीटर है तथा उस भवन व भूमि का मूल्य 7.50 करोड़ बताया है। भूमि आवश्यकता से अत्याधिक व राशि अत्याधिक होने से इस भूमि पर कर भवन बनाने का विचार नहीं किया गया। कर भवन हेतु नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर की कुंज बिहार योजना में 4200 वर्ग मीटर भूमि राशि रु. 48.30 लाख में क्रय करने हेतु प्रस्ताव परीक्षाधीन है।

तहसील रायपुर (पाली) के ग्रामों में भूमि की दरें

392. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के ग्राम पंचायत एवं राजस्व गांव कलालिया, चांग तथा चिताड़ पहाड़ी क्षेत्र में होते हुए भी इस तहसील के अति उपजाऊ क्षेत्र के इन गांवों की कृषि भूमि प्रति बीघा का पंजीयन हजारों रुपयों प्रति बीघा व तहसील में सबसे अधिक है ?

(2) क्या सरकार इन गांवों की बाजार दरें घटाकर नियत संगत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत कलालिया चांग एवं चिताड़ के राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि की विक्रय दरें हजारों रुपये प्रति बीघा है जिनके दस्तावेजात नियमानुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क लेकर पंजीबद्ध किये जाते हैं किन्तु यह सही नहीं है कि ये बाजार दरें तहसील के अन्य ग्रामों की कृषि भूमि की प्रति बीघा विक्रय दरों में सर्वाधिक है। उदाहरण के तौर पर संदड़ा, कुशालपुरा एवं देवली आदि ग्रामों की कृषि भूमि की विक्रय दरें उपरोक्त ग्राम पंचायतों के अधिकांश ग्रामों की विक्रय दरों से अधिक है।

(2) क्योंकि प्रश्नाधीन गांवों की कृषि भूमियों की बाजारू कीमत के अनुरूप एवं निर्धारित दरों के अनुसार ही दस्तावेज पंजीयन हुए हैं एवं हो रहे हैं इसलिए जिला स्तरीय समिति ने निर्धारित दरों में कोई कमी नहीं की है और न ही इन दस्तावेजों की बाजार दरें घटाने का कोई प्रस्ताव है।

राज्य के पंजीकृत क्लबों में मदिरा सेवन

393. श्री ललित भाटी (अजमेर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर क्लब अजमेर, जय क्लब जयपुर, अशोक क्लब जयपुर सहित किन-किन क्लबों को राज्य में कहां-कहां मदिरा

(श्री ललित भाटी)

सेवन व विक्रय हेतु लाइसेंस दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त किन-किन क्लबों में गैर कानूनी रूप से मदिरा सेवन किये जाने की जानकारी विभाग को है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक खण्ड 2 में वर्णित क्लबों के विरुद्ध क्या कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितनी बार किन-किन क्लबों पर ऐसी कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में निम्न क्लबों को क्लब बार अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत है :—

1. जयपुर क्लब, जयपुर
2. जय क्लब, जयपुर
3. अशोक क्लब, जयपुर
(31-3-99 को लाइसेंस समाप्त)
4. पिंकसिटी प्रेस क्लब, जयपुर
5. रिविएरा रिक्रियेशन क्लब, जयपुर
6. अजमेर क्लब, अजमेर
7. कोपर क्लब, खेतड़ी नगर, झुंझुनूं
8. उम्मेद क्लब, जोधपुर
9. गंगानगर क्लब, श्री गंगानगर
10. फील्ड क्लब, उदयपुर

(2) किसी भी क्लब में गैर कानूनी रूप से मदिरा सेवन करने की विभाग को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) क्लबों में किसी प्रकार की आबकारी कानून की अवहेलना बाबत परिवाद प्राप्त नहीं होने से कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

विधान सभा क्षेत्र नावां में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

394. श्री हरिश्चन्द्र (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नावां के ग्राम चितावा में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन निर्माण का कार्य चालू है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि कुचामनसिटी में 220 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जाएगा ?

(3) क्या कुचामन सिटी के प्रस्तावित 220 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए ग्राम त्रिसिंगिया स्टेशन रोड पर सरकारी भूमि या बूड़सूरोड पर ग्राम रूपपुरा मिडल स्कूल के पीछे की भूमि के प्रस्ताव विद्युत बोर्ड अध्यक्ष एवं तकनीकी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ? यदि हां, तो क्या किसी अधिकारी ने इन स्थानों का निरीक्षण

(श्री हरिशचन्द)

कर अब तक कोई निर्णय लिया है ?

(4) क्या यह सही है कि प्रस्तावित 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कुचामन सिटी का कार्य चालू हो गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील नावां के ग्राम चितावा में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य इसी वर्ष 1999-2000 में पूर्ण कर दिया जायेगा।

(2) जी हां। कुचामन सिटी में 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य इसी वर्ष 1999-2000 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। प्रस्तावित जमीनों का निरीक्षण किया गया लेकिन वे जमीनें 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन हेतु उपयुक्त नहीं पाई गयी।

(4) जी नहीं, उपरोक्त भाग-2 के अनुसार।

जिला धौलपुर के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर प्रकरण

395. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर के वर्तमान में ऐसे कितने ट्रांसफार्मर हैं जिन्हें खराब होने के बावजूद भी बदला नहीं गया है ?

(2) उक्त जिले के उपखण्ड बाड़ी में विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए क्या कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि बाड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन लगाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में वर्तमान में 48 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। उक्त ट्रांसफार्मरों को उपभोक्ताओं में मंडल की राशि बकाया होने के कारण नहीं बदला गया।

(2) जी हां। धौलपुर जिले के उपखण्ड बाड़ी में विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु 132 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन मण्डल द्वारा वाह्य ऋण सहायता से बनाया जाना स्वीकृत किया गया था, किन्तु ऋण उपलब्ध न होने एवं संसाधनों की कमी के कारण इस योजना पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस योजना को मण्डल की वार्षिक योजनाओं में शामिल किया जाकर पूरा किया जावेगा।

जिला पाली में स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति प्रकरण

396. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने वर्ष 1996 में शारीरिक रूप से विकलांग/अस्वस्थ/अक्षम कर्मचारियों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के आवेदन मांगे हैं? यदि हां, तो मण्डल में पाली जिले के कितने आवेदन-पत्र किन-किन कर्मचारियों के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के तहत सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के परिवार के नामांकित एक सदस्य को नौकरी में लिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1996 में पाली जिले के 8 कर्मचारियों के प्रकरण प्राप्त हुये थे। जिसमें से चयन समिति की अनुशंषा पर 7 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करते हुए उनके आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। शेष एक प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया। वर्ष 1996 में प्राप्त कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। मण्डल के नियमों में ऐसा प्रावधान न होने एवम् वैधानिक अड़चनों के कारण उक्त प्रक्रिया से वर्तमान में कोई नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं।

ग्राम मुहामी (अजमेर) में विद्युत आपूर्ति

397. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम मुहामी में विद्युत सप्लाई दो फीडर क्रमशः गगवाना और नसीराबाद से हो रही है ?

(2) क्या दो अलग-अलग फीडर से सप्लाई होने के कारण ग्रामवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक ही फीडर नसीराबाद से पूरे गांव को विद्युत सप्लाई से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ग्राम मुहामी में दोनों फीडरों से विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। केवल नसीराबाद से ही विद्युत आपूर्ति किया जाना वर्तमान में तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

ग्राम रामनगर डोसी (बामनवास) के विद्युत कनेक्शन प्रकरण

398. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. किरोड़ी लाल)

(1) क्या यह सही है पंचायत समिति बामनवास के ग्राम रामनगर ढोसी के व्यक्तियों ने घरेलू कनेक्शन हेतु दिनांक 8-2-82 एवं दिनांक 24-12-98 को दो बार मांग पत्र की राशि जमा करा दी है ? यदि हां, तो किस-किसने ? सूची मय समय एवं मांग-पत्र की प्रति के सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों ने एल फार्म भी जमा करा दिया है ? यदि हां, तो कब और अब तक किस कारण से उक्त व्यक्तियों को कनेक्शन नहीं दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी तरह से ग्राम बेरखंडी एवं महरावंड-आर. पुरया के भी एल फार्म जमा करवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने लोगों ने कब-कब तथा उन्हें कब तक घरेलू कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । पंचायत समिति, बामनवास के ग्राम रामनगर ढोसी में 27 आवेदकों ने घरेलू कनेक्शन हेतु दिनांक 8-7-92 को मांग-पत्र की राशि जमा करवाई है । मांग-पत्र जमा कराने वाले आवेदकों की दिनांक सहित सूची व मांग-पत्र की प्रतियां प्रपत्र-'अ' व 'ब' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त ग्राम में आवेदकों द्वारा प्रथमबार दिनांक 14-9-1992 व 2-1-1993 को एल. फार्म प्रस्तुत किए गए थे लेकिन आवेदनकर्ताओं द्वारा विद्युत फिटिंग का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एल. फार्म निरस्त कर दिए गये । आवेदकों को पुनः नोटिस दिए जाने के पश्चात आवेदकों द्वारा दिनांक 24-12-1998 को दुबारा एल.फार्म प्रस्तुत किए गए थे । आवेदकों द्वारा एल.फार्म देरी से जमा कराने के कारण कनेक्शन नहीं दिए जा सके तथा वर्तमान में उक्त ग्राम की लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण कनेक्शन नहीं दिए जा सके ।

(3) जी हां । ग्राम बेरखंडी व आर-पुरा में कुल 120 आवेदकों द्वारा क्रमशः दिनांक 9-12-93 व 27-5-93 को एल. फार्म जमा करवाए गये थे परंतु उक्त दोनों ग्रामों के आवेदकों द्वारा फिटिंग का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एल.फार्म निरस्त कर दिए गये थे । पुनः एल.फार्म जमा करवाने हेतु नोटिस दिए जाने के उपरान्त भी अभी तक एल. फार्म नहीं जमा कराए जाने के कारण, कनेक्शन नहीं दिए गये हैं । ग्राम महरावंड में किसी भी आवेदक के मांग-पत्र की राशि जमा नहीं है । अतः कनेक्शन दिए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(सूची व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विद्युत मण्डल की बकाया राशि की वसूली

399. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) वर्ष 1990-91 से दिसम्बर, 1998 तक राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को उपभोक्ताओं से कितनी राशि वसूली योग्य थी ? वसूली योग्य राशि में से अब तक कितनी राशि वसूल कर ली गई है ?

(2) उक्त राशि को वसूल नहीं करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 से दिसम्बर, 1998 तक कुल 15485.75 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वसूल करने योग्य थी, जिसके सापेक्ष कुल 14869.53 करोड़ रुपये माह दिसम्बर, 1998 तक वसूल कर ली गई है ।

(2) यदि कोई उपभोक्ता भुगतान की नियत तिथि के पश्चात् भी विद्युत राशि जमा नहीं करवाता है तो भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत-7 दिवस का नोटिस देकर विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जाता है । इसके पश्चात सर्विस लाइन व मीटर हटाकर स्थाई रूप से संबंध विच्छेद कर ई.यू.डी.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है । पूर्व में ई.यू.डी.आर. एक्ट की कार्यवाही पृथक से कलेक्टर पी.डी.आर.द्वारा की जाती रही है, परन्तु अब राज्य सरकार ने वसूली की कार्यवाही को सरल एवं गति प्रदान किये जाने हेतु उक्त अधिकार मण्डल के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को प्रदान कर दिये हैं तथा न्यायालय में विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु अधिवक्ताओं से मिलकर प्रकरण में गति लाने हेतु प्रभारी अधिकारियों को मामलों के निस्तारण हेतु आदेश दिये गये हैं, जिस के उल्लेखनीय परिणाम भी सामने आये हैं।

उपभोक्ताओं को समझौता समिति के माध्यम से निपटारे हेतु प्रेरित कर वसूली करने के प्रयास किये गये हैं ।

कोटा संभाग में विद्युत संबंध विच्छेद प्रकरण

400. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग में दिसम्बर, 1998 के बाद कितने गांवों के विद्युत संबंध विच्छेद किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त गांवों के विद्युत संबंध क्यों विच्छेद किये गये हैं ? उक्त में से कितने–कितने लोगों ने बिजली का बिल गत माह या पिछले दो माह तक चुकाया हुआ है ? गांववार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जिन गांवों के बिजली के संबंध विच्छेद किये गये हैं उनमें बिल बकाया नहीं होने के बावजूद भी किस–किस गांव में आटा चक्कियां, पेयजल योजनाओं, पशु पेयजल योजनाओं, चिकित्सा उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, लिफ्ट

(श्री मदन दिलावर)

सिंचाई योजनाओं के कनेक्शन काटे गये ? सूची भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल के कोटा संभाग के अन्तर्गत दि. 1–12–1998 के बाद कुल 329 गांवों के विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किये गये हैं। सम्बन्ध विच्छेद किये गये गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त गांवों के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मण्डल की बकाया राशि जमा नहीं कराए जाने के कारण विद्युत संबंध विच्छेद किए गये हैं। गत दो माह में जिन उपभोक्ताओं ने बिल की राशि जमा कराई है, उनकी ग्रामवार संख्या की सूची परिशिष्ट 'अ' में दर्शाई गयी है।

(3) उपरोक्त ग्रामों में बिल जमा होने के बाद किसी पेयजल योजना, चिकित्सा उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु पेयजल योजना व लिफ्ट सिंचाई योजना के विद्युत सम्बन्ध नहीं काटे गये लेकिन उक्त ग्रामों का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने से उनको विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने की जानकारी विभाग को नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रीछड़ी की 2 आटा चक्की व चुरेलिया ग्राम की एक आटा चक्की की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की सहकारी समितियों का अवसायन

401. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में किस किस ग्राम सेवा सहकारी समिति को बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया ?

(2) उक्त बंद की गई समितियों में कृषकों/अन्य किन-किन लोगों में कितना-कितना ऋण बकाया है जिसके कारण समिति को बन्द करने का निर्णय लिया गया है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की समितियों के पास चल/अचल सम्पत्तियां कितनी-कितनी कहां-कहां हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समितियों के भवन कितने-कितने वर्ग गज में बने हुए हैं ? क्या इन्हें पट्टे जारी कर रखे हैं। यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त में से कितनी समितियों की भूमियों पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है ? अतिक्रमण करने वालों को हटाने के क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की कुल 21 सहकारी समितियां बन्द होने/निष्क्रिय होने के कारण अवसायन में लाई हुई है। समितियों की सूची परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

(2) उक्त अवसायनाधीन सहकारी समितियों में से 6 समितियां ऐसी हैं, जिनका ऋण बकाया सम्बन्धी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। 5 समितियों के सदस्यों के विरुद्ध ऋण बकाया नहीं है, 9 सहकारी समितियों के सदस्यों की तरफ कुल बकाया ऋण का रिकार्ड उपलब्ध है, किन्तु सदस्यवार सूची उपलब्ध नहीं है। समितिवार सदस्यों पर बकाया का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति दनाउकला के सदस्यों के विरुद्ध 20791.20 रु. का ऋण बकाया है, जिसकी सदस्यवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर उक्त समितियों के पास उपलब्ध चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) उपरोक्तानुसार परिशिष्ट—4 में इसका विवरण संलग्न कर दिया गया है।

(5) उक्त में से किसी भी समिति की भूमि पर अतिक्रमण होने का कोई मामला प्रकाश में आना नहीं पाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला बाड़मेर में स्वीकृत राहत कार्य

402. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 23 नवम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की पंचायत समिति बालोतरा में अकाल राहत के तहत कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में शिव, धोरीमन्ना चौहटन और सिवाना पंचायत समिति में कुल कितने कार्य अकाल राहत के तहत स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 23 नवम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बालोतरा में अकाल राहत के तहत 28 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-1)

(2) 23 नवम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक शिव, धोरीमना, चौहटन और सिवाना पंचायत समितियों में स्वीकृत अकाल राहत कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला चूरू की विचाराधीन सिंचाई योजनाएं

403. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जिससे किसानों को खेती करने में कठिनाई हो रही है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (चूरू) में गत 10 वर्षों में पानी नीचे जाने का प्रतिवर्ष क्या क्रम रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या चूरू जिले को सिंचाई हेतु नहरों से पानी देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं और उनसे कितने हैक्टर भूमि सिंचित होगी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रश्न भू-जल विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) प्रश्न भू-जल विभाग से सम्बन्धित है ।

(3) जी हां, राजस्थान राज्य को आवंटित यमुना पानी के उपयोग हेतु चूरू जिले के राजगढ़ व तारानगर तहसील को सिंचाई व पीने के पानी उपलब्ध कराने हेतु एक योजना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 290 करोड़ रुपये आवेगी । इससे लगभग 33000 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

बीसलपुर परियोजना में भूमि, भवन व पेड़ों का अवाप्ति प्रकरण

404. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर परियोजना में किस-किस किस्म की कितनी भूमि, भवन व पेड़ किन दरों पर अवाप्त किया जाना प्रस्तावित था एवं उस पर कितना व्यय किया जाना था ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब तक किस-किस किस्म की कितनी भूमि भवन व पेड़ किस-किस व्यक्ति के किस दर से अवाप्त कर लिये गये हैं एवं इस पर अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है ? अधिक हुए व्यय के लिये कौन उत्तरदायी है ?

(3) अब कितनी भूमि, भवन व पेड़ अवाप्त करना शेष है ? क्या कुछ भूमि हेतु धारा-4 व 6 के तहत कार्यवाही हेतु अवधि पार हो चुकी है ? यदि हां, तो इस के लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) बीसलपुर परियोजना की वर्ष 1991 की स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के

(सिंचाई मंत्री)

अनुसार बांध निर्माण के लिए (डूब क्षेत्र) में 12616 हैक्टेयर जमीन (3326 हैक्टेयर चाही, 8102 हैक्टेयर बारानी एवं 1188 हैक्टेयर बंजड़) 5401 मकान तथा 47850 पेड़ों को अवाप्त किया जाना प्रस्तावित था, जिसके लिए 5098.81लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसका विस्तृत विवरण प्रपत्र 'क' पर संलग्न है। भूमि, भवन व पेड़ जिन दरों पर अवाप्त किया जाना था उसका विवरण प्रपत्र 'ख' पर संलग्न है। इसी प्रकार बीसलपुर परियोजना को दांयी मुख्य नहर के निर्माण के लिए 497 हैक्टेयर भूमि(सिंचित 43 हैक्टेयर, बारानी 328 हैक्टेयर एवं बंजड़ 126 हैक्टेयर) अवाप्त किया जाना प्रस्तावित था जिसके लिए 283.18 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था जिस का विवरण प्रपत्र 'ग' पर संलग्न है। मकान व पेड़ों हेतु कोई प्रावधान नहीं था। भूमि जिस दर पर अवाप्त की जानी थी उसका विवरण प्रपत्र 'घ' पर संलग्न है।

(2) मार्च 1999 तक डूब क्षेत्र में आने वाले 24 गांवों की 4908.44 हैक्टेयर भूमि (चाही 1880.10 है., बारानी 2799.66 है. बंजड़ 228.68 है.) 2347 मकानों एवं 19095 पेड़ों की कुल राशि 4071.07 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ग्रामवार अवाप्ति एवं मुआवजा भुगतान का विवरण प्रपत्र 'ड' पर संलग्न है। इसी प्रकार नहर निर्माण के लिए 201.81 हैक्टेयर भूमि अवाप्त कर 134.39 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान मार्च, 99 तक किया जा चुका है जिसका विवरण प्रपत्र 'च' पर संलग्न है।

माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न में चाही गयी सूचना बहुत अधिक विस्तृत है, जिस को संकलित तथा टंकण कराने में काफी समय लगने की संभावना है। सूचना उपलब्ध होते ही विधान सभा, सचिवालय व माननीय सदस्य को प्रेषित कर दी जावेगी।

परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित दरें तत्समय राजस्व विभाग के रेकार्ड के आधार पर ली गई थी एवं वास्तव में मुआवजा भुगतान समय पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड के आधार पर किया गया था। अतः अधिक हुए व्यय के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

(3) अब डूब क्षेत्र में आने वाली 7816 हैक्टेयर भूमि 4455 मकानों एवं लगभग 50,000 पेड़ों का भुगतान किया जाना शेष है। विस्तृत विवरण प्रपत्र 'छ' पर संलग्न है। इसी प्रकार नहर निर्माण के लिए 996.02 है. भूमि की अवाप्ति की जानी है। जिसका विवरण प्रपत्र 'ज' पर संलग्न है। यह सही है कि विगत वर्षों में कुछ गांवों के मुआवजा भुगतान हेतु जारी धारा 4 व 6 की अवधि पार हो गई जिसका मुख्य कारण मुआवजा भुगतान में अनियमितताओं की जांच में समय लगना, डूब क्षेत्र के कुछ गांवों में नया सेटलमेंट होना, भूमि अवाप्ति अधिकारियों के पदों का लंबे समय तक रिक्त होना तथा कुछ प्रकरणों का न्यायलय में लम्बित होना आदि है। अतः धारा 4 व 6 की अवधि पार होने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला धौलपुर के उपखण्ड मुख्यालय

405. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) एवं श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में स्थित कुल बांध कितने हैं तथा कहां-कहां स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त जिले में स्थित सभी बड़े-बड़े सिंचाई बांध उपखण्ड बाड़ी में स्थित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार के आदेश के अनुसार बांधों के समीप ही सिंचाई उपखण्ड होने चाहिए ?

(3) क्या उक्त जिला मुख्यालय पर स्थापित सिंचाई उपखण्ड प्रथम व द्वितीय को उपखण्ड बाड़ी में स्थापित किया जायेगा ?

(4) क्या सरकार उक्त जिले में चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में कुल 25 बांध हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । बाड़ी तहसील में पूर्व में ही एक सिंचाई उपखण्ड स्थापित है जो पर्याप्त है ।

(4) जी हां । चम्बल लिफ्ट योजना का भू एवं मृदा सर्वेक्षण वर्ष 1995 में पूर्ण हो चुका है । जल उपलब्धता आंकड़े केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किये जा चुके हैं । जल उपलब्धता आंकलन पूर्ण होने एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर वृहद योजना बनाकर केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जायेगी । योजना की क्रियान्विति केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही संभव है । यह योजना जिला धौलपुर में है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—6 देखें)

तहसील मुख्यालय रायपुर (पाली) में संस्कृत विद्यालय की स्थापना

406. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के जिला अजमेर व पाली में संस्कृत विद्यालय संस्कृत शिक्षा हेतु किस-किस स्थान पर संचालित हैं तथा उनका स्तर कहां तक का है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या तहसील मुख्यालय रायपुर के हरिपुर स्टेशन ग्राम पंचायत रायपुर में काफी पहले से संस्कृत विद्यालय की मांग चल रही है ? क्या सरकार आगामी वर्ष में उक्त स्थान पर संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री हीरासिंह चौहान)

(3) वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक नये संस्कृत विद्यालय कहां-कहां पर खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची (परिशिष्ट-1 पर) संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति/मानदण्डों के अनुसार विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) सूची (परिशिष्ट-2 पर) संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

टोंकी के किसानों का अन्यत्र पुनर्वास

407. श्री बाबूराम मेघवाल (टोंकी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि टोंकी विधान सभा क्षेत्र में सेम की समस्या के कारण अधिकांश भू-भाग असमंप्र हो चुका है और किसानों की भूमि पानी भरने से किसानों के परिवारों को पालन-पोषण मुश्किल में पड़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सेम ग्रसित भूमि का तबादला अन्यत्र देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। सेम समस्या से ग्रसित भूमि का अन्यत्र तबादला देने संबंधी प्रकरण नीतिगत निर्णय का है तथा ऐसा प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

तहसील बीकानेर का भू-प्रबंध रिकार्ड का स्थानान्तरण

408. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बीकानेर के भू-प्रबंध का कार्य कब से चालू किया गया व उक्त तहसील का रिकार्ड भू-प्रबंध विभाग द्वारा जिला कलक्टर को कब सुपुर्द किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि भू-प्रबंध विभाग ने बीकानेर शहर के नजदीक जो गांव पहले उपनिवेशन क्षेत्र में थे उनका रिकार्ड अभी तक जिला कलेक्टर को नहीं दिया है ? भू-प्रबंध विभाग द्वारा आज तक सर्वे की क्या कारवाई की गई है ? लम्बा समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक रिकार्ड जिला कलेक्टर को नहीं सौंपने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या सरकार अब उक्त गांवों का रिकार्ड शीघ्र ही जिला कलेक्टर बीकानेर को सौंपने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील बीकानेर के राजस्व ग्रामों की भू-प्रबन्ध संक्रियाएं प्रारम्भ करने की अधिसूचनाओं का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 26-8-82 में हुआ, जिसके अनुसरण में वर्ष 1983 में भू-प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ किया गया। तहसील बीकानेर के कुल 131 राजस्व ग्रामों का सर्वे वर्ष 1988-89 तक पूर्ण कर लिया गया है। उक्त ग्रामों में से 93 ग्रामों का अभिलेख तैयार कर वर्ष 1996-97 में ही जिला कलेक्टर, बीकानेर को संभला दिया है।

(2) बीकानेर शहर के नजदीक डी–कोलोनाइज्ड हुए 33 ग्रामों का सन् 1888-89 में मुताबिक मौका सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया था, किन्तु राजस्व अधिकरण द्वारा मुकम्मिल अभिलेख, तरमीम लठ्ठे जमाबन्दी एवं नक्शों को अद्यदिनांक (अप–टूडेट) नहीं किये जाने के कारण अभिलेख तैयार नहीं हो पाया है।

(3) जिला कलेक्टर, बीकानेर एवं उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर को निर्देश दिये हैं कि वे शीघ्र रिकार्ड पूर्ण कर भू-प्रबन्ध विभाग को उपलब्ध करा दें। रिकार्ड उपलब्ध होने पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अभिलेख तैयार किया जाकर जिला कलेक्टर को उपलब्ध करवाया जावेगा।

पटवारियों को भू-अभिलेख निरीक्षकों की परीक्षा हेतु आयु सीमा में छूट

409. श्री गणेशी राम मेघवाल (जालोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर के अंतर्गत कुल कितने पटवारी हैं ?

(2) पटवारियों की संख्या के अनुपात में सरकार द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षकों के पद सृजन हेतु निर्धारित 1:6 के विपरीत कितने पद सृजित हैं तथा इनमें से वर्तमान में कितने पदों पर भू-अभिलेख निरीक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है एवं कितने पद रिक्त हैं ?

(3) पटवारियों की कुल संख्या के अनुपात में सृजित भू-अभिलेख निरीक्षकों के कुल पदों में से अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कुल कितने पद आरक्षित हैं ? इन आरक्षित पदों में से कितने पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा कितने पद रिक्त हैं ?

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के पटवारियों को भू–अभिलेख निरीक्षक के बकाया आरक्षित पदों पर पदोन्नति देने के लिये वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(5) क्या यह सही है कि पटवारियों को भू-अभिलेख निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु सीधी भर्ती परीक्षा में बैठने हेतु न्यूनतम सेवावधि 5 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यरत पटवारियों को सीधी भर्ती भू–अभिलेख निरीक्षक

(श्री गणेशी राम मेघवाल)

परीक्षा में बैठने हेतु आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्व मण्डल, अजमेर के अन्तर्गत कुल पटवारियों की संख्या 10538 हैं।

(2) पटवारियों की उपरोक्त संख्या के अनुपात में भू-अभिलेख निरीक्षकों के कुल 1745 पद सृजित हैं, इन पदों में से कुल 187 पद रिक्त चल रहे हैं, इस प्रकार भू. अ. नि. के 1558 पद भरे हुए हैं।

(3) कुल भू-अभिलेख निरीक्षक के 1745 पदों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार क्रमशः 286 व 209 पद आरक्षित हैं। इन पदों के विरुद्ध क्रमशः 204 अनुसूचित जाति के एवं 122 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति कार्यरत हैं। इन संवर्ग में अनुसूचित जाति का 82 पदों का व अनुसूचित जनजाति का 77 पदों का बैकलाग चल रहा है। चूंकि उक्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

(4) चूंकि पटवारियों से भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने की कार्यवाही संभागीय आयुक्त द्वारा की जाती है, इसलिए संभागीय आयुक्तों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर रिक्त पदों को भरने हेतु निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति का जो बैकलाग चल रहा है, उसके अनुसार इन पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी। संभाग स्तर पर विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित होने तक इन पदों पर पटवारियों को तदर्थ पदोन्नति दी जाकर भरने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

(5) जी हां। यह सही है कि पटवारियों को भू अभिलेख निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु सीधी भर्ती परीक्षा में बैठने हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान भू राजस्व भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 286 (3) में नहीं है।

गंगनहर क्षेत्र के किसानों को भू-आवंटन प्रक्रिया में संशोधन

410. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर क्षेत्र में वर्षों से किसानों को खेती के लिये अस्थायी भूमि आवंटन की जाती रही है और इस प्रक्रिया से किसानों में सदैव असंतोष रहा है ?

(2) क्या सरकार किसानों के हित में

(श्री गोविन्द सिंह)

विद्यमान भू-प्रावंटन एवं विक्रय नियमों में समुचित संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गंगनहर परियोजना क्षेत्र के टी. सी. आवंटियों को पुख्ता आवंटन नहीं होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रकरण विचाराधीन है।

जिला मुख्यालय उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित कर्मचारियों का स्थानान्तरण

411. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला मुख्यालय उदयपुर, चित्तौड़गढ़ पर जिला कलक्टर के अधीन कौन-कौन से कार्यालय हैं एवं इनमें कितने-कितने मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त में से कार्यरत कौन-कौन कर्मचारी जिला मुख्यालय पर स्थापित कार्यालयों के अलावा मुख्यालय से बाहर कार्यरत नहीं रहा एवं जिला मुख्यालय पर ही कार्यरत है ? कौन-कौन कर्मचारी कितने समय से जिला मुख्यालय पर पदस्थापित है ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण जिला मुख्यालय के अतिरिक्त जिले से अन्य अधीनस्थ कार्यालयों, तहसील उपखण्ड आदि में हो सकता है ? यदि हां, तो कितने समय में और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ऐसे कर्मचारी जो उक्त जिलों के मुख्यालय से बाहर एक भी बार नहीं रहे हैं या जो पिछले 20 वर्षों से जिला मुख्यालय पर ही पदस्थापित हैं, के स्थानान्तरण जिला मुख्यालय से बाहर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय उदयपुर/चित्तौड़गढ़ पर कलक्टर के अधीन कार्यालयों की एवं मंत्रालयिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जिला मुख्यालय से बाहर कार्यरत नहीं रहे कर्मचारियों एवं जिला मुख्यालय पर पदस्थापित कर्मचारियों का विवरण क्रमशः जिला उदयपुर का परिशिष्ट-'ब' एवं जिला चित्तौड़गढ़ का परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) राज्यहित में प्रशासनिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जिला मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

(राजस्व मंत्री)

अधीनस्थ कार्यालयों तहसील/उपखण्ड कार्यालयों में किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है।

(4) स्थानान्तरण का अधिकार जिला कलेक्टर/प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों को नियमानुसार प्रदत्त है, प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने की कार्यवाही राज्यहित/जनहित में आवश्यकता होने पर की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि की जमाबन्दी

412. श्री देवीसिंह भाटी(कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या उपनिवेशन क्षेत्र में विभाग जमाबंदी नहीं बना रहा है? यदि हां, तो जमाबंदी न बनाने का क्या कारण है? क्या विभाग काश्तकारों के लिए भूमि की जमाबंदी बनाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। उपनिवेशन विभाग का कार्य क्षेत्र पूर्ण होने पर तहसील समाप्ति पर विभाग द्वारा अंतिम जमाबंदी बनाई जाकर राजस्व विभाग को हस्तान्तरण की जाती है। विभाग द्वारा जिन चकों में 75% आवंटन कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हीं चकों हेतु जमाबंदी तैयार की जाती है। इससे पूर्व नहीं किये जाने का मुख्य कारण यह रहा है कि उपनिवेशन विभाग, उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 2 के अंतर्गत जो ग्राम लिचित होने वाले हैं, उन ग्रामों को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित कराता है; घोषित होने पर इन ग्रामों में उपनिवेशन अधिनियम लागू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उपनिवेशन विभाग द्वारा इन ग्रामों में भू-सर्वेक्षण/भू-अभिलेख तैयारी का कार्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106, 107 के तहत किया जाता है। भू-सर्वेक्षण एवं चक प्लान रिकार्ड तैयारी के फलस्वरूप स्थिति निरन्तर बदलती रहती है, ऐसी स्थिति में जमाबंदी तैयार नहीं की जाकर पर्चा खतोनी बनाई जाती है।

जिला जैसलमेर में विभागीय सम्पत्ति पर अतिक्रमण

413. श्री गोवर्धन कल्ला(जैसलमेर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में देवस्थान विभाग के अधीन कितने-कितने मंदिर एवं धर्मशालाएं हैं तथा इनके देखभाल की वर्तमान में क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि कई निजी

(श्री गोवर्धन कल्ला)

पुजारियों ने इन पर कब्जा करके निजी सम्पत्ति बना ली है ? यदि हां, तो उक्त सम्पत्तियों को निजी पुजारियों से मुक्त कराने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में देवस्थान विभाग के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार में दो मंदिर श्री गिरधारी जी, एवं बांके बिहारी जी, हैं। जिले में देवस्थान विभाग के अधीन कोई धर्मशाला नहीं है। जिले के उक्त दो मंदिरों की व्यवस्था के लिए देवस्थान विभाग द्वारा दो पुजारी दो अलगरिया एवं दो बालभोगिया नियुक्त किये हुए हैं तथा उक्त मंदिरों के लिये भोग सामग्री हेतु प्रत्येक मंदिर के लिये 3700/– रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किये हुए हैं।

(2) जी नहीं। इन मंदिरों की सम्पत्ति देवस्थान विभाग के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में है, तथा इस पर किसी निजी पुजारी का कब्जा नहीं है।

मेघवालों की ढाणी (पचपदरा) में पेयजल आपूर्ति

414. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की ग्राम गंगावास की बबलाई नाडी मेघवालों की बस्ती में पीने के पानी को पाइप लाइन विभाग द्वारा लगाई हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां पाइप लगाने के साथ भूमिगत जलाशय का निर्माण कर दिया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त बस्ती में लगी हुई पाइप लाइन को भूमिगत जलाशय बनाकर जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं। बबलाई नाडी मेघवाल बस्ती के गांव के टांके में पानी डालकर बबलाई नाडी को लाभान्वित किया गया है। योजना के तहत जी.एल.आर. निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं किया गया था।

(3) जी नहीं।

बंसल विहार प्रथम का खराब हैण्डपम्प

415. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बंसल विहार प्रथम, अयोध्यानगर के पास आगरा रोड, जयपुर में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लगा हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या अजमेरी गेट जयपुर पर स्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय में जयपुर शहर के खराब हैण्डपम्पों को ठीक करने की शिकायत दर्ज की जाती है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत संबंधित रजिस्टर में किस नम्बर पर तथा किस दिनांक को दर्ज की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त हैण्डपम्प दिसम्बर, 1998 में नया ही लगा है और लगने के बाद चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो बिना जांच किये ठेकेदार को इसका भुगतान किस आधार पर कर दिया गया ? क्या सरकार इस प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त हैण्डपम्प अब कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत 29-1-99 को प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। शिकायत रजिस्टर में दिनांक 29-1-99 को क्रम संख्या–1 पर दर्ज की गई।

(3) जी नहीं। हैण्डपम्प सितम्बर, 98 में स्थापित किया गया था।

(4) वर्तमान में हैण्डपम्प चालू है।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के स्वीकृत हैण्डपम्प

416. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में केवल 20 हैण्डपम्प ही स्वीकृत किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त हैण्डपम्प 152 ग्रामों के लिए पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार अब और कितने हैण्डपम्प स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कुल 108 गांव हैं जिनमें से सिर्फ 11 ग्रामों को छोड़कर शेष सभी ग्रामों में राज्य सरकार के मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त हैण्डपम्प लगे हुए हैं। इन 11 ग्रामों के लिए 17 हैण्डपम्प तकनीकी जांच के अनुसार स्वीकृत किया जाना विचाराधीन है।

कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को सहायक अभियन्ता में अपग्रेड प्रकरण

417. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने दिनांक 7 जनवरी, 1997 को आदेश जारी कर 204 पद कनिष्ठ अभियन्ताओं के अपग्रेड करके सहायक अभियंता बनाये ? यदि हां, तो क्यों ? जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसी आदेश के पैरा नं. तीन में यह भी उल्लेख था कि उपरोक्त अधिकारी केवल गुणवत्ता नियंत्रण, सर्वे, डिजाइन रीसर्च, लीगल सैल एण्ड नोन फील्ड पोस्ट पर ही कार्य करेंगे ? क्या इसी प्रकार से उक्त अधिकारी कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्था से विभाग के कार्यकलापों को विशेष गति मिले, इस हेतु उक्त व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या मौजूदा सरकार उपरोक्त निर्णय को सही मान रही है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, आदेश 7 जनवरी, 1997 के बजाय 9 जनवरी, 1997 को जारी किये गये थे। कनिष्ठ अभियंताओं को लम्बे समय से पदोन्नति का अवसर न मिलने के कारण कनिष्ठ अभियंता के पदों को सहायक अभियंता के पदों में क्रमोन्नत किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन के वांछित कार्य भी कर रहे हैं।

(3) जी हां, वरिष्ठ पदों में पदस्थापित होने पर कनिष्ठ अभियंताओं ने उच्च पद का कार्य अधिक अभिरुचि से किया।

(4) जी हां। इससे कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नति का अवसर मिला है जिससे असंतोष कम हुआ है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

उपखण्ड छबड़ा की पेयजल समस्या

418. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बारां जिले के उपखंड छबड़ा में भू-जल का स्तर नीचे चला गया है ? यदि हां, तो आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीणों को पेयजल सुविधा हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है ?

उत्तर

जी हां, जल स्तर नीचे चले जाने के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कारण हैण्डपम्पों में राईजर पाइप बढ़ाये जा रहे हैं। शहरी जल योजना छबड़ा एवं छीपा बड़ौद तथा ग्रामीण योजनाओं में नये जल स्रोत विकसित कर एवम् आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प स्थापित कर पेयजल सुविधा प्रदत्त की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में पेयजल आपूर्ति

419. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के किन-किन गांवों को पाइप लाइन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजना स्वीकृत की गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं से अब तक किस-किस गांव में किस कारण पानी चालू नहीं किया जा सका है ?

(3) क्या राशि अथवा विभागीय अव्यवस्था के अभाव में पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसमें सुधार कर पेयजल अब कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की पेयजल समस्या

420. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर तथा जिले में पेयजल की कितनी योजनाएं कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्याग्रस्त कौन-कौन से ग्राम व कालोनीज हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कुल कितने बी. एल आर. हैं तथा कितने खराब पड़े हैं तथा कितने पानी सप्लाई कर रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कुल कितने हैण्डपम्प हैं, कितने खराब पड़े हैं तथा कितने कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में 31 एवं श्रीगंगानगर जिले में 1390

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजनाएँ कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में 8 ग्राम व 14 कालोनियों में पेयजल की समस्या है जिनका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर दिया गया है।

(3) श्रीगंगानगर जिले में कुल 1025 जी.एल.आर. हैं इनमें से कोई भी जी.एल. आर. खराब नहीं है, परन्तु 42 जी.एल. आर. विभिन्न कारणों से कार्य नहीं कर रहे हैं। 983 जी.एल आर. पानी सप्लाई कर रहे हैं। विवरण परिशिष्ट 'ग' पर दिया गया है।

(4) श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में कुल 111 हैण्डपम्प स्थापित हैं। 5 हैण्डपम्प खराब है तथा 106 हैण्डपम्प कार्य कर रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला झुन्झुनू का पाइप प्रकरण

421. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनवरी, 1996 से फरवरी, 1999 तक जिला झुन्झुनू को कितनी लंबाई के किस-किस श्रेणी, किस-किस मेक के पाइप लाइन बिछाने को दिए गए?

(2) उक्त में से किस-किस योजना के लिए किस-किस उपखण्ड/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को पाइप दिए गए?

(3) क्या उक्त पाइप योजनावार दिए गए या एक मुश्त दिए गए तथा इन पाइपों के लिए किस-किस अधिकारी ने मांग पत्र दिए थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या किसी उच्च अधिकारी ने कभी इसकी जांच भी की या नहीं की है? क्या उक्त दिए गए पाइप संबंधित योजना में लगे? यदि हां, तो किस अधिकारी ने कब-कब जांच की?

(5) क्या इस प्रकार के कोई प्रकरण सामने आए हैं कि संबंधित योजना पर पाइप पूरे गए ही नहीं तथा अन्यत्र ही खुर्दबुर्द कर दिए गये?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) पाइप योजनावार जारी किये गये हैं तथा इन पाइपों के लिए मांग पत्र संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) पाइप लाइन बिछाने से संबंधित कार्य की जांच समय-समय पर संबंधित कनिष्ठ/सहायक/अधिशासी अभियंता द्वारा की जाती है। विवरणानुसार समस्त पाइप संबंधित स्वीकृत योजनाओं पर ही लगे हैं। व अन्य योजना हेतु स्थानान्तरित किये गये पाइपों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बाड़मेर की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

422. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर में अब तक कितने राजस्व गांव एवं चयनित ढाणियां पेयजल से वंचित हैं और उनके लिए अब तक ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं नहीं बनाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों एवं चयनित ढाणियों में ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनाकर कब तक पानी पहुंचाया जा सकेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में ऐसे गांव एवं ढाणियां जो पेयजल से वंचित है एवं उनके लिये योजनाएं अभी नहीं बनाई गई है उनकी संख्या क्रमश: 6 राजस्व गांव व 1273 चयनित ढाणियां हैं। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) स्रोत का चयन कर पेयजल योजनायें बनाई जाकर स्रोत के निर्माण एवं बजट की उपलब्धतानुसार अगले 4 से 5 वर्षों में इन गांवों व ढाणियों में पानी पहुंचाया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केकड़ी (अजमेर) में राशन वितरण

423. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) केकड़ी (अजमेर) शहर में राशन डीलर कौन-कौन कब-कब से कार्य कर रहे हैं?

(2) दिसम्बर, 1998 से माहवार किस-किस डीलर ने क्या-क्या सामग्री उठायी?

(3) क्या कुछ राशन कार्ड वालों को सामग्री नहीं दी गयी? यदि हां, तो किस-किस को क्यों?

उत्तर

(1) केकड़ी (अजमेर) शहर में जो राशन डीलर जब से कार्य कर रहे हैं, की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) एक दिसम्बर, 1998 से माहवार किस-किस डीलर ने जितनी-जितनी सामग्री उठाई है, की सूचना परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है।

(3) केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र के राशनकार्ड धारक को राशन दुकानदारों द्वारा सामग्री वितरित की जा रही है एवं किसी भी राशनकार्डधारी से राशन डीलर द्वारा उसे सामग्री नहीं दिये जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राज्य में नये राशन कार्ड

424. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) एवं श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नये राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। राशन कार्ड बनाये जाने की निश्चित समयावधि अभी बताना संभव नहीं है।

हथरोई फोर्ट में सीवर लाइन

425. श्री उदयसिंह राठौड़(बनीपार्क): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हथरोई फोर्ट स्कीम में सीवर लाइन डालने के लिए किस ठेकेदार को किस रेट पर किस तिथि को आदेश दिया तथा यह कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था ?

(2) उक्त स्कीम के साथ आस-पास की किस-किस स्कीम में सीवर लाइन डालने का कार्य ठेकेदार को सौंपा गया था ?

(3) प्रश्न के भाग-1 व 2 के कार्य के लिए टेण्डर कब आमंत्रित किये गये थे ? प्राप्त टेण्डर्स का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) उक्त स्कीम्स में से किस-किस स्कीम का सीवर लाइन डालने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और हथरोई फोर्ट स्कीम में सीवर लाइन डालने का कार्य कब से बन्द है ?

(5) हथरोई स्कीम का कार्य पूर्ण करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और ठेकेदार को कब-कब ताकीद की गई ? प्रेषित पत्रों एवं ठेकेदार से प्राप्त उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) अब उक्त कार्य करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हुचरोई फोर्ट स्कीम में सीवर लाइन डालने के लिए कार्यादेश में वेलकम कंसट्रक्शन को कार्यादेश सं. 337 दिनांक 4-1-96 को पार्ट 'ए' की दर 1993 की बी. एस. आर. पर 24.52% ऊंची दर पर व पार्ट 'बी' की दर 75/– रु. प्रति नग के हिसाब से जारी किया गया था एवं कार्यादेश के अनुसार कार्य शुरू करने की दिनांक 7–1–96 व समाप्त करने की तिथि 6-5-96 थी।

(2) इस स्कीम के साथ आस–पास की किसी भी स्कीम में सीवर लाइन डालने का कार्यादेश किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया गया है।

(3) प्रश्न के भाग 1 के कार्य के लिए टेण्डर दिनांक 6-11-95 को आमंत्रित किये गये थे। भाग संख्या 2 के लिए कोई टेण्डर आमंत्रित ही नहीं किये गये थे। प्राप्त टेण्डर्स का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) उक्त स्कीम में सीवर लाइन डालने का कोई कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है।

(5). हुचरोई स्कीम का कार्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदार को तीन नोटिस दिये जाकर ताकीद की गई है। प्रेषित पत्रों की प्रति संलग्न है। ठेकेदार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(6) संवेदक से 2% अमानत जमा राशि जब्त कर सक्षम स्वीकृति लेने के बाद ही कार्य की पुनः निविदाएं आमंत्रित कर; कार्य के लिए कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

(विवरण एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बूंदी में अधिशाषी अधिकारी के रिक्त पद

426. श्री रामगोपाल बैरवा(पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की नगरपालिका इन्द्रगढ़, बांरा तथा मांगरोल में लम्बे समय से अधिशाषी अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है? यदि हां; तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। इन्द्रगढ़ में दिनांक 12-1-99 से, बांरा में दिनांक 13-7-98 से तथा मांगरोल में दिनांक 7-5-98 से अधिशाषी अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं।

(2) जी हां। नगरपालिका इन्द्रगढ़ में अधिशाषी अधिकारी के पदस्थापन

(स्वायत्त शासन मंत्री)

आदेश दिनांक 23-3-99 को जारी कर दिये गये हैं। नगरपालिका बारां तथा मांगरोल में अधिशासी अधिकारी के पद-स्थापन के सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

नगरपालिका सेवा के कर्मियों का वेतन विसंगति प्रकरण

427. श्री ललित भाटी (अजमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वितीय को जो वेतनमान दिया जा रहा है वह अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों से कम/बराबर दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सचिवालय या अन्य राजकीय सेवाओं में अधीनस्थ कर्मचारियों से कम वेतनमान उक्त अधिकारियों को दिया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां व किस-किस पद पर सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने से पूर्व अधिकारियों के वेतनमान में वृद्धि करने का प्रस्ताव किस अधिकारी की त्रुटि के कारण नहीं रखा गया?

(3) क्या कुछ नगर परिषदों के राजस्व अधिकारियों द्वारा वेतनमान संशोधन के लिए प्रतिवेदन स्वायत्त शासन मंत्री, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को दिया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और अब तक वेतनमान क्यों नहीं संशोधित किये गये? अब सरकार कब तक उक्त अधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक वेतनमान दिलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्व अधिकारी द्वितीय को अधीनस्थ सेवा के कुछ पदों के बराबर वेतनमान दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान नगरपालिका सेवा और अधीनस्थ सेवाओं के गठन के समय से ही नगरपालिका सेवाओं के राजस्व अधिकारी (द्वितीय) के वेतनमान उक्त अधीनस्थ सेवा के पदों से कम थे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाकर बराबर किया गया है एवं राजस्व अधिकारी द्वितीय के वेतनमानों को और संशोधित किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। सचिवालय सेवा या अन्य राजकीय सेवा में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान से राजस्व अधिकारी (द्वितीय) के वेतनमान की तुलना उनकी सेवा और कार्य की भिन्नता के कारण संभव नहीं हो सकती। सचिवालय एवं अन्य राजकीय सेवाओं में राजस्व अधिकारी, कर निर्धारक व मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पद नहीं है।

(2) अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अधिकारियों के वेतनवृद्धि के प्रस्ताव उनके संगठन की मांगों पर यथा समय रखे गये हैं, इसमें किसी अधिकारी की कोई त्रुटि नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) राजस्व अधिकारी के वेतनमान संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग के परीक्षणाधीन है, प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के पश्चात ही इस संबंध में कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

नगर परिषदों/पालिकाओं के कर निर्धारकों की प्रतिनियुक्ति

428. श्री ललित भाटी (अजमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषदों/पालिकाओं में कितने कर निर्धारक कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ कर निर्धारकों को अधिशासी अधिकारी/राजस्व अधिकारी के पद के विरुद्ध लगाकर उनसे कार्य लिया जा रहा है ? क्या इस व्यवस्था से कर निर्धारकों से वरिष्ठ अधिशासी अधिकारी/राजस्व अधिकारी के पद व अधिकार का दुरुपयोग नहीं होता है तथा कनिष्ठ कर निर्धारक जो कि अधीनस्थ सेवा के हैं, को अधिकारी वर्ग की सुविधा व अधिकार प्राप्त हैं ? क्या इसमें कुछ कर निर्धारक तृतीय व द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं में भी कार्यरत हैं ?

(3) कितने कर निर्धारक पदोन्नत हुए बिना अधिशासी अधिकारी या राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ? क्या जिस अधिकारी ने इन्हें ऐसे पदों के विरुद्ध लगाया है उसका दायित्व निर्धारित किया जावेगा ? क्या सरकार इन्हें तुरन्त हटा कर मूल पदों पर पुनः तैनात कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान की नगरपरिषदों/पालिकाओं में लगभग 61 कर निर्धारक कार्यरत हैं।

(2) जी हां। अधिशासी अधिकारियों की कमी के कारण कुछ कर निर्धारकों को अधिशासी अधिकारी/राजस्वअधिकारी के पदों के विरुद्ध लगाकर उनसे कार्य लिया जा रहा है। इस व्यवस्था से कर निर्धारकों से वरिष्ठ अधिशासी अधिकारी/राजस्व अधिकारी के पद व अधिकार का दुरुपयोग नहीं होता है, परन्तु यह सही है कि कर निर्धारक जो कि अधीनस्थ सेवा के हैं, को अधिकारी वर्ग की सुविधा व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कुछ कर निर्धारक तृतीय व द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं में भी वैकल्पिक व्यवस्था की दृष्टि से कार्यरत हैं।

(3) लगभग 25 कर निर्धारक वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अधिशासी अधिकारी/राजस्व अधिकारी के पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं। कर निर्धारक के पदों से 10 प्रतिशत साईकिलग से अधिशासी अधिकारी तृतीय व राजस्व अधिकारी-प्रथम के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान है। अधिशासी अधिकारियों के पद रिक्त हैं, जिसके कारण अधिशासी अधिकारी के पदों के विरुद्ध

(स्वायत्त शासन मंत्री)

स्वयं की वेतन श्रृंखला में कर निर्धारक पदस्थापित किये जाते रहे हैं। इसके लिये किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। राजस्थान नगरपालिका सेवाओं के अधिकारियों की उपलब्धता होने पर इन्हें तुरन्त हटाकर मूल पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। तत्संबंधित प्रयास शुरू किये जायेंगे।

नगरपालिका जालौर की क्षतिग्रस्त सड़क

429. श्री गणेशी राम मेघवाल (जालौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगरपालिका जालौर क्षेत्र में राजेन्द्र नगर बसा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगर की मुख्य सड़क खराब होकर कच्ची सड़क में परिवर्तित हो गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के निर्माण हेतु सांसद कोष से कोई राशि नगरपालिका को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) उक्त राशि के अभी तक उपयोग नहीं करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र की इस सड़क को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) नगरपालिका जालौर को उक्त सड़क निर्माण के लिए सांसद कोष से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः राशि के उपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं है। नगर पालिका, जालौर द्वारा राजेन्द्र नगर में अस्पताल चौराहे से गंगाराम गुर्जर के मकान तक सड़क निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। यह निर्माण कार्य लगभग तीन माह में पूर्ण हो जायेगा।

उदयपुर का मास्टर प्लान

430. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर के लिए मास्टर प्लान का प्रारूप किस-किस वर्ष में बनाया गया था और उसे यथा समय लागू नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि अभी जिला प्रशासन/नगर विकास प्रन्यास या टाउन प्लानर द्वारा मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर सरकार को भिजवाया गया है? यदि हां, तो मास्टर प्लान के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(3) क्या उक्त मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में जनता के सुझाव प्राप्त किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) मास्टर प्लान में उदयपुर शहर और उसके आसपास की बस्तियों के कौन–कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है और यह प्रश्न कब तक जारी होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर मास्टर प्लान का प्रारूप 17-5-76 को आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु अधिसूचित किया गया। प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों का विश्लेषण करने के पश्चात दिनांक 16-3-81 को प्रारूप मास्टर प्लान राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 27-6-83 को 1981 की जनगणना के आधार पर संशोधित करने हेतु निर्देश दिए गये। तत्पश्चात 27-5-89 को संशोधित प्रारूप मास्टर प्लान राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। जिस पर पुनः 26-8-93 को राज्य सरकार द्वारा 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संशोधित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशानुसार प्रारूप मास्टर प्लान में संशोधन नहीं होने के कारण उदयपुर के प्रारूप मास्टर प्लान को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

(2) जी हां। मास्टर प्लान का प्रारूप उदयपुर शहर का नगरीय क्षेत्र अधिसूचित न होने के कारण प्रारूप प्रकाशित नहीं किया जा सका है। तदुपरान्त मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देने की प्रगति रुकी हुई है।

(3) जी नहीं। क्योंकि मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित नहीं किया गया है।

(4) उदयपुर के प्रारूप मास्टर प्लान को तैयार करने हेतु उदयपुर शहर व उस के आस-पास के 62 राजस्व ग्रामों को अधिसूचित किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए है। प्रस्तावित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

जयपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर

431. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में आगरा रोड/अजमेर रोड/सीकर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है ? सरकार उक्त नगर में कब तक किस दर पर भूमि आवंटित कर रही है और सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीकर रोड के प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर का नक्शा दो बार बन कर पुनः तीसरी बार बन रहा

(श्री बाबूलाल नागर)

है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें। वर्तमान में सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर की क्या स्थिति है ?

(3) क्या यह सही है कि सीकर रोड पर कृषि उपज मण्डी भी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार उसे कब तक बनाकर आवंटित करना चाहती है ?

(4) क्या उक्त मण्डी हेतु भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है ? यदि हां, तो कब, किसकी व कितनी, किस-किस खसरा नं. की ? सूची खातेदार का नाम व खसरा नं. सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त मण्डी हेतु और भी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है/किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक किस-किस खसरा नं. की कितनी-कितनी किस-किस खातेदार की भूमि अधिग्रहीत होगी ? सूची खातेदार का नाम, खसरा नं. कुल रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर वर्तमान में बहुत बड़ी संख्या में कई व्यक्तियों ने मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो फिर अधिग्रहण का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इन व्यक्तियों को बेघर करना चाहती है ?

(7) क्या सरकार पूर्व में अधिग्रहीत भूमि पर ही मण्डी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(8) अब उक्त मण्डी का निर्माण कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा ? अब तक इसमें विलंब के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में आगरा रोड/अजमेर रोड/सीकर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित है। जिनके योजना मानचित्र पूर्व में अनुमोदित किये गये हैं। इसके पश्चात पुनः यह निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन से विचार विमर्श कर उनकी कोई व्यवहारिक आवश्यकताएं हो तो उन्हें समायोजित कर योजना में आंशिक संशोधन किया जावे। इस सन्दर्भ में ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन से वार्ता करली गई है तथा शीघ्र निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी। भूमि का आवंटन शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(2) सीकर रोड के ट्रांसपोर्ट नगर का नक्शा पूर्व में दि. 21-11-96 को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् पुनः दि. 2-5-97 को पी.आर. सी. की बैठक में संशोधित मानचित्र अनुमोदित किया गया। अब लिये गये निर्णय के क्रम में ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के साथ विचार विमर्श कर उनकी व्यवहारिक आवश्यकताओं से योजना में समायोजित

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कर तदानुसार संशोधित मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। सीकर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के स्वीकृत नक्शे दिनांक 21-11-96 एवं पुनः दि. 2-5-97 को संशोधित मानचित्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत है। वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर में उपलब्ध सरकारी भूमि में 2 किलो मीटर लम्बाई में बजरी रबीश की सड़कों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

(3) जी हां। पर्याप्त भूमि प्राप्त होने पर मण्डी बनाने की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रश्नांकित जानकारी प्रश्न के भाग संख्या 4 व 5 में वर्णित है।

(4) जी हां। दिनांक 31-3-89 को निम्नांकित खसरा नम्बरान की 90 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम महापुरा उर्फ कूकरखेडा तहसील जयपुर की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी :—

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा
1.	सूरजमल पुत्र नरसिंहदास कोम महाजन, सा. जयपुर, बनीपार्क	1/1	27	18
2.	श्रीनारायण पुत्र रामसिंह, कोम महाजन, अग्रवाल सा. जयपुर, गांधीनगर	1/2	5	—
3.	श्रीनारायण पुत्र नन्दकिशोर सा. जयपुर, पुरानी बस्ती	1/3	5	—
4.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र सोहन सिंह	1/4	5	—
5.	रामसिंह पुत्र ईसरदान सिंह चारण	2	16	17
6.	श्री रामसिंह पुत्र ईसरदान सिंह चारण	12	16	—
7.	भूमि जो मत्स्य विभाग	4	14	15
			90	10

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

उक्त भूमि में से खसरा नं.2 का कब्जा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। रिट याचिका संख्या 755/88 अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। शेष 73 बीघा 13 बिस्वा भूमि का कब्जा दिनांक 31-3-89 को कृषि उपज मण्डी समिति को प्राप्त हो गया है।

(5) जी हां। प्रस्तावित गौण मण्डी यार्ड के लिये विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार ग्राम सहापुरा उर्फ कूकरखेड़ा एवं ग्राम माचड़ा में 94 बीघा 10 बिस्वा भूमि और अवाप्त की कार्यवाही चल रही है। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 17 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 3747/98 विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं हो सकी है।

(6) अवाप्तधीन भूमि के कुछ भाग में कुछ व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से मकान बना लिये हैं या चारदीवारी का ही निर्माण किया हुआ है। उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जों को हटा कर अधिग्रहण आवश्यक है।

(7) जी नहीं। पूर्व में अवाप्त भूमि प्रस्तावित गौण मण्डी यार्ड के लिये पर्याप्त न होने के कारण अतिरिक्त भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। अवाप्तीधीन भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर ही मण्डी निर्माण का प्लान तैयार हो सकेगा तथा उसी अनुसार मण्डी निर्माण करवाया जावेगा।

(8) अवाप्तिधीन भूमि का कब्जा प्राप्त होते ही मंडी निर्माण का प्लान तैयार करवा कर निर्माण प्रारम्भ करवाया जावेगा। अब तक मण्डी यार्ड में विलम्ब के प्रमुख कारण पूर्व में अवाप्त भूमि एवं अवाप्तिधीन भूमि की कार्यवाही के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकायें रही है। वर्तमान में पूर्व में अवाप्त भूमि के खसरा नं. 2 की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही पर स्थगन आदेश होने के कारण 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। एवं रिट याचिका संख्या 755/88 इन्द्रपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम राज्य सरकार अभी भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसी प्रकार अवाप्तिधीन भूमि की कार्यवाही के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या एस.बी. 3747/98 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश भी पारित किये हुए हैं।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जयपुर में दुग्ध विक्रेताओं को स्थान आवंटन प्रकरण

432. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री कन्हैया लाल)

(1) जिला जयपुर के दुग्ध विक्रेता द्वारा वर्तमान में जयपुर शहर में किस-किस स्थान पर बैठने की व्यवस्था कर रखी है ? क्या उक्त दुग्ध विक्रेता जहां बैठे हैं वह वैध जगह है ?

(2) उक्त दुग्ध विक्रेता कृषकों के बैठने की कितनी जगह कहां-कहां कितने वर्गमीटर में है ? क्या उक्त सभी स्थानों को सरकार ने उन्हें आवंटित कर रखा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के निम्नांकित स्थानों पर अवैध रूप से दुग्ध विक्रेता बैठते हैं:–

1. हवामहल जोन (पूर्व) में वार्ड नं. 46 में निगम बस स्टेण्ड के पीछे ।

2. वार्ड नं. 55 सुभाष चौक के पुलिया के पास नाले के सहारे-सहारे उक्त स्थान पर बैठते हैं ।

3. चांदपोल बाहर झोटवाड़ा रोड, सुभाष नगर श्मशान घाट के पास, जयपुर

(2) उक्त स्थानों पर दुग्ध विक्रेता अवैध रूप से बैठते हैं । उक्त स्थानों का आवंटन इन्हें नहीं किया गया है । जयपुर विकास प्राधिकरण ने सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर योजना में दुग्ध विक्रेताओं के बैठने के लिए 622.22 वर्ग गज भूमि प्रस्तावित की थी, जिसका मामला न्यायालय से यथा स्थिति का आदेश होने के कारण लंबित है । न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

पत्रकारों को आवासीय भूमि

433. श्री घीसाराम कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पत्रकारों को नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भूमि सस्ती दरों पर देने के लिये मानदण्ड बना हुआ है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य में मानदण्ड के अनुसार कितने पत्रकारों को भूमि दी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 में पत्रकारों को सस्ती दर पर आवासीय भूमि देने का कोई मानदण्ड/प्रावधान नहीं है ।

(2) प्रश्न के भाग एक में दिये गये उत्तर के पश्चात् प्रश्न के भाग दो का उत्तर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

हथरोई फोर्ट की सड़कों का डामरीकरण

434. श्री उदयसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हथरोई फोर्ट स्कीम में कितनी सड़कें हैं और इनका डामरीकरण करने के लिए गत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में कब-कब से निविदायें आमंत्रित की गईं? निविदाओं का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों और चालू वर्ष में कितनी सड़कों का डामरीकरण कर दिया गया और कितनी सड़कों का डामरीकरण शेष है और इसका क्या कारण है?

(3) अब शेष सड़कों का डामरीकरण कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि संजय मार्ग से रोटरी क्लब तक की सड़क जो हथरोई फोर्ट स्कीम के अंदर से ही जाती है का डामरीकरण गत वर्ष कर दिया गया लेकिन दूसरी सड़क से लिंक रोड जो उत्तर की ओर जाती है उसका डामरीकरण नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(5) अब उक्त सड़क का कब तक डामरीकरण कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हथरोई फोर्ट स्कीम में कुल 2.7 किलोमीटर सड़कें हैं इन पर डामरीकरण हेतु गत 2 वर्षों व चालू वित्तीय वर्ष में कोई निविदायें आमंत्रित नहीं की गई।

(2) गत दो वर्षों में संजय मार्ग से रोटरी क्लब तक डामरीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया है। शेष सड़कों पर डामरीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नगर निगम में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां, उक्त सड़क पर क्षेत्रीय पार्षद की अभिशंषानुसार डामरीकरण का कार्य करवाया गया है। जबकि दूसरी सड़क के लिए कोई प्रस्ताव निगम में विचाराधीन नहीं है।

(5) वर्तमान में डामरीकरण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में प्रस्ताव एवम् वित्तीय साधनों की उपलब्धता तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जावेगा।

खास बदनपुरा कालोनी जयपुर में सीवर लाइन

435. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) जयपुर शहर की विभिन्न कालोनियों में सीवरेज लाइन डालने के क्या मापदण्ड हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि दिल्ली बाईपास स्थित बास बदनपुरा कालोनी जयपुर में विभाग द्वारा सीवर लाइन डाल रखी है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब उक्त कालोनी में सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1971 में जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृत ईदगाह कच्ची बस्ती दिल्ली बाई-पास में अब तक सीवर लाइन नहीं डाली गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब उक्त कालोनी में सीवर लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त दोनों कालोनियों में नियमित सफाई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन द्वारा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर शहर की विभिन्न कालोनियों में सीवरेज लाइन डालने का कार्य निश्चित ढाल, निश्चित निस्तारण स्तर एवं ट्रीटमेंट प्लान्ट की क्षमता पर निर्भर करता है । उपरोक्त प्राथमिक मापदण्डों के उपलब्ध होने पर जिस क्षेत्र में सीवर लाइन डालनी होती है, उसका पूर्ण सर्वेक्षण कर डिजाईन की जाती है । डिजाईन के अनुसार जब सीवर लाइन हेतु सभी मापदण्डों की पूर्ति सम्भव होती है, तो जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर सीवर लाइन डालने का कार्य तकनिकी दृष्टि से कराया जाता है । इस संबंध में कोई नियम बने हुये नहीं है ।

(2) वर्तमान में दिल्ली बाईपास स्थित बास बदनपुरा कालोनी में सीवर लाइन डालने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है, क्योंकि यह कालोनी वर्तमान समय में ट्रीटमेंट प्लान्ट के इनलेट्स स्तर से नीचे बसी हुई है, जिसके कारण इस कालोनी में सीवर लाइन डालना तब तक संभव नहीं है जब तक कि ट्रीटमेंट प्लान्ट नया बनकर तैयार किया जावें या पम्प स्टेशन स्थापित किया जाकर पूरे ट्रीटमेंट प्लान्ट की क्षमता बढ़ाई जाकर उसका उपयोग किया जावें । इसके लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से कार्यवाही की जाकर ट्रीटमेंट प्लान्ट संबंधी निर्णय किया जाकर कार्यवाही की जानी सम्भव होगी ।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के उत्तर में ही भाग संख्या 3 का उत्तर सम्मिलित है ।

(4) उपरोक्त दोनों कालोनियों में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था नहीं की जाती है । 5-7 दिनों के अन्तराल में दो-दो सफाई कर्मचारी भिजवाकर पूरी बस्ती

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(कच्ची बस्ती) की सफाई व्यवस्था करवायी जाती है।

करधनी योजना में भू-आवंटन

436. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने करधनी योजना के अंतर्गत सालिगरामपुरा में कोई आवासीय योजना घोषित की है और आवेदन मांगे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना में आवेदनकर्ताओं को लाटरी द्वारा प्लाट आवंटित कर दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आवेदनकर्ताओं से राशि वसूल करली गई है ? आवेदनकर्ताओं को उक्त राशि जमा करानी थी ?

(3) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं को भूखण्डों का कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक इस योजना में आवेदकों को कब्जा दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, प्राधिकरण द्वारा सालिगरामपुरा आवासीय योजना के लिये आवेदन आमन्त्रित किये गये थे एवं लाटरी द्वारा घोषित सफल आवेदकों को भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं।

(2) सफल आवेदकों जिन्हें आवंटन किया गया था। राशि जमा करली गई है।

(3) जी नहीं। स्थान मानचित्र तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। मानचित्र तैयार होते ही कब्जा सम्भला दिया जावेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस प्रकरण

437. डा. जसवंत सिंह यादव(मंडावर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहरी सीमा में बसने वाले व्यक्तियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 72 के नोटिस दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन कालोनियों के किस-किस व्यक्ति को नोटिस जारी किये गये ?

(2) क्या धारा-72 के नोटिस ऐसे व्यक्तियों को भी दिये गये जिनकी आवासीय कालोनियां जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं ? यदि हां, तो किन–किन कालोनियों के किस-किस व्यक्ति को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक ही आवासीय योजना/कालोनी में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नोटिस दिये गये व कुछ को नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त आवासीय योजनाओं में जिन लोगों को धारा 72 के नोटिस नहीं दिये

(डा. जसवंत सिंह यादव)

गये हैं ? क्या सरकार उनको भी नोटिस देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में बसने वाले व्यक्तियों को धारा 72 के नोटिस जारी किये हैं। सूची परिशिष्ट "प" पर संलग्न है।

(2) जी हां, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों में सुविधा क्षेत्र में अतिक्रमि व्यक्तियों को ही नोटिस दिये गये हैं। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, एक ही आवासीय योजना/कालोनी में रहने वाले जिन व्यक्तियों के द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है उन्हें ही धारा-72 का नियमानुसार नोटिस दिया है।

(4) जी नहीं, प्राधिकरण क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को ही केवल नोटिस दिया जाता है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की स्वीकृत सड़कें

438. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में मार्केटिंग बोर्ड से कौन-कौनसी सड़क स्वीकृत की गई थी और किस-किस सड़क की निविदायें स्वीकृत की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब उक्त निविदायें कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। इन सम्पर्क सड़कों की निविदा स्वीकृति का विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम सं. 5 में दर्शायी गयी है। सम्पर्क सड़क तेलनी की निविदा आमंत्रित कर ली गई है। जो निर्णयाधीन है।

(2) उक्त अनुसार निर्णय उपरान्त इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची में आयुर्वेद चिकित्सालय में रिक्त पद

439. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय किन-किन

(श्री केसाराम चौधरी)

स्थानों पर संचालित हैं एवं इन चिकित्सालयों में कितने चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में 18 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं इनमें 18 आयुर्वेद चिकित्सक; 16 नर्स/कंपाउण्डर एवं 18 परिचारक के पद सृजित हैं। इन स्वीकृत पदों में से दो पद आयुर्वेद चिकित्सक के, 2 पद नर्स/कंपाउण्डर के तथा 2 पद परिचारक के रिक्त हैं। दो पद आयुर्वेद चिकित्सक के ग्राम सिमला में दिनांक 8-3-99 से एवं ग्राम कराडी में दिनांक 30-1-99 से, दो पद नर्स/कंपाउण्डर के ग्राम गजनीपुरा में दिनांक 17-9-98 से एवं धनेडी में दिनांक 12-3-99 से तथा 2 पद परिचारक के ग्राम सिमला में मार्च, 99 से व ग्राम सिवास में दिनांक 31-12-98 से रिक्त हैं।

(2) जी हां। नवीन नियुक्ति से पद भरने के प्रयास किए जावेगें।

जिला चूरू के लीव रिजर्व कम्पाउण्डर

440. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में आयुर्वेद विभाग में लीव रिजर्व कम्पाउण्डर के कुल कितने पद कहां कहां पर सृजित हैं ? चूरू जिले में कार्यरत लीव रिजर्व कम्पाउण्डर को गत तीन वर्षों में कहां-कहां व कब-कब कार्य करने हेतु भेजा गया ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 6-3-99 को निदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन (प्रगतिशील) के लेटर हैड पर चूरू जिले में कार्यरत लीव रिजर्व कम्पाउण्डर का मुख्यालय 'अ' श्रेणी की बजाय जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय चूरू में ही रखने के निर्देश जिला आयुर्वेद अधिकारी को दिये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, चूरू में कुल 6 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लगाये हुए हैं?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत, राज्य में लीव रिजर्व कम्पाउण्डर के 10 पद निम्न जिलों में सृजित हैं:—

नाम जिला	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2
1. अजमेर	एक
2. अलवर	एक
3. भरतपुर	एक
4. चूरू	एक

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

1	2
5. जोधपुर	एक
6. टोंक	एक
7. स.माधोपुर	एक
8. जयपुर-प्र क्षेत्र	दो
9. जयपुर-ब क्षेत्र	एक

चूरू जिले में कार्यरत तीन रिजर्व कम्पाउण्डर को गत तीन वर्षों में कहां-कहां व कब-कब कार्य करने हेतु भेजा गया; उसका विवरण परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राज्य के 'ए' श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय

441. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने 'ए' श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सालय है ? 'ए' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय के मानदण्ड क्या है ?

(2) क्या वर्तमान में 'ए' श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले औषधालय इन मानदण्डों की पूर्ति करते है ?

(3) कितने 'ए' श्रेणी औषधालय राजकीय भवन में और कितने किराये के भवनों में चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में 78 आयुर्वेदिक 'ए' श्रेणी चिकित्सालय (शैय्यायुक्त) संचालित हैं। 'ए' श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने हेतु स्थान के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) मानदण्ड निर्धारित न होने के कारण वर्तमान में पूर्ति/आपूर्ति की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती।

(3) वर्तमान में विभागान्तर्गत संचालित 78 आयुर्वेदिक 'ए' श्रेणी शैय्यायुक्त चिकित्सालयों में से 50 चिकित्सालय राजकीय भवनों में, 18 चिकित्सालय किराये के भवनों में तथा शेष 10 चिकित्सालय दान में प्राप्त अथवा निःशुल्क उपलब्ध भवनों में संचालित हैं।

अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद) के विरुद्ध जांच प्रकरण

442. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी आयुर्वेद) के पद स्वीकृत हैं ?

(डा. किरोड़ी लाल)

यदि हां, तो इन पदों पर कौन-कौन कार्यरत हैं ?

(2) क्या उपनिदेशक आयुर्वेद को राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव तथा कार्मिक विभागों के निर्देशों की अवहेलना करके अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद के पद पर 'स्टाप गैप प्रमोशन' दिया गया है ? इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव तथा कार्मिक प्रशासन विभाग के निर्णय/निर्देशों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(3) क्या उक्त निदेशक के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें निवर्तमान सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा वर्तमान सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? शिकायतों तथा आरोपों की प्रति व उन पर की गई कार्यवाही की सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या इन्हीं शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार ने उसे निलंबित किया था तथा बिना जांच पूरी किए ही बहाल कर गैर कानूनी नीति से पदोन्नत किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । इस विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19-3-98 द्वारा अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद) के दो पदों को स्वयं की वेतन श्रृंखला में अग्रिम आदेशों तक नियुक्त/पदस्थापित किया गया था । उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव तथा कार्मिक विभाग के निर्णय/निर्देश वर्तमान में प्रभावी हैं ।

(3) जी हां । उपनिदेशक श्री जगदीश राम शर्मा (वर्तमान में अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद) को कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 1 (80) कार्मिक/क–3/97 दिनांक 17-7-98 द्वारा निलम्बित किया गया था एवं दो आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये गये थे । कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9-3-99 द्वारा विभागीय जांच को प्रभावित किये बिना ही बहाल किया गया है । प्राप्त शिकायतों, जारी आरोप विवरण पत्रों, निलम्बन व बहाली आदेशों की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(4) राज्यादेश दिनांक 9-3-99 द्वारा विभागीय जांच को प्रभावित किये बिना ही श्री जगदीशराम शर्मा को नियमानुसार बहाल किया गया है ।

श्री जगदीश राम को पदोन्नत नहीं किया गया है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजलक्ष्मी योजना प्रकरण

443. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या सरकार द्वारा नसबंदी के मामलों में कोई राजलक्ष्मी योजना शुरू की गई थी ? यदि हां, तो कब और यह योजना क्या है जिसमें क्या सुविधा नसबंदी कराने वालों को दी जा रही है ? विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती मैना देवी पत्नी भवानी शंकर ने दिनांक 7-2-96 को एक पुत्री के जन्म के बाद राजकीय अस्पताल लाडनूं में आपरेशन कराया था ? यदि हां, तो इसको इस योजना से क्या-क्या लाभ, कब-कब दिया तथा नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस संबंध में प्रार्थी द्वारा बार-बार उच्च अधिकारियों को निवेदन करने के उपरान्त भी कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय महत्व की योजना के महत्व को नकार कर अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस योजना के प्रसार को इस प्रकार की कार्यवाही कर धक्का पहुंचाया है ? यदि हां, तो इस मामले में किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 1-4-92 से राजलक्ष्मी योजना बालिका कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी इस योजना के अन्तर्गत दो बच्चे जिसमें एक लड़की होना अनिवार्य है पर यदि नसबन्दी आपरेशन कराया जाता है तो राज्य सरकार उस बच्ची के नाम 1500/-रुपये यू. टी.आई. में निवेश करती है जिसे बच्ची की उम्र 20 वर्ष होने पर परिपक्व कराया जाता है।

राजलक्ष्मी योजना

1. किसी भी आयु में एक या दो सन्तान पर नसबन्दी कराने पर पांच साल तक की बेटी के नाम राज्य सरकार की ओर से 1500/-रुपये के यूनिट उपहार।

2. यदि दोनों बालिकायें हो तो दोनों के नाम 1500-1500 रु. के दो उपहार

3. लाभान्वित व्यक्ति की पुत्री 20 वर्ष की आयु होने पर परिपक्वता दर से राशि देय होगी।

(2) जी हां, योजना के प्रावधान के अनुसार श्री भवानी शंकर ने (यूनिट सर्टिफिकेट) राजलक्ष्मी बाण्ड प्राप्त करने हेतु जुलाई, 98 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में आवश्यक कमी पूरी होने के पश्चात श्री भवानी शंकर के द्वारा आवश्यक पूर्ति दि. 27-2-99 को की गई जिस पर विभाग द्वारा प्रार्थी को यूनिट सर्टिफिकेट संख्या 403991140000001 जारी कर लाभान्वित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। प्रार्थी ने केवल एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24-3-99 को उप

(राज्य मंत्री, परिवार कल्याण)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी (प.क.) नागौर को प्रस्तुत किया। लाभार्थी को योजना के प्रावधान अनुसार लाभान्वित कर दिया गया है।

(4) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 अप्रेल, 1999)

तहसील अटरू (बारां) का समाधान प्रकरण

155. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार अटरू (बारां) के पास जनता द्वारा दिसम्बर, 1998 से मार्च, 1999 तक समस्या समाधान हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रार्थना—पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त कार्यवाही से प्रार्थियों को अवगत कराया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रार्थियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) उक्त प्रार्थना पत्रों पर की गयी कार्यवाही से प्रार्थियों को अवगत करा दिया गया है तथा कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

(12.00 बजे)

मांग

अग्नि-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए प्रधानमंत्री को बधाई

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि अग्नि—2 का सफल प्रक्षेपण हुआ है उससे पूरे देश का सम्मान विश्व में बढ़ा है। राजस्थान विधान सभा के अन्दर हमारी भावनाएं हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कि माननीय प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद दें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे सदन की भावना है।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अग्नि-2 का जो सफल प्रक्षेपण हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, इसके बाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : और वास्तव में सदन की भावना है। हम चाहते हैं कि ....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सदन की भावना है। पूरे देश का सम्मान बढ़ा है। हमारे देश का सम्मान बढ़ा है कि नहीं.... (व्यवधान) यह अपने सुझाव और इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहिये... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति तो होने दो। शोक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं पहले.... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के लिये, पूरे देश के लिये... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : शोकाभिव्यक्ति तो होने दो।

शोकाभिव्यक्ति

श्री बृजप्रकाश गोयल, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य श्री बृजप्रकाश गोयल के प्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व उप मंत्री एवं विधायक श्री बृजप्रकाश गोयल का जन्म 29 मार्च, 1929 को हनुमानगढ़ में हुआ। आपने बी. एससी. एवं एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गोयल चौथी विधान सभा (1967-72) के लिये हुए चुनावों में हनुमानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गये। श्री गोयल को अक्टूबर, 1967 में राजस्थान राज्य का संसदीय सचिव तथा जून, 1968 में उपनिवेशन एवं कराधान विभागों का उप मंत्री बनाया गया। आप वर्ष 1954 से 1966 तक नगरपालिका, हनुमानगढ़ के सदस्य तथा वर्ष 1957 एवं 1964 से 1966 तक इसी नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे।

श्री गोयल शिक्षा के प्रसार हेतु सतत् प्रयत्नशील रहे। आपका अपने क्षेत्र में नेहरू मेमोरियल डिग्री कालेज तथा बच्चों के लिये नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

श्री बृजप्रकाश गोयल का दिनांक 7 अप्रैल, 1999 को निधन हो गया।

मैं, दिवंगत श्री गोयल को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

श्री हरिसिंह (महुवा), चीफ व्हिप।

बधाई

अग्नि-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि-2 का सफल....

श्री अध्यक्ष : जो है उसको पढ़ दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूं।

भारत ने दिनांक 11 अप्रैल, 1999 को प्रातः 9 बजकर 47 मिनट पर उड़ीसा के बालासोर जिले में रिनर द्वीप से एक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि-2 का सफल प्रक्षेपण किया है। दो हजार किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र के सफल परीक्षण से देश में सामरिक प्रक्षेपण प्रक्षेपास्त्रों की समूची श्रृंखला को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिये यह सदन देश के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई देता है।

अनेक माननीय सदस्य : प्रधानमंत्री को।

श्री मदन दिलावर : प्रधानमंत्री की वजह से... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : प्रधानमंत्री... (व्यवधान) जिनके कारण हम आगे बढ़े हैं.. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आज भारत के वैज्ञानिकों का नाम है। चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहे। कोई भी आये। कोई भी जाए, लेकिन भारत वर्ष के वैज्ञानिक हमेशा याद किये जाएंगे इस बात के लिये। प्रधान मंत्री तो आते हैं और जाते भी रहते हैं लेकिन यह देश....(व्यवधान) इस देश.... (व्यवधान) और सारा विश्व आज इसको मान रहा है....(व्यवधान) यह हम कहते हैं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ राजनीतिक अपराध मत करो....(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भारत की सरकार के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर.... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भारत के प्रधान मंत्री को धन्यवाद ...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : देश....(व्यवधान) मत बनो। भारत सरकार के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो, बधाई दो।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर.... (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री कृपलानी जी, आसन पैरों पर.... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भारत के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई दो।

श्री अध्यक्ष : आप डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, आप जानते हैं नियमों को।

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं ...

श्री सांवर लाल : प्रधानमंत्री आपके नहीं करवा पाये वैज्ञानिकों के..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भारतीय जनता पार्टी के उप नेता श्री कटारियाजी मुझे मिले थे मेरे चैम्बर में और उन्होंने मुझे यह कहा था कि वैज्ञानिकों को बधाई देने के सम्बन्ध में आप एक प्रस्ताव ले आवें ताकि कुछ लोग बोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रस्ताव के सम्बन्ध में चीफ व्हिप महोदय को बुलाकर कहा कि प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिये और वह बधाई.... (व्यवधान) आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन..(व्यवधान) और इस तरह से वैज्ञानिकों को बधाई देने की बात है। यह सदन वैज्ञानिकों को बधाई देता है उससे आगे आप इसकी डिग्निटी को, इस रिजोलूशन को कम मत कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रधानमंत्री, भारत सरकार और वैज्ञानिक, सबको बधाई दी जाए। यह राजनीतिक हल्कापन है अगर यह देशभक्त हैं तो..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रधानमंत्री ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हल्का मत करो इसको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बैठ जाओ... (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मेरी जो भावना थी, मैंने प्रातः काल आते ही आपसे कहा कि क्योंकि भारत के लिये और इस देश के लिए सामरिक दृष्टि से जो वैज्ञानिकों ने उपलब्धि हासिल की है उसे हम चाहते हैं कि व्यक्तिशः धन्यवाद नहीं देकर के यह सदन सामूहिक रूप से उन्हें इस बात को बधाई दे। यह मैंने आप से निवेदन किया था और आपने इसको रखा है, मैं सोचता हूं कि इतना अपने को छोटा मन नहीं रखना चाहिए क्योंकि जिस सरकार के निर्देशन में यह दो सफलतम 11 महीने में प्रयोग हुए उसके लिए अगर हम भेजें तो आपकी इच्छा। नहीं भेजें तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन यह बात सही है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए हुई है। इसके लिए सदन सामूहिक रूप से उन सबको अपना धन्यवाद भिजवा दे...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : भारत के प्रधानमंत्री की इच्छाशक्ति का परिणाम है कि प्रक्षेपास्त्र सफल हुआ....(व्यवधान) इसलिए इनको भी भेजा जाना चाहिए...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सारे वैज्ञानिकों को उपलब्धि है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भारत सरकार की इच्छाशक्ति पर आज अग्नि का प्रक्षेपण हुआ है....(व्यवधान) इनसे तो गाजर–मूली नहीं फेंकी जाती....(व्यवधान) अग्नि प्रक्षेपास्त्र फेंका है... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : दृढ़ इच्छाशक्ति की वजह से ही यह प्रक्षेपण हुआ है..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गाजर, मूली तक फेंक नहीं सकते और+++ रहते हैं... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में यह भी सम्मिलित किया जाये ... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. सदन के उप नेता ने बात कही कि दो सामरिक महत्व के प्रयास हुए। यह तो एक बहस का विषय होगा कि पोखरण से देश को कुछ उपलब्धि हुई या देश बरबादी के कगार पर चला गया। बिना किसी डिस्कसन के, बिना किसी बहस के पोखरण की भी बधाई हम दे दें। जो अभी उप नेता महोदय ने कहा है कि अग्नि-2 और पोखरण में जो दो बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं यह तो एक विश्लेषण का मुद्दा है कि यह पोखरण का मुद्दा देश को बरबादी की तरफ ले गया, देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चारे घोटाले को... (व्यवधान) चारे घोटाले को बधाई दो। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : वैज्ञानिकों ने ... (व्यवधान) मगर राजनीति से दूर हट कर बधाई दी जानी चाहिए तो वैज्ञानिकों को... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो सिर्फ चारे घोटाले को बधाई दो। आप देश के प्रधानमंत्री को बधाई मत दें। आप तो सिर्फ लालू यादव को बधाई दें, राबड़ी देवी को बधाई दें। चारा घोटाले को बधाई दो ... (व्यवधान) आप तो चारा घोटाले को बधाई दो...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव :...घोटाले को बधाई दें....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : +++ .. (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++.. (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : देश में जो अर्थव्यवस्था चरमरा गयी। देश का जो दिवालिया निकल गया....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चारा घोटला,... (व्यवधान) में लिप्त.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या कहना चाहते हो फरमाइये....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जो राज्यपालजी को ले बैठे – (व्यवधान) बात बनाते हो +++ आज ... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : केवल समय चुना है। बी.जे.पी. की सरकार विदा हो रही है। यह एक चुनावी हथकंडा था वरना यह कोई प्रोपर टाइम नहीं था। देश की जो गंदकनी राजनीति है उस गंदकनी राजनीति की वजह से.... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह परमाणु विस्फोट के खिलाफ बोल रहे हैं लोग तालियां बजा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : रक्षा मंत्रालय ने 50 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया घोटाले में, क्यों नहीं जांच करवाते संसदीय समिति से ...(व्यवधान) जिनको बधाई देना चाहते हो उनको कहो जाकर के....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अग्नि-2 बनाया है और हम वैज्ञानिकों का नाम ले रहे हों। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने बना दिया... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : अब राष्ट्र शक्तिशाली बन रहा है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : देश शक्तिशाली बन रहा है। देश का स्वाभिमान जग रहा है तो...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : घोटाले पर से पर्दा....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोगों के पेट में मरोड़ चलते हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, बिराजिये, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अब सदन में आगे चर्चा नहीं होगी....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : खाने में शामिल हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आगे चर्चा नहीं होगी। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : प्रधानमंत्री को इस सम्बन्ध में दे देंगे तो कौनसी विपत्ति आ रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वैज्ञानिकों को दे दिया... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इंदिरा गांधी जी है, राजीव गांधी जी है ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पंडित जवाहर लालजी की देन है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है, राजीव गांधी की देन है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजनीतिक संकीर्णता है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : भारत सरकार को बधाई दें। यह प्रस्ताव पास करें... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : क्यों करें प्रस्ताव ...(व्यवधान) वैज्ञानिकों के खिलाफ वाक आउट करोगे +++(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह विचार... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा: आपको वैज्ञानिकों की खुशी नहीं हुई...(व्यवधान) उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और आप वाक आउट करना चाहते हो ...(व्यवधान) शर्म आनी चाहिए +++ (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : सदन की... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : राजीव गांधी अमर रहे... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को भी सराहना करनी चाहिए... (व्यवधान) यह राजनीतिक संकीर्णता का विचार है। ऐसे संकीर्ण विचार रखने वाले...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : दिल्ली विदा हो रही है... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें राजनीतिक संकीर्णता नहीं होनी चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, देश का स्वाभिमान जगा है। (व्यवधान)

श्री भीमचन्द्र कृपलानी : देश के स्वाभिमान का सवाल है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस मुद्दे पर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतनी संकीर्णता; नीति पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, की देन है...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : देश की अस्मिता को...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस प्रस्ताव में संशोधन कर प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देने ....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आजादी के बाद 50 साल सबसे बड़ा रक्षा घोटाला इस सरकार ने किया है...(व्यवधान) इसको बधाई नहीं दी जानी चाहिए ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह भारत की सरकार को भी बधाई दें। ऐसा प्रस्ताव पास करके...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : प्रधानमंत्री जी की भी देन है ..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : राजीव गांधीजी की देन है। इंदिरा गांधी जी की देन है; नेहरू जी की देन है यह...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : भारत की सरकार को भी बधाई दें...(व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि भारत की सरकार को भी बधाई दें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य। पहले आप विराजिये।

श्री मंगललाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड...

श्री अध्यक्ष : पहले आप बैठिये। फिर मैं आपको समय दूंगा। आपके उप नेता ने आज सुबह मुझे वैज्ञानिकों को बधाई देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की बात कही

(श्री अध्यक्ष)

और मैंने चीफ व्हिप को बुलाकर के यह निर्णय लिया कि वैज्ञानिकों को निश्चित तौर पर उनकी उपलब्धि के लिए और उनकी प्रतिभा के लिए जो उन्होंने देश के हित में प्रक्षेपास्त्र बनाया है। उस सम्बन्ध में आप वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के लिए एक प्रस्ताव ले आयें...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं उस पर सदन एकमत नहीं है और एक मत नहीं है तो वैज्ञानिकों को धन्यवाद का जो प्रस्ताव पास किया है।

मैं सोचता था कि वह सर्वसम्मति से होगा...(व्यवधान) आप बैठिये प्लीज। इसलिए इसको विवादास्पद मुद्दा मत बनायें और जो प्रस्ताव सदन ने सर्वसम्मति से रखा है वैज्ञानिकों को बधाई देने का उसमें किसी प्रकार का संशोधन मुझे ऐसा दिख रहा है कि सदन की सर्वसम्मति नहीं है और उसको विवादास्पद मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि, वैज्ञानिकों की उपलब्धि के बारे में उन्हें धन्यवाद के बारे में तो दो मत हैं ही नहीं। उपलब्धि तो स्वीकार की है हाउस ने। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ने के बारे में आप कहते हैं सर्व सम्मति से सदन सहमत नहीं है। सदन के नेता महोदय यहां विराजमान हैं। वे राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा उदारता दिखाकर के आप अपने दल को समझायें (व्यवधान) प्रधानमंत्री के नाम को भी जोड़ दिया जाये..(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : प्रधानमंत्री जी खुद वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं मा. प्रधानमंत्री को धन्यवाद....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, धन्यवाद किस बात का ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : प्रधानमंत्री जी खुद वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे हैं.... (व्यवधान) इससे वैज्ञानिकों के महत्व को आप कम कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, धन्यवाद किस बात का ?

श्रीमती बीना काक : जब प्रधानमंत्री जी खुद वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे हैं.... (व्यवधान) हम अगर सर्वसम्मति से वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाहर लाल नेहरु के नाम पर योजना ...(व्यवधान) इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा आवास योजना.. (व्यवधान) दोहरी नीति आपकी क्यों है ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : वैज्ञानिकों की उपलब्धि को क्यों कम कर रहे हैं ? (व्यवधान) लोक सभा ने भी वैज्ञानिकों को

(श्रीमती बीना काक)

धन्यवाद दिया है और यहां पर भी वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जाएगा। आप वैज्ञानिकों के महत्व को कम क्यों कर रहे हैं ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाए।

श्री रतनलाल ताम्बी (शाहपुरा) : देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को धन्यवाद देने में आपको क्यों आपत्ति हो रही है ? देश के प्रधानमंत्री क्या जवाहर लाल नेहरु नहीं थे ? उनके नाम को जवाहर योजना से क्यों हटाया जा रहा है, देश की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी नहीं थी क्या ? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (खीमाखोपुर) : देश के वैज्ञानिकों को बधाई देने में राजनीतिकरण मत कीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : देश के वैज्ञानिकों को बधाई देने में राजनीति क्यों की जा रही है ? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इन्दिरा गांधी जितना देश नहीं बना सकते आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : भारत सरकार के खिलाफ तो प्रस्ताव लाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी): अटल बिहारी वाजपेई जब विपक्ष के नेता थे तो 1971 में बंगलादेश की लड़ाई में विजय होने पर इन्दिरा गांधी को उन्होंने दुर्गा कहा था। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना कीजिए, मेहरबानी करके इसमें राजनीतिकरण मत कीजिए। (व्यवधान) इतने घटिया स्तर पर मत आइए।

श्री रतनलाल ताम्बी : जवाहर लाल नेहरु प्रधानमंत्री नहीं थे क्या देश के ?

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अटल बिहारी वाजपेई को महिमा मण्डित मत कीजिए, उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में + + + इसलिए यह सदन उन्हें महिमा मण्डित नहीं करेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, टेक योर सीट। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : + + + (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + आपका इससे क्या लेना देना ? (व्यवधान) + + + उसको सदन महिमा मण्डित करे ? (व्यवधान) आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : +++ मत करो, +++ मत दिखाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मुख्य मंत्रीजी क्या चाहते हैं यह बता दें। हम मुख्य मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी, आप बताइए, क्या चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्रीमती बीना काक : मुख्य मंत्रीजी वैज्ञानिकों की अहमियत को कम नहीं करना चाहते हैं, हम बता रहे हैं, आपको, वैज्ञानिकों की इससे अहमियत कम होगी। हम बता रहे हैं; मुख्य मंत्रीजी क्या बताएंगे आपको।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बधाई दे चुके हैं और हम अखबारों में पढ़ चुके हैं, वैज्ञानिकों को बधाई दी जा चुकी है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : काम वैज्ञानिकों का, नाम प्रधानमंत्री का, वाह-वाह; नाम की ख्वाहिश करने वाले ....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया। मुख्य सचेतक ने माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस बारे में आदेश लेकर यहां यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूर्व में भी जब पोकरन में अणु बम विस्फोट हुआ था; उस पर भी देश की पार्लियामेंट ने वैज्ञानिकों को ही धन्यवाद दिया था, न कि सरकार को इसलिए यहां पर नई चीज किसलिए लायी जा रही है, यह राजनीतिकरण करने की चेष्टा न करें, वैज्ञानिकों के योगदान को सराहा जाना चाहिए (व्यवधान) पार्लियामेंट ने देश के वैज्ञानिकों को ही बधाई दी थी, संदेश दिया था, उन को धन्यवाद दिया था, ये नई-नई बातें यहां से कहां ले आते हैं ?

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय; ये कहेंगे कि आडवाणीजी को भी धन्यवाद दें, गृह मंत्री थे, क्या बात है ? हरेक को धन्यवाद दे रहे हैं क्या ? प्रधानमंत्री खुद आपके वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, जिस भारत सरकार ने जवाहर रोजगार योजना से जवाहर लाल नेहरू का नाम हटा दिया, इन्दिरा गांधी का नाम इन्दिरा आवास योजना से हटा दिया; उस को किस बात का धन्यवाद दिया जाए ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सदन के सभी सम्माननीय सदस्य इस बात से प्रसन्न हैं कि अग्नि-2 प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपके चैम्बर में बातचीत हुई, उसके अनुरूप मुख्य सचेतकजी यहां पर प्रस्ताव लाए। अब उस पर चर्चा होने से पहले, मैं बी.जे.पी. के सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको यह अधिकार है कि वे संशोधन प्रस्तुत करें, टैम्पर इतना हाई करने से पार नहीं पड़ेगी। यह एक तथ्य है।

अगर परीक्षण सफल है तो अटल-बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में यह सफल परीक्षण हुआ है। (व्यवधान) एक परीक्षण सफल हो जाने से हमारा और उनका कोई तालमेल तो नहीं हो जाता या इससे कोई वे चुनाव जीत जाएंगे। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया ने जो बात कही (व्यवधान) आप बात सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है, 1971 में जब बंगलादेश में...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या कह रहे हैं, यह कोई सुनने वाली बात है ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है।(व्यवधान) पक्ष और विपक्ष के लोगों ने बैठकर आपके चैम्बर में जिस का निर्णय किया, वैज्ञानिकों को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें राजनीति की बू आ रही है, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य में भी कोई फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, सदन का महत्वपूर्ण समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : यह अटल बिहारी वाजपेई की देन नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जब तक प्रधान मंत्री में इच्छाशक्ति न हो तब तक ऐसा परीक्षण कोई भी नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : संसद ने जो वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है, यह एक दिन की उपलब्धि नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की देन है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, उनके पास जयललिता, जय समता और जय ममता के अलावा और कुछ नहीं है।

श्रीमती कमला भूआलाल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, इनको कहिए कि प्रधान मंत्री को फैक्स कर दें, फैक्स...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप विराजिए, पहले मुझे कनक्लूड करने दीजिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने कनक्लूड नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने कह दी अपनी बात ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोलने ही नहीं दिया, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) नहीं, नहीं, मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सबकी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि इसको विवाद का विषय बनाना देश हित में नहीं है, आपने जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पेश किया... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (उप सचेतक) : वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे हैं, इसमें आपको तकलीफ है क्या ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बिलकुल सही कह रहे हैं ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या अपमान किया है उनका ? आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं ? उन वैज्ञानिकों को बधाई दी, जिन वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है, जिनके कठोर परिश्रम की यह सदन प्रशंसा करना चाहता है । आपने उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया । सदन को सर्वसम्मति से मेरे द्वारा रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए जिससे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, वैज्ञानिकों की मेहनत को प्रदेश की जनता की ओर से बधाई दी जा सके । आपको क्या तकलीफ हो रही है ? आप कोई दूसरा प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो वह पेश कर दो लेकिन मेहरबानी करके वैज्ञानिकों को बधाई देने का जो शुद्ध प्रस्ताव पेश किया है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न करें ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे एक मिनट देंगे ? आप मुझे कनक्लूड करने देंगे ? मैंने सेंटेंस भी कनक्लूड नहीं किया है, आप लोगों में इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतना दुराग्रह है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या दुराग्रह है ?

श्री बाबूलाल नागर : सदन का समय बरबाद कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं, (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सदन का प्रस्ताव है, वैज्ञानिकों ने जो परीक्षण किया है, उनको बधाई देना चाह रहा है सदन, और आप यह कह रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मुझे बोलने देंगे ? आई हैव नोट कन्क्लूडेड । मेरा सेंटेंस तो कन्क्लूड करने दें सर । (व्यवधान) सेंटेंस ही कम्प्लीट नहीं करने देते । (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : बैठिए । ये सदन का समय खराब कर रहे हैं । बात सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात भी पूरी नहीं होने देते । बीच में खड़े हो गए ।

श्री बाबूलाल नागर : आप बैठ जाइए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा वाक्य तो पूरा करूं ।

श्री बृजेन्द्र सिंह सुपा : हम प्रधान मंत्री की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) इनको राजनीति के अलावा कुछ दिखायी नहीं देता। यह उपलब्धि वैज्ञानिकों की है। यह कोई इनकी उपलब्धि नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने यह कहा है... (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सुपा : यह कोई निजी उपलब्धि नहीं है। यह उपलब्धि प्रधान मंत्री की नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बोलने दीजिए। मैंने यह कहा है.. (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : यह क्या बात हुई? आपको कितनी देर हो गई भाषण देते हुए?

एक माननीय सदस्य : वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बोलने तो दो इनके बारे में। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आप सदन का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह क्या मतलब हुआ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे नहीं चलेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री बृजेन्द्र सिंह सुपा : इन भाजपा वालों ने इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की। क्या यह दुराग्रह नहीं है? इन्होंने हमारे युग पुरुष, हमारे शहीद पुरुषों के साथ में इतिहास में छेड़छाड़ करके इतिहास को झुठलाना चाहा। यह इन्होंने इस तरह का दुराग्रह किया।

एक माननीय सदस्य : वैज्ञानिकों में राजनीति का....(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप पार्लियामेंट में भी धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आये थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल आप बोलने दो। आप बोलने दो। (व्यवधान) आप बोलने से मत रोकें कम से कम। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सुपा : अटल बिहारी जी ने ओछी मानसिकता रखते हुए हमारे शहीद पुरुषों के नाम इतिहास से हटाकर इन्होंने दुराग्रह का परिचय दिया। क्या यह इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं है?

श्री अध्यक्ष : प्लीज ।

श्रीमती बीना काक : आप पार्लियामेंट में तो पास कर लो पहले । (व्यवधान) वी.पी. सिंह जी, पहले पार्लियामेंट में तो करवा लो आप ।

एक माननीय सदस्य : आज आपको हालत पास करवाने की हो सकती है क्या ? आज आपकी हालत पार्लियामेंट में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यह रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में भी अटल बिहारी वाजपेयी को भी धन्यवाद का करा लेना । (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें । (व्यवधान) अध्यक्ष जी, आप माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दो । अध्यक्ष जी, हम कुछ नहीं चाहते, माननीय सदस्य अपनी बात को कह रहे हैं, जैसा वे कहना चाहें उनको अपनी बात को पूरा कहने दें ।

श्री जनार्दन गहलोत : वे कराना नहीं चाहते । (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप बोलने से रोकें, यह बात समझ में नहीं आती । हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमको अपनी बात कहने दें । अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यह कोई ज्यादा विवाद का विषय नहीं है । सदन के नेता को भी उनकी भावना प्रकट कर दें हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है । हमें क्या मतलब है ? अगर सदन के नेता अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो कर दें । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा वाक्य कम्प-लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान) मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) मेरा सेंटेंस कम्पलीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान) सेंटेंस तो कम्पलीट करने दें साहब ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । सदन के नेता को जो सर्वसम्मत प्रस्ताव नहीं बना सके हम, जो प्रस्ताव लाया गया था वह सम्माननीय....

डा. किरोड़ी लाल : कितनी ओछी मानसिकता है आपकी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्माननीय कटारिया जी ने जिस तरह का प्रस्ताव लाने की बात की थी वह प्रस्ताव आया ....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसमें अमेण्डमेंट पेश कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब अमेण्डमेंट पेश करने के लिए यह मामला विवादास्पद हो गया है और इसलिए ...

श्री अब्दुल अजीज (राज्य मंत्री, शिक्षा) : It will be an adulteration. यह एडल्ट्रेशन होगा ।

श्री अध्यक्ष : और इसलिए सदन के

(श्री अध्यक्ष)

नेता को इसमें सदन से कोई राय लेना या दे क्या रहते हैं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, सदन की राय तो मुझे मालूम हो रही है। तो संशोधन में नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दो जगह प्रस्ताव हो ही नहीं सकता। पार्लियामेंट में नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में तो पास हो नहीं सकता, वहां तो बहुमत नहीं है और यहां पर आप ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : पूरा हिन्दुस्तान धिक्कारेगा राजस्थान विधान सभा को कि सर्वसम्मति से हाउस में वैज्ञानिकों को धन्यवाद नहीं दिया गया आपके कारण। आपके कारण सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। पूरा हिन्दुस्तान धिक्कारेगा राजस्थान विधान सभा को। (व्यवधान) आप चाहते होते तो जरूर धन्यवाद दे देते हम। (व्यवधान) इतनी छोटी मानसिकता, सर्व-सम्मति से वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए था मुख्य मंत्रीजी को, यह सर्व-सम्मति से पास करना चाहते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप हमको बोलने दीजिए। आप संकीर्णता मत दिखाइए। बहुमत का दुरुपयोग मत करो।

श्रीमती बीना काक : अटल जी को दे दीजिए धन्यवाद, आडवाणी जी को दे दीजिए, फिर कहेंगे कुशाभाऊ ठाकरे को दे दीजिए धन्यवाद। क्यों दे दीजिए धन्यवाद ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : इनको पार्लियामेंट में देंगे ?

श्रीमती बीना काक : फिर कहेंगे रज्जू भैया को दे दीजिए धन्यवाद। यह तो अटल बिहारी जी का हमने हां नहीं कहा, हां कह दिया होता तो यही होता कि कुशाभाऊ ठाकरे जी को धन्यवाद दीजिए, फिर वो भी कर देते तो कहते रज्जू भैया को दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यहां अटल जी को याद करते रहो।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय नेता की भावना है कि इन्होंने हां की ऐसा प्रस्ताव लाकर। इसलिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जाए; यह हमारे नेता की भावना है। (व्यवधान) आपकी मानसिकता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत सवाल है। अगर नीति-गत सवाल में माननीय सदस्य अपने विचार भी प्रकट नहीं कर सकता तो यह खेद की बात है।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : विरोधी पक्ष के रिक्वेस्ट पर हमारे नेता ने इस बात को माना, यह हमारे नेता की महानता है। आप उसको नहीं मान रहे हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिन प्रधानमंत्री के हाथ में देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं है उन प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना निराधार है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था।

श्री राधेश्याम गंगानगर : विचार रखने की तो इसमें छूट होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस के अंदर इंटोलरेंट एटीट्यूड पैदा हो गया है कि अगले आदमी का सेंटेंस कंपलीट नहीं करने दें। मैंने सिर्फ यह कहा है, मैंने यह कभी नहीं कहा कि आप अटल बिहारी जी की प्रशंसा करें या न करें। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अटल बिहारीजी के..

श्री अब्दुल अजीज : यह एक्सट्रेशन है। इस प्रस्ताव में कुछ भी जोड़ना एक्स–ट्रेशन है। आपका जो प्रस्ताव आया है... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बात ही नहीं सुनना चाहते। आप बात ही नहीं सुनना चाहते।

श्री अब्दुल अजीज : आप अलग से लाइए। आप अलग से लाइए। उसमें एडिशन क्यों कर रहे हैं आप। अलग से लाइए, उसमें एडिशन क्यों कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पास नहीं हुआ है अभी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों से भी आग्रह है कि आप ऐसा सेंसिटिव इश्यू क्यों लाते हैं। यदि सत्ता पक्ष के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते तो आप प्रस्ताव में अटल बिहारी का नाम नहीं लाते तो क्या फर्क पड़ जाएगा; वो प्रधानमंत्री तो कायम रहेगा। अगर आप ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तो क्या अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर : सारे हाउस ने बात की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके कक्ष में बी.जे.पी. के कुछ नेता जब मिले, जो कुछ भी बात वहां तय हो गई, सदन के अंदर जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो वही आना चाहिए। अब यह तो वोटिंग से होगा।

एक माननीय सदस्य : प्रस्ताव विवा–दास्पद बनाना ही नहीं चाहिए।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार यह कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या बिगड़ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिकों की अहमियत कम हो जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई कम नहीं हो जाएगी।

श्रीमती बीना काक : वैज्ञानिकों की अहमियत कम हो जाएगी। (व्यवधान)

(श्रीमती वीना काक)

अब बार-बार माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान; यह भी माननीय अटल बिहारी जी ने जोड़ा है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : योजनाओं से नाम हटाना तो उचित है ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह प्रस्ताव कालरेडी पास हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से पास किया है।

श्रीमती बीना काक : कोई राजनीति-करण नहीं किया जाए इस प्रस्ताव का।

श्री भगत सिंह बायमा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें नीति की बात भी है। अगर भारत सरकार परीक्षण के लिए मना कर देती तो क्या वैज्ञानिक कर सकते थे ? ऐसी क्या बात है इसमें ? इसमें नीति की बात है और नीति और अनीति जिस काल में भी होती है उसकी बात कहनी चाहिए।

श्रीमती बीना काक : अगर इंदिरा गांधी शुरुआत नहीं करती तो शुरुआत हो जाती क्या ?

एक माननीय सदस्य : यह तो मनुवादियों के हाथ में है।

श्रीमती बीना काक : इंदिरा गांधी अगर शुरुआत नहीं करती तो क्या शुरुआत हो जाती ? बेकार की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बसपा तो मनुवादियों से हाथ मिलाती रही है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा समाप्त की जानी चाहिए.. (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : ये क्या बोल रहे हैं ?

श्रीमती बीना काक : यह क्या बोल रहे हैं, +++ अध्यक्ष महोदय, +++ यह बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, +++

एक माननीय सदस्य : +++.

श्री प्रद्युम्न सिंह :+++(व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती बीना काक : खेद प्रकट कराइए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : +++ (व्यवधान) बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यह एक्सपंज कीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा, +++।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इनको सदन से बाहर निकालो।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इंदिरा गांधी के बारे में जो कुछ भी बोला उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। इनको बाहर निकालो।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्य से माफी मंगवाइए वरना सदन से बाहर निकालिए इनको। इस तरह की बेहूदा और शर्मनाक बात बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसको बाहर निकालो। अध्यक्ष महोदय, +++ (व्यवधान) +++ इन्हें बाहर निकालिए +++ इनके खिलाफ प्रस्ताव रखिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इंदिरा गांधी जैसी महान नेता के खिलाफ इन्होंने यह कहा, यह +++ का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : +++ (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इंदिरा गांधी जैसी नेता जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी.. (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सचेतक महोदय, आप प्रस्ताव लाईये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ इन्हें बाहर निकाल दीजिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह या तो माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने कोई बात ऐसी कह दी तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पार्टी की तरफ से खेद प्रकट करता हूं। पार्टी की तरफ से प्रार्थना करता हूं, इसको निकाल दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ने कोई बात कह दी तो हम खेद प्रकट करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम पार्टी की तरफ से खेद प्रकट करते हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदस्य को माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं निवेदन करता हूं इसको निकाल दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं पार्टी की तरफ से खेद प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाईये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, श्री रामस्वरूपजी मीणा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : +++ हाउस में पीछे बैठे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : एक्सपंज कीजिए, खेद प्रकट करवाईये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। रामस्वरूप जी मीणा; क्या नारे लगा रहे हैं, बैठिए।

श्रीमती बीना काक : घटिया तरह की तो बात कर रहे हैं, शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनसे माफी मंगवाईये, इंदिरा जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, एक्सपंज किए जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यहां आकर फौरन खेद प्रकट कीजिए।

एक माननीय सदस्य : इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह क्षमा नहीं मांगेंगे तो वातावरण गंदा रहेगा। क्षमा मांगे बिना सदन नहीं चल सकता। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा +++ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे पास एक परिवार तो है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी तीन पीढ़ियों ने। आपके यहां तो ऐसा परिवार नहीं है जिसकी तीन पीढ़ियों ने कुर्बानी दी। कुर्बानी देने वाले परिवार के लिए ऐसा कहते हैं, शर्म आनी चाहिए।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(व्यवधान) जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, दादा ने दी, पोते ने दी, खुद ने दी। (व्यवधान) आप +++ है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको माफी मांगनी चाहिए इंदिरा गांधी जी के राज में..(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माफी मांगनी चाहिए, इनसे माफी मंगवाइये, इसके बिना सदन नहीं चल सकता। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कोई अनुशासन नहीं है, संयम नहीं है, संस्कार नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : खुद के प्रधानमंत्री का नाम चाहते हैं, दूसरे के प्रधानमंत्री का नाम हटाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप की राजनीतिक सोच पर +++ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं हमारे माननीय सदस्य ने आवावेश में आकर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया तो कार्यवाही से निकाल दीजिए। मैं पार्टी की तरफ से खेद प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह रोज की बात हो गई, +++ आरोप लगाते रहते हैं, कोई अनुशासन नहीं है, संस्कार नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा, बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : इस तरह की बयान बाजी आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं कर सकते हम.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, ज्ञानदेव आहूजा ने जो शब्द कहे वह न तो रिपोर्टर ने सुने हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सबने सुने हैं अगर इस तरह के शब्द यहां कह दिए गये तो इससे ज्यादा तो अव्यवस्था और कोई नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : हमने सुने हैं और यहां तक आवाज आई है। वे खुद कह देंगे कि उन्होंने कहा है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इंदिरा गांधी जी, इन्होंने कहा....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, यहां तक आवाज आई थी, उन्होंने खुद ने कहा है, इस बात के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : पूरे सदन ने सुना है, इन्होंने कहा +++ (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्टिंग में नहीं आया है तो माननीय उप नेता महोदय ने माफी किस बात की मांगी ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कटारिया जी ने किस बात की माफी मांगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इनके नेता महोदय ने पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का दूसरा रूप कहा था, उस इंदिरा गांधी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपके नेता ने कहा था, साक्षात देवी है। दुर्गा कहा था कुछ नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा था, अटलबिहारी वाजपेयी ने 1971 में. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। (व्यवधान) कोई शब्द न तो रिपोर्टर ने लिखा है। और अगर उन्होंने असंसदीय किसी शब्द का प्रयोग किया है तो उसे इस सम्बन्ध में बी.जे.पी. उपनेता ने खेद प्रकट किया है और कहा है, कुछ लोगों ने सुना बताया है....(व्यवधान) सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाता है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं आपने जो आदेश दिया है शिरोधार्य है। उप नेता महोदय ने खेद प्रकट किया है वह भी अच्छा है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे थे वह घृणित थे। उन्होंने यह कहा +++ यह हमने सुना है। उन्होंने कहा +++ इससे भद्दी बात और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरा निवेदन है आप उन्हें आदेश दें कि हाउस से बाहर चले जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती शोभा काक : ऐसी घिनौनी बात करने के बाद भी हंस रहे हैं, यह तो इनकी मानसिकता बताती है, दंडित होने के बाद हंस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपनेता ने खेद प्रकट किया है लेकिन... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज इस सफल परीक्षण के कारण इंदिरा जी को भी याद किया जाना चाहिए था। उनके लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : या तो वे खड़े

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महेश जोशी)

होकर अपने कथन के लिए माफी मांगे अन्यथा मैं प्रस्ताव करूंगा आपसे .... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता महोदय ने खेद प्रकट कर दिया और आपने व्यवस्था दे दी उसके बावजूद भी आप ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं तो मेरी राय में उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। सदन के उप नेता ने खेद प्रकट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें निर्देश दें कि यह खुद माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : फिर भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप ऐसा निर्णय कर लेते हैं तो ठीक नहीं होगा, गलत परम्परा पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्हें खुद माफी मांगनी चाहिए। अगर इन्हें थोड़ी बहुत भी ... (व्यवधान) थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी जी राष्ट्रीय ही नहीं इन्टरनेशनल नेता थी, अंतर्राष्ट्रीय नेता थी। इंदिरा गांधी जी के लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए इनको खुद को शर्म आनी चाहिए। इन्हें सदन से चले जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन्हें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उन्हें माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतनी घटिया बात कहकर यह सदन में बैठे हैं, इनको खुद को शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान) इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : संसदीय कार्य मंत्री जी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उप नेता महोदय ने क्षमा याचना कर ली है, अध्यक्ष महोदय ने इसको एक्सपंज कर दिया है। (व्यवधान) उसके बाद भी यह ऐसा करके क्या चाहते हैं ? इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया था। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना का सम्मान करते हुए, मैंने जो कुछ सुना उसके आधार पर मैंने दल की तरफ से खेद प्रकट कर दिया उसके बाद भी अगर आप इस प्रकार बर्ताव करेंगे तो उचित नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत :....(व्यवधान) ... लेकिन बर्दाश्त नहीं होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा जी ने जो कुर्बानी दी थी उसका विश्व में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश का निर्माण कराया तो उस वक्त दुर्गा का रूप बताया। माननीय सदस्य जो मन चाहे वह बोल देते हैं। माफी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मांगनी चाहिए और इनको सदन से बाहर करना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय सदस्य को सदन से बाहर किया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मगर आप इतना करने के बाद भी उनको सदन से बाहर निकाल रहे हैं....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अगर उनमें नैतिकता है तो उनसे खुद को कहिये कि माफी मांगे। (व्यवधान) नैतिकता है तो उनसे कहिये कि खुद माफी मांगे। उनमें नैतिकता है तो उनसे कहिये कि खुद माफी मांगें। खुद क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ..(व्यवधान).. तो हम सब को निकाल दो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : खेद प्रकट कर दिया उसके बाद में भी...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : खुद क्यों नहीं मांग रहे हैं माफी ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि सदन में रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह निश्चित तरीके से घृणित है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय सदस्य जिन्होंने अपराध किया है वह माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : वह निन्दनीय है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : जिन माननीय सदस्य ने अपशब्द कहे हैं वह स्वयं माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब उनके मन में मैल है..(व्यवधान) उनसे स्वयं से माफी मंगवायें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिलकुल नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन में उनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) जब उन्होंने यह बात कही है, शर्म आनी चाहिए उनको। माननीय रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बाकायदा घृणित शब्द कहे हैं, गन्दे शब्द कहे हैं कि वह एक नेता का नहीं बल्कि देश का अपमान है तो उनको ही क्षमायाचना करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : खेद प्रकट कर दिया न उसके लिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : और अगर वह खुद क्षमायाचना नहीं करते हैं तो मैं सत्ता पक्ष से निवेदन करता हूं कि उप नेता से क्षमा याचना करवायें। (व्यवधान) कटारिया साहब से... (व्यवधान) माफी मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप प्रत्यारोप, दोनों तरफ से हो रहा है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नाम नहीं कहा। अटल जी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : वह सारे देश के लिए कुर्बान हुई थी। (व्यवधान) गोलियां खायी थीं। उसके लिए आप हंस रहे हो। शर्म आने की बात है। देश के लिए.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं माफी मांगने से क्यों कतरा रहे हैं। जब उन्होंने इस तरह का पाप सदन में किया है तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए। उनको अभी भी इस बात की शर्म नहीं आती। अगर अमीर है तो; गलती की है तो खड़े होकर सदन में माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : ....(व्यवधान)... वह सब रिकार्ड में है।(व्यवधान)+++ इस्तेमाल किया है, +++ कहा है... (व्यवधान) देश के प्रधानमंत्री के लिए.... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : श्री रामस्वरूप जी ने प्रधानमंत्री ... (व्यवधान) किसी का नाम लेना... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, तरीका इस सदन में, यह गलत परम्परा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारी नेता इंदिरा गांधी थीं, हम इस बात को मानते हैं। उसके लिए अगर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैं खड़ा हूं, आसन पैरों पर है। आप कैसे खड़े हैं? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आज देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, आप यह कह रहे हैं कि वे +++ हैं... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : बैठ जाइये। आप डबल रोल करते हैं। कभी मुख्य मंत्री को जिताने के लिए जोधपुर जाते हो और वैसे दिल्ली में जाकर....

श्री जगत सिंह दायमा : प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी +++ हैं। अब ऐसे शब्द का प्रयोग हो रहा है, यह दोनों तरफ से गलत बात है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, वे माफी मांगें। (व्यवधान) अटल बिहारी वाजपेयी को ...(व्यवधान) पूरे राष्ट्र का अपमान है। माननीय सदस्य से माफी

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

मंगवानी चाहिए। +++ यह कहा है। माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मिस्टर रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ...(व्यवधान) .. हंस रहे हो, उनको शर्म आने की बात है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ....(व्यवधान)...और बहुमत के बल पर चाहे जो प्रस्ताव ले आते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रमजान खान जी, बैठ जाइये आप। (व्यवधान) आप बीच में हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। यह भी मैंने नहीं सुना। कोई भी असंसदीय शब्द का प्रयोग हुआ है किसी के द्वारा प्रधानमंत्री या अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में तो उसे भी मैं हाउस की प्रोसीडिंग से, कार्यवाही से एक्सपंज करता हूं। अब छोड़िये इस बात को। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : .. (व्यवधान)... जो चाहे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। +++ (व्यवधान) संख्या के बल पर डराने की जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री हिन्दुस्तान की..(व्यवधान) आज प्रधानमंत्री के लिए चाहे जो बोल दो। (व्यवधान) यह चीज बरदाश्त नहीं करेंगे। आज हिन्दुस्तान की ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : कांग्रेस के किसी माननीय सदस्य ने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आप चाहें तो प्रोसीडिंग दिखवा लें। आप बिना बात का इश्यू बना रहे हैं। (व्यवधान) कांग्रेस के किसी माननीय सदस्य ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। (व्यवधान) मैं फिर से कह रहा हूं, दोबारा दोहराकर कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री के खिलाफ कोई भी अपमान जनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। आप प्रोसीडिंग दिखवा लें। आप इस बात को बिना बात के इश्यू बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फिर बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढा : तमाम अखबार कहते रहे हैं, तमाम पत्रिकाएं कहती रही हैं कि +++ सब अखबारों में छपा है, सब पत्रिकाओं में छपा है। (व्यवधान) इसमें कौनसा गलत कह दिया। हर आदमी जानता है। (व्यवधान) क्या भूमिका थी इनकी। (व्यवधान) +++ पुराने हो। आज के थोड़े ही हो। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : प्रधानमंत्री के खिलाफ यह शब्द कि वे +++ है, यह शब्द .. (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसी ने नहीं कहा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह बात किसी ने नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष : क्या कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य ने भावावेश में कहा तो हमने अपने दल की तरफ से खेद व्यक्त कर दिया। उसके बाद भी माननीय सदस्य एक बार नहीं, 10 बार इस बात को रिपीट कर चुके कि वह +++ हैं, बार-बार इस बात को कहते चले आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसी ने नहीं कहा। (व्यवधान) इनको नहीं कहा, नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++ यह इन्होंने कहा है और यह सब पत्रिकाओं में छपा है, सब अखबारों में छपा है और हम फिर कहते हैं उसको। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री संयम लोढ़ा : +++ नहीं कहा, +++ नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा लेकिन अब +++ तब कहा है और कहेंगे, बार बार कहेंगे। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। जो पालियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने फरमाया उसी का उल्लेख कोल एण्ड शकधर देते हैं। मैं इस सदन की सूचना के लिए पढ़कर सुना देता हूं।

श्री धीचन्द कृपलानी : कोई जरूरत नहीं है सूचना देने की। (व्यवधान) प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय ने मुझे परमीशन दी है। बैठिये आप। (व्यवधान) 'A member who disregards the authority of the Chair....' आप शांत रहिये। अध्यक्ष जी ने मुझे परमीशन दी है।

श्री धीचन्द कृपलानी : आपके सदस्य प्रधानमंत्री जी को कोई भी बोले तो.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 'A member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistent and wilful obstruction of the business before the House, may be named by the Chair and later suspended from the service of the House on

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

a motion moved by a member and adopted by the House.'

मोशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने मूव कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट कर दी और अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात और एड करना चाहता हूं, मुख्य सचेतक महोदय, आप लोगों ने बहुत गलती की कि +++ दिलावर को सात दिन से एक दिन पर ले आये तब इनकी हिम्मत हो रही है। (व्यवधान) आप बिलकुल+++ बख्शो मत और मैं आपको कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो इस सदन के सदस्य ..(व्यवधान) आहूजा साहब ने फरमाया है, क्या बात करते हैं वे, +++ यह कोई तरीका है ? आप क्षमा मांगने की जगह तो बैठे–बैठे हंस रहे हैं। शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ... मैं चुनकर आया हूं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आदमी को आदमी नहीं कहेंगे तो क्या औरत कहेंगे ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : शर्म की बात है। बात करते हो। यह कोई तरीका है। +++रहने दो। भंवर लाल जी साहब, आपके उप नेता तो माफी मांग रहे हैं और वह श्रीमानजी, गैलरीज की तरफ देखकर हंस रहे हैं। इनको थोड़ा....(व्यवधान) इनको बैठाइये और मेहरबानी कर सदन से बाहर करिये....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके उप नेता ने खेद प्रकट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ...गुमराह किया है और देश के प्रति .. (व्यवधान) इनको शर्म आनी चाहिए। हम तो हमारी बात पर क्षमा मांग रहे हैं, रामस्वरूप जी को भी क्षमा मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो +++ है, उसको स्वामी भक्त कैसे कह दें ? (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सदस्य को चाहिए कि वह हाउस में गलत बात कही है, +++ है, उसके बारे में आप ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने जिन्होंने खुद ने गलत शब्द कहे, उनको खेद प्रकट करना चाहिए, उनको स्वयं को क्षमा मांगने में कहां दिक्कत है ? उनको प्रायश्चित करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, इश्यू समाप्त हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : He must be expelled from the House. He must be expelled from the House माननीय

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अब्दुल मजीद)

सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह इतना गम्भीर है और ऐसे माननीय सदस्य को हाउस से एक्सपेल करना लाजिमी है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को माफी मांगने में स्वयं को कहां दिक्कत है। वह प्रायश्चित कर ले, इश्यू समाप्त हो जायेगा। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के ऊपर फैसला फरमायें अपना। (व्यवधान) प्रस्ताव पर फैसला दीजिये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Sir, I have to bring it to your notice... (interruptions)....

श्री अध्यक्ष : प्लीज टेक योर सीट।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इन्दिरा जी को इन्होंने पार्लियामेंट से बरखास्त किया था। इन्दिरा जी को एज ए मैम्बर आफ पार्लियामेंट they resolutely dismissed her from the membership. ये एक दिन की बात करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्दिरा जी की मेम्बरशिप को खतम किया था इन्होंने। इन्दिरा जी की इन्होंने मेम्बरशिप खतम की थी ... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी, आप तो सी.एफ.पी. में थे .. (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कहां था, आप क्यों .. (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : .. मीसा में... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में घोर अव्यवस्था, नोइस की इतनी आवाज थी कि मैंने खुद ने भी नहीं सुना कि माननीय सदस्य ने क्या बात कही तो भी मैंने एक्सपंज कर दिया और ऐसा कहा है। दूसरे किसी भी माननीय सदस्य ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है और वह कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, मैंने उसको भी...

अनेक माननीय सदस्य : कहा है, कहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं कहा है, नहीं कहा है। (व्यवधान)...+++

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अब्दुल अजीज : इश्यु उठाया है इन्होंने, यह नई बात क्रिएट की है इन्होंने जान बूझकर, इस इश्यु को डवितशाइज करने के लिए जान बूझकर बात उठाई है यह, ऐसा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इस पूरी अव्यवस्था के दरमियान कोई भी असंसदीय शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करता हूं। जहां तक पाइंट आफ आर्डर रेज करने का सवाल किया है आपने, जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर रेज नहीं होता जो सदन में बिजनस है लेकिन आपने जिस प्रक्रिया, नियम 293 का हवाला दिया है, मैंने माननीय सदस्य को काल नहीं किया था। मुझे सुना नहीं था, इसलिए इस सम्बन्ध में 292 का कोई प्रस्ताव दूसरे कोई माननीय सदस्य लायेंगे, यह अलग बात है, मैंने उनको अलाऊ नहीं किया था और वह बाद में चुपचाप बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट के ऊपर....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बोले तो थे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक दफा बोलने से मतलब नहीं है। वह बोल लिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माफी तो मांगे वह खुद, बहुत भद्दी बात बोली इन्होंने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनके उप नेता ने खेद प्रकट कर दिया, माफी मांग ली।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वह खुद तो माफी मांगे ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं, उप नेता तो माफी मांग रहे हैं और वह पीछे हंस रहे हैं। (व्यवधान) यह क्या बात है अध्यक्ष महोदय।

श्री अब्दुल अजीज : हाउस की गरिमा को ठेस पहुंचायी है।

श्री अध्यक्ष : उनके उप नेता ने खेद प्रकट कर दिया। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह तो हंस रहे हैं। सवाल यह है कि वे हंस रहे हैं बैठे-बैठे। हमें बोलने का राइट नहीं है। वह हंस रहे हैं। कमाल की बात करते हैं आप। वह मूंछों पर ताव देकर हंस रहे हैं, यह कोई बात है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था, जब आप प्रतिपक्ष के नेता थे और मैं आपका चीफ व्हिप था, ऐसे मौके आये थे और अपने जिस सदस्य ने इस प्रकार की कोई गलती की तो भैरोंसिंह जी ने यह कहा कि नहीं, वह स्वयं माफी मांगे। हमने कहा कि हमने उनकी तरफ से माफी मांग ली, फिर भी इन्होंने इंसिस्ट किया कि वह माफी मांगे। उनके ऐसी क्या दिक्कत आती है, मैं मानता हूं, उप नेता महोदय ने माफी मांग ली और उन्होंने खेद प्रकट कर दिया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लेकिन उनको स्वयं खेद प्रकट करना चाहिए कि अगर आपने ऐसी बात सुनी है या मैंने ऐसी बात कही है तो कहें कि मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अपराधी आप नहीं हैं या वह है इस सदन में, सदन के अपराधी उप नेता नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनको तकलीफ क्या हो रही है, यह बताइये। अगर वह...

श्री अब्दुल अजीज : सदन के उप नेता अपराधी नहीं, वह व्यक्ति है जिन्होंने ये शब्द कहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर वह इतना सा कह दे तो उनको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्री सांवर लाल : नहीं, माननीय रामस्वरूप जी से भी करवा दें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उप नेता महोदय, आप अपने सदस्य को समझाइये कि...

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, जब अध्यक्ष जी यह कह रहे हैं कि मैंने व्यवस्था दे दी, सारा एक्सपंज कर दिया; कोई रिकार्ड पर नहीं आया है, तब उसके बाद में उस बात को समाप्त कर देना चाहिए। और अगर हमारी तरफ से ऐसा हुआ है; हमारे उप नेता महोदय ने माफी भी मांग ली, खेद प्रकट कर दिया है। आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। बात को बार-बार उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जिनको मैं नहीं बोल सकता। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 22-3-97 को कांग्रेस के कुछ सदस्यों को बिना किसी नियम, बिना किसी प्रक्रिया के सदन से निकाला गया था। उसमें नियम 292 का कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं नियमों का उल्लेख नहीं है।

यह सदन की परम्परा रही है जो 22-3-97 को स्थापित हुई, तब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री थे, आप माननीय विपक्ष के नेता थे, उस वक्त जिन कांग्रेस के सदस्यों को निकाला था, उस वक्त सिर्फ प्रस्ताव आया था। किसी नियम किसी प्रक्रिया के तहत नहीं आया था।

माननीय खेतसिंह जी जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, वह भी एक प्रस्ताव रखा है, 292 के तहत प्रस्ताव रखना जरूरी नहीं है। आप प्रोसिडिंग देख लें कि बिना किसी नियम, बिना किसी प्रक्रिया के वह प्रस्ताव था और उस मात्र प्रस्ताव पर पांच सदस्यों को सस्पैंड कर दिया गया था।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी कि मैंने सुना नहीं। सुना नहीं तो फिर इसे निकालोगे कैसे ? आपने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

ही व्यवस्था दी है। हमने देखा है, हंस रहे हैं और मूंछों पर ताव दे रहे हैं।

हमने देखा है, हमने सुना है अपने कानों से। और हर हालत में अगर ये बाहर नहीं जायेंगे तो मैं वाक आउट करूंगा। यह कोई सदन है या + + + है। जब मनाने से कुछ नहीं होता है अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सदन में चाहे जो टिप्पणियां करके सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला है और इतना ही बड़ा मन रखना चाहिए। निश्चित रूप से जो घृणित काम हुआ है, जो इन्दिरा जी के खिलाफ कहा है, वे देश की ही नहीं बल्कि इंटरनैशनल नेता थीं, उनके खिलाफ जो शब्द कहे हैं, बिलकुल घृणित किया है....

श्री अब्दुल मजीद : वह क्यों नहीं कहे जिन्होंने यह अपराध किया है। (व्यवधान) यह क्यों ऐंठ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपका नौकर हूं क्या जो मैं आपकी बात मानूं? आप मेरे हैड मास्टर हैं क्या? क्या बात करते हैं आप? मैं आपके कहने से बोलूंगा? (व्यवधान)

श्री अब्दुल मजीद : आप डबल रोल कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जगमाल जी को माफी मांग लेनी चाहिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : ....तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि घृणित काम, निदनीय, जितनी निंदा की जाये, उतनी कम है। अब यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि वह माफी मांगे। अगर उनमें जरा भी शऊर होता तो वह ऐसी बात कहते क्या? सदन में कोई कोमनसेंस का आदमी भी; मैं उस इंसान को नहीं मानता जो इन्दिरा जी के प्रति ऐसी बातें करता है। वह बिलो कोमनसेंस है। और बिलो कोमनसेंस का आदमी माफी मांग लेगा तो आप बड़े बन जाओगे? भगवान ने आपको बहुत बड़ा बहुमत दिया है।

इसलिए मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, उतना ही बड़ा मन आप लोगों को रखना चाहिए। जब उप नेता ने यह बात खड़े होकर कह दी कि मैं खेद व्यक्त करता हूं तो फांसी तो नहीं दी जाती गलतियों के लिऐ, क्षमा याचना ही की जाती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरी गुजारिश है, सत्ता पक्ष को जितना बड़ा बहुमत मिला, उतना ही बड़ा मन आपको रखना चाहिए वरना

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

ये लोग आरोप लगायेंगे कि सत्ता पक्ष बहुमत में था, मद में था, कौरवी सेना थी, इनका मकसद हल होगा। इनको ऐसा कोई मौका मत दो, ये खुद ही शर्मिन्दा हो जायेंगे प्रायश्चित के लिए। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि...

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय जगमाल सिंह जी ने बात कही है, उससे हम सहमत हैं लेकिन हमारी नेता स्वर्गीय इन्दिरा जी गांधी के खिलाफ एक शब्द भी हम सुनने को तैयार नहीं है चाहे हम बहुमत में हैं चाहे नहीं हैं। चाहे बहुमत में रहे या नहीं, हम उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ....एक मिनट, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव रख ही दिया है और उप नेता महोदय माफी मांग रहे हैं। इनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। (व्यवधान) इनके माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह गलत थी। इसलिए आप सदन की कार्यवाही चलाइये। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : इन्दिरा जी गांधी के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं हैं हम लोग, यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : बहुमत में हैं तो हैं। कभी उनके पास भी था। हम 80 आदमी 15 दिन तक चिल्लाते रहे, आपने पूरा बजट पास कर दिया और बहुमत था आपके पास। हमारे पास बहुमत है तो है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, हमारे यहां सांचौर मेले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इतना ही कहा था कि ...

श्री परसराम मोरदिया : गृह मंत्रीजी, उनको तो +++ भिजवा दीजिये। इन को तो +++ भिजवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अगर इतना शऊर नहीं है तो हम इनको कैसे बैठने देंगे? ये सदन में बैठने के लायक ही नहीं है तो फिर उनकी दूसरी व्यवस्था करो। करो व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : ... लेकिन उस नेता के प्रति कितना रोष था, वह मैं आपको बताता हूं। सांचौर के मेले में सन 1977 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक महोदय ने सिर्फ इतनी ही बात कही थी यह इन्दिरा गांधी तुम्हारी मां वापस कभी आ नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, पूरे मेले के अन्दर हंगामा हो गया

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

था और कम से कम दो सौ आदमियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने।

श्री अध्यक्ष : यहां पर सदन में क्या कहा गया है इस संबंध में वह सब एक्सपंज कर दिया गया और एक्सपंज करने के बाद में मैं समझता हूं, किसी ने भी कोई भी असंसदीय शब्द कहा है मैंने सभी को प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज कर दिया है..... (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : आपने सुना नहीं, हमने सुना है, उन बातों को सहन नहीं, कर सकते साहब, इस तरह से इन्होंने असंसदीय भाषा का उपयोग किया है। आप सुनें तो सही उनको।

श्री हीरालाल विश्नोई : यह सदन है अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : अब आप सांचौर की बात ला रहे हैं यहां पर, क्या कोई इसका ....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था। आपका आदेश शिरोधार्य है, आपने नहीं सुना; एक्सपंज कर दिया, जो कुछ हो गया; लेकिन जिस प्रकार से यह 33 व्यक्ति; यह माननीय सदस्य यह सर्वमाननीय सदस्य जो विहेव कर रहे हैं हाउस में, लगातार पिछले दिनों से, वह आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इनको एक ताड़ना दे दीजिये कि यह बर्दाश्तगी भविष्य में होना मुश्किल है।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह तो होना ही चाहिए धमकाने का काम।

श्री विक्रमेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हमने तो खेद व्यक्त कर दिया अध्यक्ष महोदय और जो रामस्वरूपजी ने..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। सदन की गरिमा अच्छी रहे सदन में अच्छे विषयों पर बहस हो, यह हम लोग भी चाहते हैं। कई बार इस सदन में उत्तेजना के क्षण आये हैं और अध्यक्ष महोदय, उत्तेजना के क्षण में हमेशा दल के नेता, उप नेता ने जो बात सदन में अपनी पूरी पार्टी की तरफ से रखी है उसको हमेशा आसन ने माना है।

अब अध्यक्ष महोदय, बार-बार कभी तो उप मुख्य सचेतकजी खड़े होकर बताते हैं कि नियम और प्रक्रियाएं कुछ नहीं थी, उस समय एक प्रस्ताव आया था और उसको निकाल दिया...

श्री महेश जोशी : मैं सही कह रहा हूं राजेन्द्र राठौड़जी, अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने प्रोसीडिंग्स पेश कर देता हूं।

श्रीमती बीना काक : बिलकुल करेंगे, इसमें क्या तकलीफ हो रही है आपको।

श्री महेश जोशी : मैं जो कह रहा हूं वह सत्यता के आधार पर कह रहा हूं और मैं अपनी व्यवस्था चाहता हूं इस बारे में कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आप व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने आठ साल तानाशाही की इसलिए कहना पड़ता है। टांगें तोड़ दी आपने लोगों की और हमारे कपड़े फाड़ दिये, आपने बाहर निकाला है हमें। बात करते हैं।

श्री हीरालाल बिश्नोई : इसी सदन में हमारे डंडे पड़े थे....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज अध्यक्ष महोदय, आपने कृपापूर्वक इस देश का जो मान और सम्मान बढ़ाया है....(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, आप जैसे दीर्घ अनुभवी के इस आसन पर बिराजमान होते हुए इस सदन में इस तरह की गलत परम्पराएं स्थापित की जा रही हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पूरा प्रदेश आज आपकी तरफ देख रहा है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन वैज्ञानिकों को आपने सर्वसम्मति से धन्यवाद देने की अनुमति यहां दी थी। सवाल इतना सा है अध्यक्ष महोदय कि कुछ संवैधानिक व्यवस्था है इस देश के अन्दर और संविधान से सब लोग....(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : कि आप जैसा अनुभवी व्यक्ति इस आसन पर बिराजमान है और आपकी उपस्थिति के अन्दर इस तरह से सदन के अन्दर गलत परम्पराएं....

श्री अध्यक्ष : ऐसे चर्चा नहीं होगी।

श्री जुगल काबरा : स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के अन्दर जो कोई भी गलत कार्यवाई हो रही है उसको रोकने के लिए आप अपनी तरफ से निर्देश दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह कहना कि माननीय सदस्य ने कुछ कह दिया और उनको बाहर निकाला जाय, अगर सत्ता पक्ष यह चाहता है कि बिना हमारे अगर आप यह बहस चलाना चाहते हैं, अपना बिजनस पास कराना चाहते हैं, इस तरह से सदन चलाना चाहते हैं तो सब का एक साथ प्रस्ताव ले आओ, एक साथ ही ले आओ... (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं है। पहले भी एक बार माननीय उपाध्यक्ष .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कह दिया कि यह 33 व्यक्ति, 33 माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : राजेन्द्रजी, सम्माननीय सदस्य, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, याद तो करो वो दिन; वो दिन भूल गये जब सब को बाहर, अस्सी आदमियों को बाहर निकाला था आपने;

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

पन्द्रह दिन तक + + + और आपने कार्यवाही चलाई .. (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : ... क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने जगदीप धनखड़ को सीट पर बैठे हुए को सात दिन के लिए निकाला था जबकि वह आये भी नहीं थे और बोले भी नहीं थे मुंह से। आपका बयान यह था, आप क्या बोलेंगे.... (व्यवधान) कोई नहीं, मैं जगदीप धनखड़ की बात कह रहा हूं जिसको आपने सीट पर बैठे हुए को सात दिन के लिए निकाला। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके कारनामे तो ऐसे हैं कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इसी सदन में आपने जो मर्यादा बनाई है उसी की मैं बात कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उस वक्त तो यह किताबें भी सब अन्दर रखी जाती थीं..

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज से दो साल पहले की बात है। यह आपने किया। तभी यह आपको 33 सीटें मिली हैं, थर्टी थ्री सीट्स.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने इसी सदन के अन्दर जब हम बिजली की मांग उठा रहे थे मेरी टांग को तोड़ा था...

श्री शैलेन्द्र जोशी : तीन महीने के लिए ...

श्री रामस्वरूप मीणा : और अब यह बातें कर रहे हैं, हमको निकाला इन लोगों ने .. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य जुबेर खान को और जगदीप धनखड़ को, उनको कुर्सी पर बैठे हुए को, सीट पर बैठे हुए को आपने तीन-तीन महीने के लिए सदन से निकाला। आपको शर्म आनी चाहिए आपके व्यवहार के लिए। और आज आप बातें करते हैं हैल्दी ट्रेडिशन की, हैल्दी नोर्म्स की .. (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आप इस आसन पर बिराजमान हैं और आपको सदन के....

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस पर कई बार निर्णय कर दिया, अब काहे की बहस कर रहे हैं फिर आप। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसका निर्णय कर दिया, बात आई-गई हो गई। अब बार-बार में क्या चर्चा कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सीनियर मोस्ट

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैम्बर्स में से होने का सौभाग्य प्राप्त है श्रीमन् । आप बहुत लम्बे अरसे तक....

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : नहीं-नहीं, जब एक बार निर्णय दे दिया, दो बार दे दिया, What more do you want then ? अब हो गया न निर्णय तो । मजाक बना रखी है आप लोगों ने ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे । अध्यक्ष महोदय, कृपया आप मुझे गलत न समझें, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपकी सहृदयता का विपक्ष बहुत नाजायज लाभ उठा रहा है । आपकी सहृदयता का यह बहुत नाजायज लाभ उठा रहे हैं । मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है....

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : यह आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : करबद्ध अनुरोध है आपसे मेरा, आप इनके ऊपर अंकुश रखें, अन्यथा सदन की व्यवस्था इस प्रकार से तो नहीं चलेगी ।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : हम कोई नाजायज लाभ नहीं उठा रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे क्षमा करेंगे अगर मैंने कोई शब्द ऐसा कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे । सदन के आप अध्यक्ष हैं । अध्यक्ष के साथ-साथ आपको बहुत लम्बा अनुभव है, हर प्रकार का अनुभव है, आपको लीडर आफ अपोजीशन का अनुभव है, मंत्री मण्डल के आप वरिष्ठ सदस्यों में रहे हैं ।

लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, एक संग; कोई बात कहते हैं, छह-छह आदमी खड़े हो जाते हैं, न तो कोई डिबेट करना चाहते हैं, न किसी की बात सुनना चाहते हैं, सिर्फ हल्ला मचा करके दूसरे की सही बात को सुनना नहीं चाहते, यह इनका एक मात्र ध्येय रह गया है ।

अध्यक्ष महोदय, इस पर आप ध्यान देंगे । यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है श्रीमन् ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ कहा है तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने खेद व्यक्त कर दिया और रामस्वरूपजी ने कुछ कहा उसके लिए खेद व्यक्त नहीं कर सकते । उसके लिए भी आप खेद व्यक्त करो ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं । वह कह रहे हैं कि मैंने कहा ही नहीं ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जब+++ कह दिया, प्रधानमंत्री को +++ कहते हैं....

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्रधानमंत्री तो सब के लिए प्रधानमंत्री हैं, खाली हमारे लिए ही तो प्रधानमंत्री नहीं हैं.. (व्यवधान) तो आप क्या कहते हैं। आप उठ कर खेद व्यक्त कर सकते हैं। हमने इतना विशाल हृदय रख कर खेद व्यक्त कर लिया तो आपको क्या तकलीफ हो रही है..

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ इन्होंने कहा ही नहीं है, इन्होंने तो कहा है कि +++ ..(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने तो यहां तक कह दिया कि तैंतीस आये हैं, यह भी नहीं आने चाहिए थे, जब आप बोल रहे थे...

श्री शैलेन्द्र जोशी : कहा ही नहीं है इन्होंने।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ..कि साहब यह तैंतीस भी क्यों आये। यह भी आपको खराब लगता है।

एक माननीय सदस्य : जब कहा ही नहीं है तो आप जबरन कहलवा रहे हैं क्या....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा। यह खुद कह रहे हैं, पूछ लो इनसे, पूछो इनसे।

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ वह इन्होंने गलत काम किया था; मैंने यह निवेदन किया था।

एक माननीय सदस्य : माननीय नागर साहब, आपने कुछ सुना हो तो बताइये..(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सदाशयता का दोनों ओर के माननीय सदस्य ही गलत फायदा उठा रहे हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इधर भी और उधर भी दोनों तरफ ही नियंत्रण करें।

श्री जगत सिंह दायमा : और इसलिए तीसरी शक्ति से आप अगर पूछेंगे तो वह सही बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : सही राय हम देंगे, बाकी यह नहीं देंगे दोनों।..(व्यवधान) हां, हम बता सकते हैं इसको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर।

श्री जगत सिंह दायमा : देखो; न्याय तीसरी शक्ति दे सकती है।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस सदन की गरिमा है, प्रतिष्ठा है, हमारी परम्परा है, उनका अनुपालन प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत कोई बात कहना चाहते हैं, लेकिन मैं यह निश्चित तौर पर देख रहा हूं कि हाउस में जिस तरह की उत्तेजना पैदा हो रही है, उससे सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चलाई नहीं जा सकती।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, दोनों ओर के बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों और पूरे सदन से मेरा अनुरोध है कि सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाये रखें और भविष्य में कोई भी माननीय सदस्य इस तरह की आलोचना नहीं करे जो इस सदन की गरिमा को क्षति पहुंचाती हो। क्योंकि यह उत्तेजना में जो कुछ भी हुआ अभी, इस मामले को यहीं समाप्त किया जाना चाहिए और भविष्य में आप इस बात को ध्यान में रखें कि हम सदन में जानबूझ करके किसी प्रकार की उत्तेजना पैदा न करें। मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह प्रधान मंत्री के तत्वावधान में जो उपलब्धि हुई है उसका क्या हुआ। यह तो जानकर के डाइल्यूट किया है यह मामला...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो मामला डाइवर्ट किया है...

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिकों को बधाई देने की बात थी ..(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वह मोशन का क्या हुआ, उस मोशन का क्या हुआ..

श्री जगत सिंह दायमा : हमने विचार अपने रखे ही नहीं..(व्यवधान) नहीं-नहीं, ऐसे कैसे हो गया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो बात यहां डाइवर्ट कर दी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमने अपने विचार कहां रखे ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़वा दें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्रधानमंत्री जी के तत्वावधान में हुआ है, इसके लिये आप क्या कहते हैं, रूलिंग दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय ने मुझसे मेरे कक्ष में बात की और उसके अनुसरण में मैंने चीफ व्हिप महोदय को बुलाकर के एक प्रस्ताव सदन में रखा। और आपने कहा कि सर्व सम्मति से करेंगे, यह भी बात कही थी आपने। प्रस्ताव आ गया है और सदन का अभिमत मुझे दिख रहा है कि इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया जाये। अब इसको संशोधन वगैरह की बात करके विवादास्पद नहीं बनाना चाहिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं वाक आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री श्रीचन्द कृपलानी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आप बाइए, बाहर जाइए। प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह भी कोई पार्टी है, यह कोई डिसिप्लिन है ?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, जब पार्टी है वैसी है। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 13 अन्य विधान सभा सदस्यों की ओर से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले ट्रकों से भरवाये जाने वाले 18-ए एवं 18-सी बिक्री कर फार्म उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से बटरू नगर के पास स्थित पार्वती पिक-अप-वियर में मिट्टी का भराव होने से नहरों में पानी नहीं आने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रघुवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में प्रजापति समाज के लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चिकनी मिट्टी पूर्ववत जोहड़ों से प्राप्त करने देने के संबंध में।

(3) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में अकाल की स्थिति होने तथा इससे निपटने के लिये अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव मंगलवाड़ पंचायत समिति डूंगला में बनाये गये ओवर हैड टैंक में घटिया सामग्री का उपयोग करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जीतमल खांट, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पुलिस के तीन वर्गों-सिविल, सी.आई.डी. (आई.बी.) व ए.पी. के अधीनस्थ कर्मचारियों का पद-स्थापना किये जाने के संबंध में।

(6) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिवगंज तहसील के कैलाश नगर में विद्युत मण्डल का कनिष्ठ अभियंता कार्यालय खोलने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कों को निर्मित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

(8) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जलदाय विभाग में कथित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में ।

(9) श्री रामसिंह कस्वां, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में जाटों को आरक्षण प्रदान करने के संबंध में ।

(10) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मांगरोल से बारां जिला मुख्यालय रोड के सिंगल रोड होने से जनता को हो रही परेशानी के संबध में।

(11) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भूमि आवंटन करने के संबंध में ।

(12) सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेड़ी को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

श्री मदन दिलावर ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया और मैं डेली आपसे निवेदन करता रहा हूं लेकिन गृह मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय की तरफ से आज तक एक महीने में भी जवाब नहीं आया । यह क्या व्यवस्था हुई ? अगर कहीं सदन 10 दिन चले और 23-23, 25-25 दिन से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब आने लगे तो फिर कैसे सदन चलेगा, माननीय सदस्यों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे ?

इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सदन में होम मिनिस्टर और इण्डस्ट्री मिनिस्टर को निर्देश दें । 23 तारीख से आज 25 दिन हो गये, उनके जवाब नहीं आ रहे हैं । मैं रोज आपसे चैम्बर में निवेदन करता हूं । जब भी उठाता हूं तो आप मुझे निर्देश देते हैं कि चैम्बर में मिल लेना । मैं चैम्बर में मिलता हूं तो मंत्री जी कह देते हैं कल जवाब आ जायेगा । यहां तक कि पुलिस विभाग ने यह लिखकर दे दिया कि 8 तारीख तक हर हालत में जवाब पेश कर देंगे । विधान सभा में पुलिस मुख्यालय ने जो लिख कर दे दिया उसकी भी कोई सेंक्टिटी नहीं है । फिर कैसे होगा मेजोर ?

श्री अध्यक्ष : अभी जानकारी प्राप्त हुई है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, शासन पैरों पर है और इस तरह से माननीय सदस्य जा रहे हैं, यह सदन की गरिमा रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में, ध्यानाकर्षण प्रश्न के संबंध में गृह विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है या नहीं हुई, मैं मालूम कर लूंगा। आप मुझसे अभी मिल लें, मुझे मालूम नहीं कि जानकारी प्राप्त हो गई कि नहीं हुई।

श्री जगमाल सिंह यादव : पुलिस महानिदेशक ने लिख दिया कि 8 तारीख तक हर हालत में जवाब दे देंगे, जो आपके रिकार्ड पर है। उद्योग सचिव ने लिखकर दिया कि 8 तारीख तक जवाब भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष : आई है, यह कह रहे हैं, मेरे सचिवालय में कह रहे हैं कि आज आ गई है, अभी आई है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने गृह विभाग से संबंधित एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें अदालत का मालखाना लूटा है, एक व्यक्ति जेल से फरार हो गया, भाग गया। उसने बेवली के पैट्रोल पम्प पर डकैती की थी, लूटा था और इस पर आपने व्यवस्था दी थी कि गृह मंत्री जी उस पर स्टेटमेंट देंगे।

श्री अध्यक्ष : उसकी भी सूचना आ गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपके विचाराधीन था। आपने मुझे यह निर्देश दिया कि मैं अध्यक्ष के निर्देश 5 के तहत इस मामले को उठाऊं।

अध्यक्ष महोदय; आपके निर्देशानुसार मैं, अध्यक्ष महोदय; मैं चाह रहा था उसमें जो व्यवस्था है वह हो जावे, सरकार की तरफ से जवाब आ जावे।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में आसन की अनुमति के बिना आप इस मामले को यहां नहीं उठा सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं उसको नहीं उठा रहा, आपने मुझे निर्देश दिये थे कि मैं अध्यक्षों द्वारा जारी निर्देश संख्या 5 के तहत उस मामले को लेकर आऊं। मैं निर्देश संख्या 5 के तहत..

श्री अध्यक्ष : आ गया, देख लेंगे उसमें। आप मुझसे चैम्बर में मिल लीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आवास–विकास संस्थान का ध्यानाकर्षण और है।

श्री अध्यक्ष : आप सदन के अंदर ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में पूछते रहेंगे यह परम्परा कभी भी यहां नहीं रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, 6 दिन हो गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह गलत परम्परा पड़ रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सदन में आपसे जानकारी मांगी जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अटरू नगर के पास पार्वती पिक-अप-वियर में मिट्टी का भराव

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, अटरू नगर के पास स्थित पार्वती पिक-अप-वियर का मिट्टी से काफी भरत हो गया तथा पिक–अप–वियर जगह-जगह से टूट चुका है। इस कारण अधिक समय तक नहरों में पानी नहीं चलता इस कारण हजारों बीघा असिंचित रह जाती है।

पिक-अप-वियर से निकलने वाली नहर व वितरिकाएं भी इतनी जर्जर हैं, कभी उनकी मरम्मत नहीं होती है। इस नहर पिपलोद, पटलाज, मोतीपुरा, अस्या देवजी, बहादुरगंज, डाबडिया, होकड लोहरिया, छीतरी, नारेडा पाठेडा, सम्बलपुर, करच–हेडा, बामनहेडा, घीसरी, जालेडा, फतेहपुर सहित अनेकों गांव प्रभावित होते हैं। परन्तु विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों

(13.30 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ने एक लघु योजना बनाकर विभाग के पास भिजवायी थी परन्तु धनाभाव बताकर उसे वापस लौटा दिया। मैं चाहता हूं कि सिंचाई विभाग द्वारा बनायी गयी योजनानुसार पानी के भण्डारण हेतु जो प्रस्ताव सिंचाई विभाग के नीचे के अधिकारियों के पास है, उसे मंगवा कर स्वीकृति दी जावे ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य को शीघ्र अनुमति प्रदान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के प्रजापति समाज के लोगों को बर्तन बनाने हेतु जोहड़ों की चिकनी मिट्टी उपलब्ध करवाना

श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : महोदय, निवेदन है कि कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश भूमि बालू मिट्टी की है, बर्तन बनाने योग्य चिकनी मिट्टी केवल कुछ स्थलों तथा जोहड़ों में है। लेकिन इन स्थानों पर कुछ समय से कतिपय बाहुबलियों द्वारा प्रशासनिक मिलीभगत से कब्जा कर लिया गया है तथा अब उनमें नियमन की भी तैयारी है। प्रजापति समाज अपने कारोबार के लिए बर्तन बनाने हेतु केवल उन्हीं स्थानों पर अवलम्बित हैं।

लेकिन अब इन स्थानों पर उन्हें मिट्टी लेने से रोका जा रहा है जिससे उनके सामने पेट पालने की समस्या आ गयी है। यदि उन स्थानों का नियमन हो गया तो बर्तन बनाने के लिए प्रजापति समाज को मिट्टी नहीं मिल पायेगी। उससे वे बेरोजगार हो जावेंगे। एक लम्बे अर्से से इन जोहड़ों से वे मिट्टी लेते रहे हैं, अब मिट्टी न मिल पाने से समाज में असंतोष है इसलिए इस गरीब, कमजोर

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

वर्ग को सहारा देने के लिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि निम्न बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही की जाय:—

(1) जोहड़ों का आवंटन व्यक्तिगत न होकर प्रजापति समाज को केवल मिट्टी लेने हेतु ही किया जाय।

(2) जोहड़ों के किनारों पर कोई आवासीय मकान अथवा पक्की रचना न बनायी जाय जिससे जोहड़ में पानी की आवक न रुके।

(3) मिट्टी प्राप्त करने के मुख्य स्थान हैं:- (1) सराबा जोहड़ (2) पोलिया जोहड़ (3) मोलाहेड़ा का जोहड़ (4) मालेरा जोहड़ पाथरेड़ी (5) कुंभ (खारड़ा) नई जेल के पास (6) नारहेड़ा चिमनपुरा रोड पर बंजर भूमि (7) सोता के किनारे तन गोनेड़ा।

इन सब का आवंटन प्रजापति समाज को किया जाय तथा अन्य अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्य शुरू करवाना

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन 1998 में वर्षा इतनी असमान हुई कि जिसके कारण बाड़मेर जिले के करीब-करीब समस्त ग्राम प्रभावग्रस्त हैं। फसल तो कहीं–कहीं नाम मात्र को पैदा हुई जिस पर किसान को बार–बार बुआई में पैदावार की रकम से अधिक व्यय करना पड़ा।

आज बाड़मेर में खरीफ की पैदावार नहीं होने से इतनी भयंकर स्थिति है कि लोगों के लिए मजदूरी नाम की कोई बात नहीं। सभी गरीब मजदूर इस नयी सरकार के समक्ष आशा लगाये हुए हैं। पूर्व में भी बाड़मेर में अकाल पड़ा। उस समय माननीय अध्यक्ष अकाल राहत मंत्री थे, उस समय अप्रेल के महीने में करीब एक लाख से अधिक मजदूरों को मजदूरी दी गयी थी लेकिन मुझे दुःख है कि आज हजारों मजदूर बेरोजगार बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत भी हर ग्राम से 25 और 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर भी जिला कलक्टर से कार्यों की मांग की लेकिन अभी तक सुनिश्चित रोजगार योजना में एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। चारे की व्यवस्था कई ग्रामों में नहीं है। नलों में पानी कई जगह तो महीने में एक या दो बार ही आ रहा है। इन सभी समस्याओं से जनता में भारी असंतोष है। वाणिज्य बैंक, एस.बी.ओ. मार्फत अंधाधुन्ध

(श्री अमराराम चौधरी)

कुड़कियों के जरिए ऋण वसूल कर रहे हैं। अकाल के कारण बाड़मेर जिले की ग्रामीण जनता की स्थिति अत्यन्त गम्भीर और चिन्ताजनक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही युद्ध स्तर पर बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों को प्रारम्भ कर गरीब बेरोजगार और अकाल से पीड़ितों को कार्य दिलावें ताकि वे अपना जीवन-यापन कर सकें।

अन्त में, मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

स्थानों को मिलते हिरण यहां,
यहां भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
बिना कार्य इस अकाल में,
रोटी के लिए बिलखते हैं।
धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मंगलवाड़ में बनाये गये ओवर हैड टैंक में घटिया निर्माण सामग्री

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : प्रक्रिया कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, बड़ी सादड़ी विधान सभा के गांव मंगलवाड़ पंचायत समिति डूंगला पीने के पानी से वंचित रहने वाला गांव रहा, कई प्रकार की व्यवस्था की फिर भी पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाये। गांव में नल योजना लम्बे समय से स्वीकृत एवं कार्यरत भी है लेकिन अधिकांश गली मोहल्लों में पानी पूरे दबाव से नहीं आता जिससे आये दिन जनता आंदोलित होती रही। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व 20 लाख रुपया स्वीकृत कर एवं ओवर हैड टैंक बनाने की स्वीकृति दी। कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ। जब निर्माण हो रहा था तो स्थानीय जनता ने टंकी में घटिया सामग्री की शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों को की लेकिन इससे ठेकेदार ने काम में विलम्ब करना प्रारम्भ कर दिया जिससे जनता ने दुखी होकर शिकायत करना ही बन्द कर दिया।

लेकिन जब टंकी बनाकर टैस्ट किया तो पानी भारी मात्रा में लिकेज होने लगा इसमे पूरी टंकी अभी तक कभी भरी ही नहीं गयी। मेरे विचार से यदि पूरी टंकी पानी से कभी भरी गयी तो टंकी जमीन पर गिरने का भय व्याप्त है इससे राज्य सरकार का 20 लाख रुपयों का अपव्यय तो होगा ही साथ ही गांव के लोगों को पानी की दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा।

अतः इस घटिया निर्माण पर तुरन्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कार्यवाही कर संबंधित अधिकारियों से राशि वसूल करें एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल(खांटोटोरा) अनुपस्थित।

(श्री संयम लोढ़ा)

शिवगंज तहसील के कैलाश नगर में विद्युत मण्डल का कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलना

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मैं निम्नांकित महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र की शिवगंज तहसील में विद्युत विभाग सहायक अभियंता का कार्यालय है। पोसालिया व पालड़ी (एम)में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय है। शिवगंज तहसील से कैलाश नगर सैक्टर के डेढ़ दर्जन गांवों के नागरिकों को अपने बिजली सम्बन्धित कार्य के लिए पचास किलोमीटर दूर पालड़ी (एम) जाना पड़ता है। कैलाश नगर शिवगंज तहसील का सबसे बड़ा गांव है। उपभोक्ताओं की संख्या भी देखें तो शिवगंज सहायक अभियंता कार्यालय पर अत्यधिक कार्य भार है। मेरा आपसे आग्रह है कि कैलाश नगर में कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) का कार्यालय सृजित करने का कष्ट करें जिससे उस क्षेत्र के किसानों को सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकतर भाग पहाड़ी है। आवागमन के साधन नहीं हैं ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जो सड़कें स्वीकृत की गयी थीं, उनकी जांच करने से पता लगेगा कि वह सारा रुपया विकास के काम में नहीं आया। मैं मेरे क्षेत्र के लिये निम्नलिखित सड़कों का प्रस्ताव पेश करता हूं जो कि अत्यन्त आवश्यक है:-

1. टोडा से चांदोली सड़क (6 किलोमीटर)
2. दलपतपुरा से हरियाणा बार्डर (6 किलोमीटर)
3. इसामपुर से बोरया (3 किलोमीटर)
4. रामपुर जोगीर से खापड़ा खुर्द वाया भवानीपुरा (4 किलोमीटर)
5. नयावास से सरा, झुंझुनू (3 किलोमीटर)
6. टटेरा से खापड़ा कलां(3 किलोमीटर)

(श्री मोहन लाल मोदी)

7. सिरोही से झुंझुनूं जिला तक (3 किलोमीटर)

8. कावरदा से हुसामपुर (4 किलोमीटर)

9. रायपुर जोगीर से पथिलपुर पंचायत हैड-क्वार्टर (6 किलोमीटर)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर द्वारा ग्राम पंचायत हैड-क्वार्टरों की ग्रेवल सड़कें बनायी गयी हैं उनका डामरीकरण कराया जावे। आपके द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शीघ्र उपरोक्त सड़कों की स्वीकृति जारी करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

जलदाय विभाग, अजमेर में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अंतर्गत सरकार का ध्यान अजमेर जलदाय विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की ओर आकर्षित कर पारदर्शी कहलाने वाली सरकार से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि सदन का सम्पूर्ण कार्य स्थगित कर इस लोक महत्व एवं शासन को सूचित एवं पारदर्शिता का दावा करने वाला शासन कृपया जवाब दे कि 786 वें उर्स के दौरान उत्पादन वितरण खण्ड, अजमेर ने करीब 3.5 करोड़ रुपये के बजट व्यय का उपयोग बीसलपुर में जल व्यवस्था प्रसारण में करने के बजाय जे.पी. नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, पंचशील व चन्द्रवरदायी नगर में पाइप लाइन डालने हेतु बजट का उपयोग किया।

पाइप लाइन डालने में प्लास्टिक पी. वी.सी. का घटिया स्तर का पाइप एलबो की तथा गेस किट्स, सभी नॉन आई. एस. आई. के लगाये गये। इस कारण यह पाइप आगे चलकर; जब यह कालोनियां बस जायेंगी, तब प्रेशर सह न पाने के कारण घटिया स्तर की होने के कारण ध्वस्त हो जायेंगी और नागरिकों में वहां जान-माल का खतरा है। वहीं जल पाइप में बाधा पड़ने से नागरिक काफी परेशान होंगे।

पाइप लाइन डालने का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा घोषित बी.एस.आर. दर से बहुत ऊंची दरों पर अनरजिस्टर्ड/बिना लाइसेंस युक्त नौसिखियों से डलवायी गई। फलस्वरूप उक्त लाइन की उपयोगिता संशय में है। ठेकेदारों द्वारा दिये गये बिल में वर्णनानुसार कार्य का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया तथा आधे-अधूरे कार्यों में करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया।

जानकारी अनुसार पाइप-लाइन डालने में खुदाई भी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है फिर भी गारंटी अवधि में

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

खत्म होने से पहले निक्षेप राशि भी ठेकेदारों को लौटा दी गयी।

पृथ्वीराज नगर, झालरा, इन्द्रमोर आस-पास तारागढ़ में प्रेशर भी चैक नहीं किया गया है। 786वें उर्स में उक्त विभाग ने जीप किराया 450 से 800 रुपये तक डीजल रहित भुगतान किया गया है जबकि सरकारी बाजार दर 325 रुपये थी। इस तरह लाखों रुपये से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।

यही नहीं, जे.पी. नगर, चन्दरवरदायी नगर, पंचशील हेतु 40 लाख रुपये नगर सुधार न्यास ने पाइप लाइन बिछाने हेतु जलदाय विभाग को फरवरी, 99 में जमा कराये। एक ओर उक्त योजना में 786वें उर्स के दौरान पाइप बिछाये तो दूसरी ओर पुनः उन्हीं योजनाओं के लिये 40 लाख में पाइप खरीदने के आदेश जलदाय विभाग ने बिना आवश्यकता के दे दिये हैं जो कि अब फालतू पड़े रहेंगे। इस तरह ऐसी क्षति तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता, उत्पादन एवं वितरण खण्ड ने पहुंचायी है।

मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सम्पूर्ण कार्यकाल में किये गये कार्यों की विस्तृत जांच कराई जाये तथा की गयी अनियमितताएं व भ्रष्टाचार की गम्भीरता को देखते हुए ऐसे अधिकारियों को कठोर रूप से दण्डित किया जाये। जांच की स्वच्छता हेतु ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलम्बित कर कार्यवाही की जाये।

एक तरफ अजमेर जिले में पेयजल सप्लाई 48 से 72 घण्टे के अन्तराल में 1/2 घण्टे हो रही है। जनता में अभी से ही पेयजल सप्लाई हेतु त्राहि-त्राहि मची हुई है तो दूसरी ओर सांवला स्कीम जहां से पूरे जिले का पेयजल सप्लाई होता था, जो कि करोड़ों की लागत से बनी हुई थी, अधिकारियों ने मिली भगत कर जनता के साथ भारी खिलवाड़ कर उस स्कीम को बंद कर दिया तथा वहां बिछी पाइप लाइन उखड़वाने में ही 7 लाख रुपये खर्च कर दिये।

अब चम्बल से पानी लाने की बात कही जा रही है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि बनी हुई स्कीमें तो सरकार उखाड़ रही है, करोड़ों रुपये की होली कर रही है और फिर चम्बल से पानी लाने की क्या मन में आयी क्या बनी स्कीमें उजाड़ कर नयी स्कीमों के रख-रखाव देखकर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ की स्कीमों के नाम से शासन तंत्र मिलकर अरबों रुपये डकारना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सांवला जल योजना क्यों बन्द की गयी, जवाबदेही तय की जाये। करोड़ों रुपये की हानि अधिकारियों के वेतन से वसूली जाये तथा पुनः ऐसी स्कीमें, बावड़ीयां जो सरकार ने बन्द की हैं अजमेर का डिग्गी तालाब, बावड़ीयां इत्यादि साफ कराकर जनता की प्यास बुझाने के लिये शुरू की जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह कस्वां ।

राजस्थान में जाटों को आरक्षण

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि जाटों को आरक्षण का हक मिले, सामाजिक न्याय मिले, इसके लिये सम्पूर्ण जाट समाज काफी समय से संघर्षरत है।

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने विभिन्न अदालतों, अन्य राज्यों के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्टों, जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, प्रशासकों एवं शिक्षा शास्त्रियों से चर्चा कर राज्य की सामाजिक राजनैतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को जांचने के जो मानदण्ड निर्धारित किये हैं, जाट जाति उन्हें शत–प्रतिशत पूरा करती है। अन्य पिछड़ी जातियों में सम्मिलित होने का उसका न्यायोचित हक है।

जाट जाति की समकक्ष जातियां, जैसे अहीर, यादव, माली, गूजर, खाती, कुम्हार आदि को राज्य सरकार ने पिछड़ी जातियां घोषित करके उन्हें सभी आरक्षण की सुविधाएं प्रदान कर दी हैं।

यह विडम्बना ही है कि अन्नदाता जाट जो राजशाही जमाने में जागीरदारी प्रथा से ग्रस्त, दलित, प्रताड़ित होकर भीषण शोषण एवं जुल्म का शिकार हुआ, जिसने अशिक्षित, उपेक्षित, शोषित, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होते हुए भी अपनी अस्मिता की रक्षा के लिये सितम सहे, गोलियां खाईं, लाठियां झेलीं, कुर्बानियां दीं, आश्चर्य है कि आजादी के बाद भी अपनी शहादत के बदले जाटों को न राज से न्याय मिला न शासन से।

आज प्रशासन के गलियारों में जाट जाति बेसहारा है, न्याय से वंचित है। आरक्षण के मुद्दे पर जाटों के मन में दर्द है। समाज के अभिजात्य वर्ग, सम्पन्न शहरी उच्च शिक्षा प्राप्त तबकों से गांव का गरीब जाट का बेटा कैसे मुकाबला कर सकता है। जाट के हम साया साथ बसर करने वाली अन्य खेतीहर जातियां भी, अब उससे अलगाव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि उन्हें आरक्षण की सुविधा मिल गई है जिसके चलते उनमें बदलाव आ गया है, आ रहा है।

'अगड़े' जाट को कभी अपने बराबर मानते नहीं थे, उसे पिछड़ा ही समझते थे, हेय दृष्टि से देखते थे। आज विडम्बना है कि वह पिछड़ों से भी पिछड़ा हो गया है। राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर के जाट पिछड़े अधिसूचित थे।

राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र 1993 व 1998 में स्पष्ट अंकित किया कि जाट, बिश्नोई, मेव आदि पिछड़ी जातियों को भी अन्य पिछड़ी जातियों के समकक्ष दर्जा दिया जाकर आरक्षण सुविधा प्रदान की जावेगी। जाटों ने कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा-पत्र को सत्य मानकर चुनावों में प्रबल समर्थन दिया जिसके कारण आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है।

(श्री रामसिंह कस्वां)

लेकिन बड़े दुःख की बात है कि सदन में बार–बार चर्चा होने पर भी सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है, न ही कोई सार्थक पहल की गई है जब कि सदन जाटों को आरक्षण देने के पक्ष में है। राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष जाट समाज ने अपना पक्ष काफी समय से रखा हुआ है। सभी आवश्यक सबूत पेश किये जा चुके हैं लेकिन आज दिन तक मामला लम्बित ही है। कोई नतीजा नहीं निकला है। मुख्य मंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिये गये हैं। जाटों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी हुई है। इन सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मेरा राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि जाटों को तुरन्त आरक्षण का लाभ देकर इस देशहित को समर्पित जाति को न्याय प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

मांगरोल से बारां तक सड़क को चौड़ा करवाना

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मांगरोल से बारां जिला मुख्यालय का सिंगल रोड होने से हो रही समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मांगरोल से जिला मुख्यालय बारां रोड की लम्बाई 26 किलोमीटर है। यह रोड स्टेट हाइवे नम्बर 19 के अन्तर्गत आता है परन्तु मांगरोल से बारां तक सिंगल रोड होने के कारण आने–जाने वाले वाहनों के संचालन में परेशानी होती है। वहीं बरसात के दिनों में किचड़ में कई वाहन फंस जाने के कारण रास्ता कई घण्टों तक बन्द रहता है जिससे आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त सड़क को यदि विभाग द्वारा चौड़ा करवा दिया जाता है तो यात्रियों को सुविधा होगी।

अतः जनहित व यात्रियों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मांगरोल से बारां जिला मुख्यालय की सड़क को चौड़ा करवाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भूमि आवंटन

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भूमि आवंटन की योजना राजस्थान में चालू की गई थी। इसके अन्तर्गत कई खिलाड़ियों को भूमि आवंटन कर दी गई

(श्री शिवनाथ सिंह)

है। राज्यादेश क्रमांक प.3/149/राज्य/उप/77, दिनांक 27-7-1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार का आवंटन किया जाता रहा है लेकिन अभी भी कुछ खिलाड़ी इस सुविधा से वंचित हैं। राजकुमार अहलावत, रामनिवास, राजेन्द्र आदि कई ऐसे अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिनको भूमि आवंटन कभी की हो जानी चाहिए थी।

अतः राजस्व मंत्री तथा सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इन वंचित खिलाड़ियों को भूमि आवंटन की कार्यवाही जल्द की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

चांदखेड़ी जैन तीर्थ स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करना

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेड़ी को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहती हूं।

महोदय, मैं नियम 295 के तहत पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि भारत में जितने लोग भ्रमण करते हैं उनमें से अधिकांश लोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए भ्रमण करते हैं और धार्मिक स्थलों के साथ-साथ अन्य पर्यटक स्थलों को देखने आते हैं।

अतः पर्यटन विभाग को विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देशी धार्मिक पर्यटकों का भी ध्यान रखना चाहिए और उनकी आवश्यकतानुसार क्षेत्र विकसित करने चाहिए।

इस क्रम में मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेड़ी, जहां पर भारत प्रसिद्ध जैन अतिशय क्षेत्र है, की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसके दर्शन हेतु लाखों जैन धर्मावलम्बी ही नहीं अपितु अन्य हिंदू समाज के लोग भी प्रतिवर्ष आते जाते हैं। और वहां पर सड़कों आदि की दुर्दशा को देखकर बहुत दुःखी होते हैं।

चांदखेड़ी पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग जयपुर-कोटा-इन्दौर मार्ग पर झालावाड़ से 35 किलोमीटर आगे से चांदखेड़ी की तरफ जाता है। इस सड़क की बहुत दुर्दशा है। चूंकि यह सड़क अधिकांश पहाड़ी और नालों वाली है, अतः वर्ष पर्यन्त यह सड़क क्षतिग्रस्त रहती है। इस सड़क को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए विशेष प्रावधान कर ठीक करायी जाए। दूसरा मार्ग, बारां से चांदखेड़ी का है। यह रास्ता भी बरसात में बन्द सा हो जाता है। इस ओर मंदिर के पास एक नाला है, जिस पर पुल नहीं होने के कारण इस तरफ का मंदिर का गेट जो पूर्व दिशा में खुलता है, 125 वर्षों से बंद है। पिछली सरकार का अनेक बार ध्यानाकर्षण करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(कु. मीनाक्षी चन्द्रावत)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी यहां पूर्व में पधारे थे, और उन्होंने उस समय यह कहा था कि पुल बन जाने और यह गेट खुलने पर यहां पर अवश्य आएंगे, ऐसी उनकी भावना है।

जैन समाज भूमि उपलब्ध कराने पर यहां पर विशाल प्राकृतिक चिकित्सालय का निर्माण कराने को भी तैयार है। उसे यह जमीन भी उपलब्ध करानी चाहिए।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि यहां की सम्पर्क सड़कों का निर्माण, कस्बे में नालियों का निर्माण व अन्य पर्यटन सुविधाएं जुटायी जाएं और चांदखेड़ी को पर्यटक स्थल घोषित कर इसी बजट में विशेष प्रावधान किये जाएं। मैं उम्मीद करती हूं कि मंत्री महोदया इस ओर उचित ध्यान देंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य में विभिन्न विद्यालयों में बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के पर्चे आउट होने की घटनाएं

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वास्तव में इस विषय के बारे में बोलते हुए स्वयं को भी मन में इतना दुःख और संकोच हो रहा है कि इस सदन में हम बच्चों की परीक्षाओं को लेकर कितनी बार, कितनी बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से सारी जितनी तैयारियां की जा सकती हैं, उन सबकी घोषणाएं बराबर होती रही है।

मैं सोचता हूं, कि यह पचास वर्ष में पहली बार हुआ कि किसी सदन में बच्चों की परीक्षा के बारे में, पेपर आउट होने के बारे में इतनी लम्बी चर्चा की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पता नहीं, यह विभाग सिन्सियर नहीं है या....

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्टेटमैंट दे देता हूं। यह जो बात कह रहे हैं, उसके बारे में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले बोलने दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मैं आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : पहले बोलने दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह जब मैं स्टेटमैंट दे रहा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस पर....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं, स्टेटमैंट तो हमने आपसे....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक स्कूल का मामला है और इनके वक्त में अनेकों स्कूलों में हुआ है....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके स्टेटमेंट पर भरोसा कौन करेगा ? काहे का स्टेटमेंट आपका, कोई विश्वास करेगा नहीं आपके स्टेटमेंट पर । (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम पहले...

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या कुछ हुआ ही नहीं है ? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम पहले बोल लें और फिर आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कुछ हुआ ही नहीं है । (व्यवधान) कुछ हुआ ही नहीं है, इनके रहते सैकड़ों ऐसे काम हुए हैं... (व्यवधान) 13 छात्र वहां बैठे हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रोज स्टेटमेंट देते हो, रोज स्टेटमेंट देते हो तो कौन विश्वास करेगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 13 छात्र रहने से वहां किसी ने कोई प्रश्न पत्र दूसरा खोल लिया, अब ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई मामला हो, कह देते हैं कि.... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके स्टेटमेंट पर यह ... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी; इनको काल-अटेन्शन कर लिया, इन्होंने चर्चा शुरू कर दी, इनकी बात सुन लीजिए । इसके बाद आप स्टेटमेंट दे दीजिए । एक मिनट । (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह कोई वास्तव में .. (व्यवधान) ...

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 295 में क्या इस तरीके से भाषण दिये जा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह 295 नहीं है ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह 295 नहीं है । इनको पहले पता ही नहीं है । पहले पता लगाओ कि क्या है । 295 है या नहीं है ? पहले सचेतक महोदय, पता लगाइये । (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 295 नहीं है ।

श्री महेश जोशी : ठीक है तो ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह 295 नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा, यह विषय इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि लगातार हमको बोलते हुए मन में बहुत झिझक होती है कि इस विषय को उठायें कि नहीं उठायें। पर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवीं घटनाएं निरन्तर होती जाएं। आप एक-एक स्टेप मजबूत करो और उससे आगे का स्टेप कमजोर हो जाता है।

मतलब आपने जो पेपर बदलकर दिये थे, उन पेपरों को वापस नहीं मंगाया और उसके कारण से गलती से जो पेपर खुल रहे हैं, जैसे डूंगरपुर में जियोग्राफी का पेपर खुलना था, आपने जो नया पेपर भेजा, जो आउट हो गया था, उस कारण से, वह तो वहां खोला नहीं और उस प्रिंसिपल ने दूसरा पेपर खोलकर बच्चों को, पूरे 90 बच्चों की परीक्षा ले ली। अब जब तीन घंटे परीक्षा देने के बाद बच्चे जब घर गये और दूसरे स्कूल के पेपर से जब मिलान किया कि तुम्हारे यह पेपर है और हमारे यह पेपर है तब जाकर पता लगा।

दुर्भाग्य यह है कि उस समय तक किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। वह पेपर वास्तव में गलती से खुल गया। पूरी परीक्षा दे दी और पूरा कार्य सम्पन्न हो गया और ऐसा का ऐसा आपका दूसरा, दौसा के अन्दर भी, लालसोट के अन्दर भी संस्कृत का पेपर इसी प्रकार से आउट हुआ।

मतलब यह घटनाएं इस कारण से हो रही हैं, वास्तव में इसका कारण यह है कि एक तरफ तो स्वयं मंत्री महोदय पर भी इतना भार है कि, पहले तो शिक्षा विभाग अपने आप में सबसे टेढ़ा विभाग है। उसको जितना समय देना चाहिए, आप दूसरे सब विभागों में उलझे रहते हैं। आपने पिछले तीन दिनों में, मतलब विधान सभा चल रही है, इसमें तीन–तीन डाइरेक्टर को आपने बदल दिया।

इसी तरह से आपने सैक्रेटरी, तीन सैक्रेटरी इन दिनों में बदल दिये। आपका बोर्ड का कोई अध्यक्ष, मतलब ईमानदारी से आपके विभाग की चिन्ता करने की आज की तारीख में किसी को कोई लेना–देना नहीं है। मतलब, आप तुरन्त एक्शन कर रहे हैं कि हमने प्रिंसिपल को निलम्बित कर दिया। हमने फलां को कर दिया। निलम्बन करने से उस बालक के घाव पर क्या मरहम लग सकता है? क्या जो बालक तीन घंटे तक बैठकर के वहां एग्जामिनेशन हाल में एग्जाम देकर के निकला और उसके बाद जाने के बाद में आपने कहा कि 13 तारीख को आपकी फिर पेपर होगी।

अगर हममें से कोई परीक्षा देता हुआ मिलता और हमारे साथ में इस प्रकार की चोट होती तो हमारे मन में कितनी पीड़ा और वेदना होती इसका कोई अन्दाज लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पेपर गलत खोल दिया, उसको फांसी चढ़ा दो। इसका सवाल नहीं है। आपके पूरे के पूरे सिस्टम में, अब आज आपने आदेश जारी किया है कि पुराने सारे पेपर को मंगा लो। यही काम पांच दिन पहले किया नहीं, जैसे ही आपने नये पेपर भेजे, उसके साथ की साथ जाने वाली एजेन्सी को क्यों नहीं कहा कि जो पेपर हमने पुराने भेज रखे हैं, उनको वापस का वापस आप लेकर आना, नये दे आना और पुराने ले आना, मतलब, एक-एक कदम पर हम आगे जा रहे हैं और हम बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं और इसके कारण से सारे देश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो प्रतिष्ठा थी, वह आज बिलकुल एक तरह से नाकारा हो गयी और हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो दशा बनी है, इसके कारण से, जिस प्रकार का आज रोज अखबारों में आकर के इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रतिष्ठा जो हमने आंच लगायी, इसको जो दाग लगा है, इससे हम भरपाई नहीं कर पाएंगे।

हमने बराबर इतनी बार निवेदन किया कि आखिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कितने स्टेटमैंट आप और देंगे और कितनी बार आप इसकी सख्त व्यवस्था और करेंगे ?

मेरे को इस बात का दुःख है कि अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो शिक्षा मंत्री, आप स्वयं जिम्मेदार हो। कोई अधिकारी आज की तारीख में जिम्मेदार नहीं है क्योंकि 15 दिनों में आपने तीन-तीन डाइरेक्टर बदले, पन्द्रह दिन के अंदर आपने तीन-तीन सैक्रेटरी बदले। न आपका बोर्ड का, आज की तारीख में कोई प्रशासक पूरे समय बैठने वाला है। सारी की सारी नयी टीम को लेकर के आप इस व्यवस्था को बिठा रहे हैं। किसी न किसी को भी मानिटरिंग करने की व्यवस्था भी नहीं की।

आखिर एक के बाद दूसरी गलती होती जा रही है। इसका दोष मैं किसी को नहीं देना चाहता हूं। उस प्रिंसिपल को भी नहीं देना चाहता हूं क्योंकि उसके यहां आपने पुराने पर्चे छोड़े तो उसमें से उसने लिफाफा निकाल दिया लेकिन कम से कम यह तो कोई देखने वाला होता कि पुराना लिफाफा कौनसा है, नया लिफाफा कौनसा है। इस बारे में देखकर, बच्चों को बार बार आप इस भट्टी में क्यों झोंक रहे हो ?

मैं सोचता हूं, शिक्षा मंत्रीजी, आप पर अगर अधिक भार है तो या तो शिक्षा विभाग अकेला सम्भालो और या सब विभागों को सम्भालने का मन में लालच हो तो इसको किसी दूसरे को दे दो। इस तरह से इसको दूसरों के भरोसे और बेकार का विभाग समझकर उन बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो।

यह मेरा आपसे बार-बार आग्रह है, क्योंकि यह चौथी बार घटना है और हमको बोलते हुए दुःख होता है, दर्द होता है कि क्या फालतू की चर्चा करें। लेकिन आखिर ये घटनाएं रोज होती रहें और आपको सुनकर हैरानी होगी, क्या इस विभाग की दशा बनी है। शिवगंज के अंदर पेपर देने के लिये आपकी जो एजेंसी गयी, वहां

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रिंसिपल नहीं मिला और उसके कारण वह पेपर नहीं देकर आये। यह पत्रिका जब छपी रात को, तब शुक्रवार रात तक वह पेपर स्कूल में नहीं पहुंचे और शनिवार सवेरे परीक्षा होने वाली है।

मतलब आप एक के बाद दूसरा जब आपने आदेश निकाल रखे हैं कि फलां मिलेगा, वह मिलेगा, यह सब कुछ होगा उसके बाद भी आपका कोई अधिकारी वहां पेपर लेने के लिये नहीं है। केवल एक एल. डी.सी., एक थर्ड ग्रेड का मास्टर और एक चपरासी स्कूल में मिले, जिसको पेपर देने वाले ने पेपर नहीं दिया और पेपर वापस लेकर चले आये और उसके बाद कार्यवाही शुरू की आपने। आखिर यह क्या व्यवस्था है। इस लचर व्यवस्था के आधार पर आप शिक्षा विभाग की इन परीक्षाओं को संपूर्ण कराना चाहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और अपना दोष दूसरों पर थोपना चाहते हो। बहुत सीरियस मामला है। बहुत ही, एक तरह से दुखद विषय है। जिस विषय पर मैं समझता हूं केवल शब्दों में कठोरता जरूर दिखाते हो लेकिन एक्शन में कठोरता नहीं दिखती। जिसके कारण जो अधिकारी वास्तव में निलम्बित होना चाहिए उसकी जगह आप दूसरों को दण्डित करते चले जा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठिये। आर्डर।

श्री ओमचन्द कृपलानी : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरे... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : You are not supposed to speak on this point. आप बैठिये। यह आवश्यक नहीं है कि आप हर विषय पर बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : बड़ी सादगी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये इस संदर्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 9–4–99 को दोपहर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर से यह सूचना दूरभाष पर प्राप्त हुई कि डूंगरपुर शहर में राजकीय महारावल सीनियर माध्यमिक विद्यालय में भूगोल, कला वर्ग, प्रथम का प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा जो निरस्त किया गया था, वह प्रश्न-पत्र छात्र-छात्राओं को गलती से वितरित कर दिया। सूचना प्राप्त होते ही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने जिला कलक्टर, डूंगरपुर से बात की। घटना की सत्यता ज्ञात होते ही इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कांति लाल कामोर, जो कि केन्द्रीय अधीक्षक थे, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। निलम्बन आदेश की प्रति फैक्स द्वारा जिला कलक्टर, डूंगरपुर को दे दी गयी। यह निर्देश भी दिये गये कि केन्द्रीय अधीक्षक का चार्ज, इस विद्यालय के केन्द्र के अधीक्षक का कार्य उप-प्रधानाचार्य को दिला दिया जाए।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि यह प्रश्न-पत्र अब दिनांक 13-4-99 को प्रात: 7.30 से 10.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिसके लिये बोर्ड द्वारा प्रश्न-पत्र डूंगरपुर को भिजवा दिया गया है। रद्द किये गये प्रश्न पत्र के आधार पर परीक्षा इसलिए हुई कि केन्द्र अधीक्षक ने बोर्ड के उन निर्देशों की पालना नहीं की कि रद्द प्रश्न-पत्रों के लिफाफे निरस्त करते हुए उन्हें अलग रखा जाए। डूंगरपुर केन्द्र के सभी संबंधित 98 छात्रों को प्रश्न पत्र की नवीन तिथि की सूचना दे दी गयी है। दिनांक 10-4-99 को रात्रि के लगभग 8 बजे उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से यह जानकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्राप्त हुई कि राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, लालसोट में संस्कृत, साहित्य कला वर्ग द्वितीय का जो प्रश्न पत्र प्रात: 7.30 से 10.30 के सत्र में दिया गया, वह बोर्ड द्वारा पूर्व में निरस्त किया गया प्रश्न-पत्र था।

यह इसलिए हुआ कि केन्द्र अधीक्षक द्वारा निरस्त किये गये प्रश्न-पत्रों को बोर्ड के निर्देशानुसार अलग नहीं रखा। जानकारी प्राप्त होते ही बोर्ड के सचिव को सूचित किया गया, जिन्होंने इस प्रश्न-पत्र को 13-4-99 को प्रात: 7.30 से 10.30 बजे तक नये प्रश्न-पत्र के साथ आयोजित करने की सूचना दी। लालसोट के इस विद्यालय में कुल 13 छात्राओं की परीक्षा आयोजित होनी है। पूरे राज्य में सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं।

अब किसी प्रिंसिपल की गलती से प्रश्न-पत्र अलग प्रकार के खोले जाने के केसेज, इसलिए 98 में जब बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य थे, राज्य में अनेक जगह गलत पर्चे खुले और पूरे राज्य में दुबारा परीक्षाएं करानी पड़ीं। अब 13 आदमियों का पर्चा किसी ने गलत खोल लिया, उसका दोष यदि आप मुझे देना चाहें तो मैं मेरी झोली में लेने के लिये तैयार हूं।

लेकिन इसकी तुरन्त 13 तारीख को दुबारा परीक्षा 13 विद्यार्थियों को करवाने की व्यवस्था कर दी गयी है। इन सभी छात्राओं को 13 तारीख को दुबारा प्रश्न-पत्र होने की जानकारी दे दी गयी है, अवगत करा दिया गया है। इस केन्द्र अधीक्षक का कार्य भार भी श्री रमेशचन्द्र मिश्र, राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, देवली के पास था, क्योंकि बालिका सीनियर सैकण्डरी विद्यालय के प्रधानाचार्य का पद रिक्त था। श्री मिश्र द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने के कारण इन्हें भी निलम्बित कर दिया गया है।

उक्त दोनों घटनाओं के कारण परीक्षाओं को आगे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे राज्य में परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार होंगी। केवल मात्र संस्कृत साहित्य और भूगोल के उन केन्द्रों के जो छात्र बैठने वाले थे, उनकी 13 तारीख को परिक्षाएं होंगी। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर निरस्त प्रश्न-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पत्रों को पुनः मंगवाने की कार्यवाही की जा रही है।

मैं आपके सामने Question papers in market. Photocopies of U.P. Board High School, English--II. Papers were in the market for a price ranging from Rs.500/- to 3000/- Question papers were being sold in the streets of Muzafar-nagar. The paper was scheduled to begin on Tuesday when the D. M. and SSB were informed about this. The L.S.D. took no interest. आपके द्वारा शासित प्रदेशों में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी जरा आप सोचें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रोज-रोज आप कहना क्या चाहते हो ? यू.पी.राज्य में गड़बड़ी हो गयी। (व्यवधान) यह... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उत्तर प्रदेश में यह कर दिया। महाराष्ट्र में यह कर दिया और...(व्यवधान) आपकी मर्जी आये जो करो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात को बड़ी अच्छी स्प्रिट से लेना चाहिये। जिस तरीके से लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :...(व्यवधान) माननीय कृपलानी जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक तरह से आप यह कह रहे हैं कि आपने प्रिंसिपल को निलम्बित क्यों कर दिया। प्रिंसिपल को निलम्बित नहीं करते तो क्या करते। उसको यह भी पता नहीं है कि यह स्थगित प्रश्न-पत्र है। इसको खोलना चाहिये या नहीं खोलना चाहिये। आपने अभी-अभी अपने स्टेटमैंट में कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करो न निलम्बित, कौन मना कर रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : करना हो जो करो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक तरफ यह बातें करते हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो निर्णय आपने पेपर मंगाने का अब किया है, वही निर्णय जब नये पेपर आप देकर जा रहे थे,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उस वक्त लाते तो ऐसी नौबत नहीं आती। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह निर्णय बोर्ड ने अपने स्तर पर किया है। मैं तो केवल जबाबदेही के लिये जिम्मेदार हूं। आप जानते हैं बोर्ड आटोनोमस बॉडी है फिर भी..(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमारी जो गलती थी, हम अपनी गलती को..(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिर भी राज्य सरकार ने उसको हर तरीके से सहयोग देकर परीक्षाओं को सही रूप से कंडक्ट करवाने के लिये हर संभव प्रयत्न किये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, क्या राजस्थान को दूसरा बिहार बनाना चाहते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया :..(व्यवधान) गये और वापस लेकर आ जाएंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : और मैं समझता हूं कि जितनी आपने समस्याएं दीं उनको दिन-रात एक-एक करके हल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और वितरण केन्द्रों पर जो प्रश्न–पत्र खुले हैं, उसको सही ढंग से दूसरे पेपर देकर उसकी परीक्षाएं 13 तारीख को करवा दी जाएंगी। जहां तक सिवगंज का इन्होंने प्रश्न उठाया। उसको रात को ढूंढकर परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिये गये हैं और वह यथासमय परीक्षा करवा दी गयी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, जगह-जगह पेपर आउट हो रहे हैं। बार–बार यह कहा जा रहा है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या यू. पी., बिहार बनाना चाहते हैं राजस्थान को ? यू. पी. का हवाला देकर क्या राजस्थान को यू.पी., बिहार बनाना चाहते है ? जरा आप कहें तो सही।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बोर्ड है, वह भी आटोनोमस है। दूसरा बोर्ड बना रहे हैं, फिर कैसे व्यवस्था चलाओगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। यह.. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : मन में आया जब आप बोलते हैं। आपकी कुछ मर्यादा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सारे प्रदेश की चिन्ता का विषय है। इसमें

(श्री उपाध्यक्ष)

जितना सुधार ला सकते हैं, लाया जाना चाहिये और परीक्षाएं सारी व्यवस्थित रूप से चल सकें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। दूसरे स्टेट में क्या होता है, उसकी अपने को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस बात के लिए दिलाना चाहूंगा कि बड़े जोर-शोर से आपने पूरे राज्य में अमन–चैन और कानून-व्यवस्था की बात कही। हो क्या रहा है ? हो यह रहा है कि इसके विपरीत विवेकानन्द छात्रावास में सरेआम हत्या हो जाती है। आपके खुद के डी.आई.जी. के फार्म हाउस पर हत्या होती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किस पर बोल रहे हैं आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची दी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पर्ची क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं प्रारम्भ कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : किस पर, सब्जेक्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, इसमें सब्जेक्ट क्या है ? किस पर बोल रहे हैं आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नीमकाथाना की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नीमकाथाने के पूर्व विधायक के खेत में आग लगा दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष : तो उसमें कहां से आ गया। (व्यवधान)

राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज पूरे राज्य के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है।

नीमकाथाना के पूर्व विधायक 3-4-1999 को रात्रि को बद्री मीणा, गंगाराम, सीताराम, अमृराम पहले आकर उनको कह कर जाते हैं कि इस बार आप बड़े इतरा रहे हो कि आपकी फसल अच्छी हुई है, आपकी गेहूं की फसल को हम इतनी तारीख को जलायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक इसके बारे में थाने को सूचना देते हैं और थाने में सूचना देने के पश्चात कोई कार्यवाही नहीं होती है और उस गरीब व्यक्ति के खेत में खड़ा हुआ पूरा गेहूं और खलिहान जला दिया जाता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद एफ.आई.आर. 58/99 दर्ज होती है थाना पाटन में। और एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात भी नामजद मुलजिम सरेआम घूमते रहते हैं। और इसके पश्चात पूर्व विधायक को कहते हैं कि अभी तो आपके खेत में पड़ा धान, खलिहान जलाया है अब आप को जलायेंगे।

इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से लम्बी-लम्बी बात करती है, गृह मंत्रीजी, आपको गुस्सा तो बहुत आता है परन्तु इन कामों में मुस्तैदी लाओ, कुछ कर के दिखाओ।

आपके राज में छात्रावासों में हत्या हो रही है। आपके खुद के डी.आई.जी. के फार्म हाउस पर हत्या हो रही है। भट्टा बस्ती, जयपुर में महिला की गला घोंट कर हत्या की जा रही है। कोथून के अन्दर महिला की हत्या की जा रही है। जेल से ऐसे-ऐसे कैदी फरार हो रहे हैं जो एक-दो नहीं आधा दर्जन से ज्यादा हत्या के मामलों में अभियुक्त हों। ऐसे-ऐसे लोग फरार हो रहे हैं। इस तरह का प्रशासन आप देना चाहते हैं?

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर के लिए हरेक चीज में राजनीतिक धरातल पर बैठ कर मत सोचिये। गृह मंत्रीजी, आपकी एक आदत बन गयी है। आप गृह मंत्री पूरे राजस्थान के हो। उपाध्यक्ष महोदय, हम आज किस के पास जाएं? हम इस सर्वोच्च सदन में आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करें, इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? परन्तु आप का तो न जाने क्या हो गया, आप हरेक चीज के अन्दर राजनीति घुसेड़ देते हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बानगी है कि आप किस तरह की कानून व्यवस्था दे रहे हैं प्रदेश को। इसलिए समय रहते आप इन दोषी लोगों को, जो नामजद हैं, उनको गिरफ्तार कराओ ताकि जो व्यक्ति मारा-मारा फिर रहा है, कह रहा है आज कि मेरी जान को खतरा है। उसकी जानमाल की सुरक्षा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान) खलिहान में पूरे के पूरे में आग लगा दी जाए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूर्व विधायक को जान का खतरा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, हर विषय पर बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूर्व सदस्य की जान का सवाल है... (व्यवधान) कुछ तो कहो ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय अमरारामजी । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पूर्व सदस्य को मारने की धमकी... (व्यवधान) उनका खलिहान जला दिया गया ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूर्व विधायक की जान का खतरा है, उनके खलिहान को जला दिया गया है। इस मामले में गृह मंत्री जी से स्टेटमैंट तो दिलायें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय अमरारामजी । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, आर्डर । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूर्व विधायक की जान को खतरा है । (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और माननीय गृह मंत्रीजी मुस्कुराए ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये जरा, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नामजद मुलजिम हैं । (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाह रहा हूं, नीमकाथाना का मामला है ।

श्री मदन दिलावर : मारने की धमकी देते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावर जी, बैठिये । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज तुम्हारा खेत जलायेंगे और खेत को जला कर चले जाते हैं ।

श्री मोहन लाल मोदी : यह सरासर असत्य बोल रहे हैं । यह ऐसा असत्य है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बैठिये आप ।

श्री मोहन लाल मोदी : मेरे को बोलने की इजाजत दीजिये । नीमकाथाना का

(श्री मोहन लाल मोदी)

मामला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूंठा मुकदमा लगाए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री मोहन लाल मोदी : आप मेरे को बोलने का मौका तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। माननीय अमरारामजी।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : किस नियम से बोल रहे हैं, किस में बोल रहे हैं आप ?

श्री मोहन लाल मोदी : नीमकाथाना के मामले में ? झूंठा आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या सब्जेक्ट है, क्या है, किस पर बोल रहे हो ? (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना का मामला है, हाउस को एक तरफा बात बतायी गयी है... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। (व्यवधान) नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना का मामला है, आप उनको भी एक मिनट सुनिये।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि नीमकाथाना का मामला है.. (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : यह तो आरोप लगाया है उसके बारे में कह रहा हूं। मैं नीमकाथाना का विधायक हूं और मेरी जानकारी है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गलत बयानी हो रही है इस लिए माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : सही बात आनी चाहिए। (व्यवधान) आप मौका दें। (व्यवधान) सही चीज हाउस के सामने आनी चाहिए, मुझे मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप पर कोई आरोप लगा हो तो प्रोसीडिंग देख लेंगे उसके बाद व्यवस्था दे देंगे। माननीय अमरारामजी।

श्री मोहन लाल मोदी : क्या फरमा दिया, क्या आप मेरे को मौका नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको गृह मंत्री नियुक्त किया है क्या ?

श्री मोहन लाल मोदी : यह कोई बात है क्या ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : सारी जानकारी गृह मंत्री जी करा लेंगे, आप माननीय सदस्य की बात तो सुनिये। एक तरफा बात जायेगी हाउस से। यह वैसे ही कह देंगे यह हो गया, खलिहान जला दिया... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : किस प्रश्न पर सुनें, सब्जेक्ट क्या है ? किस पर सुनें ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप नौसकाघाना की बात कर रहे हैं इसलिए वो बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; एक मिनट। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक की जान को खतरा है।

श्री मोहन लाल मोदी : किसी तरह का खतरा नहीं है; खतरा तो इनसे है सारा का सारा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य; गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय; यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उनको किसी तरह से फंसाया जाय। यह मामला जरासा भी सही नहीं है। इनके घर के आगे इनका खलिहान था; उसमें इनके किसी आपसी भाइयों में विरोध के कारण उसमें आग लगी है और यह दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। जान का खतरा....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय; इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने जो बातें रखी है; इसकी जांच करा लें। असत्य बोल रहे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : इनको जान का खतरा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनसे तो लोग डरते हैं। यह सारे के सारे उस दारू वाले के साथ में हैं और हमारे सारे लोग डरते हैं; हम डरते हैं। और यह कहते हैं हमारे को जान का खतरा है।

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की बिलकुल निष्पक्ष और सही जांच करायी जायेगी। इस अवसर पर मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

राजस्थान की विभिन्न लेबर कालोनियों का रेगुलराइजेशन

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान की उन लेबर कालोनियों के रेगुलराइजेशन के लिए दिलाना चाहूंगा कि जो अधिसूचना उनको रेगुलराइज करने की निकाली गयी थी, उसकी समय सीमा समाप्त हो गयी और आज भी राजस्थान में, चाहे वे जयपुर के लेबर कालोनियां हों, चाहे अजमेर की, ब्यावर, किशनगढ़ और गंगानगर की लेबर कालोनियां हों, उनका रेगुलराइजेशन नहीं होने के कारण, उनकी अधिसूचना समाप्त होने के कारण आज बहुत-सा लेबर कालोनियों का वो हिस्सा जो रेगुलराइज नहीं हुआ है, उसके कारण वहां निवास करने वाले मजदूरों को बहुत असुविधाएं हैं। वे सुविधाओं से लगातार वंचित होते जा रहे हैं।

अगर यह अधिसूचना दोबारा जारी कर के उनको रेगुलराइज किया जाता है तो वो लोग, मजदूर जो लेबर कालोनियों में निवास करते हैं, जो उन सुख-सुविधाओं से जो रेगुलराइजेशन होने के बाद होनी चाहिए, उनसे वंचित हो रहे हैं। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि उन लाखों मजदूरों की लेबर कालोनियों को जिनमें वे निवास करते हैं, उनको नयी अधिसूचना जारी कर के रेगुलराइजेशन करायेंगे और उनको सुविधाएं मुहैया कराने में सहायता करेंगे ? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति से हो रही परेशानी

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार विद्युत की आपूर्ति से हो रही परेशानी के संबंध में दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बे इटावा और मांगरोल के सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई लाखेरी से होने के कारण, और बार बार ट्रिपिंग आने के कारण से समय से लाइट नहीं मिल पाती है। समय पर लाइट नहीं मिलने के कारण से वहां की जो जल योजनाएं थीं वह भी काफी प्रभावित हैं, उनमें भी पानी सप्लाई नहीं हो पाता।

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं। माननीय विद्युत मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य इस हाउस में दिया और यह बात निश्चित करने के लिए कहा था कि सात बजे से लेकर रात को 10–11 बजे तक सिंगल फेस की लाइट हर कस्बे में और हर गांव में मिलेगी। ऊर्जा मंत्रीजी की इस घोषणा के बाद भी जिस तरह के हालात मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़े-बड़े कस्बों में हैं, वह काफी दुःख की बात है। आज शाम 6 बजे से लेकर रात 10–11 बजे तक हमें लाइट नहीं मिल पाती। बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह का रिकार्ड, आपके विभाग के माध्यम से है, मैं एक तारीख से लेकर 10 तारीख तक का लेकर आया हूं। उसमें लाइट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक तारीख को जो विद्युत सप्लाई हुई, 6.58 को बंद की गयी और 7.10 को लाइट आयी, 7.38 को लाइट मिली और 7.48 को बंद हो गयी। इस तरह से पूरे दिन लाइट की अव्यवस्था है। जनता में काफी आक्रोश है। किसान परेशान हैं। दूसरी तरफ छात्र–छात्राएं परेशान हैं।

मैंने ऊर्जा मंत्रीजी को लिखित में भी दिया है। मैंने व्यक्तिगत भी उनसे बात की है लेकिन आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी तरह से विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विद्युत सप्लाई में अव्यवस्था चल रही है, इसका सुधार किया जाय और शाम 6 बजे से रात 10-11 बजे तक, जो वक्तव्य दिया था यहां पर आपने कि सिंगल फेस कनेक्शन हर गांव में दिया जायेगा, उस व्यवस्था को सुधारा जाय। आपने समय दिया, धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्रीगंगानगर शुगर मिल्स द्वारा अनुबंधित किसानों से गन्ना नहीं खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा श्रीगंगानगर शुगर मिल्स द्वारा कथित रूप से अनुबन्धित किसानों से गन्ना नहीं खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आबकारी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में पहले मंत्रीजी का वक्तव्य आ जाए उसके बाद मैं सवाल पूछ लूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षित कर दो न। आप ध्यान आकर्षित करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर के किसानों के गन्ने नहीं खरीदे जाने के सम्बन्ध में मैं विद्वान माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (आबकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभागीय अनुमानों के अनुसार इस वर्ष श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में गन्ने का उत्पादन लगभग 16 लाख क्विन्टल हुआ है जो पिछले वर्षों से काफी अधिक है। दिनांक 9-4-99 तक 12 लाख 40 हजार क्विन्टल गन्ने की पिराई गंगानगर शुगर मिल द्वारा की जा चुकी है अतः लगभग 3 लाख 50 हजार क्विन्टल गन्ना ही शेष है। गन्ने की उपलब्धता तक गंगानगर शुगर मिल में पिराई का कार्य जारी रहेगा।

पिछले वर्षों में गन्ने की पिराई का

(श्री चन्दनमल बैद)

कार्य मार्च या अप्रेल के प्रथम सप्ताह में बन्द कर दिया था परन्तु इस वर्ष गंगानगर शुगर मिल की यह योजना है कि 15 मई, 1999 तक पिराई का कार्य जारी रहेगा तथा आवश्यकता हुई तो यह कार्य आगे तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 12 फरवरी, 1999 को काश्तकारों को यह छूट दे दी गयी है कि अपने गन्ने उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा गंगानगर शुगर मिल को दिये जाने के बाद शेष भाग गुड़ बनाने के काम में लिया जा सकता है।

यह सही है कि गन्ना उत्पादन प्रोत्साहन के लिए अधिक पानी सिंचाई हेतु देने की व्यवस्था है। वर्तमान में कुल 50 क्यूसेक अतिरिक्त पानी गन्ना स्कीम में सिंचाई विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी देने के लिए यह शर्त है कि काश्तकारों को अपने गन्ने के उत्पादन का 80 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स को देना होता है। गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए काश्तकारों को सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी देने की व्यवस्था है परन्तु गंगानगर शुगर मिल्स की ओर से ऐसा कोई अनुबन्ध नहीं किया जाता है कि सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी से उत्पादित गन्ना प्राथमिकता के आधार पर खींचा जायेगा। मिल द्वारा गन्ना खरीदते वक्त गन्ने की किस्म के आधार पर खरीद की जाती है न कि सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की उपलब्धता के आधार पर।

सर्वप्रथम मोढ़ी किस्म का गन्ना लिया जाता है। इसमें भी जल्दी पकने वाली किस्म अरली वैरायटी को प्राथमिकता दी जाती है। तत्पश्चात मध्यम तथा देर से पकने वाली किस्म का गन्ना लिया जाता है। मिल द्वारा गन्ना पिराई होने से पहले फिल्ड का सर्वे कर गन्ने की किस्मवार पैदावार का रिकार्ड तैयार किया जाता है तथा इस रिकार्ड के आधार पर काश्तकारों द्वारा पैदा की हुई कुल गन्ने की मात्रा व उनके द्वारा परिवहन हेतु प्रयोग में लिये गये वाहन की वजन क्षमता के आधार पर काश्तकारों को दी जाने वाली कुल पर्चियों की संख्या निर्धारित की जाती है। गन्ना क्रय मूल्य निर्धारण करने हेतु वर्ष 89-90 में बने फार्मूले के आधार पर भुगतान को व्यवस्था को किसान के हित में राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में लिये गये निर्णय के आधार पर चार वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।

इस फार्मूले के अन्तर्गत गन्ने के मूल्य का निर्धारण पंजाब व हरियाणा में गन्ने की खरीद हेतु देय दरों के आधार पर किया जाता है। जल्दी पकने वाली वैरायटी के लिए उक्त मूल्य का मतलब हरियाणा और पंजाब के मूल्य का 12 प्रतिशत अतिरिक्त देय होता है।

(14.25 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

इस वर्ष जबकि पंजाब और हरियाणा

(श्री चन्दनमल बैद)

में गन्ने की अरली वैरायटी का मूल्य 95 रुपये प्रति क्विन्टल है वहीं गंगानगर शुगर मिल द्वारा इसी गन्ने का मूल्य 102 रुपया प्रति क्विन्टल दिया जा रहा है। चूंकि बारी-बारी से सभी काश्तकारों का गन्ना लिया जायेगा। पिराई हेतु गंगानगर शुगर मिल की शुगर क्रशिंग मशीनों को अधिक दिनों तक चलाया जा रहा है। अतः गन्ने की फसल के सड़ने या खराब होने की संभावना नहीं है।

जहां तक काश्तकारों को भुगतान का प्रश्न है, 31 मार्च, 1999 तक गन्ना आपूर्ति की कुल देय राशि रुपये 11 करोड़ 50 लाख में से 7 करोड़ 69 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष रुपये का भुगतान इसी माह कर दिया जायेगा। गंगानगर शुगर मिल की शुगर क्रशिंग मशीनों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी, आपने अपनी बड़ी बखूबी कह दिया कि गन्ना क्रय करने के लिए किसी तरह का करार गंगानगर शुगर मिल और किसानों के बीच में नहीं है। सभापति महोदय, एक परिपत्र किसानों से भरवाया जाता है। उस परिपत्र की सारी शर्तों का उल्लेख नहीं करते हुए मैं मोटे तौर पर निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय, आप कानून के जानकार हैं।

भारत का संविधान, अधिनियम जो कहता है उसके अनुसार करार क्या है। यह करार अपने आप में हुआ कि नहीं हुआ। आप द्वारा छापे परिपत्र, इसकी धारा 4 में कहते हैं कि पहले तो किसान अपना नाम पता लिखता है, मुरब्बा नम्बर लिखता है, बीज लिखता है। फिर कहता है कि इस योजना के अन्तर्गत पैदा हुआ गन्ने का 80 प्रतिशत मैं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर को देने के लिए पाबन्द हूं क्योंकि मैं अतिरिक्त पानी का लाभ उठा रहा हूं एवं 80 प्रतिशत गन्ने को देने के लिए वचनबद्ध हूं।

अतः मेरा गन्ना स्वतः ही अनुबन्धित माना जाए। उसके बाद इसी परिपत्र में जो आपने भरवाया है मंत्री महोदय, सरकार का डाकुमेंट है, इसमें पांचवे स्थान पर लिखा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस गन्ने को बीज के अतिरिक्त गुड़, रस, चारा व अन्य किसी काम में नहीं लूंगा। और इसी में और शर्तें हैं शर्त संख्या 9 पर लिखते हैं फैक्ट्री की सिफारिश अनुसार मेरे हक में आने वाले क्षेत्रानुसार गन्ने की बिजाई या मोढ़ी को एक फसल रखूंगा। उन्हीं किस्मों की बिजाई करूंगा और फैक्ट्री उस योजना के तहत कार्यवाही करना चाहे, कार्यवाही करे।

यदि मेरे हक में निर्धारित लक्ष्य के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुसार गन्ने की पिराई नहीं करता हूं या कम करता हूं तो सिचाई विभाग किसी भी समय मेरी बारी बन्द कर सकता है और उसके बाद 14 नम्बर पर लिखा है कि मैं फैक्ट्री को ताजा एवं कच्ची खोरी, जड़ व रोग रहित गन्ना मांग पर्ची के अनुसार आपूर्ति कराऊंगा। शर्त 16 में लिखा है कि फैक्ट्री की समय-समय पर सारी शर्तों का मैं पालन करूंगा और संशोधन होगा तो मुझे मान्य होगा।

अब सभापति महोदय, एक प्रस्ताव जो किसानों के सम्मुख आया इस परिपत्र के माध्यम से, किसानों ने इस परिपत्र पर दस्तखत किये। सभापति महोदय, इसमें यही नहीं है इसमें दो तो विटनेस लिख रखे हैं और नीचे फैक्ट्री मैनेजर, टी. ओ. और जनरल मैनेजर, फैक्ट्री इनके दस्तखत हैं। तो यह करार तो पूरा हो गया इसलिए आप यह कहकर नहीं बच सकते कि यह करार नहीं है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारा झगड़ा पैदा क्यों हुआ। झगड़ा पैदा इसलिए हुआ कि, आज तक हमेशा होता यह आया है कि जो किसान अतिरिक्त पानी की सुविधा लेता है और गन्ने का उत्पादन करता है, सबसे पहले उसी किसान का गन्ना शुगर मिल खरीदता है। और नये शासन के आने के बाद हो क्या रहा है। जिस किसान ने शर्त के अनुसार पानी लेकर जिसने गन्ना उत्पादित किया वह तो गंगानगर में मारा–मारा फिर रहा है और जिस किसान ने; इसमें कोई शंका नहीं है मंत्री महोदय, कि इस बार गन्ने का उत्पादन ज्यादा हुआ है और इसके साथ ही इस तरह का मेनिपुलेशन चालू हो गया कि अब फैक्ट्री के प्रबन्धक जिसका अनुबन्धित नहीं उसको भी खरीद लेते हैं।

क्योंकि आपने स्वयं ने अपने उत्तर में मान लिया कि फजिलका, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर गन्ने की खरीद मूल्य में फर्क है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक करार कर लिया तो इन किसानों से आप इनका गन्ना क्यों नहीं खरीदते ? दूसरा, आपने यह कहा कि 11 करोड़ 50 लाख रुपये टोटल उनका है, उसका भुगतान होना चाहिए था और आपने भुगतान कर दिया 7 करोड़ 68 लाख का।

तो मंत्रीजी, यह किसानों का पैसा है। अब किसानों का इतना पैसा है इसका कैसे करेंगे ? फिर आपने यह कह दिया कि हम आगे मई तक गन्ने को खरीदेंगे। अब आप बताइये कि गन्ने की फसल आज है। आप को यह मालूम है कि गन्ने की फसल पक जाने के पश्चात अगर गन्ना कटे नहीं तो धीरे–धीरे उसके अंदर जो शुगर का कंटेंट है वह धीरे-धीरे कम होने लग जाता है। गन्ने का वजन कम हो जाता है। यह एक तरह से किसानों को मारने की जो प्रक्रिया आपने चालू की है, मैं समझता हूं इसके लिए निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

अब आप कर क्या सकते हैं। आपकी शुगर मिल के अन्दर इक्विपमेन्ट्स बहुत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पुराने हैं, पिराई कर सकता है। 10 हजार क्विंटल का वह पिराई कर सकता है। और आपके पास, आपके उत्तर में आपने कहा है कि गन्ने की पिराई हो चुकी है। अतः यह कहना सही नहीं है कि अब 15 लाख टन गन्ना खराब हो गया, केवल 5 लाख क्विंटल यानि 50-60 हजार टन गन्ना शेष है। तो दिन और रात अगर आपकी यह फैक्ट्री चलेगी तो भी 60 दिन लगेंगे। अब 60 दिन में आप कौनसे गन्ने की पिराई कर पायेंगे यह बतायें।

तीसरा आपने अभी बड़ी +++ से कहा कि हमने फरवरी में एक आदेश निकाल दिया। माफी चाहूंगा बखूबी से...

श्री सभापति : बखूबी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बखूबी से यह कह दिया।

श्री चन्दनमल बैद : आप बेवकूफी भी कहें तो बुरा नहीं मानूंगा मैं। आप बेवकूफी भी कहें तो बुरा नहीं मानूंगा मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी आपको मेरे जैसे आदमी से भरोसा है कि मैं कह सकता हूं आपको। कम से कम आप को तो सदन में बाकी लोग कहें, आपका और मेरा रिश्ता...

श्री चन्दनमल बैद : आप भी कहिये, जब बाकी कह रहे हैं तो आप भी कहिये।

श्री सभापति : आप दोनों बाहर और...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं कह सकता हूं क्या आपको। आप तो उस वक्त, जब मैं पानी को बू कहता था, तब देखते थे हम तो भाग करके आया करते थे, बैदजी आये; बैदजी आये जैसे कोई चूरण गोली खाके बैदजी आये होंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि सारे प्रक–रण के अन्दर जब आप कह रहे हैं कि मई जून तक हम गन्ना खरीदेंगे तो आप किसान को कैसे लाभान्वित कर पायेंगे। कम से कम यह तो देखिये आप।

दूसरा मैं निवेदन करूं, आपने कहा 75 प्रतिशत गन्ना किसान मिल को दे दे और बाकी गन्ने की चीनी निकाल ले, खांड निकाल ले, गुड़ निकाल ले। आप उस वक्त कह रहे हो जब किसान का गन्ना खड़ा है। आज वित्त मंत्री महोदय इस नये तकनीकी युग के अंदर क्या किसान गुड़ बना लेगा और वह गुड़ बाजार में बिक जायेगा। उस के अंदर भी आपने 75 प्रतिशत की पाबन्दी लगा दी। 75 प्रतिशत तो आपको मिल को देना पड़ेगा। यह दोहरे मापदण्ड क्यों ?

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इसकी जांच करवाने के लिए

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़) :

तैयार हैं। मुझे बतायेंगे कि आपने अनुबन्धित किसान का गन्ना तो कितना खरीदा और गैर अनुबन्धित किसान का गन्ना, जिसका कोई लेना देना नहीं कितना खरीदा। मेरे इन प्रश्नों का कृपया उत्तर दे दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो 131 का स्टेटमेंट दिया है उसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल सत्य पर आधारित हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। मैं माननीय सदस्य का भी आभारी हूं कि गंगानगर की इन्होंने चिन्ता की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मंत्री जी के वक्तव्य पर बात नहीं कह रहे हैं आप इसमें क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं वही पूछना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि एक तो आपने 25 करोड़ रुपया जो बोर्ड ने अभी पास करके भेजा है इसके नवीनीकरण के लिए, क्या उसकी मंशा रखते हैं कि इसका आधुनिकीकरण हो ? 25 करोड़ रुपये का बोर्ड ने प्रस्ताव दिया जो निहायत बहुत जरूरी है। और उसमें बहुत बड़े अधिकारी भी बैठते हैं और उन्होंने आपको भेजा है। नम्बर एक।

नम्बर दो, जो गन्ना किसान का इस वक्त खेत में खड़ा है आज गुड़ बनाने का प्रश्न नहीं है। मैं इसके लिए तो आपका आभार प्रकट करूंगा कि जो राज्य सरकार ने अबकी बार किया है ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में, पूरे इण्डिया में गन्ने की जो रेट बैंदजी दे रहे हैं। बैंदजी जैसे व्यक्ति जिनका एक पैसा भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है उन्होंने गंगानगर के किसान को 12 रुपये ज्यादा दिलाये। इस के लिए तो मैं सरकार का आभारी हूं।

लेकिन साथ ही साथ जो गन्ना आज खेत में खड़ा है किसान बिलकुल, हर वक्त उसके दिमाग में बड़ा भारी टेन्शन है कि मेरा क्या होगा। मेरा गन्ना कहीं मेरे को जलाना नहीं पड़ जाये। कहीं फैंकना ना पड़ जाये। क्योंकि गुड़ बनाने की व्यवस्था सभापति महोदय नहीं है। आज एकदम....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका क्या प्रश्न बनता है वह रखो सीधा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा प्रश्न यह है कि पूरा का पूरा गन्ना चाहे आपको 15 दिन मिला और फालतू चलानी पड़े आप उदारता से यह बात कहिये कि पूरा गन्ना जो भी किसान का है, चाहे वह देर या सवेर, हम पूरा गन्ना खरीदेंगे। एक तो मेरा यह प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इस मिल को जो 100 साल पुरानी मिल है जो 25 करोड़ रुपये के बोर्ड ने नये प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं, क्या उन प्रस्तावों को आप लेने का विचार रखते हैं अथवा नहीं। यह दो मूल प्रश्न हैं। बोल देंगे उसके बाद मैं नई बात कहूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद । मंत्री महोदय ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में बिलकुल साफ कर दिया कि कुल गन्ना पैदा हुआ था 16 लाख क्विंटल । उसमें से 12 लाख 40 हजार क्विंटल 9 तारीख तक हम पेर चुके हैं । अब जो गन्ना बचा है उसको पेरने के लिए 9 तारीख के बाद मुझे कुल 35 दिन मिल चलाने की जरूरत है उसके बाद एक क्विंटल गन्ना भी कोई बचेगा नहीं और उसमें वह गन्ना मैं शामिल नहीं कर रहा हूं जिस गन्ने का लोगों ने गुड़ बना लिया है क्योंकि एक लाख क्विंटल गन्ने का गुड़ बन चुका है यह मेरी जानकारी में है । उसको मैं शामिल नहीं कर रहा हूं ।

उसके बावजूद भी अगर सारे गन्ने को मैं ले लूं तो भी 35 दिन अगर मैं मिल चलाऊं तो गन्ना सारा का सारा खतम हो जायेगा और मेरी, हमारी सरकार की यह मंशा है कि, गंगानगर शुगर मिल को हमने कह रखा है कि जब तक एक दिन का भी गन्ना आपको मिलता हो, आप मिल चलाइये । 15 मई तक तो मिल चलाने का हमने निर्णय कर ही लिया है और जरूरत पड़ेगी तो 31 मई तक मिल हम चलायेंगे । एक बात ।

दूसरी बात यह है कि हमारा यह कोई अनुबंध नहीं है । हम केवल उन किसानों को जिनको एक्स्ट्रा पानी देते हैं उनको यह कहते हैं कि चूंकि हम आपको एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं, इस वास्ते 80 प्रतिशत गन्ना आपको मिल को देना पड़ेगा । इसका मतलब यह नहीं है कि जो एक्स्ट्रा पानी नहीं लेते हैं और गन्ना पैदा करते हैं उनका गन्ना हम नहीं लें । उनका गन्ना भी लेते हैं, उनका भी लेते हैं लेकिन आज स्थिति यह है ही नहीं । हम सारे का सारा गन्ना चाहे हमारे से पानी लेकर पैदा किया हो या बिना पानी लिये पैदा किया जो सारा का सारा गन्ना हम लेंगे और जब तक गन्ना रहेगा तब तक हम मिल को चलायेंगे ।

दूसरी बात जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई 19 लाख रुपये का एक प्रपोजल, प्रस्ताव हमारे पास मिल की तरफ से आया हुआ है । गंगानगर शुगर मिल की तरफ से उसकी हम परीक्षा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि हम उसके विषय में क्या कर सकते हैं ।

मैं इस बात को मानता हूं कि कई समस्याएं हैं गंगानगर शुगर मिल की । पहली समस्या तो गंगानगर शुगर मिल की है आपके एन्वायरमेंट की जो धुंआ निकलता है उसकी, उसके लिए आपको मालूम है कि एक मशीन कुछ लग चुकी है और कुछ इस साल लगने वाली है और वह धुंआ जो पैदा होता है उसका काम हो जायेगा ।

दूसरी समस्या है जो उसका एफ्लुएंट पानी निकलता है उसके बारे में भी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं और वह काम भी इस साल से शुरू कर देंगे ।

(श्री चन्दनमल बैद)

तीसरी समस्या उसके नवीनीकरण की है। नवीनीकरण के लिए भी जो प्रस्ताव आया है, उसकी हम जांच कर रहे हैं।

मैं इस बात को महसूस करता हूं कि गंगानगर शुगर मिल बहुत पुरानी है। एक कोई पहले पुराने सेठ साहब इसको चलाते थे उसको उनसे हमने लिया है, सन 1953 में लिया है। जहां तक मुझे याद है और मैं भूल नहीं रहा हूं तो....

श्री राधेश्याम गंगानगर : 100 वर्ष पुरानी है।

श्री चन्दनमल बैद : वह ठीक है। वह 1905 की मशीन लेकर आये थे लंदन से इसको 1945 में शुरू की थी। उसके बाद 1953 में हमने लिया। जहां तक मुझे याद है। मैं समझता हूं कि गलत याद नहीं है मुझे। 1905 की मशीन है, 1945 में उन्होंने चलाई, 1953 में हमने ले लिया तब से हम चला रहे हैं। तो कई पार्ट तो उसके हमने बदल दिये लेकिन उसकी जो क्रशिंग यूनिट है वह वही की वही है। तो हम यह चाहते हैं कि इसको नये रूप में कर दें।

चूंकि गन्ना ज्यादा पैदा होने लग गया है इस वास्ते हमारी क्रशिंग कैपेसिटी है वह 10 हजार क्विंटल की है। 10 हजार क्विंटल की जगह हम आज साढ़े 8, पौने 9 हजार क्विंटल ही खर्च कर पा रहे हैं। तो 10 हजार क्विंटल की हमारी क्रशिंग कैपेसिटी है उसको हम बढ़ाकर के 15 हजार क्विंटल की रोजाना की क्रशिंग कैपेसिटी कर दें, ऐसा हमारा विचार चल रहा है।

जो प्रस्ताव हमारे पास आया है, उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण करने के बाद जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जरूर करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम गंगानगर शुगर मिल को बन्द कर देंगे या उसको किसी वास्ते छोड़ देंगे। लेकिन हम जरूर करेंगे, और यह भी सही है कि हमने पेमेंट दूसरी शुगर मिल्स जिस तरीके से करती हैं, उससे ज्यादा प्रोम्प्टनेस के साथ हमने पेमेंट किया है।

आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं किसी का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं लेकिन जो बड़े बड़े प्रदेश, जहां गन्ने की बहुत बड़ी मिलें हैं उनका पेमेंट 6-6 महीने, 12–12 महीने नहीं होता है।

लेकिन मैं सारा पेमेंट इस महीने के अन्त तक कर दूंगा और उसके बाद जो अप्रैल महीने का पेमेंट होगा, वह मैं मई में कर दूंगा यह मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो आप मेरे ऊपर यह चार्ज नहीं लगा सकते, जहां आपका राज है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी पैदा होती है, जहां आपका राज है 6–6 महीने, 12–12 महीने पेमेंट शुगर मिल नहीं करती है।

लेकिन मैं एक महीने में पेमेंट कर रहा हूं और मेरे ऊपर यह नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अब पेमेंट का क्या होगा? पेमेंट तो मैंने कर दिया और कर

(श्री चन्दनमल बैद)

दूंगा पैमेंट बाकी नहीं रखूंगा। इस बात की चिन्ता करने की आपको जरूरत नहीं है। न पैमेंट बाकी रहेगा न किसान का गन्ना खेत में बाकी रहेगा। सारी चीजों का इन्तजाम हम करेंगे।

इस वास्ते आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया अच्छा किया आपने; क्योंकि मुझे भी अध्ययन करने का मौका मिल गया और मैंने भी समझ लिया कि गंगा–नगर शुगर मिल ठीक तरह से चल रही है उसका रिनोवेशन करने की जरूरत है। इसको मैं रिन्युएट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं। आपने किसान के बकाया राशि का पैमेंट करने की बात कह दी। आपने किसान का बकाया पैमेंट इसी माह के अन्त तक करने की बात कह दी। बहुत अच्छी बात कही, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

परंतु एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अनुबंध किया आज वह तो अपने ट्रेक्टरों में; ट्रालियों में; ट्रकों में गन्ने को लादे बाहर लाइन में खड़े हैं और जिन्होंने अनुबंध ही नहीं किया उनका गन्ना आप खरीद रहे हैं। इस सारी चीज के अंदर भ्रष्टाचार की कहीं न कहीं गंध आती है।

दूसरा, आपने कहा करार नहीं है। यह माननीय वित्त मंत्रीजी, करार है। करार किसको कहते हैं? कांट्रेक्ट एक्ट के अंदर कोई प्रपोजल होना चाहिये। आपने प्रपोजल दे दिया। एक पत्र छपाकर दे दिया। अक्सेप्टेंस होनी चाहिये, अक्सेप्टेंस हो ही गयी। किसान ने उसको एग्री कर लिया और आपकी फैक्ट्री में सुझावों को कंसिडरेशन तो है ही। आप पानी ज्यादा दे रहे हो और किसान उत्पादन करके 80 परसेंट आपको देंगे। तो यह करार है आपका।

इसलिए मेरा आपसे इसमें यह निवेदन है कि इसकी जांच करवाइये कि जो अनु–बंधित क्षेत्र के किसान, जिन्होंने गन्ना बोया उनका गन्ना पहले प्राथमिकता से क्यों नहीं लिया जा रहा है और आप निर्देश जारी कर दें तो उचित रहेगा। मेरी तो आपसे प्रार्थना ही है कि अनुबंधित किसानों का गन्ना प्राथमिकता से लें..

श्री सभापति : हो गया आपका। आपका प्रश्न हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और इसके अलावा और अगर मिल की कैपेसिटी है तो दूसरे का भी ले लें, अच्छी बात है...

श्री सभापति : आपका प्रश्न हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर अनुबंधित वालों को तो पहले लो और बकाया पैमेंट 3 करोड़ कुछ है। इस पैमेंट के लिये भी आपने घोषणा तो कर दी परंतु क्या मिल प्रशासन कर पायेगा। और मिल प्रशासन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं कर पाया तो राज्य सरकार कर देगी? आप मिल प्रशासन को पेमेंट जल्दी टाइम पर हो जाए इसके लिये क्या एक बार वित्तीय सहायता देने का मन रखते हैं? यह दो बात बता दें; बाकी सारी बात आपने बता दी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के यह ध्यान में लाना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने जैसा कि सवाल किया है...

श्री सभापति : आप तो अपना सवाल करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं उसी सन्दर्भ में कह रहा हूं ना।

श्री सभापति : सन्दर्भ नहीं, आप अपने प्रश्न करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसको लिंक कर रहा हूं। मैं लिंक कर रहा हूं। जो अनुबंध किया था किसान के साथ कि पानी आपको देंगे। उसी के अलावा किसानों ने नरमा, कपास बरबाद हो जाने के बाद किसानों ने गन्ना बो लिया। यह बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उस किसान का भी गन्ना ले रहे हैं जिसके साथ अनुबंध नहीं है। इस बात के लिए यह बधाई के पात्र हैं। अनुबंध वालों का उन्होंने कहा है एक पोरी भी नहीं छोड़ेंगे। अब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि किसान का एक गन्ना भी नहीं छोड़ेंगे तो इसके बाद स्वतः ही यह बात समाप्त हो जाती है।

अब मेरा प्रश्न है कि हमारी यह जो मिल है; मंत्री महोदय, इसकी कैपेसिटी एक हजार क्विंटल की है। जब तक 25 हजार क्विंटल का प्रोजेक्ट नहीं लगेगा यह वायबल नहीं होगा कभी भी।

श्री चन्दनमल बैद : दस हजार क्विंटल की है। दस हजार क्विंटल की है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दस हजार क्विंटल तक की है और 25 हजार क्विंटल तक का नयी टैक्नोलोजी के हिसाब से अगर आप नहीं लगायेंगे तो आगे आने वाले समय में किसान का गन्ना हो जाएगा 40 लाख क्विंटल। जो हमें लेने में बड़ी भारी परेशानी आएगी। अब तो आपकी बड़ी भारी कृपा हो गयी। आपने मेहरबानी की कि आपने उसको पैसा देकर, मशीन के कुछ हिस्सों का नवीनीकरण करके उसको आप चला रहे हैं। यह चलने योग्य नहीं थी। यह भी आपने बड़ी कृपा की है। आपके इंजीनियर्स की भी बड़ी कृपा है। लेकिन आने वाले समय में कोई योजना आपकी है ?

जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था, स्टेटमेंट आया था कि तीन हम नयी शुगर फैक्ट्री गंगानगर में को-आपरेटिव बेस पर लगाना चाहते हैं। अगर वह नहीं तो नरमा, कपास की फसल तीन साल से वहाँ

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बराबर फेल है। एक पैसा भी किसान के घर में आज तक आया नहीं और यह जो पूरा गन्ना ले लेंगे, यह तो वाकई आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आपने ऐसा स्टेटमैंट दिया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता।

आज गंगानगर का किसान रात को घी के दीये जलायेगा। क्योंकि लोगों को एक चिन्ता थी कि कहीं गन्ना हमारे खेतों में न रह जाए और हम कहीं, वे एक दूसरे से आगे भाग रहे थे। मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं....

श्री सभापति : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपस में बात ना करें। आप अपना सवाल रखें। आप अपना सवाल करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसमें गलत नहीं है। मेरे को बड़ी भारी चिन्ता थी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने यह कृपा की है।

मैं पूछना चाहता हूं क्या नयी मिल लगाने का और इस मिल को, गंगानगर में प्रदूषण बड़ा भारी है। आपने खुद माना है एक काले रंग का धुंआ निकलता है और वह सारे घरों के अन्दर, सांस के अन्दर चूंकि बिलकुल हार्ट आफ दी सिटी में मिल है, और मिल की यह हालत है कि आप भी कई दफा वहां पधारे हैं क्योंकि आपकी पुत्री वहां रहती है। तो छत पर सोने का जब मौका मिले तो सुबह उठते ही इतनी-इतनी राख, कपड़े काले, मुंह काला, सिर काला और सब कुछ काला; यह उसकी आज स्थिति है।

वह जो गंदा पानी है अगर आप बर्तन बाहर रख दो तो वह बर्तन ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई एक साल पहले के खराब बर्तन पड़े हों। उनके अंदर पता नहीं वह क्या लग जाती है। मैं काली मेंहदी तो नहीं कह सकता।

इस तरह की पता नहीं क्या चीज उसमें रात–रात में आ जाती है। इतना गंदा पानी जो प्रदूषण बना रहा है गंगानगर के लोगों में, किसानों में, गरीब हरिजन लोग जो उस बस्ती में बसते हैं, खासकर ट्राइबल के लोग वह खाना नहीं खा सकते। वह बैठ नहीं सकते। वह सो नहीं सकते। क्या आप ऐसा विचार रखते हैं कि उस मिल को इंडस्ट्रियल एरिये में, रीको में ट्रांसफर कर के उस मिल से जो पैसा आपको मिलेगा, अगर पैसे की आपके कोई कमी हो तो मैं किसानों की तरफ से कह रहा हूं, हम पूरा आपसे बांड खरीदेंगे। हम पैसा लगायेंगे। आप मिल को बाहर निकाल करके नयी टैक्नोलोजी से 25 हजार क्विंटल का आप नया प्रोजेक्ट लगाइये जिससे गंगानगर के किसानों को लाभ हो इससे।

श्री सभापति : धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह वेलिड कांट्रेक्ट है क्या और लीगल फोर्स है कि नहीं। अगर यह वेलिड कांट्रेक्ट इसको मानकर...

श्री सभापति : कितने सवाल करेंगे आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, बस मेरा तो एक ही सवाल बाकी है।

श्री सभापति : और कर रहे हैं न आप।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, इनकी बात नहीं मानूंगा तो सवाल करते ही रहेंगे यह। मैं जानता हूं। यह मेरे इलाके के रहने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और यह भी जानते हो मेरी बात सबसे ज्यादा मानते आप ही हो। तो मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात मानते तो फिर आपकी यह हालत होती क्या? इधर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप को, इधर आ जाते आप।

श्री सभापति : आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सरकार की तरफ से पूरा उत्तर आ गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी हालत तो ठीक रही है मंत्रीजी, आपकी हालत खराब होते-होते बच गयी। मैं तो आपसे ज्यादा वोटों से जीतकर आ गया, यहां आ गया। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बेसिक कान्ट्रेक्ट है...

श्री चन्दनमल बैद : मैं जवाब दे रहा हूं आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय। आपका उत्तर तो आ गया है सारा।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम जो उनको एक्सट्रा पानी देते हैं उसके बदले में उनसे लिखा कर लेते हैं 80 परसेंट गन्ना वह गंगानगर शुगर मिल को देंगे। हमारी तरफ से उनको कोई यह कंडीशन नहीं है कि हम आपका गन्ना लेंगे, कि हम आपका गन्ना पहले लेंगे। हम गन्ना जो दूसरे हमसे पानी नहीं लेते हैं, वह जो गन्ना पैदा करते हैं उस गन्ने को भी हम लेंगे। उनको इस वास्ते कांट्रेक्ट एग्रीमेंट हम कराते हैं कि चूंकि हम आपको एक्सट्रा पानी दे रहे हैं। 50 क्यूसेक एक्सट्रा पानी हम देते हैं, उस 50 परसेंट एक्सट्रा पानी आपको देते हैं इस वास्ते आपको कांट्रेक्ट यह करना पड़ेगा कि आप 80 परसेंट गन्ना हमको देंगे। लेकिन दूसरे ...(व्यवधान) ठहरिये। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, कोई बात नहीं, एक सेकण्ड। मान लीजिये अगर आप न खरीदें तो वे दूसरी जगह बेचने को स्वतंत्र हैं क्या? या खुद गन्ना बना लें, तो स्वतंत्र हैं क्या? यह और बता दें साथ में।

श्री सभापति : यह ले रहे हैं ना सारा गन्ना। पूरा गन्ना खरीद रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जब कह चुका हूं ---

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां; सरकार न खरीदे तो वे स्वतंत्र हैं क्या

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अपना गन्ना बेचने के लिये।

श्री सभापति : आप इररेलेवेंट बात क्यों करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Agreement is binding on both the parties.

श्री सभापति : जब मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि हम पूरा गन्ना खरीद रहे हैं फिर बात....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं वह तो एक बात हुई। मगर आप न खरीदें तो वे दूसरी जगह बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, या उस गन्ने से शक्कर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यह बता दीजिये आप।

श्री चन्दनमल बैद : अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उनसे कहेंगे ही। अभी जब हमको मालूम हुआ कि फसल ज्यादा हो गयी और हमारी यह कंडीशन थी कि आप गुड़ नहीं बना सकते। तो हमने फरवरी में ही उनसे कह दिया कि आप गुड़ बना सकते हैं और एक लाख क्विंटल का गुड़ बना है। हम किसान को नुकसान पहुंचाने की स्थिति थोड़े ही है। अगर हम किसान को नुकसान पहुंचाते तो पंजाब और हरियाणा से ज्यादा 12 परसेंट पैसे क्यों देते हम उनको। हम तो उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

हम तो चाहते हैं गंगानगर में ज्यादा गन्ना पैदा हो और इस वास्ते गंगानगर में जो रूई की फसल खराब होने लग गयी है, उसमें जो कीड़ा लगने लग गया है उसके कारण से किसानों को जो नुकसान हो रहा है। और किसान जो गन्ना पैदा कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं गन्ना ज्यादा पैदा हो और इसी वास्ते मिल का रिनोवेशन कराना चाहते हैं।

और मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास कोई ऐसा आदमी हो जो प्राइवेट सेक्टर में मिल लगाना चाहता हो, हम उसको अनुमति देंगे।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है; उनके तो कई दोस्त आज बेरोजगार हो रहे हैं। मुझे मालूम है किसी कारण से वह बेरोजगार हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप रोजगार दे देंगे?

श्री चन्दनमल बैद : हां, वह बेरोजगार हो गये मुझे मालूम है। तो आप उनसे कहिये आपके हिस्सेदार हैं वहां उनसे कहिये आप कि मेहरबानी करके आप गंगानगर में मिल लगा लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्री जी, आपने ठेका ले लिया मेरे परिवार के रिश्तेदारों को रोजगार देने का?

श्री चन्दनमल बैद : आपके परिवार की बात नहीं कह रहा। आपके तो हिस्सेदार हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे मित्रों का ले लिया क्या ? नहीं, आपने मेरे मित्रों का ले लिया क्या ? आप क्या हल्की–फुल्की बात करते हैं। कौन बेरोजगार हो रहा है ? यह क्या बात हुई ? आप सीनियर आदमी हैं। आप क्या समझते हो इस तरह से बोलकर के आप मूल प्रश्न से डाइवर्ट कर दोगे ? यह मेरा अधिकार है वित्त मंत्रीजी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। शान्ति से सुनें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई बेरोजगार हो गये। यह रोजगार दे देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : क्या बात कह दी मैंने....(व्यवधान) मैंने क्या बात कह दी।

श्री सभापति : ऐसी कोई बात नहीं कही है, आप विराजें।

डा. किरोड़ी लाल : हल्की बात कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं कोई हल्की बात नहीं कही है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : क्या हल्की बात कह दी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : यह क्या बात हुई.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा कि आपके अगर कोई मित्र....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, बेरोजगारों को तो रोजगार दे दिया... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : बेरोजगार हो गये हों, पूंजीपति और वह मिल लगाना चाहें तो मैं उनको इजाजत दे दूंगा। इसमें क्या हल्की बात कह दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बेरोजगार को रोजगार दे रहे हो....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपके मित्र कोई बेरोजगार हो गये हों पूंजीपति मित्र.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा था आपका मतलब है बेरोजगार हो गये... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान में बहुत से बेरोजगार हैं उनको रोजगार दीजिये..(व्यवधान) हमारे रिश्तेदारों को, नातेदारों को मत दीजिये....(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या हो गया.... (व्यवधान) क्या हो गया यह माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान में बहुत से बेरोजगार हैं उनको रोजगार दीजिये....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मिल लगाने का निमंत्रण ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उनको रोजगार दे दें। हमारे सब मित्र हैं ...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : दे रहा था तो क्या बुराई कर रहा हूं ....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपके मैनिफेस्टो में ....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मिल लगाने का निमंत्रण दे रहा हूं। राधेश्याम जी को भी मैंने निमंत्रण दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान में बहुत से बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें। हमारे रिश्तेदारों को तो छोड़ दीजिये.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं अगर केवल राधेश्याम जी को कहता कि आप अपने मित्रों से कहिये कि प्राइवेट सैक्टर में मिल लगायें तो मैं उनका स्वागत करूंगा तो आप कहते कि आपने कांग्रेसियों को कह दिया मुझे नहीं कहा तो मैंने आपको भी कह दिया कि आपके पूंजीपति मित्र बेरोजगार हों और वह मिल लगाना चाहें तो कहिये मुझे, मैं मिल लगाने की अनुमति दूंगा। यह क्या बुरी बात कह दी मैंने ? (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश कृपलानी : पूंजीपति बेरोजगार होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं हो तो मत कहियेगा.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे से पहले तो आपके होने चाहिए...(व्यवधान) मेरी तो जरूरत ही नहीं है, सामने खड़े हैं वह वहां लगा सकते हैं मिल।

श्री चन्दनमल बैद : दूसरी बात यह है कि 31 मार्च तक जो गन्ना आया है मिल में उसका पैमेन्ट इस महीने के अंत तक मैं कर दूंगा। यह मैंने कहा है। 31 मार्च तक जो मेरा गन्ना आया है उसका पैमेन्ट इस महीने के अन्त तक कर दूंगा और इस महीने में जो गन्ना ला रहे हैं उसके पैमेन्ट का भी इंतजाम करूंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : कौनसा सवाल ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, आप इस तरह ना करिये। कृपया करके आप गंगानगर का सवाल है। मेरे को भी दो सवाल तो पूछ लेने दें।

श्री सभापति : आप एक सवाल पूछें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा निवेदन है कि मैंने यह प्रार्थना की थी कि गंगानगर के अन्दर क्या नयी मिल जो नयी टेक्नोलोजी की हो, गंगानगर की हालत जो उस मिल से खराब हो रही है, क्या

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आप इस मिल को गंगानगर से बाहर लगाने का कोई विचार रखते हैं, नम्बर एक।

नम्बर दो, आप दूसरी नयी मिल जो कि केवल आपने यह बात कह दी कि कोई एन.ओ.सी. हम दे देंगे, क्या हमारी गवर्नमेंट नयी मिल बनाने का कोई विचार रखती है ? जब तक नयी मिल नहीं बनेगी....(व्यवधान) गंगानगर के किसान अगली दफे ऐसी हालत हो जायेगी, 60 लाख क्विंटल गन्ना गंगानगर में होगा जो इस मिल की क्षमता नहीं है।

मैं आपको वक्त रहते यह निवेदन कर रहा हूं कि आप इसमें पूरा प्रयास कीजिये क्योंकि यह किसानों के हित की सरकार है और किसानों का भला सोचना अपना धर्म है।

कृपया आप यह घोषणा कीजिये कि नई मिल आप गंगानगर में स्थापित करेंगे और इस मिल को गंगानगर शहर से बाहर रीको में या और कहीं किसी भी गांव में दूरदराज, जहां इसके प्रदूषण से मुक्ति हो और नयी टैक्नोलॉजी तरीके से जो 25 लाख टन की मिल लगे जो अपने प्रोजेक्ट में प्रबल हो। यह घाटे का प्रोजेक्ट है।

श्री सभापति : मंत्री जी समझ गये हैं आपकी भावना को।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपका वहां एग्रीमेंट हुआ और उसके आधार पर जब आपने कुछ सुविधाएं दीं उन पर यह शर्त थी कि जो गन्ना पैदा होगा वह आपको ही बेचेंगे, ठीक हुआ। लेकिन मान लो अब आप गन्ना न खरीदें तो आपने यह प्रतिबंध लगा दिया कि वे गन्ना न तो किसी को बेचेंगे और न गन्ने का कोई प्रोड्यूस पैदा करेंगे। जब आप नहीं खरीदो तो क्या किसान स्वतंत्र है कि वह किसी को बेच सकता है या गन्ने का कोई उपयोग कर सकता है ? इतना और बता दीजिये।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्रीजी उत्तर देने को तैयार हैं। एक सवाल की ही बात है।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। अनुदान की मांग पर विचार। श्रीमती कमला, सिंचाई मंत्री अनुदान की मांग संख्या 46 विचार हेतु प्रस्तुत करेंगी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन सहित) की प्रस्तुति

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्रीमती कमला)

14,80,02,92,000 (चौदह अरब, अस्सी करोड़, दो लाख, बयानवें हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सामान्य श्रेणी में भू-आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(2) पाक विस्थापितों द्वारा दस्तावेज पंजीयन में आने वाली दिक्कतों के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर)

(3) मण्डावर में सिंचाई विभाग का एक भी बांध नहीं होने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

(4) कैनेडी नहर के हेड पर स्थित चकों में सिंचाई सुविधा के सुधार हेतु पूगल शाखा से लिंक चैनल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(5) बीकानेर जिले के पाक विस्थापितों के लिये दस्तावेज पंजीयन के लिये 1981 की मतदाता सूची के बजाय भारतीय नागरिकता वर्ष 1978 प्रतिस्थापित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

(6) पानी के कटाव को रोकने तथा कुओं में पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाने के कारण छोटे-छोटे एनीकट तथा बांध बनाकर पानी को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

(7) गंग कैनाल नहर का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(8) इंदिरा गांधी नहर में जमी हुई कई फुट सिल्ट निकलवाने तथा नहर का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(9) गंग कैनाल में पानी पूर्ण मात्रा में छोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(10) गंग कैनाल की वितरीकाएं एवं खालों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(11) गंग कैनाल में पंजाब से अपने हिस्से का पूरा पानी लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

(12) राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के हिम्मतगढ़ सिंचाई परियोजना के डेम व नहरों का कार्य समय

(श्री फतेह सिंह)

पर पूरा नहीं कराने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(13) राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गोपालपुरा, पीपलोन (कुण्डोया) टिडिया देव, देवडी नाका, अधूरी सिचाई योजनाओं को पूर्ण नहीं कराने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के के लिये।

(14) राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सिचाई के पुराने तालाब, बियापाड़ा, गोयका प्रसाद (टाकी), चोटीका, नवागांव, चनरा खुंटा की नहरों को पक्की कराने व रख रखाव के लिये धन उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(15) राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के नागदा चोड़ा दरा, बिजोरी, सुनारीया, कलोजरा तालाबों की नहरें पक्की नहीं कराने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(16) राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिचाई परियोजनाओं की देख भाल व समय पर पानी छोड़ने के लिये मिस्त्रियों के रिक्त पद भरने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

(17) साहुवा योजना से लाभांवित होने वाले लूणकरणसर तहसील के 10 गांवों के लिये स्वीकृत हुई सब ब्रांच के निर्माण कार्य को तेजी से सम्पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

(18) इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गडरा रोड शाखा की कम क्षमता जान-बूझकर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(19) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन बाड़मेर जिले के किसानों को लम्बी किस्तों पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

(20) प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पाडलीया बांध, भंवर सेमला बांध, बजरगढ़, चाचा खेड़ी एवं हुमजिया खेड़ी बांध की धीमी प्रगति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(21) जाखम बांध का पानी प्रतापगढ़ नगर एवं गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (बहाजपुर)

(22) बहाजपुर क्षेत्र की लम्बित सिचाई योजनाओं को स्वीकृत करने में हो रहे विलम्ब से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(23) सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण समय पर करने हेतु अवधि सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(24) जहाजपुर क्षेत्र में एनीकट निर्माण की रोक को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(25) जहाजपुर क्षेत्र की अधूरी सिंचाई योजनाएं पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी)

(26) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम पंचायत नगला बुलहैरा एवं जगावली के क्षेत्र में धाधरखेड़ा बांध जिसका सर्वे किया जा चुका है लेकिन इस पर कोई कार्य शुरू नहीं किये जाने से इन ग्राम पंचायतों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(27) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के गांव मकसोदा में फर्स के ताल पर एनीकट निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त भौगोलिक स्थिति होते हुए भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(28) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बझोल पार्वती नदी पर निर्माणाधीन पार्वती बांध के समय पर पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री अमीन खान (शिव)

(29) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजस्थान के सभी जिले के लोगों को भूमि आवंटन करने हेतु तथा नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राम प्रताप (हनुमानगढ़)

(30) गंग कैनाल व भाखड़ा नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(31) इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के प्रथम चरण के खालों की किस्त माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(32) गंग कैनाल की जीर्णशीर्ण अवस्था की वजह से क्षमता से कम पानी छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(33) भाखरा नहर की सादुंल ब्रांच की क्षमता लम्बे समय से नहीं बढ़ाये जाने तथा बड़े सिंचाई क्षेत्र शामिल हो जाने से पुर्नक्षमता निर्धारित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(34) हनुमानगढ़ जिले में व्याप्त सेम की समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं किये जाने से कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

(35) झुंझुनूं जिले में सिंचाई की सुविधा नहीं होने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकर लाल अहारी (चोरासी)

(36) डूंगरपुर जिले में अमरपुरा परियोजना का निर्माण शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(37) डूंगरपुर जिले के माणासिवल गोडोघाटा, निलकंठ महादेव, मीठीबोर काफरा ग्रामों पर एनीकट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(38) डूंगरपुर जिले के मेवाड़ा परियोजना के बांध से गांव डूब में आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(39) डूंगरपुर जिले में बोरका आटड़ा, राताघाटा बांध स्थलों का सर्वे कराकर निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

(40) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र को चांचला नहर से लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

(41) पंचायत समिति डूंगला (चित्तौड़गढ़) में माता खेड़ी बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(42) ग्राम पीन्ड पंचायत समिति बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में प्रस्तावित पीन्ड बांध के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

(43) बीसलपुर केचमेंट के कारण चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमन्द क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(44) राज्य में बहने वाले छेमी नाले जिनमें दिसम्बर–जनवरी तक पानी रहता है में मैदानी क्षेत्र में एनीकट बनाकर जल ग्रहण बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(45) मांसी वाकल योजना अति शीघ्र प्रारंभ कर उदयपुर क्षेत्र को तुरन्त पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

(46) सिंचाई विभाग के बांधों, तालाबों की मोरियां, नहरें आदि ठीक नहीं होने से उपलब्ध पानी का समुचित उपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(47) भिनाय क्षेत्र के ग्राम दोयली, देवरिया माछयावड़ व झाड़ोल में नये लघु सिंचाई तालाबों का सर्वे कर स्वीकृत

(श्री सांवर लाल)

न करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

(48) पंचदेवल सिंचाई परियोजना (जिला सिरोही) में माइनर नं.8 बाद्का का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(49) माइलागोड़ (जिला सिरोही) सिंचाई परियोजना का निर्माण शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(50) कैलाश नगर (जिला सिरोही) सिंचाई परियोजना का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(51) जवाई बांध (जिला पाली) से शिवगंज (जिला सिरोही) तहसील को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

(52) भूमिहीन विधायकों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कम से कम एक मुरब्बा भूमि (25 बीघे) उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

(53) पंचायत समिति बालोतरा ग्राम पिण्डारन, रेवाड़ा, लेबरी रोडवा खुर्द और मूलकी ढाणी और कारवा में तालाब खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

(54) खानपुर विधान सभा क्षेत्र में कैनाल नहर जगह–जगह टूटने से किसानों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(55) खानपुर विधान सभा में कैनाल नहर पर उचित समय पर पानी न छोड़ने से फसलों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

(56) पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की सूरतगढ़ ब्रांच से प्रेमपुरा तक एक माइनर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

(57) बूंदी में सिंचित विकास क्षेत्र नहरों एवं वितरिकाओं के रख रखाव व मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला भूखलाल (कपोटरा)

(58) कपोटरा विधान सभा क्षेत्र में जगह-जगह से टूटी नहरों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(59) कपोटरा विधान सभा क्षेत्र में

(श्रीमती कमला भूंजलाल)

उचित समय पर पानी नहीं मिलने के कारण फसलों के खराब होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(60) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में नहरों की समय पर सफाई न होने के कारण टेल पर पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

(61) नीमकाथाना क्षेत्र के बांधों की मरम्मत व अधूरे बांधों को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(62) वर्षा के पानी को जगह–जगह रोककर एनीकट बनवाये जाने की आवश्य–कता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

(63) बंथली सिंचाई परियोजना का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय छबड़ा में स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(64) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में आने वाली सिंचाई परियोजनाओं को वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(65) फलिया सिंचाई तालाब का निर्माण शीघ्र चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(66) बंथली सिंचाई परियोजना की नहरों का निर्माण कार्य धीमी गति से करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

(67) जगर बांध की मुख्य नहर शेरपुर से जटवाड़ा तक नई नहर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(68) हिण्डौन क्षेत्र के जगर बांध से हिण्डौन, बनकी, बाजना कला, रेवई, बयारदा आदि ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(69) हिण्डौन क्षेत्र के जगर बांध को पांच फीट और ऊंचा उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

(70) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृति होने के बावजूद कारोइ (केरपुरा) बांध का कार्य चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(71) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में करकड़ा बांध ग्राम सुखपुरा (गुरारा) की मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महादेव सिंह)

(72) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में मोडाला बांध ग्राम पनिहारवास का निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(73) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोटड़ी (लुहारवास) में बांध नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(74) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में एनीकट नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

(75) कालख बांध को सिंचाई योग्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर)

(76) चिकसाना बांध के आसपास के गांव में पानी भरे रहने के कारण लगभग 500 बीघा खेती की बुवाई नहीं होने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(77) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में सिंचाई विभाग के अधीनस्थ समस्त क्षतिग्रस्त पुलिया एवं पुलों के निर्माण नहीं होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(78) सन् 1995 व सन् 1997 में भरतपुर में आयी भयंकर बाढ़ से सिंचाई व्यवस्था में हुए भारी नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(79) भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में अजान बंध से व्यवस्थित रूप से सिंचाई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को हो रही असुविधा के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

(80) कुओं में पानी का स्तर प्रतिदिन गिरने के कारण छोटे-2 एनीकट तथा बांध बनाकर पानी का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह (नदबई)

(81) विधान सभा क्षेत्र नदबई में खारे पानी के स्थान पर मीठा पानी चम्बल से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(82) यमुना का पानी भरतपुर को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरुण सिंह (डीग)

(83) डीग एस्केप और भरतपुर फीडर को ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(84) भरतपुर को चम्बल का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अरूण सिंह)

(85) डीग-भरतपुर को यमुना का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(86) ककडा बांध को ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

(87) किसानों की मांग एवं पानी के कुओं के स्तर में बढ़ोतरी की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए बस्सी तहसील के गांव दोपर, कालियावा एवं लालगढ़ के अपूर्ण बांध को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(88) अकाल राहत योजनाओं में सिंचाई विभाग द्वारा बांधों पर 5 लाख से 35-35 लाख रुपये खर्चा करके सैकड़ों बांधों का निर्माण करने के बाद भी विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(89) जिला जयपुर तहसील बस्सी के गांव कानोता का बांध 1981 से अब तक पूरा नहीं होने व कार्य अत्यन्त धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(90) खारली बांध चाकसू (जयपुर) का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी कृषकों को अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं देने से कृषकों में व्याप्त भयंकर असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) एवं
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

(91) आर.एम.सी.(प्रथम) में डाबर सिस्टम में टेल पर पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(92) आर.एम.सी. (प्रथम) डाबर सिस्टम में सफाई एवं मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(93) आर.एम.सी. (प्रथम) की नहरों की ड्रेनों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं
श्री शिव नारायण (बारां)

(94) परवन नदी पर ब्यावर गांव की पुलिया के लिए कम राशि आवंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिव नारायण (बारां)

(95) बारां जिले की अन्ता तहसील क्षेत्र में नहरों के अतिरिक्त पानी को ड्रेनेज बनाकर निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(96) बारां तहसील क्षेत्र में पार्वती नहर से टेल के किसानों की खेती के लिए

(श्री शिव नारायण)

पानी नहीं मिलने से पार्वती नहर की मरम्मत और सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(97) बारां जिले की वृहद एवं मध्यम व लघु सिचाई परियोजनाओं की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(98) परवन लिफ्ट पर आनन-फानन में उद्‌घाटन कर विभाग की राशि का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(99) पार्वती नदी पर गूगोर, कोटडा घाट एवं अंधेरी नदी पर स्टाक डेम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

(100) सिचाई हेतु पानी के संरक्षण हेतु विशेष उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(101) अजमेर जिले में अव्यवस्थित तालाबों की विशेष मरम्मत व नालियां पक्की कराने हेतु विशेष पैकेज योजना बनाकर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(102) अजमेर जिले में अण्डर ग्राउण्ड जल बहुत नीचे चले जाने से व डार्क जोन होने से सिचाई के साधन खत्म हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(103) अजमेर जिले में सतही वर्षा के पानी को, जो बहकर समुन्द्र में चला जाता है, रोककर सिचाई के लिये उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(104) अजमेर जिले को चम्बल नदी से लिफ्ट नहर बनाकर सिचाई के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

(105) अलवर जिले में यमुना का पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(106) साबि नदी का पानी बांध बनाकर रोक कर सिचाई के उपयोग में लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(107) तिजारा में सूरजमुखी ब्रांच से सिचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

(108) ग्राम बैग पहाड़ी, रसूलपुर, पथलैड़ी, नांगल मुबापुरगढ़ी, ककराला, जटवास कोलरी आदि ग्रामों को वर्षा के पानी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिये बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(109) पापड़ा बांध से निकलने वाली नहर की मरम्मत कराये जाने तथा उक्त नहर के उपयोग में अधिगृहीत की गई भूमि का शीघ्र मुआवजा दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(110) सेक बांध से निकलने वाले दो मोरा से ग्राम बलेनी चंदा का बास आदि गांवों को होने वाले नुकसान को रोका जाये तथा नहर की पुनः खुदाई कराई जाकर इसे ककड़ा बांध तक बढ़ाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(111) नगर क्षेत्र के हर्षपुर में बन्ध नहर जो सीकरी को जाती है की गहराई बढ़ाकर मरम्मत कराई जाने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

(112) सिंचाई विभाग में दिनांक 12-3-99 को कनिष्ट अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी से सहायक अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी हेतु जारी वर्ष 1996-97 की विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारियों को वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(113) ग्राम कोठिया, बबेरा में बरसात में आये पानी से बरबादी एवं बांध बनाने व बानसूर (57) के ग्राम कोठिया, बबेरा, लांगन लाखा में बरसात का पानी पहाड़ों से आता है जिससे गांवों के घरों में पानी भर जाता है उससे भारी नुकसान होता है वहां पर बांध बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम (धोद)

(114) सीकर जिले को यमुना जल दिये जाने की योजना का क्रियान्वयन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(115) विशेष आवंटन से राज्य के भूमि हित एवं गरीब किसानों के हितों को हो रहे नुकसान के कारण विशेष आवंटन रद्द करवाने हेतु एवं इन्दिरा गांधी नहर द्वितीय फेज के आवंटन में हो रही धांधलियों को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(116) राज्य में सिंचाई दरों को दुगनी करने से उत्पन्न स्थिति एवं इसे वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(117) धोद विधान सभा क्षेत्र के हुर्ष एवं भातरी ग्राम में बांध का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

(118) राज्य के सूखे क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने; यमुना एवं गंगा फ्लड वाटर में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गणेशी राम मेघवाल (जालौर)

(119) जालौर शहर के पास वाले पहाड़ का पानी रोक कर सिंचाई में काम लेने एवं जालौर जिले के ही छोटे–छोटे बांधों की संग्रहण क्षमता बढ़ाये जाने और समीपस्थ नदी नालों का पानी उनमें डाले जाने तथा धवला ग्राम के पहाड़ का पानी रोक कर सिंचाई बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह (सादुलपुर)

(120) सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के सिधमुख ब्रांच से जुड़े हुए गांवों के अतिरिक्त अन्य गांवों को इस ब्रांच का पानी देने के लिए इसी बजट वर्ष में सर्वे करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(121) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सिधमुख ब्रांच का कार्य इसी बजट वर्ष में चालू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(122) यमुना पानी के समझौते की पालना करवाकर इसी बजट वर्ष में सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्य चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

(122अ) इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के कार्यों में तकनीकी कमी रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(123) जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर (उपनिवेशन क्षेत्र) में भूमि आवंटन में सद्भावी काश्तकार को परिभाषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(124) उपनिवेशन क्षेत्र इन्दिरा गांधी नहर की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(125) इन्दिरा गांधी नहर के घटयाली तथा तनोट उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)

(126) लाडपुरा (कोटा) में प्रस्तावित बालापुरा लिफ्ट परियोजना की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना)

(127) धौलपुर के पास एवं रहू घाट मडरायल के पास से लिफ्ट योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(128) गम्भीर नदी (बयाना) पर एनीकट बनाकर सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(129) कुकुन्द नदी (बयाना) में सिल्ट होने से करीब 120 गांवों की तबाही होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(130) किवाड़ नदी, बसेड़ी (धौलपुर)

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

पर एनीकट बना कर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(131) बन्द बारैठा (भरतपुर) की नहरों के सेलूसलीक की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

(132) उपनिवेशन विभाग द्वारा चक 26 एसएलएम मू.न. 206/49, 206/50, चक-21 मू.न. 207/44, 207/51, 227/02 उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं.2 को विशेष आवंटन की प्रथम किश्त मय ब्याज बैंक द्वारा जमा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(133) उपनिवेशन विभाग द्वारा विशेष आवंटन के लिए नियम-13-ए के अंतर्गत गजट में प्रकाशित कृषि भूमि को सामान्य आवंटन के लिए प्रकाशित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(134) उपनिवेशन विभाग द्वारा विशेष आवंटन की कृषि भूमि की प्रथम किश्त मय ब्याज के जमा कराने के उपरान्त उक्त भूमि को सामान्य आवंटन हेतु प्रकाशित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मय लाल (रूपवास)

(135) रूपवास क्षेत्र की नहरों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निहाल चन्द (रायसिंह नगर)

(136) रायसिंह नगर तहसील का गंग कैनाल लखा माइनर पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल नीनामा (घाटोल)

(137) विधान सभा क्षेत्र घाटोल की माही बांध की नहरों के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)

(138) जाखम डेम का ओवर फ्लो जयसमन्द में एवं देलवास तालाब का ओवर फ्लो भावण्डा तालाब में डालकर छोटे-छोटे एनीकट्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

(139) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गनाहेड़ा की रपट को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(140) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लेसवा में बांध का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(141) अजमेर जिले के गोविन्दगढ़ बांध के पानी से गोविन्दगढ़ गांव की भूमि की सिंचाई करने हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

(142) बीसलपुर परियोजना के जल एवं लाभ से टोंक जिले को पूर्णतया वंचित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा)

(143) रायपलियास बांध व नहरों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(144) लसकी बांध व उसकी नहरों व तालाबों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

(145) अधिशासी अभियंता, सर्वे एवं अनुसंधान खण्ड, इन्दिरा गांधी नहर, जैसलमेर द्वारा दिनांक 23-12-1998 को खोले गये टेण्डर्स में 30 लाख का घोटाला किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(146) इन्दिरा गांधी नहर से लाडनूं लिफ्ट कैनाल जो पूर्व में बनाई गई थी, को अभी तक मूर्त रूप नहीं दिये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(147) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के ठेकेदार संघ, जैसलमेर व कर्मचारी संघ, बीकानेर द्वारा अधीक्षण अभियंता, वृत–5 व अधिशासी अभियंता, खण्ड–15 जैसलमेर के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(148) इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट के जरिये नागौर जिले में पानी लाने में सरकार के विफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

(149) चौमूं तहसील के मोरीजा चन्दवाजी रोड पर बंदोल के पानी को रोक कर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(150) चौमूं तहसील में नीवाना-खेजरोली रास्ते में वर्षा के पानी से कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(151) चौमूं तहसील की ग्राम पंचायत मांगल भरड़ा में क्षतिग्रस्त बांध को पुनः निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

(152) विधान सभा जैतारण के ग्राम कठवोर एवं बख्तावरपुरा में भूमि के कटाव को रोकने हेतु बांध बनाकर लाभांवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(153) बाबरा बांध का पानी खाली नहीं किये जाने से नाहरपुरा, कर्णपुरा, मोहराखुर्द, प्रतापगढ़ के काश्तकारों की जमीन डूब में आने से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(154) गरनिया एनिकट की रपट का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(155) रूपनगर (रास) एनीकट एवं चहुावतों की ढाणी (प्रतापगढ) रपट निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(156) बख्तावरपुरा कुड़की के क्षतिग्रस्त एनीकट की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल (बागीदोरा)

(157) माही परियोजना की एल.एम. सी. की समस्त नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने में राज्य सरकार के असमर्थ रहने पर चर्चा के लिये।

(158) माही परियोजना की एल. एम.सी. अतिरिक्त आनन्दपुरी क्षेत्र के कार्यों को पूरा करने में राज्य सरकार के असफल रहने पर चर्चा के लिये।

(159) माही परियोजना की एल.एम. सी. की अरथूना डिस्ट्रीब्यूटरी की माइनर कोटड़ा में लाखों रुपयों का गबन किया है, उसकी जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(160) माही बजाज सागर परियोजना में आने वाले विस्थापित किसानों को भूमि आवंटित करने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

(161) माही बजाज सागर परियोजना के लाइनिंग कार्य को पूर्ण करने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

(162) राणा प्रताप सागर बांध, सिंचाई उपखण्ड-रावतभाटा द्वारा डूब विस्थापितों को निःशुल्क सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु लिफ्ट सिंचाई की सुविधायें पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(163) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 30 वर्ष पूर्व बने घोराई बांध की नहरों को पक्की कराने हेतु और अधिक बजट दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(164) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना, बूंजका को प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(165) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना जैसे—मेनाली, जल सागर भंवर त्रिफला, शेषनाथ जी का खेड़ा का तालाब, नंगपुरा जमरेथा कवाड़िया नाला का सर्वे कराकर, स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(166) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विभिन्न नालों व नदियों पर एनीकट्स

(श्री घनश्याम जैन)

बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

(167) बूंदी जिले में चापल बांध परियोजना व बारां जिले में रकसपुरिया लिफ्ट स्कीम की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(168) विधान सभा क्षेत्र, पीपल्दा में स्थित गणेशगंज लिफ्ट स्कीम में धीरे व आऊट लेट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

(169) केकड़ी क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं में और बढ़ोतरी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

(170) बायीं नहर की कापरेन ब्रांच व पाटन ब्रांच के अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचाने से फसलें सूखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री हेमाराम चौधरी।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामलानी) : सभापति महोदय, आज हम सिंचाई की मांग पर चर्चा करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदया का ध्यानाकर्षण इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत मुरब्बा आवंटन के बारे में किया था। राजकीय भूमि का आवंटन दो प्रकार से किया जाता है। एक सामान्य आवंटन और एक विशेष आवंटन। सामान्य आवंटन केवल जैसलमेर जिले में जैसलमेर के लोगों को और उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और विस्थापितों को किया जाता है। विशेष आवंटन जो 15 साल से राजस्थान के निवासी हों और सद्भावी काश्तकार हो उनको ज्यादा कीमत पर किया जाता है।

इंदिरा गांधी नहर पर विशेष आवंटन के तहत नियम 13(ए) के तहत कुछ मुरब्बों का नोटिफिकेशन जारी किया; गजट में उनको लाया किया और काश्तकारों ने उन मुरब्बों के आवंटन के लिए आवेदन किया। उसमें बहुत सारी जटिल प्रक्रिया थी तो भी उसको पार करके आवेदन जमा करवाया और 500 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करवायी। उसके बाद में उन मुरब्बों के आवंटन की सूचना उन आवेदकों को नहीं दी गयी जिसके कारण उनके अलाटमेंट खारिज कर दिये गये। बाद में वह लोग जैसलमेर उपनिवेशन विभाग में गये और वहां पर उन्होंने जानकारी हासिल की तो उन्हें पता लगा कि उनके अलाटमेंट के आदेश हुए, उसके नोटिस भेजे गये और उसके उपरांत भी उन्होंने 35 परसेन्ट जो प्रथम बार जमा करानी होती है, वह जमा नहीं करायी इसलिए अब उनका अलाटमेंट नहीं हो सकता; खारिज कर दिया गया।

(श्री हेमाराम चौधरी)

बाद में उन लोगों ने उसकी अपील की और अपील में उनके पक्ष में निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद में उन लोगों ने प्रथम किश्त की राशि 35 परसेन्ट मय ब्याज के जमा करवा दी। सहायक आयुक्त, उपनिवेशन ने उनका चालान काटा। उस चालान के जरिये राशि बैंक में जमा करवा दी।

सभापति महोदय, उसके बाद में आज दिन तक उनको अलाटमेंट लैटर नहीं मिला है, कब्जा नहीं मिला है। 35 परसेन्ट राशि जमा कराने के बाद में उन मुरब्बों को डी–नोटिफाई करके सामान्य आवंटन के लिये आरक्षित कर दिया।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी से यही निवेदन है कि जिन मुरब्बों की 35 परसेंट राशि मय ब्याज जमा करवाने के लिये काश्तकारों को उपनिवेशन विभाग द्वारा चालान दिये गये, वह राशि चालान के जरिए उन्होंने बैंक में जमा करवा दी।

इसके उपरांत भी आज भी वे काश्तकार दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कोई उनको जवाब देने को तैयार नहीं है। यह बात मैंने यहां भी उठाई है, मंत्री महोदय के समक्ष भी उठाई है और मुख्य शासन सचिव, कृष्णा भटनागरजी से मिल कर भी उठाई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने टाइम पर पैसा जमा क्यों नहीं कराया। टाइम पर नहीं कराया, यह गलती भी उनकी ही निकाली। नोटिस उनको दो नहीं, उनको परेशानी हुई, उन्होंने अपील की।

अपील में उनको कितनी परेशानी हुई, अपील का फैसला उनके हक में हुआ। फिर आपने उन अपीलों के फैसले के आधार पर चालान काटा, पैसे जमा कराये, उसके बाद आपने उन मुरब्बों को डिनोटिफाई कर दिया। विशेष आवंटन से हटाकर सामान्य आवंटन के लिए रिजर्व कर दिया। सभापति महोदय, फिर उन काश्तकारों के साथ क्या बीतती है ...।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : किन गांवों या किन तहसीलों के लगभग कितने लोगों के ऐसे मसले हैं, उनमें मौके पर कोई अधिकारी भेजकर इनको आइडेंटीफाई करके, उनकी क्या श्रेणी है, क्या स्थिति है, उसको मालूम कराया जाए, अगर हो तो दे दें मुझे।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरे पास आपके नाम से भी दरख्वास्तें मौजूद हैं, पहले मंत्री महोदय मोटवानीजी के नाम से लिखी थीं, वे अस्वस्थ हो गए इसलिए दे नहीं पाया। मैंने भटनागर साहब को दी हैं, मेरे पास भी पड़ी हैं, इसके बाद मैं आपको भी प्रस्तुत कर दूंगा।

उन मुरब्बों का आपको निवेदन किया कि कौन-कौनसे मुरब्बे हैं, थोड़ी-सी मेरे पास सूचना है, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। तहसील मोहनगढ़, नम्बर दो के चक नम्बर 23, एस.एल.एम. मुरब्बा

(श्री हेमाराम चौधरी)

नम्बर 206/55, 226/15, 226/16, इनकी राशि दिनांक 10-1-98 को चालान संख्या 7,8,9,10 के जरिए राजकोष में जमा करवा दी गई।

परन्तु इसके बाद भी इनको डिनोटिफाई कर दिया जिसकी वजह से आगे इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इन काश्तकारों के नाम भी मैं अर्ज कर दूं। बाधाराम पुत्र लादाराम, जाट निवासी बोड़वा डोगियालो की ढाणी, दूसरा प्रार्थी उमाराम पुत्र पुसाराम, जाट निवासी बोड़वा खारवा बेरा...(व्यवधान) संख्या तो मुझे मालूम नहीं, विभाग उनकी जांच करके पता कर सकता है।

मेरे पास जो जानकारी है, उनको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इन दो काश्तकारों ने विभाग के आदेशों के मुताबिक चालान के जरिए राशि जमा करवा दी और डिनोटिफाई होने की वजह से न तो इनको कोई अलाटमेंट लेटर मिला और न कब्जा मिला और ये काश्तकार आज भी परेशान हैं और सहायक उपनिवेशन आयुक्त जैसलमेर, मंत्रीजी और मेरे पास, चक्कर काट रहे हैं।

तहसील मोहनगढ़ नम्बर तीन, चक नं. 62, एस.एल.डो., मुरब्बा नम्बर 222/30, इन्होंने भी राशि जमा करवा दी 22-9-97 को और इसके सात माह बाद 7-5-98 को इन मुरब्बों को डिनोटिफाई करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेजा, सरकार ने 4-6-98 को डिनोटिफाई कर दिया। अब इन काश्तकारों की इसमें क्या गलती है, जिसके लिए वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

उपनिवेशन मोहनगढ़, नम्बर तीन के चक नम्बर 59, एस.एल.डो., मुरब्बा नम्बर 221/3, 201/59, 221/16, 221/13, 221/5, 221/12, 221/11 के निर्णयानुसार 35 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराने के बाद डिनोटिफाई होने से इनको न आज दिन तक अलाटमेंट लेटर मिला है, न कब्जा मिला है।

मोहनगढ़ की तहसील नम्बर 3/चक नं. 39, एस.एल.डो., मुरब्बा नम्बर 185/19, इसका भी काश्तकार ने 17-9-97 को चालान संख्या 577 के जरिए रुपये 93297 जमा कराये....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने अपने कटौती प्रस्तावों में यह मुद्दा उठाया है? अगर उठाया है तो उत्तर में आसानी रहेगी।

श्री हेमाराम चौधरी : यही है मेरा कटौती प्रस्ताव। 39 एस.एल.डो. के मुरब्बा नम्बर 185/27, श्रीमती लधू देवी पत्नी हिमताराम, इन्होंने भी रुपये 95012 जरिए चालान जमा करवाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : शासन से व्यवस्था हो चुकी है, जो मर्जी आए सो बोलो, इसलिए अब आप इसे सीमित क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति : मैंने तो माननीय सदस्य की सुविधा के लिए कहा है कि कटौती प्रस्ताव में अगर जिक्र हो तो माननीय मंत्री महोदय के पास पूर्व में जानकारी आ जाती है और उसमें सुविधा होती है, उत्तर मिल जाता है, इस दृष्टि से कहा है।

श्री हेमाराम चौधरी : 17-9-97 को पूनमाराम, पुत्र अचलाराम ने 39 एस.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 185/20, उन्होंने भी 1,02,151 रुपये दिनांक 17–9–97 को जमा करवा दिये, इनको भी आज दिन तक न अलाटमेंट लेटर मिला न कब्जा मिला है।

सभापति महोदय, मोहनगढ़ नम्बर दो, चक नम्बर 26, एस.एल.एम., मुरब्बा नम्बर 206/49, 206/50, चक नम्बर 21,एस.एल.एम., मुरब्बा नम्बर 207/44 207/51, 227/02, इनको चालान विभाग ने काटे परन्तु चालान में ब्याज की राशि जानबूझकर ज्यादा दर्शा दी। तो प्रार्थी ने ब्याज की राशि ठीक करवाने के लिए प्रयास किया, उसमें काफी समय लगा और जब सही चालान बना तब पैसे जमा नहीं करवा पाया। उसके बाद उस मुरब्बे को डिनोटिफाई कर दिया। इसलिए इनको भी यह कह दिया गया कि अब न आपकी राशि जमा होगी और न मुरब्बा मिलेगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा बहुत सारे काश्तकारों ने, जिन्होंने आवेदन कर रखा है लेकिन उनको अलाटमेंट हुआ या अभी भी विचाराधीन है, या अलाटमेंट खारिज कर दिया गया है; इस बाबत उपनिवेशन विभाग ने उन काश्तकारों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। हां, यह हो सकता है कि उन्होंने डाक के जरिए सूचना देना बता दिया हो, वे अपने यहां आउट वर्ड रजिस्टर रखते हैं जिसमें उनके नाम डाक जारी करना बता देते हैं, आउट वर्ड नम्बर चढ़ा देते हैं और डाक भेजते ही नहीं हैं क्योंकि सीधे चिट्ठी अलाटमेंट की चली जाएगी तो फिर वहां दफ्तर में आकर कौन उनसे मिलेगा इसलिए वे जितने भी नोटिसेज हैं, उनको रोक लेते हैं। किसी काश्तकार को किसी प्रकार की मुरब्बा अलाटमेंट, खारिज या विचाराधीन की कोई सूचना नहीं मिलती है और वह पीछे से उसको खारिज बता देते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे मामले हमारे ध्यान में आए हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अदालत में छोटा–सा वाद दायर होता है, उसमें भी विप्रार्थी को तहसील के सवार के जरिए तामील करवाई जाती है, तो इन सबके नोटिसेज सम्बन्धित जिला कलक्टर, जहां वह काश्तकार रहता है, जैसलमेर, जोधपुर या और कहीं, भेज दें और जिलाधीश उसको तहसील में भेजकर सवार के जरिए तामील करवा सकता है जिससे कि बाद में काश्तकार भी यह बात न कह सके कि उसे तामील नहीं हुई, उसे पता नहीं है, मुझे कोई नोटिस जारी हुआ या नहीं हुआ इसका ज्ञान नहीं है। इसके कारण राशि समय पर नहीं जमा करवा सकता।

(श्री हेमाराम चौधरी)

यदि वो काश्तकार मुरब्बा नहीं लेना चाहते थे तो आज 18 परसेन्ट ब्याज है, आज वो 18 परसेन्ट ब्याज सहित राशि जमा कराने को तैयार हैं तो उस दिन क्यों नहीं जमा कराते ? मुरब्बा लेना नहीं चाहते तो इतनी सारी उन्होंने कार्यवाही की, आवंटन किया, वो इतनी सारी दुनिया भर की माथापच्ची क्यों करते ?

सभापति महोदय, हकीकत यह नहीं है कि वो मुरब्बा लेना नहीं चाह रहे थे इस कारण से उनका अलाटमेंट खारिज हुआ, बल्कि अलाटमेंट नोटिस नहीं भेजकर उनको नोटिस भेजना बताकर अन्दर ही अन्दर खारिज कर दिए ।

इसलिए सभापति महोदय, मेरा आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि विशेष आवंटन हेतु जो 13 (ए) के तहत मुरब्बे नोटिफाइड किये थे उन पर जिनका आवंटन आ गया है, मेहरबानी करके उन मुरब्बों को जिनको आपने डिनोटिफाइड किया है उनको वापस आप नोटिफाइ कर दें और उन काश्तकारों को एक अवसर दे दें कि यदि आप पैसा जमा कराना चाहें, एक महीने, दो महीने, कोई तिथि—मियाद हो उसके अन्दर आप ब्याज सहित राशि जमा करा दें। 18 परसेंट ब्याज सरकार को देते हैं इससे ज्यादा सरकार को क्या फायदा हो सकता है ।

आप एक तरफ 200 करोड़ रुपया इस इंदिरा गांधी नहर की भूमि को बेच कर प्राप्त करना चाहते हो और विशेष आवंटन से इतनी महंगी जमीन, 4 लाख 35 हजार रुपया अभी कीमत है, उस समय पौने दो लाख रुपये की कीमत थी वो बढ़ते—बढ़ते इतनी हो गई, आज 4.35 के हिसाब से भी वे जमा कराना चाहे तो भी आप उसके पैसे जमा नहीं करें और उसको सामान्य आवंटन हेतु डिनोटिफाइ कर दो तो उन काश्तकारों के साथ इंसाफ नहीं होगा ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुरब्बे विशेष आवंटन हेतु आपने नोटिफाइ किए, उनको वापस डिनोटिफाइ किया है, उनको पुनः नोटिफाइ करके उन काश्तकारों को आवंटित करने की कृपा करावें ।

चूंकि आप स्वयं काश्तकार हैं, आप स्वयं काश्तकारों की पीड़ा और समस्याओं को समझती हैं इसलिए मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उन काश्तकारों को यदि आप स्वयं राहत नहीं दे पाईं तो मैं समझता हूं कि किसानों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है । इसलिए कांग्रेस की सरकार है, आप मंत्री हैं और फिर भी वे काश्तकार जो मुरब्बा पाने के हकदार हैं और जिन्होंने मुरब्बे के लिए आवेदन किया, और आपने आवेदन मांगा है, इसलिए आप मेहरबानी करके उन काश्तकारों को मुरब्बे का अलाटमेंट करावें । वो राशि जमा कराने को तैयार हैं और वो राशि जमा कराएंगे । 4 लाख 35 हजार वाले मुरब्बे बिकेंगे तभी तो आपको 200 करोड़ की आमदनी होगी । सामान्य आवंटन के लिए एक लाख रुपया भी आप 20 किश्तों

(श्री हेमाराम चौधरी)

में ले रहे हैं। इस साल तो एक किश्त आएगी उससे आप 200 करोड़ रुपये कैसे वसूल करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता।

इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरफ आप ध्यान देंगे तो 200 करोड़ रुपया भी वसूल हो जाएगा और काश्तकार को मुरब्बे भी मिल जाएंगे। हालांकि सामान्य आवंटन की तरह बाड़मेर जिले के लोगों को भी आप मुरब्बा दें। हमने निवेदन किया था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये, परन्तु शायद आप वो नहीं कर पाएं।

श्रीमती कमला : आपने जिन काश्तकारों का ब्यौरा दिया है यह सामान्य आवंटन वाले हैं या विशेष आवंटन वाले ?

श्री हेमाराम चौधरी : ये विशेष आवंटन वाले है।

श्रीमती कमला : सारे के सारे ?

श्री हेमाराम चौधरी : सारे के सारे। सारे के सारे विशेष आवंटन के है। इस लिए सामान्य आवंटन के बराबर हमको रखा जाए और सामान्य आवंटन के बराबर नहीं रख सकें तो जैसलमेर वालों को जैसे एक लाख में दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमको दो लाख में दे दो, डबल कर दो। उनको किश्त 20 साल में आप ले रहे हैं हमसे 10 साल में ले लें। हमारे साथ आप कुछ रियायत करने की कृपा करेंगे तो गरीब काश्तकार भी इन मुरब्बों को ले सकेगा नहीं तो गरीब इन मुरब्बों के नजदीक नहीं आ सकेगा। इसलिए आप इस तरफ भी ध्यान दें।

सभापति महोदय, विशेष आवंटन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आवंटन के लिए अलग से प्राथमिकता का प्रावधान नहीं है, सब एक समान हैं।

इसलिए इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स आदि के लिए कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ पैसा कम करने की, कम कीमत करें उनको अलग से रियायत देकर, अलग से उनको अलाटमैंट में प्राथमिकता देने का आप कुछ करेंगे तो शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कुछ मुरब्बे ले पाएंगे, नहीं तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग कतई मुरब्बा नहीं ले पाएंगे।

सभापति महोदय, इसलिए मैं समझता हूं कांग्रेस की सरकार है, कमलाजी मंत्री हैं, निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि कहावत है कि मामा का ब्याह हो और मां पुरसने वाली हो, फिर भी अगर भानजा भूखा रह जाए तो फिर तो वह भूखा ही रहेगा। इसलिए सभापति महोदय, उपनिवेशन के बारे में मैंने यह निवेदन किया।

अब मैं थोड़ा सा नर्मदा नहर परियोजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य, गुडामलानी और चोहटन के कुछ गांवों के पीने के पानी की योजना है। इस नर्मदा नहर परियोजना....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके दल के मुख्य सचेतक महोदय ने आसन से यह अनुरोध किया है कि हमारे सदस्यों को 10–10 मिनट का समय ही निर्धारित किया जाए। मैं कोई आग्रह नहीं करता हूं, लेकिन वो आपका....

श्री हेमाराम चौधरी : मैं दो मिनट ही लूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, पांच मिनट बोलो। 10 मिनट ही कहा है। मैंने तो आपकी पार्टी की जो इंटरनल व्यवस्था है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है।

श्री हेमाराम चौधरी : तो मैं नर्मदा नहर परियोजना के बारे में निवेदन कर रहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे सांचौर और गुडामलानी के कई गांवों में सिंचाई भी होगी और पीने के पानी की सुविधा भी होगी। इससे बाड़मेर जिले के करीब 132 गांवों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध होगी।

इसलिए आप इसके निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि का प्रावधान करावें तथा इस कार्य को तीव्र गति से कराने के लिए आप काम हाथ में लेंगे। सांचौर, गुडामलानी, चौहटन में हमेशा अकाल पड़ता है इसकी वजह से हमेशा सरकार को बहुत भारी धनराशि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खर्च करनी पड़ती है। अगर नहर आ जाएगी तो इस अकाल का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में चर्चा न करें।

श्री हेमाराम चौधरी : इसी तरह से इंदिरा गांधी नहर को गडरा रोड तक ले जायेंगे तो बाड़मेर जिले का काफी हिस्सा इससे लाभान्वित होगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदया जी, नर्मदा नहर परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराने की तरफ भी आप ध्यान देंगी। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, हम आज राजस्थान की ऐसी मद पर चर्चा कर रहे हैं जिसका राजस्थान के ग्राम जीवन से, विशेष तौर से कृषि के विकास के लिए महत्व है।

मान्यवर महोदय, सिंचाई विभाग के हर वर्ष के बजट और योजनाओं के लगातार बढ़ोतरी होती है, सिंचाई क्षमता बढ़ती है और नयी-नयी योजनाएं आगे से आगे बढ़ती रही हैं।

मेरा खास तौर से निवेदन यह है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है इसके लिए मैं हमेशा सुझाव देता रहा हूं कि हमको इसका मास्टर प्लान बनाना चाहिए। अनेक योजनाएं बन सकती हैं उस तरफ ध्यान नहीं जाता। अनेक योजनाएं बनकर वर्षों तक लम्बित रहती हैं और अनेक योजनाएं फण्ड्स के अभाव में अधूरी रहती हैं और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लगातार कई वर्षों तक चलती रहती हैं उससे लागत बढ़ती है और गुणवत्ता के बारे में भी मैं कह सकता हूं पहले योजना बनती है उसका पूरा निर्माण होते-होते उसमें काफी बड़ा अंतर आता है।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के आधुनिकीकरण की दृष्टि से बहुत कुछ काम करने की आज आवश्यकता है।

राजस्थान में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में और बाद की लगातार योजनाओं में कई बांध बनते रहे। उन बांधों की हालत आज बहुत खराब है। बांधों का, नहरों के रख रखाव का बजट नगण्य होता चला जा रहा है।

इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारी जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर पांचवीं या छठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में बनी हैं उनको आज देखने की बड़ी आवश्यकता है। विश्व बैंक के सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बांध परियोजनाओं के लिए जो प्रावधान किया गया है, मैं चाहूंगा कि अभी जो बांध बनते हैं, उन बांधों के निर्माण के साथ-साथ उनको जो नहरें बनाई जाती हैं वह पक्की नहीं बनाई जातीं। दो-चार-पांच-छह मैन देंगे। बाकी दोहरे खोदते रहो, प्रायः वह बढ़ जाती है। उसका बहुत बड़ा नुकसान पानी की सिंचाई में होता है।

इसलिए मैं एक सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को देना चाहता हूं कि बांध बने, उसके साथ साथ कैनाल की योजना भी शामिल की जाए और योजना के साथ साथ बांध पूरा हो, नहरें भी पक्की बने, यह बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, पहले बांधों की देखरेख की बहुत व्यवस्था होती थी। सारे राजस्थान की तो मुझे मालूम नहीं, भीलवाड़ा जिले के बांधों को देखता हूं इनमें पिछले वर्षों से विलायती बबूल, अंग्रेजी बबूल कहते हैं, वो तालाबों की पाल पर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े हो गये हैं वे इतने फैलते हैं कि उनसे बांधों का टूटना शुरू हो जाता है।

गत दो वर्ष पहले, भीलवाड़ा जिले का महत्वपूर्ण बांध नारसागर टूटते-टूटते बचा। कितने गांव नष्ट होते, कितनी परेशानी होती, सिंचाई विभाग ने तत्परता से समय पर टूटते-टूटते को बचा लिया। इस लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, कि आप बांधों के रख-रखाव की बात पर ध्यान दें। पहले काफी स्टाफ हुआ करता था, मजदूर लगा करते थे, वहीं आज के दिन कोई देखरेख नहीं होती है।

इसलिए बांधों की हालत बहुत खराब हो रही है। विलायती बबूल का एक अभियान चला कर इनको ठीक नहीं कराया

(श्री रतनलाल ताम्बी)

गया तो कुछ ही वर्षों में बांध टूट जाएंगे, यह मेरा निश्चित रूप से मानना है।

आपको इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांधों की देखरेख की दृष्टि से इसके लिए अलग से थोड़ा स्टाफ नियुक्त किया जाए। समय समय पर इनकी देखरेख करके इनको दुरुस्त करवाया जाए; तब तो हमारे बांध सुरक्षित रह सकेंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमारे देश में मध्यप्रदेश के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां 342.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है। देश का 11 प्रतिशत क्षेत्रफल हमारा राजस्थान की कृषि की दृष्टि से होता है। प्रदेश में 156.6 लाख एकड़ फीट सतही जल की मात्रा जो देश के सतही उपलब्ध पानी का 1/16 है, प्रतिशत हमारे यहां मौजूद है।

मैं यह चाहता हूं, सतही पानी का यद्यपि हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काफी उपयोग किया है, उसके बाद भी आज भी आवश्यकता है कि जो पानी हमारे पास है उसका हम कैसे उपयोग करें। पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। पानी को किस प्रकार रोककर हम खेती को सुरक्षित रख पाएंगे, आगे जाकर पीने के पानी की स्थिति भी गंभीर हो सकती है।

इसलिए मेरा सुझाव तो यह है कि जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं; खास तौर से चम्बल की नदी, जिसका पानी जमुना में चला जाता है, अभी भी राजस्थान में कोटा के बाद में चम्बल नदी के पानी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हिस्से के पानी का पूरा उपयोग हो, इस दृष्टि से योजना की आज भी आवश्यकता महसूस करते हैं। 145 लाख एकड़ फीट पानी अन्तरराज्यीय बंटवारे के समझौते के अनुसार हमारे हिस्से में आता है, उसका हम किस प्रकार उपयोग करें, इसके भी आज देखने की आवश्यकता है। 8 वीं योजना में 26.64 लाख हैक्टेयर जमीन हम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र में लाए हैं। 97-98 में 60 सिंचाई योजनाएं; 2383 लघु सिंचाई योजनाएं हमने हाथ में ली हैं।

मैं सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं, पिछले कई वर्षों में योजनाओं का क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पाता था कि फण्ड्स का बड़ा अभाव रहता था। इस बार नाबार्ड के माध्यम से, एक बहुत बड़े पैमाने पर आपने जो समझौता करके व्यवस्था की है, उससे लघु सिंचाई योजना को गति मिली है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनाएं बनती हैं वर्षों तक का समय तो सर्वे में लगता है। सर्वे के बाद में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है तो कोई न कोई उसमें एतराज लगते लगते, मुझे याद नहीं आता कि एक योजना 4-5 वर्षों में स्वीकृत हो जाती हो। मेरे क्षेत्र की अनेक योजनाओं के नाम मैं गिना सकता हूं, जो कई बार जयपुर से लौटकर वापस जाती है। वही इंजिनियर्स नीचे योजनाएं बनाते

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हैं, वह यह देखते हैं बार बार लौटा फेरी होती है ।

इसलिए एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि हर योजना का एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए । इतने समय में सर्वे होगी; इतने समय में यह स्वीकृत होगी, और आपत्ति जो बार बार होती है एक बार प्रशिक्षण सभी अधिकारियों को देकर स्वीकृत हो जाए, इस तरह की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ।

एक समस्या जिसकी ओर मैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, कि भीलवाड़ा जिला; चित्तौड़ जिला; उदयपुर जिला और राजसमंद, इन चार जिलों का पानी विभिन्न नालों के जरिए, कई नदियों के जरिए, बनास नदी में आता है । बनास नदी पर एक बांध पिछली बार नाथद्वारा के आस पास बना, उसके बाद भीलवाड़ा जिले में बनना प्रस्तावित था । काफी गांव डूब में आने की स्थिति पैदा हुई, वहां न बनकर यह बांध बीसलपुर में बना । बनने के बाद इस केचमेंट क्षेत्र में कई छोटे मोटे बांध जो बन सकते हैं, आज भी बीसलपुर के प्रोजेक्ट के पास सरप्लस पानी है एक भी केचमेंट में नया बांध नहीं बन सके और बंदिश लगाकर इन चार जिलों के साथ सिंचाई की जो व्यवस्था हो सकती है, उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है ।

मैं समझता हूं इसको भी आपको प्रोसेस करके छोटी छोटी योजनाएं जो पहले से भी अधूरी पड़ी थीं, उनमें से कुछ तो आपने ली हैं, कुछ और भी हैं और कुछ योजनाएं सर्वे में कहीं अटकी पड़ी हैं । वह किस कारण से नहीं बन पा रही है, उस बारे में भी आपका सोच आएगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पता नहीं आपने कहां से यह आदेश निकाल दिया कि कहीं भी एनीकट नहीं बन सकेंगे । भीलवाड़ा जिले में चाहे अकाल की योजना में लें, या दूसरी योजना में लें, आश्वासित योजना में लें, जब भी हम बात करते हैं वहां के अधिकारी यह बताते हैं कि चीफ इंजिनियर साहब से यह निर्देश हैं कि कोई एनीकट नहीं बन सकता । यह हमारे साथ, पता नहीं राजस्थान में है कि नहीं, पर बनास के केचमेंट के साथ में कोई कारण होगा । वह क्या कारण होगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो मीटर तक एनीकट की बात; जो पहले बनते आए हैं, उनको क्यों रोकते हैं ? पूरे जिले में, नालों में एनीकट बनाने की मनाही, नदियों में एनीकट बनाने की मनाही; मेरा आपसे निवेदन है कि इन एनीकटों का आप खुलासा करें, ताकि विभिन्न योजनाओं के अनुसार यह एनीकट्स बन सकें ।

लिफ्ट सिंचाई योजना विभागीय स्तर पर पहले कई जगह बनती थी । अब इन वर्षों में विभाग लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को कहीं लेता नहीं है । ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तो लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनती हैं, पर कई नगरीय क्षेत्र भी आते हैं । उदाहरण के तौर पर मैं जहाजपुर की बात करना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहता हूं। बनास नदी पर हम लिफ्ट सिंचाई योजना लगाना चाहते हैं. जहाजपुर में। विभाग लेने को तैयार नहीं है। डी.आर.डी.ए. के क्षेत्र में आता नहीं मामला। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां जहां पानी उपलब्ध है, किसान को सामने पानी नजर आए और उसके खेत प्यासे रहें, उसको कितनी तकलीफ होती है।

माननीय मंत्री महोदया, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिंचाई की इस प्रकार की लिफ्ट योजनाएं बन सकती हैं वो नगरीय क्षेत्र में भी सिंचाई विभाग के माध्यम से आप तैयार करवाएं, ताकि उन नगरीय क्षेत्र के किसानों को भी इनका लाभ मिल सके। सर्वे एण्ड इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का आपका खण्ड पहले जिला स्तर पर हुआ करता था। आज जिला स्तर पर एकआध ए.ई.एन. रहता है, वह पूरे जिले की न तो कोई योजना बनाता है। रेग्यूलर सबडिविजन आपके जितने भी हैं, उनमें योजनाओं के लिए आप लिखते हैं कि वहां योजना तैयार होगी।

मैं तो यह मानकर चलता हूं, पिछले 5–7 वर्षों से मैं कई योजनाओं को लंबित देख रहा हूं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जिन जिन जिलों में ज्यादा योजनाओं का स्कोप है वहां पर सर्वे एण्ड इन्वेस्टिगेशन का एक खण्ड वहां पर कायम किया जाए, ताकि जिले भर की सारी की सारी योजनाएं उसमें तैयार हो सके, यह मेरा सुझाव है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजधानी जयपुर में विभिन्न चीफ इंजिनियर आपने लगा रखे हैं। मैं समझता हूं जितना काम उनका मौके पर फील्ड में हो सकता है, उतना यहां नहीं है। मेरा एक सुझाव यह भी है कि आप डिविजन स्तर पर मुख्य अभियंता, एस.ई. और नीचे एक्स.ई.एन. तक लगाएं। उनका ज्यादा उपयोग होगा, ज्यादा योजनाएं बनेंगी। तालाबों, बांधों की देखभाल भी ज्यादा होगी। और उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ सिंचाई विभाग के माध्यम से जनता को मिल सकेगा। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि खण्डीय मुख्यालय पर इस तरह से मुख्य अभियंताओं के मुख्यालय बना दिये जाएं, उसका ज्यादा लाभ होगा।

हमारे क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई योजनाओं में आप प्रावधान करते हैं, यह मकान बनेंगे, इसमें जीप ली जाएगी, वह ली जाएगी। मेरे क्षेत्र में सकलगढ़ सिंचाई परियोजना बनी, उसमें जीप का प्रावधान है। वहां के ए.ई.एन. के पास जीप ही नहीं है। कभी बात करते हैं कि वहां जाकर मौका देखो तो कहते हैं कि मेरे पास तो जीप ही नहीं है। जब उसमें प्रावधान है तो क्यों नहीं जीप उपलब्ध करवाई जाती है।

इसलिए जिन–जिन खण्डों में जीपें उपलब्ध नहीं हो उसमें जीप; खासतौर से बजट में, उस बांध की योजना में शामिल है, इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उसमें जीप उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसका लाभ हो, अधिक से अधिक योजनाओं के सर्वे और जो तालाब चल

(श्री रतनलाल ताम्बी)

रहे हैं उनकी देख-रेख में, क्वालिटी की दृष्टि से सुधार हो सके क्योंकि समय पर देखभाल नहीं होने से ही काफी बड़ी बात इसके नुकसान की हो जाती है। इसको देखते जाने की आवश्यकता है।

राजस्थान जल संसाधन संधारण परियोजना, 7.50 लाख हैक्टर सिंचाई भूमि और जल वितरण की व्यवस्था जनता की भागीदारी से करने का आपने प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रावधान है जिसके आधार पर जनता की भागीदारी से जो आज की तारीखों में बांधों की देखभाल नहीं होती है, पानी के वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो सकती है पर इस व्यवस्था में प्रशिक्षित किसानों की अधिक से अधिक भागीदारी करेंगे तो इस योजना का लाभ अधिक से अधिक हमारे बांधों में मिलेगा।

मैं इस मौके पर, जैसा मैंने शुरूआत में कहा था, कोटा-बैराज, जवाहर सागर, राणाप्रताप सागर, पावटी, मातृकुण्डिया, आरसिया, चरवा, जवाई, मोरेल, गम्भीरी से तथा 60 बड़े बांधों को विश्व बैंक की सहायता के कार्यक्रम में आपने शामिल किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ताकि इन बांधों के माध्यम से जो इनकी बहुत बुरी हालत है उसमें सुधार होगा।

अब हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं पर एक उपलब्धि राजस्थान की सबसे बड़ी है वह इन्दिरा गांधी नहर की है। इस इन्दिरा गांधी नहर की 31 मार्च, 1958 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पंत के करकमलों से शुरूआत हुई और जिस गति से राजस्थान नहर बन रही है मरूगंगा, राजस्थान के रेगिस्तान का एक तरह से भाग्य बदलने वाली है।

मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि ये योजना 1955 में चालू हुई और 1958 में इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। 1958 से बनते बनते इतने वर्ष हो गये, बनते बनते करोड़ों रुपये इसकी लागत बन गयी। यह 50-55 करोड़ की योजना आज हजारों करोड़ रुपयों में परिवर्तित हो गयी। बहुत बड़ी इसमें नहरें हैं, आगे बनती है और पीछे खराब हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की योजनाएं जो हाथ में लेते हैं उन को समयबद्ध पूरा करने की चेष्टा की जाए ताकि उसका वांछित लाभ मिल सके।

मैं इस मौके पर पुनः आप सब से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बनास कैचमेंट के नाम पर भीलवाड़ा जिले में जो योजनाएं, जो एनीकट पर रोक है उसका पुनरावलोकन करके बनास के कैचमेंट में आज भी सरप्लस पानी है, उन योजनाओं का लाभ हमारे जिले के लोगों को मिल सके, वहां के गरीब इस बारे में बहुत चिन्तित हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी लगातार यह मांग रहती है कि एनीकट बनाये जाएं, तालाब बनाये जाएं।

मैं मंत्री महोदया, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि विभाग के कोई निर्देश या मौखिक इस प्रकार की पाबन्दी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लगवा रखी है, आप उस पाबन्दी को हटवायें क्योंकि हमारी विभिन्न योजनाओं से ये सारे कार्यक्रम उस इलाके में बनने के मौके मौजूद हैं, लोगों की मांगें हैं, दबाव हमारे ऊपर है तो मैं समझता हूं कि आप इस बारे में ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

सिंचाई विभाग के बारे में यह सही है कि दरें बहुत वर्षों पहले निर्धारित की गयी थीं। वह दरें इतनी कम हैं, आपकी आमदनी बहुत कम है इसलिए आप तालाब, नहरों को ठीक नहीं करा पाते। आपके पास पैसे की बड़ी कमी होती है। मेरा यह सुझाव है कि आपने अभी सिंचाई की दरें निर्धारित की हैं वह बहुत ज्यादा हैं। उन दरों को 50 प्रतिशत करके आप इस बात की व्यवस्था करें, लोगों में एक आकर्षण पैदा होगा और वहां का पैसा वहां संधारण में लगे, यह व्यवस्था आप करेंगे।

बांधों के बनने के साथ मुआवजे की समस्या है। हमारे क्षेत्र में 5–7 बांध इन 10-12 सालों में बने हैं। उनका अभी तक भी मुआवजा उन किसानों को मिलता नहीं है। कई उनके वृक्ष थे, कुए थे, वे सब के सब डूब में आ गये और उनके नष्ट होने के बाद यदि मुआवजे की बात करते हैं तो बराबर समय पर पैसा आता नहीं है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो योजनाएं हमारी बनती हैं उन योजनाओं के साथ, निर्माण के साथ उनको मुआवजा मिले। वरना 5–7 साल में वे डूब आ गयी और उनकी रोटी-रोजी हमने छीन ली और समय पर मुआवजा नहीं दिया। एक तो यह समस्या है।

दूसरी समस्या यह है कि जिन लोगों की 15-20 साल से जमीनें थीं। वे गैर-खातेदारी की जमीनें थीं। जब आपने योजना बनायी तब वह गैरखातेदारी के रूप में दर्ज थीं और अब खातेदारी मिलती है तो आप इस बात को नहीं मानते हैं। आप यह कहते हैं कि उस समय गैरखातेदारी की जमीनें थी इसलिए उसका न तो पूरा मुआवजा मिलता है और कई लोगों ने सिंचित कर दी पर रिकार्ड में वह असिंचित है और असिंचित का आप मुआवजा देते हैं तो उस किसान का शोषण होता है। शोषण विहीन समाज की अब हम बात करते हैं और इस तरह हम गरीबों के साथ न्याय नहीं करते हैं। मेरे क्षेत्र में सैकड़ों लोग मुआवजे के लिए दर–दर भटकते रहते हैं। अधिकारियों से मिलते हैं, काफी कार्यवाही होती है उसके बावजूद भी नहीं मिलता है।

मैं चाहूंगा कि जो मुआवजा आप दें वह बांध बनने से उसके पूरा होने के पहले किसान को मिले। इस बात की भी आप नीति निर्धारित करके दिशा निर्देश देंगे ताकि समय पर यह सारी कार्यवाही हो सके।

पुनः मैं एक बार फिर से आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पूरे जिले का मास्टरप्लान सिंचाई का खासतौर से तैयार करवा दें ताकि योजनाबद्ध ढंग से काम होता रहे और जितनी भी योजनाएं लम्बित जहां जहां जिस स्तर पर पड़ी हैं, माननीय मंत्री महोदया, आप इनका पुनरावलोकन करवा दें और जल्दी से जल्दी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

योजनाएं नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृत हो सकती हैं उन योजनाओं को आप पूरा करवायें।

बनास कैचमेंट में, बीसलपुर के कैचमेंट में जो योजनाएं पहले अधूरी बन चुकी थी, बीसलपुर बांध बाद में शुरू हुआ तो उन योजनाओं को कम से कम पुरानी मानते हुए, चाहे वह किसी अकाल से बनी हो, जवाहर योजना से बनी हो, एन.आर.पी. से बनी हो और किसी योजना से बनी हो, उन योजनाओं को कम से कम इस परिधि से निकालकर पूरी करवायें ताकि वे लोग जो बहुत वर्षों से आशा लगाये बैठे थे उनको इसका लाभ मिल सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान की सरकार ने सिंचाई के सम्बन्ध में कई योजनाएं, कई बजट प्रावधान इसमें किये हैं और निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय आपके नेतृत्व में, दिशा निर्देश में विभाग में थोड़ा आधुनिकीकरण का कार्यक्रम भी काफी तेजी से बढ़ेगा, बांधों के संधारण का कार्यक्रम बढ़ेगा और लम्बित योजनाएं स्वीकृत होंगी और इस प्रकार का एक अभियान आप चालू करें जिसके माध्यम से विभाग में स्फूर्ति और जो योग्यतम आपके पास अधिकारी हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग सम्भागीय मुख्यालयों पर कार्यालय सृजित करके पूरे सम्भाग में कार्यक्रमों को तेजी से गतिशीलता देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री वी.पी. सिंह जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 इरिगेशन पर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 50 वर्ष हो गये राजस्थान को बने हुए, राजस्थान दिवस अभी हमने मनाया है, 50 वर्ष के अन्दर इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई कहां से तो शुरू हुई थी और कहां पर पहुंच गयी है इसके अन्दर योगदान और 4 महीने पहले जब मैंने भी यहां पर मांग संख्या 46 ही लास्ट ईयर की डिमांड प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने यही बात कही थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो कार्य चलता है, एक कंटिनुअस प्रोसेस है। कंटिनुअस प्रोसेस के अन्दर हम यह नहीं कह सकते कि खाली जितना भी योगदान, जितना भी पोटेंशियल हमने बढ़ाया है, उन्होंने नहीं बढ़ाया। यहां पर बी.जे.पी. और कांग्रेस जो भी सरकार है वह इस विभाग को आगे ले जाने के लिए जितना भी कार्य होता है वह अपना जितना भी कुछ कह सकते थे, कर सकते हैं, पॉलिसी डिसिजन जो ला सकते हैं वह तो लाते ही हैं, पर यह कंटिनुअस प्रोसेस है। आज अगर आपकी सरकार तीन महीने के अन्दर तो आयी और आप कह दें कि हम तो यह–यह करने जा रहे हैं।

हम इतनी योजनाएं लेकर आ गये हैं। डब्ल्यू. यू. ए., आपके जो वाटर यूजर्स एसोसियेशन, आपके जो सेटिलिंग के लिए

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

1800 करोड़ रुपये का वल्र्ड बैंक से प्रोजेक्ट बनाया है। यह सब हमने तीन महीने में कर दिया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति और भयावह बन गई है।

मैं कहना तो नहीं चाहता था, आज सुबह ही जो बात सामने आई, मुझे छोटा सा जिक्र करना पड़ेगा कि हम प्रधान मंत्री को बिलकुल यह श्रेय नहीं देना चाहते थे कि उन्होंने आज अग्नि का परीक्षण किया। उसके लिए खाली हमारे जितने जो साइंटिस्ट हैं, उन्हीं का योगदान है और उन्हीं के कारण से यह सब हुआ है। तो कल तो ऐसा हो जायेगा कि आपको भी कोई मंत्री महोदया, (व्यवधान) बात रिलेट कर रहा हूं, आप क्यों फिक्र कर रहे हो।

कल को अगर कोई डेम बनाया और उसके लिए कह दें कि नहीं साहब, यह तो ठेकेदार ने बनाया है, ठेकेदार को ही हम कर दें, न तो कांग्रेस पार्टी, न सरकार, न मंत्री महोदया, यह स्थिति, इतनी, यह अपने संकीर्ण विचार नहीं रखने चाहिए। जब मैं मांग प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने, धन्यवाद, जितने भी मंत्री रहे, सबको दिया। और सही बात है, सबका कुछ न कुछ योगदान हो सकता है। कुछ समय कम मिला हो और उसके कारण जितने मैं कार्य करना चाहता था, शायद मैं नहीं कर पाया पर एक सोच देकर गया हूं।

पहली बार हिन्दुस्तान के अन्दर एक परिकल्पना 2001, जो मिलेनियम शुरूआत होने में जो इस विभाग की होनी चाहिए, वह हमने, और वही विभाग आपके पास है और आज आप उसकी मंत्री महोदया हैं, केवल यह मेरा खाली सोच नहीं था। न मैं इतना होशियार आदमी हूं कि मैंने ही एक एक परिकल्पना, जो विजन 2001 के नाम से हमने बनाई थी तो इसमें हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया। एक-एक अधिकारी ने अपना, कुछ न कुछ उसमें उसका योगदान है। कितनी ही हम लोगों ने मीटिंग्स लीं, कहां-कहां हम लोगों ने मीटिंग्स लीं, कितना कार्य, रात-रात भर इन लोगों ने कार्य किया और मैंने सोचा कि यह तो हम कर रहे हैं, पर समय के अभाव को देखते हुए अगर इरिगेशन पालिसी के नाम से इसे आगे चलाऊंगा तो पहले तो मुख्य मंत्रीजी के पास पहुंचेगी, फिर केबिनेट में पहुंचेगी, फिर डिस्कशन्स होंगे, बहुत लम्बा समय लगेगा।

हमने एक एजेंडा बना दिया फोर द इरिगेशन पॉलिसी, फोर द नैक्स्ट मिलेनियम। और इसके अन्दर आज आप भी बहुत सारी बातें, जब आपका जवाब आयेगा, शायद इसी में से निकालकर आप देंगे। वाटर यूजर्स एसोसियेशन आपका, इसमें जो....

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि आपसे भी पहले एक शुरूआत हुई थी राजस्थान के समग्र वाटर रिसोर्सेज का प्लान तैयार करने

(श्रीमती कमला)

को। उस प्लान को साइंटिफिक लेटेस्ट तकनीक से तैयार करके आपने विजन-2001 किया है, हमने राजस्थान में इस सारे संसाधनों को आगामी 50 वर्षों में किस तरह का प्लान होगा, वह पूरा तैयार करके दे रहे हैं, वह तैयार है, सिर्फ केबिनेट में एप्रूवल बाकी है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुझे तो बहुत खुशी है, मैं यही आपसे सुनना चाहता था। यह अच्छा किया आपने क्योंकि यह तो एजेंडा था और आप उसको आगे बढ़ाकर 50 वर्ष तक, आगे का जो विजन विभाग का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें इसी में से आयेंगी और मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता ...

श्रीमती कमला : मैंने आपको बताया, आपसे पहले ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार था, चूंकि बीच में 1–2 साल का आपका विजन आया, उस ड्राफ्ट मास्टर प्लान को अपडेट करके 50 वर्षों का तैयार करके किया है, आपका बीच में छोटा सा कोमा लगा हुआ है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता और मुझे जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे।

श्रीमती कमला : नहीं, क्रेडिट नहीं, मैं वस्तुस्थिति बता रही हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और कल आपको भी शायद यह बताने के बाद भी क्रेडिट मिले या नहीं मिले, यह याद रखना आप क्योंकि आप सोचते हैं, आप ही अमर होंगे या कांग्रेस पार्टी ही अमर होगी, ऐसा नहीं होता है।

श्रीमती कमला : मैं आपको रेक्टिफाई कर रही हूं। कोई प्रशंसा, कोई तारीफ, कोई तमगा लेने की बात नहीं कर रही हूं। यह तो एक कंटीन्युअस प्रोसेस है। आज जो हम बना रहे हैं, वह आने वाले समय में आउट डेटेड होकर उसको भी अपडेटेड करने की जरूरत पड़ेगी। यह तो एक प्रोसेस है, मैं थोड़े ही कह रही हूं कि मैं ही सब कुछ कर जाऊंगी। यह तो कभी हो ही नहीं सकता।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ....मैं निवेदन कर रहा था, 1951 से पहले जितने बांध, बड़े तालाब, पंचवर्षीय योजना से पहले, 4 लाख हैक्टेयर हमें विरासत में मिले। उसके बाद में योजनाएं बनती गईं। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर, एक ही फाइव ईयर प्लान के अन्दर 4.54 लाख हैक्टेयर सिंचाई बढ़ाई। फिर आगे हम लोगों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3.08 लाख हैक्टेयर बढ़ाई तो यह तो जैसा मंत्री महोदया अभी कह रही थीं, यह सब लोगों का योगदान होता है। मैं दो–तीन बातें, कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं।

एक तो आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने अब की बार जो बजट एलोकेशन करवाया है, बढ़ाया है, आपका

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

बजट एलोकेशन बढ़ गया है और साथ में आप चीफ इंजीनियर्स, दूसरे जितने भी ए.ईएन्स, एक्स ईएन्स., आज ही पेपर में था कि आप कटौती करने जा रहे हैं तो यह बजट एलोकेशन का आप कैसे लाभ उठा सकेंगे। एक नोर्म्स है, नोर्म्स भी अगर आप देखेंगे कि आप लोगों ने और हम लोगों ने मैसर्स प्राइस वाटर हाउस को नोर्म्स तय करने के लिए पूरे विभाग का कि कितने आफिसर्स होने चाहिए, क्या नोर्म्स होने चाहिए, वह रिपोर्ट आई नहीं और उससे पहले आपने कटौती शुरू कर दी। नोर्म्स के हिसाब से आप यह भी हमें जानकारी दें कि जितनी आप कटौती करने जा रहे हैं, वह सही है या नहीं है। और जो रिपोर्ट आने वाली है, उसके पहले आपने कटौती क्यों कर दी?

एक चीज और डिपार्टमेंट की समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं। अपने स्टेट के अन्दर इंजीनियर्स बनते हैं, उनकी एक बड़ी समस्या है। अगर आप देखेंगे, आर्डिनरी स्केल जैसे ए.ईएन. की शुरू होती है, पहले होती थी 2200 से 4000, सीनियर स्केल होती है 3000 से 4500, अब तो बढ़ गई है क्योंकि फिफ्थ पे कमीशन में 8000–13500 हो गई, सीनियर स्केल हो गई 10000 से 15200, सलेक्शन स्केल 12000 से 16500। आप देखेंगे ए.ईएन, एक्स. ईएन. बनने के अंदर और आप तीन विभागों को ले लें, इरिगेशन के अन्दर सबसे बुरा हाल है, 15 से 17 वर्ष लगते हैं ए.ईएन. से एक्स.ईएन. बनने में और आप तो और कटौती करने जा रहे हैं। तो यह 15 से 17 के बाद में 20 साल हो जायेंगे।

साथ में आप आर.ए.एस., आर.पी.एस., आर.जे.एस. को भी देख लें तो पांच से सात वर्ष के अन्दर वह आर्डिनरी से सीनियर स्केल में पहुंच जाते हैं और सीनियर से सलेक्शन स्केल में बारह से तेरह वर्ष में पहुंच जाते हैं जबकि यहां पर 28 से 30 वर्ष लग जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कि यह एवेन्यूज भी आप बढ़ायें। और अगर आप बढ़ायेंगे तो आपका डिपार्टमेंट जितना कार्य कर रहा है, ज्यादा अच्छा कर पायेंगे।

मैं एक समस्या और आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आपने पचास वर्ष आगे की बात कही है और एक विजन आप देने जा रहे हैं और एक इरिगेशन पालिसी देने जा रहे हैं, उसमें भी आपका सोच होना चाहिए और यह सोच विभाग के अन्दर मैंने ही कोशिश की देने की, शायद अब फिर बदल जाय, यह है राइपेरियन राइट्स की बात। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो नदी के एक डेम बन जाता है और डाउनस्ट्रीम के अन्दर जितने भी वेसिन विलेजेज हैं जिसको हम कहते हैं कि सेजा के गांव, वह सूखते चले आ रहे हैं।

भीलवाड़ा का उदाहरण मैं आपको दे दूं। खारी बांध 1957 में बना और ग्राउण्ड वाटर इतना नीचे चला गया कि आज जितने भी सेजा के गांव थे, करीब

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

बीस–पच्चीस गांव बड़े-बड़े, आगे आरी पर एक और डेम बना है नारायण सागर और उसके बीच में करीब बीस गांव। इतना अच्छा वहां पर कल्टीवेशन होता था; वहां से ट्रक भर-भर कर टमाटर-मिरची बोम्बे, दिल्ली जाती थीं, आज वहां पीने के पानी की समस्या है। इसके बारे में भी आप, राइपेरियन राइट्स के बारे में भी, क्योंकि यह सोच ही नहीं है. डिपार्टमेंट कहता है कि हमने सी.सी.ए. दूसरा बना दिया, हम नदी के अन्दर पानी नहीं छोड़ सकते। बाहर विदेशों में सब जगह राइपे–रियन राइट्स हैं। यहां बीसलपुर की आप बात कर लें।

मैंने सुना है कुछ वर्षों बाद में, एक-दो वर्ष के बाद में खरबूजा नहीं मिलेगा, यह बंद हो जायेगा। जो बहुत फेमस खरबूजा मिलता है वह बंद हो जायेगा। खरबूजे की खेती बंद हो जायेगी। बाहर होता, तो थोड़ा बहुत पानी नदी के अन्दर भी छोड़ा जाता था। इस पर भी अगर आप विचार दें, आज भी कुछ कहें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ी समस्या सूरतगढ़, गंगानगर में है, सेम की समस्या। मैंने विस्तृत जानकारी वहां पर की। मैं एक–एक गांव में जाकर वहां पर देख कर आया और बड़ी–बड़ी किताबें लिख दी गई हैं। वहां पर बहुत बड़े–बड़े साइंटिस्ट भी गये हैं और उन्होंने यही कहा है कि यह समस्या ऐसे हल हो सकती है, ऐसे कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि 70 वर्ष पहले जो गंग कैनाल शुरू हुई थी, उसके अंदर तो सेम की समस्या नहीं थी। और वह तो कच्ची है तो भी सेम की समस्या नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह इसी लिए है कि वाटर अलाउंसेज जो वहां पर तय करना था गंग कैनाल में, वह तीन से भी नीचे है। जबकि आई.जी.एन.पी. में आपके पांच से ऊपर है। और यही की यही समस्या आपके कोटा में भी होने जा रही है। इसलिए वाटर अलाउंस कम करने का एक ही रास्ता है, यही करना पड़ेगा, नहीं तो यह समस्या बढ़ती जायेगी। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य कोटा के अन्दर भी किया ग्राउटिंग का, और मैं जैसे सब डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं, मैं भी अब मंत्री महोदय को तो कैसे दूं, क्योंकि अभी उन्होंने लिया है, उनको तो मिलना नहीं चाहिए, मैं अपने आप को तो दे नहीं सकता...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : दिया। आप को दे दिया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ग्राउटिंग का कार्य जो इन्टरनेशनल बिड्स अब आई थीं तो 35 करोड़ के बिड्स आये थे। इन्टर–नेशनल, 35 करोड़ रुपये के और हमने...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वी.पी. सिंहजी, आप चार महीने में एक्सपर्ट हो गये तो मंत्री महोदया को भी चार महीने तो हो गये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पर जितना कार्य चार महीने में किया, उतनी भागदौड़ करने की जरूरत है मेरे ख्याल से।

श्री जनार्दन गहलोत : कमला जी को पुराना भी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं-नहीं, अभी की बात कर रहे हैं न।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आखिर में यही कहूंगा कि जो आपने अभी बताया है कि पचास वर्ष का एक विजन आप देने जा रहे हैं तो जो हमने विजन-2001 के अन्दर जो भी बातें रखी हैं, इसको रद्दी की टोकरी में न डालें। इसमें जो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, हमने भी विभाग के साथ में डिसकस करके की है, इस पर भी आप थोड़ा सा सोचकर उसको भी तवज्जोह दें। मैं इतना ही निवेदन करूंगा। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री बृजेन्द्र सिंह।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा नाम पुकारा है अभी आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए बोला था।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने सोचा मेरा नाम पुकारा है आपने।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, आज जिस माँग पर चर्चा हो रही है वह किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उनके जीवन पर आधारित है। सारा राजस्थान कृषि प्रधान प्रांत है, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भरतपुर जिले में 1995 और 1996 में जो बाढ़ आई और बाढ़ से जो तबाही हुई उसमें पिछली सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी उम्मीद के मुताबिक, हमारे भरतपुर की उम्मीद के मुताबिक पूरा सिस्टम भरतपुर का खराब कर दिया। यही नहीं, सभापति महोदय, जहां भरतपुर का सिस्टम सिंचाई विभाग के लिए अपने आप में प्रसिद्ध है, जहां भरतपुर सिंचाई क्षेत्र के सिस्टम की किताबें चीन व अन्य देशों में पढ़ाई जाती है, उसी भरतपुर के सिस्टम को इतना गड़बड़ा दिया कि जब भरतपुर में बाढ़ आई तो उसके बाद उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। न बांधों की मरम्मत की गई, न उनको ठीक करने की कोशिश की गई। पिछली सरकार ने आठ साल में जो सिस्टम खराब किया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1995 में गम्भीर नदी में बाढ़ आई जिससे कई गांव जलमग्न हुए तथा छोटे-छोटे बांध हैं वे टूट गये। उनके टूटने के कारण कई गांवों में महीने भर तक पानी भरा रहा और उन गांवों में आज भी आये दिन छोटी बरसात होती है तब भी पानी आ जाता है।

गंभीरी नदी के साथ साथ ककुन्द नदी जिस पर बंध बारैठा बना हुआ है, और बंध बारैठा के वेस्ट वीयर से निकलती है,

(श्री भूपेन्द्र सिंह सूपा)

वो ककून नदी सिल्ट हो चुकी है। और सिल्ट होने के कारण अगर थोड़ा सा भी बरसात का पानी उसमें आता है तो वह बाढ़ का रूप धारण कर लेता है और उस बाढ़ के रूप से करीबन 20 गांव जल मग्न हो जाते हैं जिससे वहां के गांवों को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि, क्योंकि मुझे यह उम्मीद है कि अब जो सिंचाई मंत्री हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही आवश्यक कदम उठायेंगी और गांवों को राहत के लिये कोई ठोस कदम उठायेंगी। 13 किलोमीटर का प्रोटेक्शन बांध मादा प्रोटेक्शन बांध के नाम से प्रपोज किया है उसके लिये करीबन 13 लाख रुपये की कलक्टर महोदय, भरतपुर ने अपने पत्र द्वारा सरकार से मांग की है जिससे कि उन गांवों को बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार गंभीरी नदी पर भी कुछ गांवों में प्रोटेक्शन बांध बनाने के लिये 1996 में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं और उन कार्यों के जो ठेके हुए हैं, यही नहीं 1996 में जब बाढ़ आई तो पिछली सरकार ने अफसरों से मिलकर वहां टेण्डर मंजूर कर दिये, कार्य स्वीकृत कर दिये। ठेके के कार्य ठेकेदारों को दे दिया, परन्तु अफसरों की मिली भगत से 40 प्रतिशत बिलो में टेंडर दिये गये और पिछली सरकार वाह-वाही लूटती रही कि हमने कार्य स्वीकृत कर दिये। पर अफसोस है न वो कार्य हुए, ना पैसा पहुंचा।

मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1996 और 1997–98 में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं और जिनके टेण्डर हो चुके, उन कार्यों को पूर्ण कराने के लिये 40 प्रतिशत या 20 प्रतिशत बी.एस.आर. 1996 की रेट से बढ़ाकर अगर देते हैं तो कार्य पूर्ण हो सकेंगे। अगर विभाग द्वारा कार्य पूरे कराये गये तो कार्य संभव है और उनके लिये पैसों की आवश्यकता है। जहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि हमारा बाढ़ राहत कार्य का पैसा ट्रान्सफर करके अकाल राहत को भेजा जा रहा है उससे वहां के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बाढ़ ग्रस्त एरिया के लिये जो पैसा स्वीकृत किया हुआ है, करीबन 6 करोड़ रुपया, वह पैसा हमें सिंचाई फण्ड के लिये दिलवाया जाये जिससे कि वहां के कार्य पूर्ण हो सकें। क्योंकि पिछली सरकार के आला अफसर की इच्छा है कि, बयाना में जो खण्ड खोला उसके लिये मैं पिछली सरकार का आभारी हूं, पर साथ में जो उन्होंने आला अफसर लगा रखे हैं वो इस खण्ड को उठाना चाहते हैं क्योंकि वहां कोई काम नहीं बता रहे हैं। हम दूसरी बात कह रहे हैं और हमारे ग्रामीणों का और सबका मानना है कि जब भी थोड़ी बहुत बरसात होती है तो हमारे यहां पानी बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार भरतपुर में बाढ़ आई। पूरा भरत-पुर शहर तबाह हो गया। गंभीरी नदी में

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

बाढ़ आती है तो पूरा बयाना शहर ही नहीं बल्कि ...

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

साहब, मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपने घण्टी बजा दी।

श्री सभापति : आपकी पार्टी की तरफ से समय सीमा है। 10-10 मिनट आपको निर्धारित कर रखे हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : 5 मिनट तो नहीं हुए बोलते हुए।

श्री सभापति : 10 मिनट होते ही मैंने आपको सचेत किया है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं वह बाढ़ के भय के कारण आज भी परेशान हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो प्रोटेक्शन बांध गंभीरी नदी पर जिन गांवों में बनाने हैं और जो स्वीकृत हुए हैं, जिनके टेण्डर हो चुके हैं, उन गांवों का नाम मैं लेना आवश्यक समझता हूं :- चुरेरी, चौखरू, ईटखेड़ा, नंगला होता, महुराबर, पीपरा, छौंपी का नंगला। इन पर अगर इस साल करीबन 48 लाख रुपया खर्च नहीं हुआ तो यह गांव बह जायेंगे और खाली नक्शे पर ही यह गांव दिखाई देंगे, इन गांवों का कहीं अता-पता नहीं रहेगा।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन गांवों की सुरक्षा हेतु प्रोटेक्शन बांध के लिये यह राशि स्वीकृत की जाये। राशि स्वीकृत तो है पर इसको राशि दिलाई जाये।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बंध बारैठा जो कि 102 वर्ष पुराना बांध है, भरतपुर जिले में सबसे बड़ा बांध है। उसमें आज तक कोई विशेष पैसा नहीं लगा। 1972 में वह बांध टूट गया। उसकी वेस्ट वेटर ही टूटी जिसको पूर्ण कर दिया। उसके जो सेल्यूज हैं वह आज भी उन नहरों के सेल्यूज लीक कर रहे हैं, उससे पानी वेस्टेज जा रहा है। अगर उन सेल्यूज की मरम्मत कर दी जाये तो भरतपुर को जो पीने का पानी दिया जाता है उसके लिये वो वेस्टेज पानी ही पर्याप्त है। किसानों को जो पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध होता है, वह पानी उपलब्ध हो सकेगा।

यही नहीं अगर उसकी नहर पक्की करादी जाये, जो नहरें पुराने जमाने से, 102 वर्ष पहले से कच्ची हैं उनको अगर पक्की कराने का प्रावधान हो तो जो खराब जमीन हो जाती है, वहां का जो सीपेज हो रहा है वह ठीक हो सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि उन नहरों को पक्की कराया जाये जिससे कि वहां के किसान भी यह सोच सकें कि हमारे लिये भी कुछ किया है। जो पैसा सिंचाई पर बढ़ाया है उससे उन लोगों को भी कुछ राहत मिल सके।

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चंबल नदी के धौलपुर और रोहू घाट पर मंडरायल के पास से लिफ्ट करने की जो योजना है, मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर की योजना की भांति अगर इसको लिफ्ट किया जाये तो यह भी हमारे सिंचाई क्षेत्र में क्रान्ति का कदम होगा और इसी प्रकार हमें पूर्वी राजस्थान वालों को एक आशा की किरण नजर आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रोहू घाट मंडरायल के पास चम्बल करीबन 80 फीट ऊपर से नीचे गिरती है जिसको लिफ्ट किया जाये तो वहां से हमको करीबन 25 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी और साथ-साथ बहुत बड़ा ऐरिया हमें सिंचाई के लिये भी मिलेगा। और इसका सर्वे हो चुका है। इसका सर्वे होने के बाद इसको प्लान में लिया जाये जिससे कि हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सके। यह राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा कदम होगा।

मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगी जिससे कि यह सिंचाई क्षेत्र का बहुत बड़ा कदम हो।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सिंचाई क्षेत्र के कई कार्य हमारे क्षेत्र में, भरतपुर जिले में हैं और पूरे भरतपुर जिले में सिंचाई क्षेत्र के लिए जहां सिस्टम है और उससे आगे शिक्षा ली जाती है उस क्षेत्र में मेरी ओर से मांग करता हूं कि सिंचाई का जोन आफिस भरतपुर में खोला जाय जिससे हमारे यहां के लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे निवेदन पर सिंचाई मंत्री जी गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगी कि जो कार्य हमारे बयाना क्षेत्र के और भरतपुर के गम्भीरी नदी और ककून नदियों के बकाया पड़े हुए हैं, उन कार्यों को पूरा कराने के लिए सब-डिवीजनल उप खण्ड जो बयाना में स्थापित है उसे आप स्थायी रूप देंगी जिससे कि वहां के कार्य पूर्ण हो सकें।

साथ में, मैं बताना चाहता हूं बंध बारैठे के पास जो गांव हैं उनके भी नाम मुझे बोलना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि बंध बारैठे के गांव में गंगबारेड़े के नजदीकी पकवन नदी है उससे प्रभावित गांव सूपा, नारौली, पुरा, बाईखेड़ा, सावपुरा, ककरूआ, कन्जौली, कुलवारिया, चौखण्डा और मांढापुरा ये गांव बिलकुल जल मग्न हो जाते हैं। अगर आप अब भी किसी को दिखावें तो वहां पानी भरा हुआ है। कुछ दिन पूर्व मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि बंध बारैठे के वेस्ट वियर के जो गेट हैं उनसे पानी निकाल दिया गया। मछली के ठेकेदारों ने उस पानी को निकाला और उस पानी के निकालने से कोई भी बड़ी गम्भीर

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूरा)

घटना घट सकती थी परन्तु काश्तकारों को नुकसान भयंकर हुआ। उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस किसी ने भी उसका पानी निकाला हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय जिससे कि उन किसानों को राहत मिले और किसानों को मुआवजा दिलाया जाय। मैं साथ-साथ, आपसे प्रार्थना करता हूं कि 1996 और 97 में जो भी कार्य स्वीकृत हुए हैं उनका पैसा हमको दिया जाय जिससे कि हमारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कार्य पूर्ण हो सकें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और साथ-साथ, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों को गम्भीरता से लेंगी और इन पर कार्य करायेंगी।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, सिंचाई की मांग पर आज सदन में जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां न तो कोई सदा बहने वाली नदी है और बरसात कभी होती ही नहीं है, कभी समय पर नहीं होती है। और सिंचाई का कोई साधन नहीं है। सिंचाई का अगर कोई साधन है तो हमारे इलाके के अन्दर काश्तकारों के द्वारा बनाये हुए कुएं ही हैं लेकिन धीरे-धीरे जमीन के अन्दर जल स्तर बहुत गहरा जाता जा रहा है इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारे कुएं, जिनसे हम सिंचाई करते रहे हैं, उन्हीं पर आश्रित हैं। और कुएं भी बिजली के द्वारा चलाये जाते हैं।

लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में 132 के. वी. का कोई ट्रांसफार्मर भी नहीं है और बिजली की लाइनें 40-40, 45-45, 50-50 किलोमीटर दूर से आती हैं। लाइनें बहुत पुरानी हैं। परसों का और कल का मैं हादसा बताना चाहता हूं कि परसों तो चार, एक बच्चा और तीन औरतें बिजली की लाइनें नीची थीं उनसे जलकर मर गये। और कल कांवट के पास में इसी बिजली की लाइन से तीन भैंस और दो गाय जल कर मरी हैं और दादया गांव में एक किसान का पूरा खलिहान इसी बिजली की लाइन से जलकर भस्म हो गया है।

मेरा निवेदन है कि आज चर्चा सिंचाई के मामले में हो रही है लेकिन मैंने बिजली को इसलिए याद किया है कि हमारे इलाके के अन्दर बिजली के द्वारा ही कुओं से पानी निकाला जाता है और यह लाइनें जो लम्बी-लम्बी, बड़ी-बड़ी दूर से और बहुत दिनों से डाली हुई हैं वह बहुत ही नीचे आ गयी हैं। लाइनें टूटी हुई हैं। इसलिए हमको फायदे के बजाय इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है।

(श्री महादेव सिंह)

इस समय आज सिंचाई की मांग पर बात करता हुआ बिजली मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे खण्डेला मोड़ पर जो 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर स्वीकृत है उसको जल्दी से जल्दी चालू करवाने की कृपा करें और जो वर्षों पुरानी लाइनें हैं उनको दुबारा चैक करवाकर ठीक करवाया जाय जिससे कि नुकसान नहीं हो और सिंचाई की व्यवस्था सही हो।

इसके साथ ही, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो अरावली की पहाड़ियां हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा फैली हुई हैं, बरसात के टाइम में इन पहाड़ों से एक तरफ से पानी नीचे आता है और वह बहकर चला जाता है। जमीन का भी कटाव है। जमीन के अन्दर काफी बड़े बड़े नाले पड़ गये हैं इसलिए जमीन भी काश्त करने के काबिल नहीं रहती है।

मेरा निवेदन है कि मैंने बहुत समय पहले एक कारोही बांध के लिए लिखकर दिया था, उस कारोही बांध का निर्माण जल्दी से चालू करवाया जाय। एक चला और चोकड़ी के बीच में बांध है उसकी ऊंचाई बहुत कम है। और इसी प्रकार से गोठड़ी के पास में एक बांध है उस बांध को भी तैयार करवाया जाय। मोखाला बांध जिससे वहां पानी रुक सके, एक भरखड़ा बांध गुरारा में पहले बंधवाया था लेकिन उसमें पानी बिलकुल भी नहीं रुकता है।

मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि उस बांध को दुबारा मरम्मत करवायी जाय बांध में पानी रुके। एक मेरे गांव के पास में ही राजा-महाराजाओं के टाइम का बंधवाया हुआ बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब को अगर आज सरकार बनाना चाहे तो ऐसा तालाब बनाने में कम से कम 15-20 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। लेकिन उसमें आज तक पानी के साथ साथ मिट्टी आती है और वह मिट्टी से सारा भर गया है। उसकी चोतरफ पक्की दीवार है और पक्की दीवार के बाद में कच्ची मिट्टी डली हुई थी वह भी टूट जाने की वजह से वहां पानी रुकता नहीं है।

इस मौके पर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हौद बांध को दुबारा खुदवाया जाय और उसको गहराई ज्यादा करवायी जाय। मेरे गांव दूल्हेपुरा से पूर्व साइड में आज से 8-10 साल पहले एक बांध बंधवाया गया था लेकिन आई साल ही वह बांध थोड़ा सा पानी अधिक आते ही टूट जाता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि दूल्हेपुरा के उस बांध को भी दुबारा मरम्मत करवायी जाय और एक ऐसी पक्की मोरिंग करवायी जाय जिससे अधिक पानी के आने पर उस पानी को बाहर निकाला जा सके जिससे कि वह बांध टूट न पाये। इस प्रकार से यह छोटे छोटे एनीकट बांध और यह बड़े बांध हमारे इलाके में यदि सरकार बनवायेगी तो उनमें पानी रुकेगा और पानी रुकने की वजह से हमारे कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा। इस

(श्री महादेव सिंह)

(16.19 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मौके पर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अन्दर कुओं के अलावा सिंचाई का कोई दूसरा साधन नहीं है और काश्तकार को यह भरोसा नहीं है कि हम कितना गहरा इन कुओं को करवायें जिससे पानी उपलब्ध हो सके। हमारे इलाके में जो पानी है वह सारा झरने का पानी है और अगर सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करें, कोई ड्रिलिंग मशीन भेजे, एक्सपेरिमेंट के बतौर पर और कुएं बनवाये जायं जिससे काश्तकारों को पता लग सके कि हमें इतनी ऊंचाई पर पानी मिल सकता है। हमारे यहां 300-300, 400-400, फीट तक गहरे कुएं हो गये हैं।

लेकिन फिर भी काश्तकार लाखों रुपये लगाकर, ड्रिलिंग करवाकर, परेशान होकर, निराश होकर बैठ गये। इस मौके पर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को अपने कुओं को गहरा कराने के लिये मशीन उपलब्ध कराई जाए और इसके साथ-साथ ही काश्कारों को कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाए जिससे काश्तकार अपने कुओं को गहरा करवा सकें और अपनी सिंचाई का साधन पा सकें।

इस प्रकार से हमारे इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा बांध बनाएं, एनीकट बनवाएं और जो पुराने तालाब हैं उनको गहरा करवायें। मैं बिजली मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि आप अपने विभाग को आदेश देकर पुरानी लाइनों को दुरुस्त करायें और 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर ग्रिड स्टेशन वहां लगाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 2 मिनट का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंहजी।

श्री अरुण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांग संख्या 46 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, यमुना के पानी पर 4 साल पहले एक अन्तर्राज्यीय समझौता हुआ। राजस्थान को भी इस समझौते के तहत पानी मिलने को है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन 5 राज्यों को पाबन्द किया है। पर मुझे बहुत अफसोस है कि भरतपुर जिले में आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है। मंत्री महोदय, आपको इस विषय पर राजस्थान के हिस्से के लिये जो कुछ भी समझौता हुआ है, अपने हक के लिये मुझे पूरा विश्वास है, आप अपने हक के लिये लड़ेंगे और जो सिस्टम है जहां से यह पानी आयेगा, गुड़गांव कैनाल, डीग एस्केप और भरतपुर फीडर, आज की तारीख में ये क्षतिग्रस्त हैं।

इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो सिस्टम है, जहां से यमुना का पानी आयेगा, इस साल के बजट में आप कुछ प्रावधान करें और इस सिस्टम को दुरुस्त करायें। 1995-96 में जो भयंकर बाढ़

(श्री अरुण सिंह)

आयी, जिले में हमारे 190 बांध हैं, वे सब तबाह हो गये हैं। पैसे के अभाव में आज भी....

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगी कि गुड़गांव नहर का काम हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि आगामी रबी तक वह तैयार हो जाएगी और हम अपना पानी ले सकेंगे। आप भी और अन्य माननीय सदस्य भी कभी उधर जाकर के उन कार्यों को देखें, कोई कमी हो तो मुझे अवगत कराएं।

श्री अरुण सिंह : भरतपुर में 190 बांध हैं और पैसे के अभाव में क्षतिग्रस्त हैं। आपकी बगल में वित्त मंत्री बैठे हुए हैं। उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस ब्रिज, और भरतपुर के लिये भी दिल खोलकर पैसा दें। लगभग 9 करोड़ रुपये की हमारे इन बांधों को ठीक कराने के लिये जरूरत है। भरतपुर का जो सिस्टम है सिंचाई विभाग का, वह दुनियां में मशहूर है। तो जब तक साधन नहीं आए और पैसा नहीं आए, हमारा जो पुराना सिस्टम है, वह सही नहीं हो सकेगा। डीग क्षेत्र में मेरे यहां सबसे बड़ा बांध ककड़ा बांध है। 1996 को फ्लड में वह टूट गया। उस बांध को ठीक कराने के लिये डेढ़ करोड़ रुपये चाहिए। सिंचाई विभाग के पास पैसा है नहीं, रिलीफ ने कुछ पैसा पिछले साल दिया, वह उपयोग में आया नहीं।

माननीय मंत्री महोदया से, क्योंकि ये एक अनुभवी मंत्री हैं, पहले भी सिंचाई मंत्री रही हैं, थोड़ा बहुत भरतपुर का ध्यान है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भरतपुर सिंचाई सिस्टम जो आज की तारीख में नष्ट है, यह मैं आरोप नहीं लगाता हूं कि यह पिछली सरकार में नष्ट हुआ, बाढ़ पिछली सरकार के टाइम आयी। सरकार ने सब पैसे दिये लेकिन अब हमारे को 9 करोड़ की जरूरत है। और बजट की जो आपकी किताब मिली है, उसमें भरतपुर को एक पैसा नहीं है। माननीय चन्दनमल बैद साहब, भरतपुर भी इस राजस्थान के नक्शे में है और मुझे पूरा विश्वास है कि भरतपुर के लिये आप अतरस बनेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला बृजलाल।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई विभाग की मांग संख्या 46 पर बात की जा रही है। सिंचाई जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं अपने क्षेत्र के बारे में मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र डाकूग्रस्त क्षेत्र है। यहां बीहड़ जंगल हैं और जनसंख्या भी काफी कम है।

इस क्षेत्र में पीने के पानी, सिंचाई आदि की सुविधा को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। यहां बांधों का निर्माण कराया जाए और जो बी.सी. रेश्यो में आते हैं बांधों के लिये 1.5 का रेश्यो मानते हैं, वह यहां के क्षेत्र में नहीं हो सकता है। यहां के क्षेत्र के लिये 1.0 रखा जाए। यहां जमीन काफी कम है, पथरीला

(श्रीमती कमला बुजलाल)

इलाका है, पूरा ही, ज्यादातर डांग क्षेत्र है। बरसात तो काफी होती है लेकिन इसको रोकने के लिये, यहाँ पर नदियां वगैरह बहती हैं इनका पानी दूसरी जगह बेकार चला जाता है। इसके पानी को उपयोग में लाने के लिये यहां पर नये-नये बांध बनाये जाएं।

मेरे क्षेत्र में 2 बड़े बांध हैं, काली सिंध और नींवड़ के नाम से। काली सिंध बांध, वहाँ पर करीब 10 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होती है लेकिन नहरें कच्ची हैं। इन नहरों को अगर पक्का कर दिया जाए तो करीब 15 हजार एकड़ जमीन को सिंचित किया जा सकता है। यहां जो मेरा क्षेत्र मंडरेल, जहां के लिये अभी पहले वाले सदस्य भी बोले थे। रोहू घाट के नाम से जो योजना बनी थी, उस पर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर थे, उनके टाइम में उस पर सर्वे किया गया था।

लेकिन उसके बाद में बी.जे.पी. की सरकार ने 8 साल तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मंत्री महोदया का उसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि उससे वहां के लोगों को बिजली भी मिल सकती है क्योंकि 80 फुट ऊंचे से चम्बल गिरती है, रोहू घाट; उस पर ही गिरती है। वहां के लोगों के लिये सिंचाई के नये-नये साधन उपलब्ध हो जाएंगे और पीने के पानी की जो परेशानी होती है, जब जमीन का जल स्तर ऊंचा होगा, जगह-जगह बांध बनेंगे, एनीकट बनेंगे तो वहां पानी का स्तर भी ऊंचा होगा। जिससे वहां के लोगों की जो परेशानियां हैं, पीने के पानी की, सिंचाई की, और उस क्षेत्र में जो पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये भी बांध बनाना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगी कि वहां स्टेट टाइम के कई बांध ऐसे हैं जो बने हुए हैं लेकिन जगह–जगह से टूटे हुए हैं। उनकी मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मेरे क्षेत्र में वहां से काफी राजस्व आय प्राप्त होती है सिंचाई के द्वारा लेकिन वहां सिर्फ एक जे.ईएन. आफिस ही है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगी कि वहां पर एक सहायक अभियन्ता का आफिस खोला जाए, जिससे वहां के लोगों को राहत मिले। जे.ईएन. इतना ज्यादा वहां रुकते भी नहीं हैं और इतनी जिम्मेदारी वे लोग नहीं समझते तो कम से कम एक अधिकारी, थोड़ा बड़ा अधिकारी होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और वहां लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी।

जैसे बम्बल बांध है, कुड़गांव मण्डावरा पर बना हुआ है। यदि उसका विकास किया जाए तो वहां से सिंचाई और पेयजल दोनों की सुविधा मिल पाएगी। बांध की ऊंचाई को ऊंचा किया जाए। उसकी चादर ऊंची होगी तो सिंचित जमीनों में गोकुल पुरा, कुड़गांव, नया गांव, खूपपुरा इत्यादि गांवों को वहां से पानी की भी सुविधा

(श्रीमती कमला बुजलाल)

मिलेगी और सिंचाई की भी सुविधा होगी।

बगड़ा बांध जटवाड़ी गांव पर बना हुआ है, जिससे सिंचाई एवं अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेवल भी सुधरेगा। साथ ही इसे और विकसित किया जाए तो नीचे के गांव, जिनको कृषि हेतु पानी उपलब्ध नहीं करा पाते, उनको भी कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

कुडावदा बांध, जो कुडावदा बांध है, वह काफी बड़ा बांध है लेकिन उसकी देखभाल नहीं होने के कारण वह पूरा टूटा पड़ा है। अगर उसकी मरम्मत की जाए और उसको भी बनाया जाए तो वहां के लोगों को भी उससे फायदा मिलेगा और जमीन का जल-स्तर बढ़ेगा और वहां के लोगों को पीने के पानी की भी सुविधा मिल पाएगी। लेबिया गांव पर एनीकट बनाया जाए। उसको बिकोलोकलां में फूटीपहाड़ पर बना हुआ एनीकट है, जो पूर्व में टूटा पड़ा है; उसको सुधारा जाए। बिकोलीखुर्द पर बांध टूटा पड़ा है, उसका पुनः निर्माण कराया जाए। इस क्षेत्र में लम्बे अरसे से विभाग द्वारा किये जा रहे सर्वे कार्य जैसे रामदेव सिंह खोर वाली सिंचाई परियोजना है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए।

बांग क्षेत्र में वर्षा से क्षतिग्रस्त बांधों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इस क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा बहुत कम है। इस बारे में मैंने पहले भी पानी के ऊपर क्वेश्चन उठाया था और मैं समझती हूं कि इस बारे में हमारी मंत्री महोदया काफी सक्षम हैं और इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई की मांग के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कालख बांध के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कालख बांध मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ही नहीं, विधान सभा क्षेत्र फागी और विधान सभा क्षेत्र सांगानेर का कुछ आंशिक भाग, यह अकेला बांध तीन विधान सभा क्षेत्रों में ऐसा बांध है, जिससे सिंचाई की जाती थी। यह बांध बहुत पुराना बांध है। रियासत के समय 1883 में यह बांध बनाया गया। इसके बाद सरकार के विभाग के करोड़ों रुपये इस पर खर्च किये गये। इस बांध द्वारा 1982 तक विधान सभा क्षेत्र फागी, विधान सभा क्षेत्र दूदू के गांवों में सिंचाई होती रही। 1986 में आंशिक भाग में, उस थोड़े से भाग में सिंचाई हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद आज तक इस बांध की ओर सिंचाई विभाग का और सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह अकेला बांध तीन विधान सभा क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होता था। पिछले बारह-तेरह साल से सिंचाई विभाग ने एक रुपया इस बांध पर खर्च नहीं किया।

(श्री बाबूलाल नागर)

विधान सभा क्षेत्र फागी और दूदू वैसे ही फ्लोराइड का क्षेत्र है। खारा पानी है। एक मात्र यह बड़ी योजना उस क्षेत्र में थी, जिसके कारण यहां सिंचाई के संबंध में किसानों को भारी असुविधा हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से बहुत सन्तुष्ट हूं कि इस बांध को सिंचाई योग्य बनाने के लिए मंत्री महोदया भी बहुत चिन्तित हैं। सौभाग्य से हमारा क्षेत्र तो ऐसा है कि माननीय मंत्री महोदया स्वयं इस क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। मैं इस बांध की उपयोगिता के बारे में कोई चर्चा करूं तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदया के सामने यह उचित नहीं रहेगा कि इस बांध की कितनी उपयोगिता है।

मंत्री महोदया स्वयं एक-एक गांव को, किन-किन गांवों को इससे लाभ होता है, किन-किन गांवों की क्या हालत हो रही है, आपसे छिपी हुई नहीं है। बीच में मैं मंत्री महोदया से मिला भी था। आपने अपने स्तर पर कुछ प्रयास भी शुरू किये हैं, नये रूप में इस बांध को किस तरह चालू किया जाए, इसके सम्बन्ध में कुछ सर्वे भी करवा रहे हैं पर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस बांध का जो कैचमेंट एरिया है, वह रेतीला है। इस बांध में बांडी नदी एक मात्र ऐसा स्रोत था जिसका पानी इस बांध में आता था। रेतीला क्षेत्र होने के नाते बालू मिट्टी इस नदी में आ गयी और जिसके कारण रेत भर गयी।

इसी तरह कृषि मंत्री ने कुछ सड़कें बनायी हैं, उन सड़कों की ऊंचाई इतनी ज्यादा कर दी कि इस बांध में पानी की आवक बिलकुल ही बन्द हो गयी। वन विभाग ने भी इस क्षेत्र में कुछ सफेदे के पेड़ लगाये हैं, जो पानी की आवक में रुकावट पैदा करते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नदी के पानी का जो बहाव है, इसको ठीक करवायें और इन सड़कों को सही ढंग से, काज-वे यहां पर बनवायें और आस-पास के जो नदी-नाले हैं उनको मोड़कर इस बांध के लिए उनकी आवक बनवायें तो मैं सोचता हूं कि न केवल हमारे क्षेत्र के लिए बल्कि तीन विधान सभा क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा।

साथ ही बहुत से कैचमेंट एरिया होने के बाद भी एनीकट भी बना लिये गये, जिसके कारण पानी की आवक रुक गयी। मेरा आपसे आग्रह है, और उपाध्यक्ष महोदय, वो विधान सभा क्षेत्र का पूरा क्षेत्र माननीय सिंचाई मंत्रीजी की ओर देख रहा है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी से उम्मीद लगाये बैठा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस बांध को सिंचाई योग्य बना दें। पूरा क्षेत्र आपका अहसान मानेगा और उन किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक छापरवाड़ा बांध है। मंत्री महोदया भी उसको बहुत अच्छी तरह से जानती

(श्री बाबूलाल नागर)

है। इसमें नहरों की हालत, इस छापरवाड़ा बांध से जो नहरें निकलती हैं, वे इतनी टूटी-फूटी है कि जब भी बांध से पानी छोड़ा जाता है तो अधिकतर पानी वैसे ही खराब हो जाता है और जब भी इसमें पानी छोड़ा जाता है तो किसानों में लड़ाई हो जाती है। कई बार पुलिस में मुकदमे दर्ज होते हैं। सिचाई विभाग के अधिकारी भी यहां मौजूद हैं, उनको भी जानकारी में होगा। कई बार इन्होंने भी मुकदमे दर्ज करवाये हैं। आपस में किसानों की लड़ाई हो जाती है। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी पानी छोड़ें तो वारांबंदी लागू कर दी जाए। जिससे किसानों के साथ न्याय हो सके और सभी किसानों को इसका फायदा मिल सके।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र नरेना में एक गोरीशंकर तालाब है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत के नियन्त्रण में यह तालाब है। इस तालाब की भराव क्षमता काफी है। लेकिन पानी की आवक क्षमता बहुत कम है।

मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, कि लघु सिंचाई में इस तालाब को ले लिया जाए जिससे कि आस-पास के किसानों को इसका फायदा भी हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस उम्मीद से कि, माननीय मंत्री महोदया, इसमें जो हम उम्मीद उस क्षेत्र के लिये लगाये बैठे हैं किसानों को इससे सिंचाई का अवसर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्षजी, आज हमारे जिले में इतनी नदियां बहती हैं, बारहमास नदियां बहती हैं। 1990 में बांध टूट गये थे, तो हमारे जालोर जिले के भी किसी एक आदमी को बोलने का अवसर प्रदान कर दें। हम थोड़े लेट आए हैं। क्योंकि हम आज विधान सभा . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहां रोक रहा हूं आपको।

श्री रतनाराम चौधरी : हमको आप आदेश दे सकते हो क्योंकि हमारे जो.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने मुख्य सचेतक जी से मिलिये और नाम भेजें। मैं कहां रोक रहा हूं।

श्री रतनाराम चौधरी : हमको सिर्फ दो मिनट मौका दे दीजिये बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मांग संख्या-46 पर बोलने के लिये हाजिर हुआ हूं। बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा स्वर्गीय गंगासिंहजी ने आज से कोई 70-72

(श्री रामप्रताप)

साल पहले गंग कैनाल का निर्माण किया और उस कैनाल की बदौलत गंगानगर जिले का रेगिस्तानी इलाका सरसब्ज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 70-72 साल पहले बनी कैनाल आज बहुत ही जर्जर हालत में है और उसको दुबारा लाइनिंग करने के लिये, उसकी मरम्मत करने के लिये आगे सिंचाई सिस्टम प्रभावित नहीं हो, इसलिए आई.जी.एन.पी. के एक लिंक का निर्माण किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कहता कि पहले इस नहर का क्यों नहीं जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन कम से कम इस वक्त अगर हम इसकी कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में शायद हमारे लिये और भी मंहगा साबित होगा। क्योंकि आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में लगातार हर साल सी.सी.ए. इन्क्रीज हो रहा है और उसकी खुद की मांग 800-900 क्यूसेक्स हर साल बढ़ती जा रही है। और जब वह सेचुरेशन पाइंट पर आ जाएगा, उसकी क्षमता पूरी जब वह एग्जास्ट कर लेगी, तो जिस बात के लिये हमने लिंक का निर्माण किया था, वह हमारा उद्देश्य ही डिफीट हो जाएगा। आज की तारीख में वह कम से कम 50 करोड़ का स्ट्रक्चर है। नहर का हमें जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। लेकिन उस लिंक के बिना अगर हम करते हैं तो आइ–दर्शन चैनल भी हमारे लिये बहुत ही महंगा साबित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आई.जी.एन.पी. की क्षमता निश्चित तौर पर 18500 है, लेकिन आज की तारीख में उस का डिस्चार्ज है, जो गेट्स बने हुए हैं, वह 15000 के हैं। उस वक्त में पता नहीं किस वजह से पूरी क्षमता के गेट्स का निर्माण नहीं किया गया। लेकिन आज भी अगर हम सचेत हों, क्योंकि जिस तरीके से सी.सी.ए. इन्क्रीज हो रहा है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है तो 15000 के बाद में उसको ले नहीं पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल, इन दोनों सिस्टमों का आधुनिकीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि केन्द्र स्तर पर एक ऐसा निर्णय भी लिया जा चुका है कि कैनाल्स का माडर्नाइजेशन होना चाहिये। हमारे पास में पंजाब और हरियाणा है। उन दोनों ने टोटल कैनाल सिस्टम और यहां तक कि अपने खालें भी पक्के कर रखे हैं, उसका हमें लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि सेम की समस्या है, वह इतनी विकराल रूप नहीं ले सकेगी।

दूसरा, सभापति महोदय, कैनाल्स के पक्का होने की वजह से जो वाटर लोसेज हैं, वह डिक्रीज होंगे और हमारे पास में इतना एक्स्ट्रा पानी उपलब्ध हो जाएगा कि जितना हमारा अनकमांड एरिया पड़ा है, उस पानी से हम उस सारे

(श्री रामप्रताप)

एरिये को कमांड कर सकते हैं और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप दूसरी जगह सी.सी.ए. क्रिएट करते हो तो 30-40 हजार रुपये प्रति–एकड़ खर्च हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से यह सब सस्ता होगा। इससे आपको रिटर्न्स भी जल्दी मिलेंगे। इसलिए पूरे सिस्टम का माडर्नाइजेशन किया जाए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सार्दुल ब्रांच की कैपेसिटी बनी थी 1975 में, इसके बाद उसमें कमांड एरिया भी शामिल हो गया। इसके साथ–साथ उसमें पी.एच.ई.डी. का सिस्टम है, उसको भी पानी दिया गया और साथ में दूसरे अन्य कोई ईंट-भट्टे के लिये या इस तरीके से दिया गया। तो उसकी कैपेसिटी रिवाइज करना भी हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सुझाव दे रहे हैं, कोई नोट करने वाला नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपका ध्यान नहीं है, मंत्री महोदया हैं।

एक माननीय सदस्य : स्टेट मिनिस्टर बैठी हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले की और गंगानगर जिले की सबसे बड़ी समस्या है, वह सेम की समस्या है।

मोहम्मद माहिर आजाद : वर्मा जी बैठे हैं, और भी मंत्री बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेम की समस्या के बारे में मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि जयपुर में बैठी हुई कोई भी सरकार द्वारा इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर आज की तारीख में जो दयनीय स्थिति बनी हुई है वहां के किसान की, वह देखी नहीं जा सकती। इसके कारण जो भी रहे हों, लेकिन इसका निराकरण, समाधान निश्चित तौर पर अत्यन्त आवश्यक है।

जहां तक इसके कारणों की बात है, बहुत-सी जगहों पर इसके वाटर क्लाउंस को दोष दिया जाता है। कहीं कैनाल सिस्टम की लाईनिंग को दोष दिया जाता है। कहीं पर आपके जी.डी.सी. को दोष दिया जाता है। कुल मिलाकर सारे कारणों को इकजाही करें तो हरेक का एक शेयर इसके अन्दर है। विशेष तौर पर सबसे ज्यादा अगर इसमें दोष है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो डिप्रेशंस का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई सेम बनता है तो पहाड़ों में जो पक्की जगह है, वहां पर तो पानी नीचे परकोलेट नहीं होगा, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता

(श्री रामप्रताप)

कि ऐसे कौन-से इंजीनियर्स थे जिन्होंने यह राय दी कि सूरतगढ़ में आगे धोरों में जाकर डिप्रेशंस में वहां पर डेम्स टाइप बना दिये। आज लाखों क्यूसेक्स पानी वहां पर इकट्ठा पड़ा है और पानी को आगे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है और धोरों में, रेतीली जमीन में होगा, तो निश्चित तौर पर पानी का सीपेज होगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि उसके पास में पड़ने वाले गांव बीस-बीस फीट की गहराई में हैं तो लाखों क्यूसेक्स पानी का जो कालम है, वह धोरों में नहीं रुक सकता। इसलिए सबसे बड़ा सेम का कारण यह डिप्रेशन है।

मैं इसलिए कहता हूं कि बिरधवाल हैड पर भी पानी 1972 में गया। 1974 में आपके माणकथेवी और बड़ोपुल में सेम के लक्षण आना शुरू हो गये। इसलिए निश्चित तौर पर दो साल में कहीं सेम नहीं आ सकती इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो इन डिप्रेशंस का है। इस लिए इसके लिये चीफ इंजीनियर नोर्थ से आपको एक एस्टीमेट, एक स्कीम बनाकर दी गयी है। इसमें बहुत-सी चीजें ऐसी हैं, अब किसी को दोष देने से तो फायदा नहीं है, या हो सकता है उस समय में हमारे इंजीनियर्स इतने सक्षम नहीं थे। जब इस एक्ट का नाम इरिगेशन और ड्रेनेज एक्ट है, हमने ड्रेनेज की व्यवस्था इतने बड़े सिस्टम के साथ में क्यों नहीं की, यह समझ से परे की बात है। आज यह संसार के सबसे बड़े इरिगेशन कैनाल है, मैं कैनाल इरिगेशन की कह रहा हूं, सबसे बड़ी कैनाल होते हुए भी उसके साथ में हमने ड्रेन्स नहीं बनाये।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब पोरशन के अंदर हर तीस-चालीस बुर्जी के ऊपर इसके नीचे साईफन्स बने हुए हैं जिस से कल को आप ड्रेन्स बनायें तो उसमें सहयोग मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस कैनाल के अन्दर कहीं भी नीचे साईफन नहीं बनाये गये। आज की तारीख में आपको ड्रेन्स बनाने पड़ेंगे और जब आप ड्रेन्स बनाओगे तो साइफन्स की कोस्ट कितनी आयेगी, यह भी समझ से परे की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दे तो ऐसे हो सकते हैं कि अनजाने में रहे होंगे लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट इस किस्म के पैदा किये गये। अब मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं यह जो जी.डी.सी. लास्ट में जाकर सूरतगढ़ ब्रांच में गिरती है, अगर सूरतगढ़ ब्रांच का लेवल आगे से ऊंचा है जब तो पानी को हम क्रेस्ट बना कर के उसका लेवल मेन्टेन कर के उसमें डालेंगे लेकिन सूरतगढ़ ब्रांच एक तरह से जो कुए की तरह से है तो मेरी समझ में नहीं आता कि वहां आपने क्रेस्ट फोरमेशन क्यों किया? शायद साढ़े तीन या चार फीट की क्रेस्ट है उससे एक वाटर कालम खड़ा रहता है जिससे पीछे के गांव हैं वो बिना मतलब के सेम की समस्या से मर रहे हैं, आपने उस क्रेस्ट को तोड़ा है, मंत्री महोदय,

(श्री रामप्रताप)

लेकिन अभी भी उसकी वजह से नुकसान काफी हो रहा है।

इसी तरीके से एक नुकसान हमारा बहुत बड़ा हुआ उससे हमने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सिस्टम, एक सिस्टम दो में बाइफर्केट होता है; ट्राइफर्केट होता है; क्वाड्रीफर्केट होता है तो उसका रेगुलेशन है वह एक ही जगह पर होना चाहिए जिससे कि अगर हम एक सिस्टम को बंद करें उसके गेट्सडाउन करने पड़ेंगे। दूसरे को यदि चालू करना है तो उसको ऊपर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय; आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि 1981 के अन्दर सर्दी के वक्त में घग्घर नदी के अन्दर पानी आया था 6656 क्यूसेक्स, एक हजार क्यूसेक्स आपने बेड में डाला 5656 क्यूसेक्स आपने जी.डी.सी. में डाला। इसका बेड का गेट आपका 24 आर.डी. पर है और आपने जी.डी.सी. का गेट 42 आर.डी. पर बनाया। वह 18 आर.डी. आगे होने की वजह से पानी तो आपने बेड से छोड़ दिया। गेट्स आपके डाउन थे। पानी हैडअप होकर 33 और 34 आर.डी. के बीच में वह नहर टूटी है, जी.डी.सी. रात को टूटी और टूटने के बाद में इसका नुकसान किस को हुआ? शायद हो सकता है आपको रिपेयर और मेंटीनेंस का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है काश्तकार का। 17 हजार दो बीघा, जमीन की बात नहीं कह रहा हूं, 17 हजार दो बीघा, 31 जनवरी की रात थी, खड़े गेहूं को तबाह किया गया। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी हमने यह नहीं सोचा कि ऐसा कौनसा इन्जीनियर था जो इस स्ट्रेक्चर को उठा कर इतना आगे लेकर गया और अगर उसने गलती कर दी तो क्या हम उसको दुरुस्त नहीं कर सकते।

उसका दूसरा नुकसान है। 18 आर.डी. के अन्दर जब आप जी.डी.सी. का गेट डाउन कर लेते हो और घग्घर नदी में आप पानी छोड़ रहे हो तो वो जो 18 आर.डी. में आपका पानी का बड़ा कालम खड़ा रहता है उससे वो शील्ट-अप होकर के उसके बेड के अन्दर अपने आप ही एक दीवार सी बन जाती है। या तो आप आये साल उस शील्ट को निकालो और नहीं निकालो तो उसका लेवल ऊंचा होने के बाद पटरी को भी नुकसान कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इन समस्याओं की ओर हमने ध्यान नहीं दिया और लगातार इसकी वजह से हम परेशान होते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ से प्रभावित रहता हूं। मेरा जिला विशेष तौर से बाढ़ से प्रभावित रहता है। घग्घर नदी हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के बीच से गुजरती है। पहले पानी खुले रूप से चलता था।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन का समय नहीं बढ़ाया जायेगा क्या? पांच तो बजने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ायेंगे, अभी पांच थोड़े बजे हैं। आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं, पांच बजे थोड़ी हैं। (व्यवधान) बढ़ जायेगा, चिन्ता मत करो, आप तो बिराजो। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग के पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मांग के पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, घग्घर नदी जोकि पीछे पंजाब और हरियाणा से होकर आती है ज्यादा, उसका जो एरिया था वह फैला हुआ था। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसके पानी के रास्ते को संकड़ा कर दिया। इसके साथ–साथ हरियाणा सरकार ने अपना सेम का पानी और यहां तक कि सीवरेज का पानी भी सारा आपकी घग्घर नदी में डालते हैं।

मंत्री महोदय, आज की तारीख में मेरे ख्याल से 200 क्यूसेक्स पानी लगातार आपके चल रहा है। यह भी एक विचित्र स्थिति है कि शायद राजस्थान में यह पहला उदाहरण होगा कि नदी के पेटे में खातेदारी राइट्स दिये हुए हैं। जब उसमें से लगातार पानी चलता है तो वो खातेदार हैं, उसमें हमेशा झगड़ा रहता है। इस समस्या का, सेम की समस्या का हो, ड्रेनेज आप बनाओगे चाहे घग्घर नदी की बाढ़ की समस्या हो, जब तक आप उस नदी के पेटे को....

श्रीमती कमला : कौनसे क्षेत्र में नदी के पेटे में खातेदारी राइट्स हैं? कौनसे एरिया के अन्दर हैं?

श्री रामप्रताप : अपने जीरो आर.डी. से लेकर लगातार ही।

श्रीमती कमला : लगातार कितनी दूरी पर?

श्री रामप्रताप : लास्ट तक जहां तक जाती है। मेरे ख्याल से आगे तक पूरा यह जहां बोर्डर को टच करती है वहां तक जाकर, लेकिन विशेष तौर से इसकी जो परेशानी है वह हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ तक होती है। जब तक आप इसको एक्वायर नहीं करोगे और धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े पैसे लगाते रहोगे तो समस्या का समाधान भी नहीं होगा और हम इसी तरीके से बरबाद होते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जब ड्रेनेज बनाओगे तो पानी जब तक आप इस घग्घर नदी के बेड में नहीं डालोगे और जब भेड़ताल तक लेकर नहीं जाओगे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अंत में एक ही निवेदन करना

(श्री रामप्रताप)

चाहूंगा कि जब मैं कृषि पर उस दिन मांग पर बोला था मैंने एक ही चीज कही थी कि किसान मरते तो भी भगवान से नहीं हैं, जिन्दा लाश हैं । वह स्थिति आज फिर दोहराना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान को हमने व्यापारी मान लिया । जब हम उस पर सिंचाई शुल्क लगा रहे थे उस वक्त हमने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि किन हालात में वह अपनी उपज पैदा करता है । उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर और जनवरी की रात में जब लोग रजाइयां ओढ़ कर सोते हैं, जब लोग हीटर्स लगा कर सोते हैं, वह किसान है जो घुटने तक पानी में नंगे पैरों खड़ा रहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मई, जून के महीने में लू चलती है तब तपती हुई दोपहर में हम लोग ए. सी., कूलर और पंखों के नीचे सोये होते हैं और किसान वहां खड़ा होकर उन लू के थपेड़ों में अन्न पैदा करता है । इस तरह से गर्मी की रात में जब ठंडी होती है तो उसका साथी और कोई नहीं होता है उसके साथी सांप और बिच्छू होते हैं, नंगे पैर वहां घूमता है । इसी तरीके से अगस्त और सितम्बर के महीने में, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़े सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर माननीय वित्त मंत्रीजी को थोड़ा-सा उस खड़ी फसल के अन्दर अगस्त और सितम्बर के महीने में, आप इसमें कोई बुरा नहीं मानना, दो मिनट के लिए ले जाकर के खड़ा तो करो कम से कम ।

श्री उपाध्यक्ष : बाकी अवस्था देखकर बात करो न ।

श्री रामप्रताप : नहीं, मैंने पहले माफी मांग ली है इसके लिए ।

ऐसी परिस्थितियों में जब वो इस तरीके से इतनी मेहनत कर के अनाज पैदा करता है, उपाध्यक्ष महोदय, तो हम उसको व्यापारी मानते हैं । वह 90–95 करोड़ जनता का पेट भरता है, खुद भूखे पेट रहता है और हम उसको अन्नदाता कहते हैं । जो भी राजनीतिक पार्टी जब वोट लेने के लिए जाती है तो सबसे पहले नाम किस का लेती है, किसान भाइयों का । और ज्यादातर और भी उसको बहकावे में देना हो तो क्या कहती है, मोतियों से मंहगे मेरे किसान भाइयों ।

आज उसकी कमर टूट चुकी है नरमे और कपास की फसल फेल होने से, सेम की समस्या होने से । और हमने उसको रिवार्ड किस चीज का दिया है, जो उसका एक सहारा था तिलम संघ, जिसकी वजह से वह अपने तिलहन को बेचता था, 2400 रुपये का भाव था आज 1100 रुपये सरसों बिक रही है । हमने उसको रिवार्ड किस चीज का दिया है, लाखों की किश्तें माफ की गयी थीं, पूर्ववर्ती सरकार ने माफ की थीं, अभी तक उसके पीछे बैंक पड़े हुए हैं ।

किसान क्रेडिट कार्ड जो केन्द्र सरकार ने जारी किया था, राजस्थान की उस वक्त की सरकार ने, को-आपरेटिव मंत्रीजी

(श्री रामप्रताप)

यहां पर नहीं हैं, उनकी फाइल पर यह नोट लगा है तात्कालीन मुख्य मंत्रीजी का कि आचार संहिता की वजह से इसको चुनाव के बाद में चालू किया जाय, शुरू किया जाय । लेकिन जिस किसी ने भी किया, उस किसान क्रेडिट कार्ड का वहां के किसानों को कोई लाभ नहीं है क्योंकि उसकी सारी की सारी जमीन है वह बैंकों के मोर्टगेज की हुई है । तो इसको क्या लाभ उस किसान क्रेडिट कार्ड का ।

इस तरह से वह इस तकलीफ में इतना कर के जब अपनी फसल प्रोड्यूस कर के लेकर आता है तो उसको पैसा कितना मिलता है । आज की तारीख में उसका टमाटर खेतों में सड़ रहा है, उसको जानवर भी खाने वाले नहीं हैं । आज की तारीख में सब्जियां जब वो बाजार में लेकर आता है तो उसकी लगी हुई लागत उसको नहीं मिल रही है, उपाध्यक्ष महोदय । हम इतनी सब चीजों को कंसीडर नहीं करते सिर्फ उसको देखते हैं ।

मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि वोट जब पड़े थे उससे पहले जिन-जिन लोगों के नाम हैं कि इन लोगों ने इनका सहयोग किया, सब को पुरस्कृत किया गया है । कर्मचारी को किया । और किसानों पर तो बैदजी ने स्पेशल महरबानी की । अतः मैं कहना चाहता हूं कि किसानों में जाट को तो उन्होंने बहुत लाड़ करयी भगवान जाणे के बात हुई ।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह बहुत दफा हाउस में बात कही जा चुकी है कि, चुनाव के वक्त में हो सकता है इनकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी, कि हर समुदाय से एक-एक मुख्य मंत्री प्रोजेक्ट किया लेकिन मेरी जाति के साथ में बहुत अन्याय किया । इसको बांधने के लिए तो इन्होंने दो मुख्य मंत्री खड़े किये । एक तरफ मदेरणाजी को किया और इधर दूसरी साइड नटवरसिंहजी को किया । इस तरीके से करने के बाद जब इकजाई इनकी मदद की गयी तो इसका नतीजा यह हुआ कि... (व्यवधान) थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ कर दिया करो, मेरे से आप जैसे तो बोला नहीं जाता है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आवेश में ?

श्री रामप्रताप : हां ।

श्री उपाध्यक्ष : कभी-कभी जल्दबाजी में हो जाता है ।

श्री रामप्रताप : सिंचाई मंत्रीजी पर तो मेरे को विश्वास है ईमानदारी से कहना चाहता हूं इसको आप अदरवाइज नहीं लें । निश्चित तौर पर सिंचाई मुल्क जब शत प्रतिशत बढ़ाया गया होगा तो इनकी आत्मा जरूर दुखी हुई होगी इसमें किसी को कोई शंका नहीं रखनी चाहिए । लेकिन निश्चित तौर पर माननीय वित्त मंत्री बैदजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के साथ में इतना अन्याय नही करें । उसकी जमीन को देखकर बात नहीं करें । जिस हालत में वह पैदा करता है । अतिवृष्टि, अनावृष्टि

(श्री रामप्रताप)

और ओलावृष्टि न जाने कितने संकटों से गुजर कर वह प्रोड्यूस को लेकर आता है और आखिर में उसको जब पैसा मिलता है उसका भी तो आप हिसाब लगाइये।

मैं अन्त में बैदजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की जमीन उसकी कीमत और उसका ब्याज हमें दे दें और किसान खेत में आकर काम करता है, उसके बच्चे उसकी औरत और वह खुद, उसकी मजदूरी दे दें बाकी का पैसा बैदजी ले लें। बचता क्या है उसके पास ? आज 100–50 किलो से ज्यादा हमारे पर बीघा नरमा कपास नहीं हो रहा, तीन क्विन्टल जब तक नहीं होता तब तक उसका सारा खर्चा पूरा नहीं होता इन हालात से निकलते हुए उस किसान को इस तरीके से नहीं परेशान किया जाए।

मैं आपसे अन्त में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की तरह से किसान घास की रोटी खा सकता है स्वाभिमानी है लेकिन, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए, वह अन्याय को कभी सहन नहीं करेगा। और माननीय वित्त मंत्रीजी इस चीज के गवाह हैं, जानते हैं अच्छी तरह से, 1969 में गंगानगर जिले के किसानों ने एक ऐतिहासिक आन्दोलन किया था और राजस्थान की तमाम जेलें भरकर रख दी थीं और कुछ किसान शहीद भी हुए थे। इस बात को भी हमें नहीं भुलाना चाहिए। इतना सब जो वे अपने लिए करते हैं उसको हम बदले में यह चीज दें निश्चित तौर पर यह तो कोई न्याय नहीं हुआ। आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्रों का कथन है कि सृष्टि का प्राण कृषि होती है और कृषि का प्राण अन्न होता है किन्तु अन्न का प्राण जल होता है। यदि मेरी बात को अतिशयोक्ति नहीं समझा जाए तो मैं यह कहने में गर्व और संतोष महसूस करती हूं कि राजस्थान का झालावाड़ जिला शायद सबसे ज्यादा जल सम्पन्न जिला है प्राकृतिक, और जिसमें खानपुर जिला प्राकृतिक जल स्रोत के साथ-साथ.. (व्यवधान) खानपुर विधान सभा क्षेत्र है मेरा। झालावाड़ जिले में जल स्रोतों के साथ-साथ भूमि की श्रेष्ठतम उर्वरकता खानपुर विधान सभा क्षेत्र की सर्वज्ञात है। यह हाड़ौती अंचल का प्राचीन समय से सर्वाधिक अन्न उत्पादक क्षेत्र रहा है।

किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि विकास के व्यापक विस्तार के बावजूद इस क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं की विपुल संभावनाएं होते हुए भी उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया गया है। मेरा सबसे पहला उदाहरण ही शायद सदन को चौंकाये। श्रीमान्, खानपुर विधान सभा क्षेत्र की हरिश्चन्द सागर परियोजना हाड़ौती की चम्बल के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी काली–सिंध पर निर्मित है।

किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि यह

(कु. मीनाक्षी चन्द्रावत)

अकेला सागर एक ऐसा सागर है कि जो सागर नहीं है। इसमें नदी बहती है क्योंकि वहां पर कोई बांध नहीं है। हमारे जन्म से पूर्व इस पर कोई बांध बना था जिसके स्मृति चिन्ह अभी भी टुकड़ों के रूप में वहां पर विद्यमान हैं। बांध दो-दो बार बनकर टूट चुका है। अन्तिम बार 1969-70 की बाढ़ में टूटने के बाद 77-78 में इसका फिर काम शुरू हुआ जो 96-97 में पूर्ण होना दर्शाया गया है जिस पर 2200 लाख रुपया खर्च होना बताया गया किन्तु यह सारी राशि नहरों के विस्तार पर ही खर्च की गयी। उस अपेक्षित बांध में कोई कार्य नहीं कराया गया। जब बांध ही नहीं खड़ा होगा तो नहरों के विस्तार पर हुआ खर्चा अपव्यय ही हुआ।

परिणाम यह है कि जब तक नदी में पानी बहता है, नहर में पानी चलता है और नदी का बहाव बन्द होते ही सामान्यत: नवम्बर के महीने के बाद नहर में पानी बन्द हो जाता है जबकि फसल के पकाव के पूर्व की सिंचाई का समय नवम्बर के बाद का होता है।

मान्यवर, कवि ने 600 वर्ष पहले कहा था कि जल बीच मीन प्यासी। पर हमारा क्षेत्र आज भी जल भण्डार के बीच प्यासा है। यदि सरकार इस नदी पर जिसकी भराव क्षमता अपरिमित है, ध्यान दे और विभागीय अनुमान के अनुसार मात्र आठ करोड़ रुपये लगभग स्वीकृत कर दे तो क्षेत्र के किसानों को 20 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। वर्तमान में मात्र एक सिंचाई, अर्थात पिलाई होती है जिससे खानपुर विधान सभा क्षेत्र का लगभग तीन हजार हेक्टेयर और सांगोद क्षेत्र का लगभग ढाई हजार हेक्टेयर रकबा ही वार्षिक सिंचाई पाता है।

यदि इस योजना में आठ करोड़ रुपये की स्वीकृति से बांध की पाल ऊंची होती है तो हरिश्चन्द्र सागर का सागर नाम ही सार्थक होगा और इस पर पूर्व में हुए खर्चे से भी समुचित लाभ किसानों को मिल पायेगा। इस बांध के साथ एक और दुर्घटना पिछले कुछ वर्षों से हो रही है जिसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग, वन विभाग और खान विभाग तीनों से है। इस बांध के ठीक ऊपर सात आठ अवैध खानें, चल रही हैं जिसमें देर रात तक ब्लास्टिंग होता है जिससे नहर में क्रेक आने लगे हैं। वन विभाग और खान विभाग उन अवैध खानों को बन्द कराने में क्यों असमर्थ है यह रहस्य खुलना चाहिए।

एक ओर तो वन विभाग को दिन दहाड़े चल रही अवैध खानें दिखाई नहीं दे रही हैं दूसरी ओर खानपुर विधान सभा क्षेत्र की दो लघु सिंचाई योजनाएं हरिपुरा बांडिया और मानपुरा वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में अटकी पड़ी हैं। जहां वन शून्य भूमि पर केवल वन विभाग का खाता खुलने मात्र से विकास के रोड़े अटकाने वाला विभाग जन विरोधी मानसिकता दर्शाता है। यही कारण है कि यहां तक आते-आते सूख जाती है सभी नदियां। मुझे मालूम है कि पानी कहां ठहरा हुआ

(कु. मीनाक्षी चन्द्रावत)

होगा । इसी क्रम में खानपुर विधान सभा क्षेत्र की परवन मध्यम सिंचाई योजना का भी भूमिगत जल संरक्षण कार्य चल रहा बताया गया है। यह सिंचाई की संभावनाओं की दृष्टि से क्षेत्र की कृषि इकाई योजनाएं हैं ।

यदि यह भी इसी नवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति पा सके तो क्षेत्र की लगभग 10 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी । खानपुर विधान सभा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण व विकास में सर्वाधिक सहायक भीमसागर मध्यम परियोजना वर्ष 1996-97 में 2325 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हो गयी थी । इस की दो मुख्य नहरें हैं जिनकी कई वितरिकाएं हैं–मूंडला, मचरावां, माहिरा, आंसखेड़ा, मरायता प्रथम व द्वितीय टेल तक कभी पानी नहीं पहुंचता क्योंकि नहरों के किनारे टूट-फूटकर कमजोर होकर पानी को जाया करते हैं । नहरों में मिट्टी का भराव हो जाने के कारण बहाव भी अवरुद्ध हो गया है । कई जगह तो पक्के कार्य भी टूट चुके हैं ।

परिणामतः किसान सिंचाई से वंचित रह जाते हैं । विभाग को इसके लिए एस्टीमेट के अनुसार स्वीकृति मिलना आवश्यक है तभी क्षेत्र की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का समुचित लाभ मिल सकेगा । खानपुर विधान सभा क्षेत्र की चार लघु सिंचाई योजनाएं हैं-सारोला, गणेशपुरा, बिलासरा, जोलपा की सिंचाई क्षमता क्रमशः 445, 508, 62 और 136 हैक्टेयर है । किन्तु इसकी नहरों की हालत मिट्टी भर जाने व जगह–जगह से टूट जाने के कारण बहुत खराब हो चुकी है । जिसके कारण से सिंचाई का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है बल्कि सारोला योजना में तो पानी वर्षा के एक माह के भीतर ही खाली हो जाता है । नतीजा यह होता है कि योजनाओं के नाम पर क्षेत्र की सूची में कई नाम जुड़ गये हैं । लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें उनसे शिकायत है कि मत दो चादरें छोटी । वे कहते हैं कि हमको पांव फैलाना ही नहीं आता ।

अन्ततः सबसे महत्वपूर्ण किन्तु अत्यन्त व्यावहारिक प्रस्ताव है कि खानपुर विधान सभा क्षेत्र में करीब दो दर्जन बड़े-बड़े नाले हैं जो कृषि भूमि के कटाव का कारण भी बन रहे हैं जबकि उनका बहुत ही कम व्यय में स्टाप डैम बनाकर न केवल सिंचाई का लाभ उठाया जा सकता है बल्कि एक खतरनाक समस्या है, भू जल स्तर के साल दर साल में नीचे उतर जाने पर भी जल संसाधनों पर नियंत्रण किया जा सकता है । इस तरह प्रकृति के विपुल वरदान वर्षा के जल के निरर्थक बहकर नदियों और नदियों से समुद्र में जाकर खारा हो जाने को रोक कर एवं लोकहित में खेतों में अमृतधारा बनाकर सदुपयोग किया जा सकेगा । इसमें मुख्यतः कुछ तो वर्ष भर पानी से भरे ही रहते हैं जिनमें उजाड़ नदी और गोलाना नदी हरीगढ़ नागली जैसे कई छोटे किन्तु कृषि उपयोगी पशु पेयजल हरित्मा विस्तार में उपयोगी हो सकते हैं । तीन-तीन, चार-चार लाख

(कु. मीनाक्षी चन्द्रावत)

रुपये के अल्प व्यय में ही ये कार्य सम्पादित हो सकते हैं। सरकार वृहद सिंचाई परियोजनाओं को अर्थाभाव में स्वीकृत नहीं कर पाती है और कुछ की स्वीकृति होती भी है तो पूर्णता में वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जबकि ये छोटे कदमों से विराट उपलब्धियों को संभव बना सकेगा क्योंकि माहौल सादगी का नहीं सख्त है जमीं, फिर भी निकालनी तो है कोम्पल किसी तरह। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निर्भय लाल।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिंचाई का मामला जो किसानों से सम्बन्ध रखता है। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। किसानों के प्रति मुझे बड़ा दुःख है।

भरतपुर जिला सिंचाई के मामले में बांधों के ऊपर निर्भर है वहां 190 बांध हैं। तीन नदियां हैं रूपारेल, गंभीर नदी और वाण गंगा। पंजाब की तरह, पंजाब में पांच नदियां हैं और भरतपुर में तीन नदियां हैं। वहां का किसान नदी और बांधों के ऊपर निर्भर है। वहां के किसानों के प्रति, वहां करीब 80 प्रतिशत बांध भरतपुर जिले के टूटे हुए पड़े हैं। मुझे बड़ा दुःख है कि वहां के किसानों की तरफ सिंचाई मंत्री महोदय का और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया है।

मेरा वित्त मंत्रीजी से, सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां के किसानों की आकांक्षाओं को देखते हुए वहां के बांधों के रखरखाव के लिए वहां के 1996 और 1997 का और 1998 का पैसा, पहले 1996 और 1997 का जो पैसा दिया था, वह वहां टेण्डर करा करके वहीं की वहीं रह गया। वह पैसा पता नहीं किस हैड में बदल दिया।

मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां का जो पैसा आपने किन्हीं हैड्स में बदला फ्लड के नाम पर, वह वापस दीजिए। वहां करीब 9 करोड़ 36 लाख रुपये की डिमांड है। हमने सुना है कि माननीय गृह मंत्रीजी वह कह रहे थे कि आपके जिले के लिए कोई पैसा फ्लड के नाम पर नहीं देंगे। अगर आप लोगों ने, फ्लड के नाम पर सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो वहां के जन जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और किसानों की खेती तबाह हो जायेगी, क्योंकि वहां कटाव पड़ता है। नदियां निकलती हैं। तो वहां बुवाई के लायक खेती नहीं रहेगी। और जब बांधों में पानी इकट्ठा नहीं होगा तो वहां जमीन के अंदर खारा पानी है, तो हमको पीने के पानी की भी मुश्किल पड़ जायेगी।

इसलिए मेरा निवेदन है कि बांधों को शीघ्र से शीघ्र बंधवा कर वहां भरतपुर जिले के किसानों को रिलीफ दिलवायें। गम्भीर नदी पर एनीकट और एक हमारे यहां सबसे बड़ा बांध है जो बंध बारैठा है वहां से भरतपुर के पीने के लिए पानी दिया जाता है उस पर पर्याप्त धन नहीं

(श्री निर्भय लाल)

मिलता इसलिए वहां की नहरें कच्ची पड़ी हुई हैं। पानी वेस्टेज जाता है।

इसलिए उस पानी को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मान कर के वहां के बांध पर कुछ पैसा दिया जाये और नहरें पक्की करवायी जाये। गम्भीरी नदी पर एनीकट बनवाये जायें। क्योंकि पानी खड़ा रहेगा, पानी यू. पी. के लिए निकल जाता है। वह पानी नहीं है वह हमारा खून है। बरसात के टाइम में राजस्थान का जो पानी यू. पी. के लिए जाता है तो हम यह देखते हैं खड़े होकर के कि हमारा खून बह रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जगह-जगह पर जो बांध टूटे हुए हैं उन बांधों को बंधवाया जाये।

दूसरी बात यह हुकम नदी है वहां वह सिल्टअप हो गयी है। उससे कई गांव प्रभावित हैं। पलड बन जाता है। और मेरे क्षेत्र में मालापुरा गांव है उसमें करीब 7 हजार बीघा जमीन है उसमें से 2500 जमीन में पानी अब भी पड़ा है। वहां के नर नारियां जब खेतों में जाते हैं तो कन्हुया–कन्हुया पानी में होकर जाते हैं। मैंने हमारे यहां के एस. ई. साहब से कई बार निवेदन किया कि माननीय एस. ई. साहब, यहां के किसानों को बड़ी परेशानी होती है। सर्दी में कन्हुया–कन्हुया पानी में होकर जाना पड़ता है। तब एस. ई. साहब ने कहा कि आपके लिए उस काम पर बिलकुल ही पैसा नहीं आ रहा है। वह प्रोस्टेशन बांध के नाम से, मालपड़ा के नाम से उसका प्रयोजन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस बांध पर 13 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसलिए उस बांध के लिए पैसा दिलवाया जाय।

मेरे क्षेत्र में 18 बांध पंचायत समिति से लगे हुए हैं। न तो उन बांधों की पंचायत समिति रख–रखाव कर सकती है, न सिंचाई विभाग। मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि उन 18 बांधों को लेकर उनके रख–रखाव की व्यवस्था की जावे। दूसरी बात मेरी आपसे यह है कि वहां का खारा पानी है जमीन के अन्दर। अगर बांध नहीं बने तो वहां के जन जीवन के लिए काफी नुकसान होगा और शीघ्र से शीघ्र बजट में से हमको पैसा दिलवाया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 पर सदन में अमूल्य सुझाव आ रहे हैं। यह सरकार हो चाहे पिछली बी. जे. पी. की सरकार रही हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान की सिंचाई के पानी के मामले में भेदभाव बरतती रही। चाहे अंदकी आपकी सरकार हो, चाहे पिछली भैरोंसिंहजी की सरकार रही हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस हाउस में ऐसे भी क्षण देखे होंगे कि पंजाब और

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हरियाणा ने जब हमारा पानी, पंजाब ने जब हमारी इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी रोका और हमारे हिस्से में कटौती की गयी तो चाहे हम अलवर के रहने वाले लोग हैं, भरतपुर के रहने वाले, सीकर और झुन्झुनूं के रहने वाले लोग हों लेकिन एक स्वर से सदन में यह चिन्ता जताई गयी कि बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, यानि कि पश्चिमी राजस्थान के पानी का हिस्सा कटा है तो लोगों ने ऐसा महसूस किया, पूर्वी राजस्थान के लोगों ने कि हमारा ही हिस्सा कटा है। हमारा हक कटा है।

लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, जब पूर्वी राजस्थान की सिंचाई की बात आती है या हमारा हक कटने की बात आती है तो सदन गम्भीर नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको एक मिसाल बता रहा हूं। साबी नदी आपने नाम सुना होगा। धारीवाल साहब आप मंत्री हैं आप तो इधर आयें ना।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी तरफ मुंह करके बोलो ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : डिस्टर्ब हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप समझाओ इनको।

श्री उपाध्यक्ष : उनको सुनना नहीं है। मुझे सुनना है।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : व्यवस्था तो उपाध्यक्ष महोदय ही देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो आग्रह ही कर रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, आग्रह कर सकते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में ध्यान होगा माननीय सदस्यों को कि 1977 में जब जनता रिजीम बनी, जनता गवर्नमेंट बनी तो आज जो मंत्री हैं बरनाला साहब, वही बरनाला साहब मंत्री थे सिंचाई मंत्री भारत सरकार में। और 1978 में बाढ़ की विनाश लीला साबी नदी ने जो पैदा की, उससे हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तीनों सिंचाई मंत्रियों की मीटिंग बुलाई सिंचाई मंत्रीजी ने दिल्ली में, बरनाला साहब ने। और उसमें तय किया गया कि राजस्थान में बानसूर और बहरोड़ के पास अजमेरीपुरा जो गांव है उस पर एक डेम बनाया जायेगा। बैठकी तय किया गया कि हरियाणा सरकार, राजस्थान की जो साबी नदी जाती है उसकी राजस्थान की सहमति से कोई जगह तय करेगा जहां डेम बनाया जाएगा और दिल्ली सरकार को इसी मार्फत, इसी मद में पैसा दिया गया है जो साबी नदी जहां विनाश करती है उसके लिये नाले खोदे

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जायेंगे और नाले बनाकर यमुना में बाढ़ का पानी है वह डाला जायेगा।

वैदजी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मसानी बैराज नामक धारुहेड़ा के पास में आपने जगह देखी होगी। राजस्थान की सरकार से बिना कोई परमिशन लिये हरियाणा सरकार ने जो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट या अपने असर का उपयोग करके 65 करोड़ का प्रोजेक्ट बना लिया है और मसानी बैराज आज हमारी छाती पर खड़ा हो गया है। मैं खेद के साथ, इसलिए दोनों सरकारों को क्रिटीसाइज कर रहा हूं कि ना तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ना भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने आज तक शिलान्यास किया अजमेरीपुरा बांध का। और यमुना का पानी, दिल्ली गवर्नमेंट को जो पैसा मिला था 13 करोड़, वह भी बजट बढ़ गया था। और साबी का पानी यमुना में डालने के लिए आपने देखा होगा नजफगढ़ के पास नाले तैयार करके बाढ़ से बचाव की स्थिति आ गयी।

मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय आपके मार्फत कि पूर्वी राजस्थान का मैटर हो तो कोई आप ध्यान नहीं देते। और यहां तक कि आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, 1987 में पहली बार मैंने इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था तब आपकी ही सरकार थी। इन सिंचाई विभाग के अधिकारियों को यह ही पता नहीं कि आपकी मर्जी के बगैर धारुहेड़ा के पास मसानी बैराज बनकर तैयार हो गया। और उस मसानी बैराज को डब्ल्यू. एल. क्या थी मालूम है उपाध्यक्ष महोदय, 52। और 52 डब्ल्यू. एल. होने के कारण 18 गांव राजस्थान के डूबत में आ जाते थे। यानि कि किशनगढ़ और कोटकासीम कस्बा भी बैक वाटर से डूबने की स्थिति में था।

अब झगड़ा यह पड़ रहा है कि 95 परसेन्ट कैचमेंट एरिया राजस्थान का साबी नदी का और पूरी खैरात मिली दिल्ली सरकार से जो 95 परसेन्ट कैचमेंट एरिया हमारा था उस पर उसने, हमारी बाउन्ड्री पर बांध बना दिया। अब हालात यह हो गयी कि अगर आप अजमेरीपुरा पर अपना बांध बनायें तो भारत सरकार आपको मदद नहीं देगी। क्योंकि उनका मसानी बैराज यूजलेस हो जायेगा और हरियाणा सरकार ने चालाकी से क्या किया, पानी हमारा, कैचमेंट एरिया हमारा। उसमें पटोदी, रेवाड़ी, जाटूसाना और बावल को पीने का मीठा पानी सप्लाई करने को योजना बना ली और यहां तक कि उन्होंने अपनी सिंचाई के लिए मसानी बैराज से इन इलाकों के लिए सिंचाई के लिए अपनी नहरें बना ली।

यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू कैनाल बनी थी। यमुना में हमारा जल का हिस्सा है, जानते होंगे वैदजी। हरियाणा की सरकार ने राजस्थान सरकार को प्रपोजल भेजा कि यमुना का पानी अगर आप लेना चाहते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कैनाल जो हम बना

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रहे हैं, जो हरियाणा के बार्डर बावल तक आ रही है, रेवाड़ी तक आ रही है । यह प्रपोजल है हरियाणा सरकार के कि आप अपना शेयर इसमें दे दो तो हम मिलाकर सरकार बना लेंगे । जितना क्यूसेक पानी आपका है उतना पैसा आप दे दें और जितना क्यूसेक पानी हरियाणा का बनता है उसका हिस्सा हम दे दें ।

आज स्थिति यह हुई कि राजस्थान सरकार, पूर्वी राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने पूर्वी राजस्थान के पानी की और सिंचाई की उपेक्षा की । आज हालत यह बन गयी कि अगर आप अलवर, सीकर, झुन्झुनूं, जयपुर का यह बैराठ, कोटपूतली, नीमकाथाना, शाहपुरा, इसके लिये अगर पानी नहीं है तो कहां से लायेंगे । अगर यमुना का पानी लेना चाहेंगे तो हरियाणा की जमीन आपको एक्वायर करनी पड़ेगी । हरियाणा सरकार आपको जमीन एक्वायर करने देगी या नहीं करने देगी इस बात की भी क्या गारंटी है ? और फिर यमुना का पानी लाने के लिये सारा खर्चा, तब आप पार्टनरशिप में बना रहे थे, बहुत छोटा हिस्सा आपको देना पड़ रहा था । आज अगर आप पानी लायेंगे, नहर लायेंगे तो सारी नहर आपको बनानी पड़ेगी । यह यथार्थ भी नहीं है ।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने विश्वास दिलाया था 87 में कि हम अपना डब्ल्यू. एल. 48 कर लेंगे । अगर डब्ल्यू. एल. 52 हो रखा तो राजस्थान के कम से कम सैकड़ों गांव डूब जाएंगे कोटकासिम और मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के ।

दूसरा, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत एक और निवेदन करना चाह रहा हूं कि दो और तीन साल पहले अलवर और भरतपुर में जो बाढ़ आयी थी उसमें सैंकड़ों बांध टूट गये। आप कहते हैं कि जल स्तर नीचे जा रहा है । बांध बनाने का मकसद इरिगेशन करना भी था, सिंचाई करना भी था और पानी रोककर चार्ज हो जाए पानी, वाटर लेवल ऊपर आ जाए, यह भी मकसद था । चार, पांच साल पहले जो अलवर और भरतपुर में बाढ़ आयी थी उसमें टूटने वाले एक भी बांध को आपने रिपेयर नहीं किया । तो कहां से रुकेगा पानी ? राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारी पता नहीं कितने अपने आपको सक्षम समझते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रेक्टिकल तरीके से जब देखा जाता है तो इनकी नीतियां ही गलत हैं । इन्होंने साबी परियोजना आयी, सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में काम किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया कच्चे एनीकट्स निर्माण कर दिये ।

एक भी एनीकट ऐसा नहीं होगा जो सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने बनाये हों या साबी परियोजना के तहत बने । साबी परियोजना के तहत एनीकट्स बनाने का केवल मकसद इतना था कि साबी जो नदी है और उसका जो कैचमेंट एरिया है वह रेतीला है । बरसात के पानी के साथ साबी नदी में और मसानी बैराज में बांध नहीं

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जाए। यह हमारे हित के लिये नहीं बना था। यह बना था तत्कालीन कृषि मंत्री थे भारत सरकार के राव बीरेन्द्र सिंहजी और यह आरुहेड़ा उनका क्षेत्र था पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी। यह मसानी बैराज नहीं भर जाए, इसलिये एक योजना चलायी कि सोइल कंजर्वेशन और साबी परियोजना के तहत एनीकट बनाये जाएं। हमें क्या फायदा मिला उसका ? हमको नुकसान यह हुआ इन्होंने बिना कोई नीति बनाये छोटे-छोटे एनीकट बना दिये। उनसे हालत क्या हो गयी कि जो बांधों पर हमने बड़ा पैसा लगाया था वह बांध आज सूखे पड़े हैं। और अगर कभी बाढ़ की स्थिति आती है तो बाढ़ लाने में वह एनीकट अपना योगदान देते हैं।

इन्होंने एनीकट बनाये। एक एनीकट भरा वह ओवर फ्लो होने के बाद टूटा। दूसरे एनीकट में पानी गया, वह आलरेडी ओवर फ्लो था। यानि कि एक एनीकट टूटने का मतलब है कि मुख्य बांध तक जितने एनीकट बने वह समस्त टूट जाएंगे। और जब सबका पानी एक साथ बांध में आए तो बांध टूट गया। एक बांध टूट गया उसका पानी दूसरे बांध में गया तो वह टूट गया। दो का पानी तीसरे बांध में गया तो वह टूट गया। क्या है नीति यह ? क्या लिया इन्होंने एनीकट्स बना करके ?

इसलिये मैं यह कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता के आधार पर आप जांच करा लें किसी भी सदन की कमेटी से; किसी भी एजेंसी से। जितने भी एनीकट निर्माण हुए हैं उनमें अगर आपने सौ रुपये दिये हैं तो सिंचाई विभाग के लोगों ने उसमें दस पैसे नहीं लगाये। हालत यह है वहां खाने और कमाने का एक धंधा बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटकासिम में मैं गया चुनावों के समय, तो पानी रोका जा रहा है साबी नदी का। मैंने पूछा इसका क्या करोगे ? कि साहब यह जमालपुर गांव है, यह बह नहीं जाए। तो मैंने कहा अगर इस तरह आप बना दोगे तो यह कलोपुर गांव डूबेगा। कि साहब इसका पैसा सरकार देगी,

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तब हम विचार कर लेंगे। यानि एक गांव को बचाने के लिये दूसरे गांव को डुबोया जा रहा है। मैंने पूछा बिलायड़ी का और भगाणा का क्या होगा। तो उसने कहा साहब पैसा आएगा तब देखेंगे। पानी किसी का इन्तजार करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, जब पानी आएगा, एक गांव को बचाने की नीति बना ली। मैं सिंचाई मंत्रीजी, आपसे मांग करता हूं कि एक गांव को बचाने के लिये आप पांच गांव को डुबाने की नीति नहीं बनाएं। भगाणा है जहां, भगाणा जवतान, उसको बचाने की अगर आपने जमालपुर में मेड़ बनायी है तो कलोपुर पर भी बनाइये, बिलायड़ी पर भी बनाइये और भगेणा पर भी बनाइये।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की मांग है, मैं एक मिनट और निवेदन करना चाहता हूं। सारा सदन चिंतित है, सारा राजस्थान चिन्तित है कि अंडर ग्राउंड वाटर जल स्तर नीचे जा रहा है। इसके लिये राजस्थान सरकार का एक प्रपोजल भी आया था, मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि बड़े शहरों में मकान बनाने के लिये उनको इजाजत दी जाएगी जो पहले बरसात का और छतों का पानी जमीन में अंडर ग्राउंड सोखने की जो व्यवस्था कर लेगा। यह आपका स्वागत योग्य कदम है। मैं यह भी चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान में आज हमको नजर आ रहा है कि अलवर में, भरतपुर में, सीकर में और जयपुर में पानी बहुत है, लेकिन जल स्तर सबका गिरता जा रहा है।

मैं बैदजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां ऐसी व्यवस्था करें। जैसे आपने बीस हजार फव्वारा सैट दिये हैं। यह बीस हजार का बजट नहीं है। इससे आपके जो पानी की बचत होगी वह महत्वपूर्ण चीज है। गिरते जल स्तर को बचाने के लिये अगर फव्वारा को दो लाख भी करते हो तो इससे राजस्थान में गिरते जल स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य। अब आपके पास कोई मसाला नहीं बचा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक सेकण्ड में एक और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके बांध बने हुए हैं सिंचाई मंत्रीजी, भिवाड़ी इंड-स्ट्रियल एरिया के पास आलुपुर का बांध है, महदपुर का बांध है। यह बनाये तो थे सरकार ने केवल जल स्तर ऊंचा नहीं उठे और लोगों के काम आ जाए।

आज हालत क्या हो गयी भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में ? जितना प्रदूषित पानी है, जिनकी फैक्ट्रियों का पानी है, आपके विभाग के अधिकारियों ने कभी जा कर इस बात की जांच की है ? हमने ठेका लिया था भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया लगाने के लिये। इस बात के लिये ठेका नहीं लिया था कि बांध में आप प्रदूषित पानी डालो। हालत यह है, उन बांधों में अगर कोई भैंस अन्दर चली जाती है या पशु पर वह पानी चला जाता है तो पैर जल जाते हैं। तो जो बांध आपने बनाये, क्या सिंचाई विभाग ने कभी आपको इस बात की रिपोर्ट दी कि उस इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रीटमेंट प्लांट बना लिया है ? जितना प्रदूषित पानी है वह उन सब बांधों में छोड़ दिया।

हालत यह नहीं कि अंडर ग्राउंड वाटर को दोहरायें, हालत यह है कि अगर बांध में हैण्ड पम्प आप लगाओगे बैदजी, तो जो पानी ऊपर है, हैण्ड पम्प चलाओगे तो वही पानी नीचे से आपके पास आ रहा है। इसलिये इन बांधों को, आप अपने अधिकारियों से कहियेगा कि यह आलुपुर, महदपुर, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के पास जितने भी बांध हैं, उनमें जो फैक्टरी का प्रदूषित पानी आ रहा है, वह

(श्री जगपाल सिंह यादव)

किस कारण आ रहा है और उसको रोकने का आप इंतजाम करें। मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंहजी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने विचार्थ मांग संख्या 46 पर जो समय दिया, उसका आभारी हूं।

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि राज्य में अब तक नेतृत्व सरकार की उदासीनता, ढुलमुल नीति तथा केन्द्रीय अधीन मानसिकता के चलते राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार होता आया है और सरकारें अखबारबाजी और बयानबाजी कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझती है।

परिणामतः अन्तरराज्यीय नदी जल और विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान के साथ चुन–चुनकर कुठाराघात किया गया है। उस पर बड़े-बड़े कठोर प्रहार किये गये हैं। अन्य राज्य हमारे जल एवं विद्युत के न्यायसंगत तथा विभिन्न अन्तरराज्यीय समझौतों में निर्धारित हिस्से को निर्बाध रूप से गटकते चले जा रहे हैं और राजस्थान लगातार पिछड़ता चला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जहां राज्य में देश के कृषि योग्य भूमि का लगभग 13 प्रतिशत है वहीं पानी की उपलब्धता मात्र एक प्रतिशत है। पानी के मामले में राजस्थान बहुत ही विकट स्थिति में है। इसलिये आवश्यकता है कि सारे राजनीतिक मत भेदों को भुलाकर पानी तथा बिजली के मामले में अपने निर्धारित मात्रा को प्राप्त करने के लिये निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि राजस्थान में विभिन्न समझौते में राजस्थान का क्रमशः पानी का जो हिस्सा है वह इस प्रकार है :—

चम्बल में है 1.60 मिलियन एकड़ फीट,
माही में है 1.56 मिलियन एकड़ फीट,
नर्बदा में है। 1.50 मिलियन एकड़ फीट,
रावी-व्यास में है 8.68 मिलियन एकड़ फीट,
सतलज में है 1.50 मिलियन एकड़ फीट,
गंगा कैनाल में 1.11 मिलियन एकड़ फीट,
यमुना में लगभग 19 मिलियन एकड़ फीट।

अर्थात् 15.77 मिलियन एकड़ फीट हिस्सा विभिन्न समझौतों के अनुसार निर्धारित है।

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

परन्तु इन सब समझौतों के बावजूद चम्बल में से गांधी सागर तथा राणा सागर में योजनानुसार 75 परसेन्ट निर्भरता पर गांधी सागर बांध में कुल 3.822 मिलियन एकड़ फीट तथा राणा प्रताप सागर बांध में .54 मिलियन एकड़ फीट आंकी गयी है। इस आधार पर राजस्थान ने अपनी योजनाएं बनायी, लागू की एवं प्रस्तावित है परन्तु मध्यप्रदेश गांधी सागर कैचमेन्ट एरिये में कम से कम 378 बांधों का निर्माण कर दिया गया है और राज्य के हिस्से का कम से कम 1.66 मिलियन एकड़ फीट पानी रोक लिया गया है।

दूसरी तस्वीर यह है कि राजस्थान का 10 मिलियन एकड़ फीट पानी व्यर्थ बहकर यमुना नदी में जा मिलता है क्योंकि राजस्थान चम्बल पर विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं की ओर गंभीर नहीं है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में कहीं हिस्सेदारी नहीं होते हुए पिनहट योजना का निर्माण कर चुका है और हमारी सरकार का आज तक कोई विरोध भी दर्ज नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है चम्बल को छोड़कर गंगा, यमुना, रावी, व्यास एवं अन्य नदियों में राजस्थान की हिस्सेदारी की दलील तो दी जाती रही है कि यह अन्तरराज्यीय विवाद है और इसमें जब तक राज्य का हिस्सा तय नहीं हो जाता, सिंचाई विस्तार की गति धीमी रहेगी।

परन्तु आश्चर्य और पीड़ा तब होती है जब राज्य में बह रही नदियों के पानी का उपयोग न हो और वह व्यर्थ चला जाये। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि चम्बल नदी का आज तक एक करोड़ एकड़ फीट पानी प्रतिवर्ष बहकर यमुना में जाता है दूसरी ओर सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर जिले पानी की एक-एक बूंद के लिये तरस रहे हैं। क्या राजस्थान पानी के व्यर्थ बह जाने जैसी विलासिता को बर्दाश्त करने जैसी स्थिति में है।

उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल बेसिन के मास्टर प्लान के अनुसार निर्मित परियोजनाएं, निर्माणाधीन परियोजनाएं तथा प्रस्तावित परियोजनाओं में चम्बल के पानी के उपयोग के बाद भी 11.23 मिलियन एकड़ फीट पानी की कुल उपलब्धता के विपरीत 10.611 मिलियन एकड़ फीट उपयोग हो पायेगा अर्थात 1.216 मिलियन एकड़ पानी फिर भी शेष बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर के पास रामेश्वर गांव पर बनास बेसिन का एक प्रोजेक्ट है जिससे कि 8 लाख 7 हजार एकड़ फीट पानी चम्बल में आ मिलने पर 24 लाख 76 हजार एकड़ फीट पानी शेष बचता है जिसके उपयोग के बारे में चिंतन ही नहीं किया गया है और पानी को व्यर्थ बह जाने के लिए छोड़ दिया जाता है।

कुल मिलाकर राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस पानी के उपयोग के लिए सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर जिले के उपयोग की योजनाएं तैयार करवायी जायें और इन क्षेत्रों को रेगिस्तान

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

होने से बचाने के लिए गंभीर एवं बाणगंगा नदियों में चलाकर या पृथक कैनाल बनाकर बारहमासी योजना चालू की जानी चाहिए जिससे भूमि को क्षारीय एवं खारी होने से बचाया जावे और जो पानी के निरन्तर गहराई में जाने से समस्या उत्पन्न हो रही है उससे भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर को बचाया जा सके।

इस योजना का एक लाभ यह भी है कि इससे पीने के पानी की समस्या का समाधान भी किया जा सकेगा। अगर हम हाल में सारे पानी को इसमें लाने की व्यवस्था न कर सकते हों तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि प्रथम चरण में लिफ्ट योजना द्वारा पानी को भरतपुर लाया जा सकता है जिससे पीने के पानी की एवं सिंचाई का समाधान हो सके। जिसके लिये राजस्थान सरकार 117 करोड़ रुपये की योजना बना चुकी है उसको जल्दी से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर जल्दी ही इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया तो भरतपुर, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर का किसान दिन-प्रतिदिन बेरोजगार और बेघर होता जायेगा क्योंकि बिना पानी के खेती नहीं कर सकते हैं और कृषि योग्य भूमि जल्दी ही रेगिस्तान का रूप धारण कर लेगी। अतः निकट भविष्य से उत्पन्न होने वाली विकट समस्या को मद्दे नजर रखते हुए लिफ्ट योजना से पानी भरतपुर में लाया जाना चाहिए अन्यथा भरतपुर का सारा एरिया रेगिस्तान में बदल जायेगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हां, एक मुख्य बात जो मैं आपसे कहना भूल गया मंत्री महोदय जरा ध्यान दें। अगर इस योजना को लागू नहीं किया गया तो मैं विधान सभा में आपके परिसर में अगले सत्र में धरना दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर देश में सिंचाई योजनाएं शुरू हुई थी। भाखड़ा डैम नहीं बना होता तो देश की वही हालत होती जो आजादी के पूर्व बंगाल में बहुत से लोग मर गये। आजादी के बाद देश में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी और देश के निर्माण में प्रगति की। उससे पूर्व भी हमारे बुजुर्गों ने कुछ लघु सिंचाई योजनाएं रखी थी विशेषकर मेरे क्षेत्र में एक-एक बूंद इकट्ठा करके एक खड़ीन व्यवस्था प्रारम्भ की थी। जो उदाहरण है कि हम पांच इंच आयी हुई बरसात में भी पानी को रोककर के रबी की फसल में गेहूं उत्पादित करते हैं।

मान्यवर, गत वर्ष अतिवृष्टि हुई, एकदम जहां पांच इंच पानी पड़ता है वहां 20 इंच पानी पड़ा। हमारी सारी खड़ीन

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

टूट गयी तो मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करूंगा कि जो लाईन टूटी है उन्हें रिपेयर कीजिये। एस्टीमेट्स आपके पास आ चुके हैं। उनको बंधवाने की कृपा करायें जिससे कि आगामी बरसात में वह पानी रोककर के रबी की फसल पैदा कर सकें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 1956 के बाद में बहुत बड़ा भू-गर्भ जल मिला है। उस ओर मेरा निवेदन है कि एक लघु सिंचाई योजना उस क्षेत्र में प्रारंभ की जावे जहां 700 कुए, 700 ट्यूब वैल खुदे हैं। यदि उन 700 कुओं में हम एक संगठित एक ऐसी योजना बनायें लघु योजना कि जिससे उस भू-गर्भ का पानी लाकर हम सिंचाई की व्यवस्था कर पायें। मान्यवर इसको आगे बढ़ाते हैं मेरे क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर आ चुकी है। इसकी वार्षिक योजना भी बन चुकी है। लिफ्ट योजनाएं भी, मेरे क्षेत्र में एक प्रफुल्लित योजना आयी है जो 1983 के निर्णय के अनुसार सात मीटर तक रुकी हुई है।

मेरा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि यदि उस लिफ्ट को थोड़ा बढ़ा सकें तो मेरा पोकरण ब्लाक का पूरा क्षेत्र उससे सिंचित हो सकता है। 1998-99 के बजट के मैंने आंकड़े देखे उस क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र के बी. ए. जी. पी. में 30 करोड़ का प्रोविजन किया गया। उसे मैंने देखा है इसमें केवल 15 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए हैं। उसी तरह तुरन्त एक सिंचाई योजना में जहां 84 करोड़ का प्रोविजन था उसमें 20 करोड़ रुपये ही मात्र आये हैं। केन्द्र सरकार की उदासीनता के कारण से हमारा वित्त कमजोर हुआ है और हमारी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं।

इसलिए मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि गत वर्ष का 15 करोड़ बी.ए. जी.पी. का तुरंत सिंचाई का 84 में से 20 गये तो उसमें 64 करोड़ का केन्द्र सरकार से प्रोविजन्स मांगे तो इस वर्ष का और गत वर्ष का मिलाकर के हम जो द्वितीय फेज में सिंचाई योजना है इंदिरा नहर की उस को पूरी कर सकें।

मान्यवर, जैसा आंकड़े प्रस्तुत किये हैं आपने; वार्षिक उत्पादन 1200 करोड़ का हुआ द्वितीय फेज में इन्दिरा गांधी नहर से, लागत 324 करोड़ बतायी और लाभ 744 करोड़ बताया गया है। इतना बड़ा लाभ इस योजना से मिल सकता है। उस ओर मैं आपका विशेष ध्यानाकर्षित करूंगा जो इंदिरा गांधी नहर की सारी योजनाएं, सारी वितरिकाओं को, सारी माइनर्स को यदि हम कर पायें जैसा 50 हजार हैक्टेयर जमीन प्रतिवर्ष सिंचित क्षेत्र में लेने की योजना है तो बहुत बड़ा कृषि उत्पादन यह क्रांति इसमें कर सकते हैं।

मैं नहर मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आज तक जो नहरें बनी हैं उसमें डिफेक्ट्स रहे हैं उन डिफेक्ट्स को ठीक नहीं करेंगे तो आज जो किसान को पानी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मिलने में कठिनाई है, वह दूर नहीं हो सकेगी ।

मैंने दो–तीन अवेश्चन्स किए हैं, टोली माइनर्स का अवेश्चन है, देवा माइनर के अवेश्चन हैं, नहरों को बेड्स में काफी डिफेक्ट्स हैं । ऊंच-नीच रखी गई है, उन डिफेक्ट्स को तुरन्त ठीक करके किसानों को हम राहत पहुंचा सके तो आपकी मेहरबानी होगी । दूसरा आपको कहूंगा कि निर्माण के समय कई कच्चे निर्माण उस क्षेत्र में किए गए हैं, स्टोर्स बनाए गए हैं, मगर उनको अधूरा छोड़ दिया गया है । पाइप लाइन डाली गई, वह छोड़ दी गई । अब रेगिस्तान में आप जाएं तो आपको जगह-जगह पर ऐसे खण्डहर मिलेंगे, या तो उसको किसी को दे दीजिए, आवंटित कीजिए या उनको उठा कर अपने क्षेत्र में ले आएं ।

मान्यवर, प्रथम फेज में सेम की समस्या, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगा नगर में आप देख रहे हैं, जब पानी की क्षमता बढ़ाई तो वहां सेम की समस्या है । मेरा निवेदन है कि यदि सही वितरण करके प्रथम और द्वितीय फेज में पानी को आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि हम समस्या से निपट पाएंगे । विशेषकर हाई पेन एरियाज जो हैं, जहां सेम की समस्या दो-तीन वर्ष में होने वाली है, मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 20 हजार फव्वारा सैट हैं, उस क्षेत्र में डिग्गियां बनाकर फव्वारा पद्धति से सिंचाई करेंगे तो पानी का कम उपयोग होगा और अधिक समय तक कृषि कार्य कर सकेंगे ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मान्यवर, मैंने अभी विषय को प्रारंभ ही किया है, अभी तो मुझे बोलने दीजिए । नहर मेरे क्षेत्र में है, मेरी समस्या है सारी की सारी, मुझे बोलने दीजिए आप ।

सी.ए.डी. और उपनिवेशन विभाग, दोनों में तालमेल नहीं है, नहरों में पानी पहुंच चुका है, माइनर में पानी पहुंच चुका है और सी.ए.डी. ने खाले नहीं बनाए, अब किसान भूमि आवंटन का इंतजार कर रहे हैं । आप उपनिवेशन के आंकड़ों को देखें, जहां 50 हजार का लक्ष्य था तो विशेष आवंटन में केवल 8 हजार हुए। 25 हजार में 8 हजार, 25 हजार में सामान्य में 12 हजार, तो केवल 30 हजार का आवंटन हुआ । इतना बड़ा लेक चल रहा है । उसका कारण है । नहर निर्माण और सी.ए.डी. का खाले बनाने का काम साइमलटेनियसली चलेगा तब जाकर किसान को फायदा पहुंचा सकेंगे ।

अभी मेरे क्षेत्र में 1992 से 25 हजार सामान्य आवंटन करने बाकी पड़े हैं । 1992 से लोगों ने आवेदन कर रखे हैं और वह पैंडिंग पड़े हुए हैं, हम मांग कर रहे हैं । घटियाली सिस्टम में 100 चक, 6 हजार मुरब्बे हम दे सकते हैं, वह वहां बंद पड़े हैं, सी.ए.डी. वाले आज तक वे चक नहीं दे रहे हैं । इसी तरह तनोट का सिस्टम सारा बन चुका है, पानी आ चुका है माइनर्स में लेकिन सी.ए.डी. के खाले न

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बनाने के कारण से किसान आज तक महरूम हो रहे हैं। आवंटन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है।

मेरा मानना है कि चाहे चक हो या अन्य कोई डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर्स हो, उनका काम सी.ए.डी. वाले साथ में करें तो उनका बहुत बड़ा उपयोग होगा।

मान्यवर, मेरे जिले में 17 लाख हैक्टेयर जमीन हम दे सकते हैं। उनमें कई समस्याएं हैं किसानों की। उपनिवेशन की समस्या है। स्टेट के समय कोई उपनिवेशन लैण्ड रिकार्ड्स नहीं हुआ करते थे, हम पांच रुपए देकर कहीं जमीन काश्त करते थे। और अब इन्दिरा गांधी नहर आ चुकी है तो लोगों की जो पुश्तैनी जमीन है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 15 ए ए ए के अंदर जो केसेज पड़े हैं, मेरा निवेदन है कि उस कारण से कई किसानों को जमीन आवंटित हुई है और वह झगड़े में पड़ी हुई है तो कृपया उन झगड़ों को निपटाया जाए।

मान्यवर, सद्भावी काश्तकार की परिभाषा को लेकर कुछ समस्या सामान्य आवंटन में है। एक गरीब आदमी जिसके पास जमीन नहीं है, यदि वह सब्जी का ठेला लगाता है तो लिखा जाता है कि सब्जी का ठेला लगाता है। उसको महरूम रखा जाता है। बरसात होती नहीं, खेती होती नहीं और यदि कामगार, लुहार, बढ़ई, गांव के कामगार को कहा जाता है कि आप सद्भावी काश्तकार नहीं हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

सिंचाई मंत्रीजी से, कृषि मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि कम से कम सद्भावी काश्तकार की परिभाषा में गांव का लुहार, बढ़ई, कामगार और गरीब मजदूरी करने वाला, क्योंकि मजदूर लिखा हुआ है तो उसको वंचित रखा जाता है, उसकी ओर विशेष ध्यान दें। सामान्य आवंटन में 30 प्रतिशत एस.सी., एस टी. के रिजर्व हैं। जमीन पड़ी हुई है रकबा पड़ा हुआ है, फिर भी एस.सी., एस टी के 16 हजार फार्म सीलिंग में अटके पड़े हैं, उसकी ओर भी ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : एक बात और कहूंगा; हमारे जो बाड़मेर के मित्र हैं, बार-बार कह रहे हैं, विशेष आवंटन को जो 4 लाख 65 हजार की कीमत है; वही समस्या हमारी भी है, हमारे जिले के काश्तकार जो सामान्य में नहीं आ सकते; विशिष्ट में लेना चाहते हैं, हमारी यह मांग है कि इसकी चार किश्त की बजाय 10 किश्त कर दें तो हमारा साधारण आदमी जो साढ़े चार लाख में नहीं खरीद सकता है, वह खरीद सकता है। इन्हीं पाइन्ट्स के साथ आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सिंचाई पर चर्चा हो रही है। सर्वप्रथम मुझे

(श्री घासीलाल मेघवाल)

सदन में बोलने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मुझे आज बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारा जो चम्बल कमाण्ड एरिया है, जिसने गत वर्षों में राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता का पुरस्कार हासिल किया था, वहां पर आज पानी के अभाव में फसलें सूख गई हैं, यह उस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की पानी की ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ दिनों पूर्व जयपुर से हाई पावर कमेटी एल. एम. सी. और आर. एम. सी. की स्थिति देखने के लिए यहां से गई थी, उसने भी उन नहरों की स्थिति देखी है। महोदय, आपको क्या बताऊं, हमारा क्षेत्र अन्न उपजाने के मामले में राजस्थान का प्रथम क्षेत्र कहलाता है।

महोदय, आपको पता होगा कि केशोरायपाटन क्षेत्र में शुगर फैक्ट्री है। 1977 में सिर्फ केशोरायपाटन में हमने खड़े गन्ने को जलाया था, इतना गन्ना उत्पादन होता था। वहां आज स्थिति यह हो रही है कि गेहूं की फसल से पहले जो पलेवा किया जाता है उसके लिए भी एक पानी बड़ी मुश्किल से मुहैया हुआ था, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि विगत कुछ सालों से नहरों के रख-रखाव पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहरों में झांकड़े और बबूल उगे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि केशोरायपाटन ब्रांच के गांठ का बराना के पास चम्बल नदी से मात्र एक किलोमीटर दूरी रहती है। यदि वहां चम्बल नदी द्वारा पानी लिफ्ट करके पाटन ब्रांच में डाल दिया जाता है तो टेल की समस्या का समाधान हो सकेगा।

दूसरा निवेदन है कि कापरेन ब्रांच की बलकासा डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसमें इसरदा के खाले से यदि पानी लिफ्ट करके डाल दिया जाता है तो कापरेन ब्रांच की टेल की समस्या का समाधान हो सकता है। बालरकी खाल का पानी जो वेस्ट बहता है, यदि इसको भी लिफ्ट द्वारा इकट्ठा करके उपयोग में लाया जाए तो इससे जुपासी खावेड़ा सहित कई गांवों की पीने की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

(17.48 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इसके लिए मैंने पूर्व में एक प्रश्न भी लगाया था कि मेरे क्षेत्र की मेज और कुरील नदी के संगम पर बांसखेड़ा गांव में एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। महोदय, यह बांध बहुद्देशीय परियोजना है क्योंकि यदि यहां पर बांध बनाया जाता है तो एक तो टेल एरिया की पानी की समस्या का समाधान होगा, दूसरा, भूमि का जल-स्तर जो निरंतर घटता जा रहा है, उसका

(श्री कालीलाल मेघवाल)

समाधान होगा। तीसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि पास में रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य है, उसका भी तीव्र गति से विकास होगा। चौथा, यदि यह बांध बन जाता है तो इस क्षेत्र के आसपास के गांवों में करीब 10 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

मान्यवर, मेरा एक और निवेदन है कि माह दिसम्बर, 1998 में नोतेड़ा गांव में सामुदायिक जलोत्थान योजना शुरू की गई थी, उसमें घटिया किस्म की मोटरें लगा दी गई। अधिकारियों द्वारा मौके पर आकर जब वे मोटरें चालू करवाई गई तो वे मोटरें चालू नहीं हुई जिससे किसानों की फसलें बरबाद हो गई और किसानों पर बिना वजह बिजली का चार्ज लग गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेरे क्षेत्र की सबसे ज्वलंत समस्या है सिंचाई की समस्या, पानी की समस्या, यदि इसका समाधान हो जाता है, यदि रख-रखाव हेतु उचित बजट का प्रावधान हो जाता है तो आपकी बहुत कृपा होगी। मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवराम सिंह।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या 46 पर आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान धौलपुर जिले में सिंचाई की समस्या पर उत्पन्न गम्भीर स्थिति एवं उसके निराकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, धौलपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.88 प्रतिशत है। जिले में कुल भूमि 3 लाख 1 हजार 11 हैक्टेयर है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि 1,66,172 हैक्टेयर है तथा सिंचित भूमि 57,797 हैक्टेयर है। जिले में औसतन वर्षा 84 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। यहां पर मुख्य नदियां चम्बल, पार्वती, बाणगंगा व ऊटंगन हैं। पार्वती व चम्बल नदियों का बहुत कुछ बर्षाती पानी उत्तर प्रदेश के जिले इटावा में यमुना नदी में मिल जाता है।

राजस्थान के धौलपुर जिले के पार्वती व चम्बल नदियों के पानी का उपयोग उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिले आगरा, इटावा कर रहे हैं जबकि धौलपुर जिले की 1,66,172 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि सिंचाई हेतु पानी से वंचित रहती है और कुल 562 गांवों में से लगभग 250 गांवों में पेयजल का आंशिक अभाव है और लगभग 200 गांव ऐसे हैं जहां पर हर मौसम में पेयजल का पूर्णतया अभाव है और एक-दो किलोमीटर दूर से पेयजल परिवारों को मंगाना पड़ता है। ये गांव बहुत से हैं, जैसे-राजघाट, नीम बसई, डांग क्षेत्र।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले में कुल 22 बांध हैं जिनमें से स्वतंत्रता के

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

पूर्व 14 बांध बने थे और स्वतंत्रता के पश्चात् 8 बांधों का निर्माण हुआ है । इन कुल 22 बांधों में 43,426 एकड़ भूमि में सिंचाई का साधन मुहैया होता है, परन्तु जिले का सबसे बड़ा जो डांग क्षेत्र ग्राम के निकट है पार्वती बांध गत चार वर्षों से क्षतिग्रस्त है और धनराशि के अभाव में उसका मरम्मत कार्य धीमी गति से चल रहा है । इस पार्वती (आंगई) बांध से 30,470 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है । अतः इस आंगई (पार्वती बांध) का पुनः निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए ।

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वी राजस्थान का नवोदित 27वां जिला धौलपुर औद्योगिक एवं कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है । यहां की लगभग 8.50 लाख जनता में से लगभग सात लाख जनता का कृषि कार्य पशुपालन है, परन्तु विगत एक दशक से जमीन में पानी का लेवल काफी नीचे पहुंच जाने से हैण्ड पम्प, कुओं एवं बोरिंग आदि से सिंचाई हेतु पानी प्राप्त करने की क्षमता में 30 से 50 प्रतिशत की कमी प्रतिवर्ष आती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव किसान की उपज पर पड़ रहा है तथा रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों आदि खाद्यान्नों की पैदावारी कम होती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप गांव की मूल आत्मा किसान दुःखी व परेशान है तथा दिन-प्रतिदिन गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी की ओर जा रहा है और यही वजह है कि जिले में चोरी, डकैती, हत्या, लूट एवं नकबजनी की घटनाएं निरंतर हो रही हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, धौलपुर जिले में सिंचाई विभाग ने निम्नलिखित परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की हैं :—

धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना । इस परियोजना का पूर्ण सर्वे कर तकमीना बनाकर 62.23 करोड़ की स्कीम बनाकर केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है जो आज भी विचाराधीन है । इस परियोजना से धौलपुर एवं राजाखेड़ा तहसील के 132 गांवों में 36,412 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करना प्रस्तावित है । यह परियोजना अधिशासी अभियन्ता योजना समन्वय एवं लेखा खण्ड, सिंचाई विभाग, जयपुर के यहां विचाराधीन है ।

लोअर पार्वती बांध । यह परियोजना सेपऊ के ऊपर पार्वती नदी पर रतनपुर गांव के पास प्रस्तावित है । जिसकी अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपये है । 9800 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी और धौलपुर एवं बाड़ी तहसील के लगभग 90 गांवों की प्यासी धरती एवं पशुधन को लाभ मिलेगा । इस योजना की फाइल अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान खण्ड, जयपुर के पास लम्बित है ।

माननीय अध्यक्ष जी, धौलपुर-भरतपुर जिले को पेयजल मुहैया कराने के लिए प्रस्तावित योजना चम्बल योजना है । सोने के गुर्जा (बाड़ी) से धौलपुर के निकट

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

चम्बल नदी पर बांध बनाकर धौलपुर जिले के लगभग 200 प्रभावग्रस्त गांवों एवं शहरी जनता को तथा भरतपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 162 करोड़ की चम्बल योजना प्रस्तावित है। बढ़ती आबादी एवं घटते पेयजल के साधनों को दृष्टिगत रखते हुए धौलपुर-भरतपुर जिले के 20 लाख लोगों व चार हजार गांवों व दस शहरी क्षेत्रों के जन-जीवन के लिए चम्बल ही एकमात्र साधन बन सकती है।

मेरा अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण से धौलपुर जिले में चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना, लोयर पार्वती सिंचाई योजना और धौलपुर-भरतपुर के लिये चम्बल योजना को स्वीकृत कराने से भविष्य में प्यासी धरती, पशुधन और पेयजल के लिए आकांक्षी जनता को राहत मिल सकेगी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख जल स्रोत जवाई बांध का जब निर्माण किया गया था तब मारवाड़ और सिरोही की रियासत के बीच में एक समझौता हुआ था कि 40 फीट के भराव के बाद पानी अधिक होने पर शिवगंज तहसील को पानी दिया जाएगा और 40 फीट पर अभी तक भी एक गेट उसके अनुरूप बना हुआ है। चूंकि इस जल स्रोत का निर्माण जोधपुर को पेयजल आपूर्ति करने के लिए किया गया था और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जोधपुर पानी पहुंच चुका है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि जिस स्थान पर जवाई बांध का निर्माण किया गया है, जब जवाई बांध नहीं था तब पानी वहां से बहकर हमारे क्षेत्र तक आता था और उस पानी के बहाव से हमारे यहां की भूमि का जल स्तर ऊंचा होता था। हमें दोनों तरफ से नुकसान हुआ है और आजादी के बाद 50 सालों तक भी हमारे क्षेत्र के किसानों को इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं हुई है। अब इस जोधपुर की पेयजल समस्या का समाधान इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हो चुका है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध का पानी अन्यत्र देने की बजाय शिवगंज तहसील को, जो जवाई बांध के किनारे पर बसी हुई है, वहां पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परियोजनाएं पिछले कई सालों से सिरोही जिले के सिंचाई विभाग में विचाराधीन हैं। इसमें कैलाश वृहद सिंचाई परियोजना जिसकी लागत एक करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित की गई और उसमें 800 एकड़ कृषि भूमि को सिंचित किया जाना है; लेकिन लागत के अनुमान में फर्क होने की वजह से इस योजना को स्वीकृति प्रदान

(श्री संयम लोढ़ा)

नहीं की गई। अब चूंकि राज्य सरकार ने मरु विकास क्षेत्र में शिवगंज तहसील को शामिल कर लिया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि लागत अनुमान के आधार पर कैलाश बृहद सिंचाई परियोजना को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूकड़ी नदी पर एक फीडर का निर्माण करके फीडर के जरिए सिरोही विधान सभा क्षेत्र में 8 कन्टूर बनाए गए। उसमें से सिर्फ 5 कन्टूर में पानी अभी भरा जा रहा है और 8 वां कन्टूर, जो बाडका के स्थान पर निर्मित किया जाना था, उसमें वन विभाग की कुछ जमीन आने के कारण उस पूरे कन्टूर का निर्माण नहीं किया जा सका और वहां के किसानों को जो विनियोजन का लाभ मिलना चाहिए था, वह लाभ नहीं मिल सका। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 8 वें कन्टूर का निर्माण कुछ नीचे के स्थान पर करवाएं जिससे जोगापुरा, जोयला और बाडका गांव के किसानों को लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, बड़गांव में सिंचाई विभाग ने 70 लाख की लागत से एक बांध का निर्माण किया है जिसमें 59.6 एमसी. एफटी. पानी की भराव क्षमता है, उससे करीब 365 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी 20 एमसी. एफटी. पानी उस बांध में बचा रहेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि उस 20 एमसी. एफटी. पानी का प्रयोग शिवगंज नगर में पेयजल की समस्या के निवारण के लिए किया जाए जिससे वहां पेयजल की जो भारी किल्लत बनी हुई है, उसका समाधान हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले की कई परियोजनाएं सिंचाई विभाग के पास विचाराधीन हैं और बहुत सा पानी रन आफ कच्छ में व्यर्थ जा रहा है। उस सारे पानी का प्रयोग किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में और सिंचाई सुविधा प्रदान करने में किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि महिलागोट परियोजना, बिलांगरी परियोजना, बंगाल और जितनी भी सिंचाई की परियोजनाएं आपके पास विचाराधीन हैं, उन सबको स्वीकृत करने का कष्ट करें। अगर आप इन सब योजनाओं को स्वीकृत कर पाईं तो करीब 10 हजार एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकेगा।

चूंकि हमारी माननीय मंत्री महोदया बहुत संवेदनशील, अनुभवी हैं, गरीबों के प्रति मन में करुणा का भाव, और अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। आदिवासियों का जीवन–स्तर ऊंचा उठाने में यह पूरा दया भाव रखते हुए सिरोही जिले की लम्बित योजनाओं को स्वीकृत करने का प्रयास करेंगी आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सरदार हरचन्द सिंह जी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है कि घग्घर नदी एक बरसाती नदी है और इस नदी ने कई दफा कहर भी ढाये हैं, और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की धरती को सरसब्ज भी किया है। दोनों ही हरकतें साथ साथ हुई हैं। अफसोस यह है कि इस नदी को नियन्त्रित करने के लिए कई प्रयास किए गए कि इसके जल को नियंत्रित करके और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाए और गत 4-5 सालों में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करके और 6 बीघे का डिमार्केशन किया गया कागजों के अंदर कि इस नदी को सरकार ने समझा दिया है कि वो उन 6 बीघा एरिया से बाहर नहीं जाएंगी। यह हुनर मेरी समझ में नहीं आया है। नदी जिस तरीके से बहती रही है वह अपने कुदरती बहाव क्षेत्र के अंदर बही। उसकी चौडाई का मिलों का क्षेत्र है और बात समझ में आ सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अगर उस नदी के दोनों तरफ पाट बांध दिये जाते। फिर तो हमारी यह समझ में आती कि नदी 6 बीघों को बह सकती है। उसके अन्दर भी राजनीति की गई। जब सरकार में बैठे प्रभावशाली लोगों की जमीन आई तो वहां सड़कों का ख्याल नहीं रखा गया और 20-20 फीट रेतीले टीलों के ऊपर उसका डिमार्केशन दिखा दिया गया।

इस तरीके से इस समस्या का और भी विकृत रूप हमारे सामने आया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी जिनके पास शायद अच्छी देखने वाली आंखें नहीं हैं, वो मेहनतकश किसान जिसने इस नदी के क्रूरतम बहाव से अपनी फसलों को बचाने के लिए खुद की मेहनत से अपने खातेदारी खेतों के अंदर बंधे बना रखे हैं, उन बंधों को तोड़ने के लिए आप पानी को अब नियंत्रित करने की बात करते हैं कंट्रोल्ड वाटर आप उसको कहते हैं, तो आपको अपने नियंत्रण में उस पानी को रखना होगा। बहाव उसका अनियंत्रित है। काश्तकारों को यह कहा जाए कि हम तुम्हारे बंधे नहीं रहने देंगे।

दूसरी सबसे पीड़ादायक और कष्टदायक बात यह है कि अध्यक्ष महोदय; जिस जमीन में डिमार्केट किया गया, 6 बीघे का मार्जिन, और यह 145 किलोमीटर लम्बा रास्ता है, उसमें एक भी काश्तकार की न तो जमीन आपने एक्वायर की, उस काश्तकार को एक पैसा नहीं दिया गया। वह काश्तकार अपने बच्चों का पेट कहां से भरेगा, कैसे उस जमीन को काश्त करेगा? बरसात का सीजन, हमारे तो केवल यह काटन का सीजन; पहले यही होता है। वह सीजन हमारे हाथ से चला गया। बाद में हाडी को खेती करने के लिए कब हम उस जमीन को सुधारेंगे।

मेरी माननीय मंत्री महोदया से निहायत अदब से गुजारिश है कि अगर आप डिमार्केटेड लाइन इस नदी को बहने के लिए तैयार करती हैं तो मेहरबानी करके लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के प्रावधानों के तहत वहां जमीन को एक्वायर करिए।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्ध)

मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा । आप सेम की समस्या का हल करना चाहते हैं तो हुवोर के पास इसी तरीके की सेम, और वहां सेम के लिए ड्रेन तैयार की गई, इस दो बीघा के अंदर इस एरिया को डिमोर्केट करके जमीन को एक्वायर करें और उसको 5·6 फीट खोदकर नहर का स्वरूप दे दिया जाए । मेड़ताल के अंदर जैसा माननीय हनुमानगढ़ से आने वाले सदस्य फरमा रहे थे, वहां इस पानी को कन्ट्रोल करके और इस पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए तो आपको लाखों एकड़ जमीन सरसब्ज हो सकती है । इस पानी का उपयोग हम अच्छी कृषि पैदा करने के लिए कर सकते हैं ।

श्रीमन्, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि गंग कैनाल जो सन् 1987 में गंगानगर जिले में आई उसके इंजीनियर बड़े अच्छी शोहरत वाले थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया । एल.एल.एम.पी. को टेल जहां कुओं से पानी आगे नहीं आ सकता था, रोक दी गई क्योंकि वो वीरान एरिया था । 1952 के अंदर जब भाखड़ा आई तो कुदरतन उसी क्षेत्र के पास लाकर उस नेचुरल बहाव को देखते हुए उनकी भी टेल वहीं कर दी गई ।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना 1960 में आयी । उसको सूरतगढ़ ब्रांच और सूरतगढ़ ब्रांच से 165 आर डी को निकलने वाली घमण्डिया माइनर जिसका कुदरती बहाव और लेवल बहुत अच्छा है और वह ब्रांच का एरिया हजारों बीघा का बीच में एल एन पी गंग कैनाल की इरिगेटेड स्कीम से बाहर था, भाखड़ा की स्कीम से बाहर था, अगर जो एम डी माइनर को तीन किलोमीटर और आगे बढ़ा दिया जाए तो यह हजारों बीघा जमीन सरसब्ज हो सकती है, यह इलाका आबाद हो सकता है और बहुत थोड़े से खर्चे से आप काश्तकार को खुशहाल करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं ।

इसी प्रकार से मैन कैनाल से निकलने वाली एस पी डी माइनर, जिसकी भड़ोपा के पास आकर टेल हो गयी, भड़ोपा, मानसेरी, महलेरी, जाखड़ावाली, यह सारा का सारा सेम से प्रभावित ऐरिया है । इसमें इसकी अच्छी जमीन सेम प्रभावित हो गयी और ये लोग जीविका कमाने के लिए बिरामी भड़ोपा एरिया में चले गये । अगर इस एस पी डी माइनर को चार किलो मीटर तक और आगे बढ़ा दिया जाए तो यह इलाका भी सरसब्ज हो सकता है ।

इसी प्रकार प्रेमपुरा सूरतगढ़ ब्रांच पर जहां भाखड़ा इसको क्रोस करती है; मैंने पहले भी 1977 में यह निवेदन किया था कि अगर वहां से एक 60 क्यूसेक्स की नहर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ–साथ उत्तर की तरफ एस जी आर माइनर, एम जी डब्ल्यू माइनर, एम ओ डी माइनर और डी बी एम माइनर को क्रास करती हुई, इन चार सिस्टमों को क्रास करती हुई अगर निकाली जाती है तो इसका डाउन स्ट्रीम का जो एरिया डेजर्ट पड़ा हुआ है वह सरसब्ज हो जाएगा, पीछे के लोगों को भी लाभ मिलेगा । ये छोटे-छोटे इसमें काश्तकार आपको श्रमदान में मदद करने के लिए तैयार हैं । अगर यह महकमा

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

आह्वान करे तो बहुत बड़ा यह योगदान इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए होगा और अन्न का उत्पादन बढ़ेगा।

दूसरा, मान्यवर, मैं उपनिवेशन विभाग द्वारा की जा रही ज्यादतियों की ओर माननीय मंत्री महोदया का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। उपनिवेशन नियमों में ऐसी विसंगतियां हैं, जो काश्तकार 1955 के पूर्व के और पश्चात के थे और आराजी काश्तकार जिनकी पत्रावली आवंटन अधिकारी के सामने बेरकार थी, उन्होंने किन्हीं कारणों से उनको खारिज कर दिया। वे अपील में चले गये। अपील अथोरिटी ने उस केस को रिमाण्ड कर दिया। वापस आया। वह जमीन अलाट हो गयी उसी आदमी को, लेकिन इस सरकार के अधिकारियों की तत्परता ने उस जमीन को विशेष आवंटन के लिए प्रस्तावित कर दिया। गजट नोटिफिकेशन हो गया और ऐसे गजट नोटिफाइड जो भू क्षेत्र हैं, आज 15–15, 20-20 साल हो गये, वे काश्तकार उस जमीन को काश्त कर रहे हैं लेकिन नतीजा आज यह हुआ कि आडिट डिपार्टमेंट ने यह आक्षेप निकाले कि यह तो विशेष आवंटन के लिए आरक्षित था और जिस काश्तकार को वह जमीन आपके अधिकारियों ने अलाट की, आज 20 साल के बाद उससे साढ़े तीन लाख और पौने चार लाख रुपया वसूल करने की कार्यवाही करके आप उसको डरा रहे हैं। यह एक घोर अन्याय उन काश्तकारों के साथ में है।

माननीय मंत्री महोदया, आप उन नियमों के तहत की गयी आवंटित जमीन की वह ही कीमत लें जो सामान्य आवंटन नियमों के तहत आपने पट्टे जारी किये थे और उनमें जमीन की कीमत बतायी थी। विशेष आवंटन की कीमत उनसे वसूल नहीं की जाए। ऐसे लोग जिन्होंने एतराज किया गंगानगर के कलक्टर के मार्फत इस विशेष आवंटन के गजट नोटिफिकेशन को डिनोटिफाई करवाने के लिए रिक्वैस्ट की गयी, 10-10 साल से वह मामले आज राजस्थान सचिवालय में पड़े हुए हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं दो ही मिनट के अन्दर इस बात को समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में कहिये। आपका कटमोशन तो है नहीं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उन्हीं मामलों को आप स्पीड अप करायें और बहुत तेजी से निस्तारण करके उन काश्तकारों को राहत दिलवायें। कुछ ऐसे नियम हैं कि जैसे सरदारगढ़ क्षेत्र के अन्दर एक पंचायत के लिए विशेष आवंटन के तहत कुछ रकबा गजट नोटिफाई करवाया गया।

मान्यवर, पूरे क्षेत्र के अन्दर लोग पीड़ित हैं लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि एक ग्राम पंचायत के लोगों को लाभ देने के लिए ऐसा गजट नोटिफिकेशन कराया जाए वह संविधान के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है। सरदारगढ़ की पंचायत के लोगों को यह लाभ मिला और उसके पास

(श्री हुरचन्द सिंह सिद्धू)

को घमण्डिया की पंचायत के लोगों को लाभ क्यों नहीं मिला, इस विसंगति को आप दिखवाने की कृपा करें और ऐसी विसंगतियां न हो, ऐसे कारगर कदम आप उठायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद करते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : डा. किरोडीलाल मीणा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय मांग संख्या 46, जो सिंचाई से संबंधित है, बड़ी महत्वपूर्ण मांग पर आज चर्चा हो रही है और इस प्रदेश के किसानों की बहबूदी बढ़ेगी, समृद्धशाली बनेंगे, इस ढंग के विचार माननीय सदस्यों की तरफ से आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में मध्यप्रदेश के बाद दूसरे नम्बर पर है। जिसका कुल क्षेत्रफल 342.52 लाख हैक्टर है जिसमें से लगभग 257 लाख हैक्टर क्षेत्र कृषि भूमि योग्य है और पूरे देश का कृषि योग्य क्षेत्र का 11 परसेन्ट कृषि अपने राजस्थान के लोग करते हैं। उसमें दयनीय स्थिति क्या है कि उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से केवल मात्र वन परसेन्ट एरिया आज की तारीख में सिंचित हो रहा है। तो सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है।

सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ अतिरिक्त क्षेत्र बढ़ायेंगे, इस ढंग का माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है। उसमें यह बात कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राज था उस राज में सिंचित क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और उस सिंचित क्षेत्र को घटा दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छठी योजना में 2.23 लाख हैक्टर सिंचित क्षेत्र था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2.38 लाख हैक्टर था और आठवीं पंचवर्षीय योजना में जाकर जब हमारा राज रहा उस समय बढ़कर के 3.08 लाख हैक्टर हो गया। इन्होंने सब ने अपने भाषणों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में इस मामले की अनदेखी की गयी और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना में आपको अफसोस होगा कि पूरे राजस्थान में कोई वृहद सिंचाई की परियोजना नहीं ली गयी और मात्र तीन मध्यम सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत होकर आयी हैं।

सिरोही जिले की सूकली परियोजना, जोकि संयम जी लोढ़ा बोल रहे थे, जालौर जिले की बांडी सेन्द्रा परियोजना और बूंदी जिले की गरड़दा योजना, अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर और अफसोस होगा कि इन योजनाओं को स्वीकृत हुए दो साल हो गये लेकिन अभी तक इनका काम चालू करने की दृष्टि से कोई कार्यवाही अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई।

(डा. किरोड़ी लाल)

मैं इस मौके पर माननीय सिंचाई मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि, ये काफी जागरूक हैं, जो तीन महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत होकर आई हैं, उनका काम चालू कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया और कहा कि 17 साल से सरकार सिंचाई पर शुल्क लगाना भूल गई, उन्होंने उस भूल को सुधारा है। और भूल को सुधारकर 17 साल बाद सिंचाई पर शुल्क लगाया है। सिंचाई पर शुल्क लगाने के बाद जितना अतिरिक्त सिंचाई का प्रावधान बजट में होना चाहिए था, उतना अतिरिक्त सिंचाई का बजट में प्रावधान नहीं है। बजट में मात्र 28700 हैक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता, वह भी आई.जी.एन.पी. को छोड़कर, केवल मात्र इतनी सिंचाई का इन्होंने अतिरिक्त प्रावधान रखा है और उसमें 536 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रावधान रखा है तो मैं यह मानकर चलता हूं कि यह अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी पूर्वी राजस्थान, जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर हैं, इन जिलों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की जा रही थी।

अध्यक्ष महोदय, कोटा बैराज के नीचे कोटा से डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लम्बाई में चम्बल का पानी बहकर जा रहा है, बेकार जा रहा है। उस चम्बल के पानी के सदुपयोग के लिए आज तक सरकार ने कोई कोशिश नहीं की और वहीं पर एक इन्दिरा लिफ्ट परियोजना का सर्वे चालू किया गया। सर्वे 1981 में चालू किया गया और किन्हीं कारणों से वह 1981 का सर्वे चेंज कर दिया और दूसरी जगह पर 1984 में सर्वे चालू किया गया। वह संगम स्थल पर था, चम्बल और बनास नदी के संगम स्थल पर रामेश्वर घाट जगह पड़ती है, उसका सर्वे चालू किया गया और 17 साल निकल गये।

लेकिन वह कार्यवाही जिस त्वरित गति से उस बारे में होनी चाहिए थी, वह उस तेजी से नहीं हुई। अगर वह सरफेस पानी चम्बल का बेकार जा रहा है, उसके लिए अगर योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन कर दिया जाये तो सिंचाई हेतु अकेले चम्बल से 10 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकती है, वहां पर बिजली भी पैदा की जा सकती है। एक रऊ घाट है मंडरायल में, अकेले इस स्थान से 440 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकती है। मध्य प्रदेश तो उस पानी का उपयोग कर रहा है। मध्यप्रदेश का जो इलाका है भिण्ड, मुरैना ग्वालियर, सबलगढ़, श्योपुरकलां है, ये चम्बल के पानी का उपयोग कर रहे हैं और जितना भी उसमें चम्बल का जलग्रहण क्षेत्र है, उस सारे जलग्रहण क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब, एनीकट्स, डैम्स बना दिये और पूरा इलाका सरसब्ज है।

(डा. किरोड़ी लाल)

लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, हमारे सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जिले हैं जिनके लिए इन्दिरा लिफ्ट इरिगेशन है, जो एक जीवनदायिनी योजना थी, उसको अभी तक किसी प्रकार की प्रगति, मैं समझता हूं, नहीं आई। 30 मई, 1987 को एक अन्तरराज्यीय जल और बिजली नियंत्रण मण्डल की बैठक हुई, माननीय शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोतीलाल जी वोरा भी आये और शिवचरण जी भी बैठे। उन्होंने यह कहा कि चम्बल के पानी का सदुपयोग जल्दी से जल्दी करेंगे। यह तय हुआ उस मीटिंग में। बिजली पैदा करने के लिए रऊ घाट की योजना को त्वरित गति से लागू किया जायेगा, चम्बल के जलग्रहण क्षेत्र पर, तमाशे की बात यह है कि उस समय कोई चर्चा नहीं थी।

मैं अब कहना चाहता हूं इस सरकार से, बीच में दिग्विजय सिंह जी और आये थे, एक दिन हमने अखबारों में पढ़ा था कि अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह जी बैठकर चम्बल के पानी के बंटवारे के बारे में चर्चा करेंगे। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, जो ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हुए हैं कि चर्चा तो करना पर ऐसा न हो कि वह अपने पानी का जो हिस्सा है, जैसा पहले जलग्रहण चम्बल का था, उस जलग्रहण को जिस ढंग से मध्य प्रदेश ने बड़ी तरकीब से कम किया है, उस जाल में फंसकर कहीं अपना जलग्रहण क्षेत्र कम नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय...

श्रीमती कमला : अभी कोई बात नहीं इसमें, आपको मेरी समझ में अनायास ही कोई वहम हो गया है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बनास और चम्बल के संगम स्थल पर जो इन्दिरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उससे सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर का क्षेत्र सिंचित होगा। इसका सोइल सर्वे हो चुका है। इसकी हाइड्रोलोजी की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को सब्मिट हो चुकी है और जितना यह लेट हो रहा है, इसकी कोस्ट बढ़ती जा रही है। 1983 में इस प्रोजेक्ट की कीमत अनुमानतः 225 करोड़ थी और 1996 में इस प्रोजेक्ट की कीमत बढ़कर 450 करोड़ हो गई, बिलकुल दुगुनी हो गई है।

इसलिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जो सूचना राज्य सरकार से मांगी जाती है, उनकी पूर्ति तेजी से की जाये। कमला जी, आप विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देंगी, क्योंकि यह सवाई माधोपुर, करौली और दौसा जिले हैं, वहां सिंचाई के साधन कम हैं और ज्यादा भयावह स्थिति इसलिए हो गई है कि जो बनास बारह महीने सवाईमाधोपुर में होकर बहती थी, उस पर बीसलपुर का बांध बन गया। उस बांध के बन जाने के कारण उसमें पानी हर बार आता नहीं। उसके कारण वाटर टेबल एकदम नीचे चला गया, और सवाई माधोपुर समूचे जिले में सिंचाई के पानी की बात तो दूर की बात है, पीने के पानी की भी समस्या बहुत विकराल रूप में खड़ी हो गई है। केन्द्रीय जल आयोग को इन्होंने अपनी पूर्ति करके भेजा है वहां पर से एक

(डा. किरोड़ी लाल)

रिमार्क आया है, अभी इस मामले में अन्तरराज्यीय विवाद चल रहा है।

मैं कमला जी से कहना चाहूंगा कि चम्बल के पानी का बंटवारे पर किसी स्थिति पर, किस बात को लेकर विवाद है। विवाद दो प्रदेश में चल रहा है और यह मामला डाइरेक्टर, इन्टरस्टेट मैटर्स के पास पेंडिंग है। हमने जो केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है, उससे यह लगता है कि इस डिस्पुट का समाधान कर दिया जाये तो यह जीवनदायिनी योजना स्वीकृत हो सकती है और इस सवाई–माधोपुर के आसपास के जो जिले हैं, उनके चप्पे-चप्पे को सिंचित किया जा सकता है। यह ऐसी योजना है। इसलिए उस पिछड़े जिले के लिए इस योजना की स्वीकृति के लिए राजस्थान की सरकार को प्रयास करना चाहिए।

मंत्री महोदया, आप कोई न कोई ऐसा सिस्टम इसमें डवलप करें कि केन्द्रीय जल आयोग जिस प्रकार की कोई सूचना अपने यहां से मंगाता है, वहां सूचना तो जाती है पर सूचना बड़ी धीमी गति से जाती है। जब किसी प्रकार का आक्षेप केन्द्रीय जल आयोग से आ जाता है तो सूचना की भरपाई त्वरित गति से होनी चाहिए, आपके नोटिस में रहकर होनी चाहिए। इस ढंग से ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उनकी स्वीकृति में किसी प्रकार की लापरवाही नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में यमुना नहर का अतिरिक्त पानी है। यमुना नहर का बड़ा शोर चलता है। यमुना नहर का पानी जब ज्यादा आ जाता है तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अभी जगन्नाथ सिंह जी बोल रहे थे, यमुना नहर का पानी धारूहेड़ा तक आ रहा है और धारूहेड़ा के बाद में अपने स्टेट का गांव शाहजहांपुर पड़ता है।

कमला जी अच्छी तरह जानती हैं। उस पानी को, जो यमुना नहर का अतिरिक्त पानी है, अगर उस पानी को ट्रंक द्वारा शाहपुरा, कोटपूतली, बहरोड़ होते हुए अगर रामगढ़ के बंधे में डाल दिया जाय, जिसको मैंने पहले लोक सभा में भी उठाया था और पूर्ववर्ती सरकार को भी लिख कर दिया था, उसका हल्का–फुल्का सर्वे भी हुआ था, लेकिन आगे मेरे को जानकारी नहीं मिल रही। उस यमुना कैनाल के पानी को अगर अपन रामगढ़ के बंधे में डाल दें तो अध्यक्ष महोदय, जयपुर के पानी की समस्या का समाधान होगा ही।

लेकिन जमुआ रामगढ़ के आस–पास, रामगढ़ बंधे के आस–पास जो पहाड़ी

(डा. किरोड़ी लाल)

एरिया पड़ता है, उस पहाड़ी एरिया में अगर रिजरवायर बना दिया जाय और पानी को बाणगंगा में और ढूंढ नदी में ले जाकर डाल दिया जाय तो यह ढूंढ नदी से आने वाला पानी आगे मोरेल में जा सकता है। और मोरेल और बनास के संगम स्थल पर अगर किसी प्रकार के एनीकट का निर्माण कर दिया जाय तो यह चम्बल और यमुना के पानी का इस ढंग से मिलान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, कमलाजी से मैं विशेष रूप से इसलिए कहना चाहूंगा, इनके इलाके का, इधर का मामला है और यह बारह महीने बहने वाली नदी है। इस पानी को अगर वहां से लाया जाय और जहां नदी-नाले पड़ते हैं जिस–जिस स्थान पर, उस–उस स्थान पर एनीकट और डेम्स बना दिये जायें तो अलवर का कुछ भाग, और फिर बाणगंगा में आने के बाद विराट नगर और बैराठ में, पानी को भरतपुर तक, और भरतपुर से पहले एक ऐसा स्थान पड़ता है माननीय मुख्य सचेतकजी के इलाके में, टोडियान, वहां दो पहाड़ हैं बिलकुल बाणगंगा के बीच में। वहां पर यदि इस पानी को रोक दिया जाय तो दौसा, बांदीकुई, बसवा, महुआ और भरतपुर के इलाके को पानी से सिंचित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, एक एनीकट या कोई बड़ा डेम इस पानी को लाते समय बहरोड़ और कोटपूतली के बीच में बनाया जा सकता है और दूसरा कोटपूतली और शाहपुरा के बीच में बनाकर इस इलाके को सरसब्ज किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जो एस. वाई. एल. सतलज–यमुना लिंक कैनाल का कार्य हो जाने के बाद यह आशा की जा रही है कि जो पानी सतलज और व्यास का बहकर पाकिस्तान में बेकार जा रहा है, उस पानी को सीकर, चूरू, झुन्झुनूं जिले में ले जाया जा सकता है। वेपकोर्स के द्वारा चूरू और झुन्झुनूं के लिए सर्वे भी किया जा रहा है। मैं कमलाजी से निवेदन करना चाहूंगा, इसी ढंग का सर्वे सीकर के लिए करें। और जो मैंने यह यमुना कैनाल का पानी धारुहेड़ा से रामगढ़ बंधे तक लाने तक और आगे बनास और मोरेल में डालने तक का जो एक निवेदन कमलाजी को किया है इसका भी वेपकोर्स द्वारा सर्वे का कार्य अपने हाथ में लिया जाय ताकि यह सीकर झुन्झुनूं, चूरू, जयपुर, अलवर का भाग, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली. भरतपुर और धौलपुर, यह पांचों–छहों जिले जो उसमें आते हैं, पूरी तरह से सरसब्ज हो सकते हैं और हमारा पिछड़ापन यहां से दूर हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा, हरियाणा से यमुना नहर के अतिरिक्त जल के उपयोग करने, सवाई माधोपुर क्षेत्र में बह रही चम्बल नदी के पानी को लिफ्ट द्वारा एक स्थान पर मिलाकर सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, बयाना एवं भरतपुर संसदीय क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। माननीय

(डा. किरोड़ी लाल)

मंत्री महोदय का जवाब पत्र मेरे पास आया है। उन्होंने कहा, यह योजना बहुत अच्छी है लेकिन राजस्थान की सरकार से जो अपेक्षित कार्यवाही इस संबंध में की जानी चाहिए थी वह अपेक्षित कार्यवाही इस मामले में नहीं की जा रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे करौली में एक पांचना बांध बना है ...

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह पत्र कब का है ?

डा. किरोड़ी लाल : बता दूंगा। हमारे जिले में पांचना प्रोजेक्ट है और वह पांचना प्रोजेक्ट जब भी बरसात होती है....

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसकी जानकारी कृपया दे दीजिये, कब लिखा आपने।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो मैं सदन पर रख दूंगा, जानकारी दे दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : तारीख बता दें।

डा. किरोड़ी लाल : हां, मैं तारीख बता देता हूं। यह पत्र मैंने राजेश पायलेट साहब को लिखा है। यह चूरू के सांसद को लिखा है, सीकर के सांसद को लिखा है, झुन्झुनूं के सांसद को लिखा है। पंडित नवल किशोरजी भी थे, उनको भी लिखा है। सारे सांसदों को लिखा है और देवगौड़ाजी के समय लिखा हुआ पत्र है। मैं इसको रख दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : भारत सरकार का जवाब कब आया ?

डा. किरोड़ी लाल : भारत सरकार को लिखा हुआ पत्र है।

श्री चन्दनमल बैद : जवाब कब आया।

डा. किरोड़ी लाल : इसका जवाब आया है 19 अप्रेल 1997। अब, अब आप जवाब नहीं देना चाहेंगे, यह है। आपका कहने का मतलब यह है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : नहीं-नहीं देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आपका कहना है कि राजस्थान सरकार अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर रही है। तो कौन सी राजस्थान सरकार नहीं कर रही है अपेक्षित कार्य, यह देख रहा हूं मैं तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो क्या वह अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर रही थी....

डा. किरोड़ी लाल : माहिर आजादजी, आप भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हो तो हो जाओ। मैंने तो किसानों की एक बात रखी है और किसान की एक समस्या है।

श्री सम्पतमल बैद : आपने बात रखी, हम आपकी बात से एतराज नहीं कर रहे हैं। हम तो यही जानना चाहते थे, किस ने अपेक्षित कार्य नहीं किया।

श्री रामनारायण चौधरी : आदरणीय डाक्टर साहब की तो इनकी खुद की सरकार में वैसी स्थिति नहीं थी जैसी आज है। उस जमाने में भी डाक्टर साहब की तो यही स्थिति थी जो आज है। आपकी सरकार में आपकी जो स्थिति थी वह आज से बेटर नहीं थी बल्कि आज ज्यादा बेटर है।

डा. किरोड़ी लाल : मुझे ऐसा लग रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी सदस्य इधर से, उधर से बोल रहे हैं, मेरे को इनकी बातों से ऐसा लगता है कि यह सरकार भी वही कदमताल करना चाहती है, जहां 97 का पत्र है, जैसा हमने किया और हमने किया तो हम तो भुगत रहे हैं हम 33 की संख्या में आ गये। अब आपको 153 का प्रचण्ड मत दिया है, कितने बहुमत में आये हो।

मैं बहुमत के आधार पर आपको यह बात इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि आखिर में यह 153 का मत लेकर और समर्थन लेकर बैठे हो। राजस्थान के किसान, राजस्थान की जनता इस बात की आशा करती है कि निश्चित रूप से यह सरकार ने, कोई बात नहीं सिचाई पर टैक्स लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र तो निश्चित रूप से बढ़ायेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पांचना प्रोजेक्ट, जब भी राजस्थान में बरसात आती है तो अखबारों में और हर कहीं एक ही शोर मच जाता है कि पांचना टूटा, पांचना टूटा। कावर डैम टूट गया, भरतपुर बहेगा। एक ही शोर मचता है और सारे अधिकारी पांचना की रखवाली में लग जाते हैं। जिस ढंग से, अध्यक्ष महोदय, यह शोर मचता है।

मैं कहना चाहता हूं, जो नहर इनकी बनाई है, वह नहर पांचना से चलकर गम्भीर नदी में आकर गिर गई और जितनी वहां उस क्षेत्र की सिंचाई होनी चाहिए थी, हमारे वहां एक इलाका है जिसको माल का क्षेत्र कहते हैं। माननीय टोडाभीम से आने वाले महोदय का बहुत इलाका इससे रह गया। यह नहरों का काम जो किया है, इन नहरों में एक नहर और निकाल दी जाय तो इनके इलाके का बहुत बड़ा इलाका, पीलोदा, उदई, सोफ, सैर, लावद, नादौती का समूचा क्षेत्र उस नहर के निकलने से सिंचित हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, महावीरजी के पास जाकर....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मैंने तो आपकी सरकार में बहुत पुकारा था, +++ रात-दिन लेकिन मेरी सुनी ही नहीं उन्होंने एक भी।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने बड़ी परेशानी है। मैंने अभी रामस्वरूपजी की तारीफ की और तारीफ करने के बाद भी कहें कि हम तो बहुत +++ अब हंस-हंस के करा लो न, इतने प्रचण्ड मतों से आये हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था, जो नहरों का निर्माण है वह मेरे को टेक्नीकली फिजीबल नहीं लगता। अभी एक नहर का काम चल रहा है मोहचा, श्रीमहावीर जी के पास एक मोहचा गांव है। गांव के काश्तकार परेशान हो गये अधिकारियों के पास जा-जाकर, एक्स.ईएन., एस ई., चीफ इंजीनियर के पास। वह कह रहे हैं कि एक चेन 170 पर हैड रेगुलेटर बनाओ और वहां पर हैड रेगुलेटर नहीं बना रहे हैं। वह कहते हैं कि हम यहां पर नहीं बनाते और इसके कारण किसानों की 500 बीघा जमीन रह रही है। तो फिर काहे के लिए पांचना प्रोजेक्ट की इन नहरों पर आप पैसा खराब कर रहे हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, नीचे पर, किसानों से झुगाड़ बैठा कर, मैं कोई लांछन नहीं लगाना चाहता, किसानों से कुछ पैसे लेकर मनमाने हिसाब से हैड रेगुलेटर बना रहे हैं। जहां जनता की वाजिब मांग है वहां पर यह पांचना वाले अपना हैड रेगुलेटर नहीं बनाना चाहते।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां से थोड़ी सी दूर पर गंभीर नदी पड़ती है। श्री महावीर जी का बड़ा पवित्र तीर्थ है, देश का माना हुआ तीर्थस्थल है। उस माने हुए तीर्थस्थल पर, यह मांग बड़े लम्बे समय से उठ रही है, हिण्डौन के माननीय सदस्य यहां पर होंगे, इन्होंने इसके लिए बड़ा परिश्रम किया कि यहां पर, महावीर जी पर एनीकट बनना चाहिए। अगर वह एनीकट बनता है तो बार-बार यह शोर मचता है कि पांचना बांध टूटेगा, कापर बांध टूट गया, पानी ज्यादा बहकर आयेगा, भरतपुर में भर जायेगा, भरतपुर में बाढ़ आ जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर एनीकट वहां पर बन जाय तो यह जो हो-हल्ला मचता है वह खत्म हो जाय, और जो धार्मिक स्थल है वह धार्मिक स्थल पर्यटन की भी दृष्टि से सरसब्ज हो सकता है। वहां पर एनीकट बनने के बाद हिण्डौन के कम से कम सौ गांवों का जल स्तर ऊंचा बढ़ सकता है। अभी हुआ क्या है अध्यक्ष महोदय, पांचना बनने के बाद यह गंभीर नदी भी पूरी तरह से ड्राई हो गई, सूख गई, जलस्तर नीचे चला गया। वहां का किसान परेशान है, पूरी तरह से बरबाद हो चुका है। उसको कोई फसल अब प्राप्त नहीं हो रही है। अगर यह नदी के मध्य में, पांचना से आने पर, महावीरजी के पास एनीकट को अगर स्वीकृत, कमला जी आप देख लें कभी मौका चलकर, कर दिया जाय तो बहुत

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

किसानों को इसका फायदा मिल सकता है, पर्यटन की दृष्टि से भी इस मामले को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे चम्बल नदी पर दो छोटी योजनाओं का प्रोजेक्ट केन्द्रीय जल आयोग को सब कार्यवाही पूर्ण करके सब्मिट किया हुआ है। एक का नाम है पीपल्दा जलोत्थान योजना और दूसरी का नाम है पिपलेट जलोत्थान योजना।

अध्यक्ष महोदय, 1982 से केन्द्रीय जल आयोग में सब्मिट है और जो पीपल्दा जलोत्थान योजना है, वह समूचे खंडार विधान सभा क्षेत्र को सिंचित करेगी। और जो पिपलेट जलोत्थान योजना है, वह खण्डार के जो रहे हुए गांव हैं उनको, कुछ सवाई माधोपुर के गांवों को, और कुछ विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के गांवों को सिंचित करेगी। केन्द्रीय जल आयोग में किसी कारण से ये दो छोटी योजनाएं अटकी हुई हैं। इसके लिये मैं माननीय कमला जी से निवेदन करूंगा कि परस्यू करके इन दोनों योजनाओं को निकालें; स्वीकृत करवायें ताकि यह जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, मैंने जो जिले गिनवाये हैं, यमुना का पानी लाना, चंबल के पानी को लिफ्ट करना, अभी धौलपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके यहां भी यही हालत है। वहां भी चम्बल का पानी बेकार जा रहा है।

आप अच्छी–अच्छी योजनाएं, अच्छी-अच्छी लिफ्ट परियोजनाएं जो केन्द्रीय जल आयोग में लम्बित पड़ी हुई हैं, उनको स्वीकृत करा के इस इलाके के किसानों को समृद्ध बनायेंगे, ऐसा मैं माननीय कमला जी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार से कहना चाहता हूं। टैक्स को तो मुगत लेंगे लेकिन टैक्स देने के बाद अगर आपने सिंचित क्षेत्र को बढ़ायें तो इन जिलों की जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगी, बहुत-बहुत आभार प्रदर्शन करेगी, इतना ही मेरे को कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना ने जैसलमेर जिले में काफी काश्तकारों को पानी देना शुरू कर दिया है। उसमें कई जगह मैंने खुद ने देखा है कि खाले इस प्रकार के सी.ए.डी. के द्वारा बनाये जा रहे हैं कि खालों को आखिरकार किसान को खुद को तैयार करना पड़ता है और उनके पैसे लगाने पड़ते हैं तब जाकर पानी लक्ष्य के अनुसार पहुंचता है। नहीं तो सारे खाले टूटते रहते हैं।

इस प्रकार के रद्दी खाले बनाये हुए हैं। इसी प्रकार पिछले 5-7 सालों में देखा जाये तो इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण के लिये जितनी भी सीमेंट गोदामों में रखी जाती है खुलेआम सीमेंट बेची जा रही है। और उसकी वजह से नहर और

(18.43 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नहर की वितरिकाएं आये दिन टूटती

(श्री अमीन खान)

रहती हैं । और उन नहरों का कार्य घटिया किस्म का किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति को भारी नुकसान होता है । वहां सिंचित जमीन को भी समय के अनुसार जितना पानी मिलना चाहिये वह पानी नहीं मिलता है ।

इस बारे में मैं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिये और अच्छे-अच्छे इंजीनियरों को मौके पर भेजो और बेईमानी से निपटने के लिये सख्ती से एक कार्य योजना आपको लागू करनी चाहिये ।

इसी क्रम में आगे जाकर यह कहूंगा कि हमारे जिले बाड़मेर की शिव तहसील में जो गडरा रोड शाखा का कार्य है उसके डिटेल में सर्वे नहीं करके और अपने यहीं पर बैठ कर आप सर्वे इस तरह से करना चाहते हैं कि उस एरिया को कम से कम सिंचित किया जाये । और वह भी ऐसा एरिया ले रहे हैं, जिसमें ऊबड़-खाबड़ जमीन है और अच्छी जमीन वाला एरिया छोड़ रहे हैं । इसके बारे में हमने पहले भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये आपसे गुजारिश की थी और अब फिर कर रहे हैं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं उपनिवेशन क्षेत्र की । उपनिवेशन क्षेत्र के बारे में हरेक आदमी का, हरेक स्थिति में अलग-अलग विचार है । मेरा ऐसा मानना है, और अनेक लोगों का भी यह मानना है कि उपनिवेशन क्षेत्र में जैसलमेर जिले के लोगों ने अपनी एक जागीरदारी बना कर रखी है कि इस जिले के अलावा किसी आदमी को यहां आने नहीं दिया जाये और किसी भी सूरत में, किसी न किसी बहाने से उनकी एप्लीकेशन रोकी जाये ।

नतीजा आज क्या हुआ कि विशेष मुरब्बे की भूमि सन् 1992 में पौने दो लाख के करीब विशेष आवंटन में होती थी । 8 साल वो विशेष आवंटन रोककर के उन विशेष मुरब्बों की आज साढ़े चार लाख रुपये कीमत बना दी । जन कल्याण-कारी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वायदा तो करती है कि गरीब किसान को, भूमिहीन किसान को हम ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से मदद करके उसको खुशहाल बनाना चाहते हैं । क्या आप स्वयं यह विचार कर सकते हैं कि साढ़े चार लाख रुपये में तीन किश्त आप बनाना चाहते हो, उसमें डेढ़ लाख रुपया एक मुश्त किश्त में एक गरीब भूमिहीन किसान, सद्भावी किसान अदा कर सकता है, नहीं कर सकता । यह जानबूझ कर के गरीब आदमी को जमीन न देने की नीति हम महसूस करते हैं ।

अगर गरीब आदमी को जमीन देनी है तो साढ़े चार लाख भी हमें मंजूर है लेकिन उस गरीब आदमी से कम से कम 10 सालों में तो यह रुपया वसूल करो । उपाध्यक्ष महोदय, अमीर आदमी जमीन खरीदेंगे, नाम से नहीं खरीदेंगे तो बेनाम से खरीदेंगे । गरीब आदमी को यह नहर वाली जमीन कतई मिलने वाली नहीं है । यह गरीबों के साथ धोखा है । जिस तरह से जैसलमेर में आप सामान्य आवंटन में

(श्री अमीन खान)

एक लाख रुपये में जमीन दे रहे हो और 20 साल में उनसे वसूली कर रहे हो तो पड़ौस के हमारे जिले में जो गरीब, भूमिहीन किसान बैठे हैं, और उस जमीन में, उनको जमीन आवंटन करने के बाद हमारे को जो जमीन दी जाये वह सामान्य में क्यों नहीं दी जा रही है ? यह हमारे को रोकने के लिये बहुत बड़ी साजिश की गई है।

सामान्य आवंटन में एक बार ही आवेदन पत्र इन्वाइट किये जाते हैं। उन्होंने पांच बार आवेदन पत्र मांगे और अभी भी कोशिश है कि आवेदन पत्र मांगों मेरा बच्चा हुआ, मैंने जमीन ले ली। 15 वें साल उसको भूमिहीन बना दिया वो मांगेगा। फिर मेरी औरत से मंगा दो, फिर मेरे बेटे की बहू से मंगा दो। यह राजकोष के साथ धोखा है और गरीब किसान को भूमि नहीं मिलती है।

इसी के साथ यह भी कहना है कि उपनिवेशन क्षेत्र में जितने भी अधिकारी आज दिन तक लगे हुए हैं, उन अधिकारियों ने खुलेआम पैसा लेकर के आवंटन किया है। बगैर पैसे किसी आदमी का आवंटन नहीं होने दिया। मेरा उपनिवेशन क्षेत्र के बारे में यह निवेदन है कि विशेष आवंटन की जो एप्लीकेशन लगी हैं और हमारा पड़ोसी जिला जो उसमें शामिल है उसकी ज्यादा किश्तें की जाएं या ज्यादा किश्तें न की जाएं तो कीमत में कुछ कमी की जाये और विशेष आवंटन को युद्ध स्तर पर चालू करके समयबद्ध काम किया जाये ताकि लोगों को यह जमीन मिल सके और यह जमीन पूरी आबाद हो सके और इससे सरकार को भी पैसा मिल सके, यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मेडिकल की मांग पर आपने मुझे बोलने नहीं दिया। अभी मेडिकल मंत्री जी यहां बैठे हैं उनको मैं एक सूचना देना चाहता हूं। विषयान्तर्गत आपसे माफी चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लाक पी.एच.सी. हैं। दोनों खाली हैं। चार अन्य पी.एच.सी. हैं, वो भी खाली हैं। डाक्टरों के तबादले हुए हैं। कलक्टर ने वहां की बुरी हालत समझ कर उनको स्पेयर होने से तो रोका है लेकिन वो बदमाशी कर रहे हैं कि हम हास्पिटल नहीं जायेंगे। यहां के लोग हमारी शिकायत करें ताकि वो स्पेयर हो जायें। गर्मी के मौसम में गांव-गांव में सांप निकल गये और उन सांपों का किसी भी डिस्पेंसरी में कोई इंजेक्शन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सिंचाई की डिमांड है।

श्री अमीन खान : लोग कर रहे हैं। एक जहरीले सांप के खा जाने पर आदमी को बचाने के लिये 15–15 हजार रुपये की दवाई चाहिये और इससे इंसानों की मौत हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र पंड्या।

श्री रमेशचन्द्र पंड्या : माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय देने के लिये फरमाया था।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो।

श्री रमेश चन्द्र पंड्या (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 के अंतर्गत बोलते हुए आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान बांसवाड़ा जिले में स्थित माही परियोजना की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा।

माही परियोजना बांसवाड़ा जिले का वह सपना है, मान्यवर, जिसको आज हमने अधूरे रूप में साकार होते हुए देखा है। माही परियोजना बांसवाड़ा जिले की एक ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से आज से 15 साल और 20 साल पहले के बांसवाड़ा और आज के बांसवाड़ा की जो शक्ल है। अगर उसके पीछे के बदले हुए भूगोल के पीछे, बांसवाड़ा की बदली हुई हैसियत के पीछे अगर कोई बहुत बड़ा कारण है तो माही परियोजना है।

महोदय, आज इसी सदन से मेरी गुजारिश है, माननीय मंत्री महोदय, आज याद करना चाहूंगा; वित्त मंत्री महोदय ने जब पहले दिन अपने बजट भाषण की शुरूआत की थी तब एक खूबसूरत पंक्ति उन्होंने सिंचाई पर बोलते हुए कहा था कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना इस प्रदेश की भाग्य रेखा है। मैं उसी बात की ताकीद करता हुआ, वागड़ क्षेत्र की पैरवी करता हुआ कहना चाहूंगा कि माही परियोजना भी इस वागड़ क्षेत्र की भाग्य रेखा है। और आज उसके साथ जो थोड़ा बहुत खिलवाड़ हो रहा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, पिछले दिनों सरकार के गठन के बाद ही 10 करोड़ की कटौती को लेकर माही परियोजना के अन्दर अफरा-तफरी मची, पूरे क्षेत्र के अन्दर और यहां तक कि, जबकि इस परियोजना का सपना, इसका पानी बांसवाड़ा से सागवाड़ा और सागवाड़ा से आगे डूंगरपुर तक पहुंचाने की एक कल्पना की थी उस कल्पना के ऊपर एक आघात हुआ है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माही परियोजना की चाहे वह 10 करोड़ की कटौती की बात हो, और अभी हाल ही में जब अखबारों के मार्फत सुना और यह जाना कि मुख्य अभियंता का पद भी वहां पर समाप्त किया जा रहा है। मैं नहीं समझता, आज 60 प्रतिशत काम माही का बाकी है, एक बांध बंधा है और कुल मिलाकर बांसवाड़ा जिले की 8 पंचायत समितियों में से सिर्फ दो पंचायत समितियां उस माही के पानी से सर-सब्ज हुई हैं। अभी जबकि आनन्दपुरी क्षेत्र के अन्दर हमारे माननीय नेता राजीव जी गांधी ने वहां पर फाउण्डेशन स्टोन को रखकर और माही परियोजना के उस पानी को आनन्दपुरी क्षेत्र के अंदर; बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर; उस आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर पहुचाने का उन्होंने संकल्प लिया था वह संकल्प आज अधूरा पड़ा हुआ है। सागवाड़ा नहर, उसी तरह हमारे वहां पर भूगड़ा

(श्री रमेश चन्द्र पंड्या)

नहर, दानपुर का क्षेत्र, पीपलखूंट का क्षेत्र ये कुछ ऐसे रिमोट क्षेत्र हैं जहां पर आज भी लोग रोजी–रोटी के लिए पलायन करते जा रहे हैं। अब जब उस माही परियोजना से हमारा सपना साकार होते हुए नजर आ रहा था।

आज माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जैसे ही सरकार बनी उसी के साथ जो सबसे पहला आघात परियोजना के ऊपर हुआ 10 करोड़ की कटौती का, उसकी वजह से वहां पर डिवीजन तोड़े जा रहे हैं। वहां पर स्टाफ हटाया जा रहा है। वहां पर अभी जो सूचना मिली है मुख्य अभियंता की पोस्ट के साथ निश्चित रूप से 50–60 का एक स्टाफ और टूटेगा।

मैं महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र टेल एण्ड से आता है उस टेल एण्ड पर, वहां पर बैठे हुए हैं। अभी इसी सीजन के अंदर माही के पानी को लेकर हमने इतनी किल्लत बरदाश्त की है कि किसान की खड़ी फसलें उनके खेतों में सूख गयी हैं। यह रेकार्ड चाहे उनको अधिकारी दें या न दें, किन्तु ये अखबार है जो बार बार बोलकर, मैं कुछ शीर्षक निश्चित रूप से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि न नहरों ने अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाया, न खाद और बीज। खाद नहीं बीज नहीं, पानी नहीं। 15 साल बाद भी पानी नहीं पहुंचा। अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से किसान चिन्तित, अन्तिम रूप से पानी नहीं मिलने से गेहूं की फसल सूखने के कगार पर। माही का पानी नहीं मिलने से किसानों में रोष, माही परियोजना के निर्माण कार्यों का ठप करने का आरोप। माही का पानी नहीं मिल रहा है, किसानों में आक्रोश। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलें सूखने लगीं। और अंत में, नई सरकार की गाज माही बजाज सागर परियोजना पर गिरी।

महोदय, हमारे वहां का आदिवासी बहुल क्षेत्र इस परियोजना के ऊपर ही टकटकी लगाए हुए अपने सुनहरे भविष्य को ताक रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे साथ की जा रही इस कटौती को माननीय मंत्री महोदय वापस लें और जो सुनने में आ रहा है मुख्य अभियंता की पोस्ट को वहां से तोड़े जाने की, तो मैं वहां की जनता की ओर से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पास वहां की जनता के ज्ञापन व निवेदन पत्र हैं, मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। किन्तु मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर भी बहुत गम्भीरता से विचार किया जाय। माही परियोजना को अभी और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वहां पर हरिदेव जोशी जैसे व्यक्तित्व स्वप्नदृष्टा के रूप में एक बहुत बड़ा सपना वहां के लोगों को दिखाया था और आज जब कि 8 साल के कुछ पिछले पीरियड के अन्दर बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना के साथ वैसे ही खिलवाड़ हुआ, न लोगों को पानी मिला। और अब जब कि सरकार आयी थी तो लोगों ने यह विचार किया था कि एक बार फिर माही परियोजना के मार्फत यहां की जो माली–हालत है, यहां के किसानों

(श्री रमेश चन्द्र पंड्या)

की हालत है, उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे भी संकल्पों के ऊपर यह आघात हुआ है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि चूंकि केवल बजट का या पैसे का नजरिया, उन किसानों के साथ यह बर्ताव इसलिए नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार के बजट की अपनी स्थितियां हैं, मैं उसकी ताकीद करता हूं। किन्तु जो चल रही परियोजनाएं हैं उनके ऊपर, और मैं कुछ जानकारी यह भी देना चाहूंगा कि मैंने अधिकारिक रूप से यह डेटाज कलेक्ट किये हैं उसमें माही परियोजना में 6 करोड़ रुपये ऐसे स्टाफ पर व्यय किये जा रहे हैं जिसकी वहां पर कोई उपयोगिता नहीं है।

महोदय, वहां उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। एक पोकलेन या बड़ी मशीन चलाने वाला ड्राईवर जो 15–15 हजार रुपये, 12–12 हजार रुपये तनख्वाह लेकर आज बैठा है, न आज वह मशीन चला रहा है, न वहां पर वह टैक्सी चला रहा है।

मेरा निवेदन है कि अगर कटौती ही करनी है तो उनको उस स्टाफ को कम करके, उस बजट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए बनिस्पत इसके कि किसी नहर के ऊपर।

आज सीपेज की समस्या है। हम तो एक ओर कल्पना कर रहे थे 70 मेगावाट बिजली, महोदय, एक अन्तिम आंकड़ा देना चाहूंगा। यह सत्य है, अगर वहां पर यह आंकड़ा मंगाया जाय तो माही परियोजना के ऊपर हुआ व्यय, वहां पर उत्पादन हुई बिजली में, वहां पर उत्पादन हुए अनाज में इतनी भरपाई कर दी है कि माही परियोजना का बांध निश्चित रूप से आज उनको फ्री आफ कास्ट है। और उसके बावजूद भी आज बजट के नाम पर कटौती और वहां पर डिवीजन तोड़ने की बात होगी तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा, महोदय, कि हम आने वाले वर्ष के अन्दर बांसवाड़ा जिले की किसी गली में, किसी गांव में घूम नहीं पायेंगे। यह स्थितियां बन जायेंगी। क्योंकि आज भी टेल-एण्ड की जो स्थितियां हैं, आप, श्रीमान अगर देखेंगे तो आपको भी यों ही लगेगा कि इन लोगों में इतना भरपूर पानी होते हुए भी इस व्यवस्था में कमियों की वजह से क्यों ऐसी राहत नहीं मिल पायी।

आज हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे, आपके माध्यम से कि, मेरी जनता की आवाज को इस सदन के अन्दर पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि माननीय, हमारे साथ होने वाले अभी, मैं जरूर यह एक राय देना चाहूंगा कि एक मीटिंग, एक समीक्षा तो आपने तो की होगी, आप सभी विद्वान हैं। मगर मैं चाहूंगा कि वहां के जो स्थानीय सरोकार हैं उनको भी ध्यान में रखकर एक समीक्षा हो। और इसके बाद अगर आप कुछ करें तो हमें प्रसन्नता होगी।

मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मगर पहली बार बोल रहा हूं और

(श्री रमेश चन्द्र पंड्या)

बांसवाड़ा की जनता निश्चित रूप से आज आन्दोलित है इन दो निर्णयों के ऊपर। और मैं यह नहीं कह सकता चूंकि हम सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मगर मुझे उन लोगों के बीच में जाकर जवाब देना पड़ रहा है। हमारे एक विधायक और आते हैं, उनका भी दर्द मैं अपने में समेटकर, घाटोल के विधायक हैं, मैं उनकी ओर से भी यही कहना चाहता हूं कि आज घाटोल के और बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर सर्वाधिक पानी घूम रहा है और उसकी विसंगति भी हम ही भोग रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि यह जो सागवाड़ा कैनाल की लगभग 21 हजार हैक्टेयर भूमि आनन्दपुरी नहर की, लगभग 9 हजार हैक्टेयर भूमि, यह घाटोल तहसील के अन्दर लगभग 55 सौ हैक्टेयर भूमि....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रमेश चन्द्र पंड्या : एक मिनट, साहब, एक मिनट। और भूंगड़ा नहर के ऊपर लगभग 6 हजार हैक्टेयर भूमि, दानपुर में लगभग 2 हजार हैक्टेयर भूमि, मैं यह जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, यह भूमि आज उस पानी का इन्तजार कर रही है कि कब उसके ऊपर नहरें आएंगी और कब उसके ऊपर पानी चलकर के इन लोगों की माली हालत सुधरेगी।

माननीय, बांसवाड़ा के अन्दर एक ऐसी रेखा खींच दी गयी है कि एक तरफ तो खुशहाली है, एक तरफ तो बहुत ही प्रोग्रेस दिख रही है और दूसरी तरफ वहां पर बदहाली है, जहां लोग पलायन कर रहे हैं गुजरात की तरफ। वहां के संकल्प को अगर आज हम पूरा करने की कोशिश करें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस आनन्दपुरी कैनाल को, आज आपके उस आशीर्वाद और शिलान्यास को और आगे मूर्तरूप देने की जरूरत है। इसलिये मैं अधिक समय नहीं लेकर के यह निवेदन करना चाहूंगा, और जो कुछ भी सुझाव आप हमारे से चाहें तो हम आपको देने के लिये तैयार हैं।

एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि कमाण्ड और नान कमाण्ड को लेकर के माननीय मंत्री महोदया, हमारे वहां पर माही परियोजना, जो कमाण्ड क्षेत्र के अन्दर है, उसमें भी एक विसंगति पैदा हो गयी है। एक और जानकारी देना चाहूंगा कि, चूंकि आपसे जुड़ी हुई है। और मेरी बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं उस बात को पूरा नहीं करूंगा। लिफ्ट इरिगेशन योजना, जो पुराने समय से चली आ रही है, हमारे वहां पर भरपूर तालाब बने हुए हैं। उनसे सिंचाई, एक मिनट महोदय, यह बात पूरी नहीं होगी।

लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं, जिनके ऊपर माही का पानी अभी नहीं पहुंचा है, मगर आपकी 10 करोड़ की कटौती से प्रभावित होकर उन लिफ्टों को भी बंद कर दिया गया है। आज वहां पर गन्ना

(श्री रमेश चन्द्र पंड्या)

खड़ा है, आज वहां मूंग की फसल खड़ी है और वे लिफ्टें एक तरीके से बंद हैं। वहां पर अगर पानी नहीं पहुंचा तो उन किसानों का नुकसान उन खेतों के अन्दर किस तरह से हो रहा है, अगर आप मुलाहिजा फरमाएं तो आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं।

मेरा निवेदन है कि एक निर्णय लिफ्टों को चालू करने के लिये अविलम्ब, अगर आप घोषणा करवा सके तो उन लोगों को राहत होगी। मेरा यही निवेदन है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र अलवर जिले में बानसूर पड़ता है। उसमें 4–5 गांवों को बरसात के दिनों में यह हालत होती है कि पहाड़ से अथाह पानी आता है, गांवों में भर जाता है। उसमें न जाने कब, रात को बरसात हो जाए ज्यादा, और कब गांव वालों को घर में से निकलकर के बाहर रहना पड़ जाए।

मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं, यहां अधिकारीगण भी बैठे हैं मैं उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव हैं, कोठिया, बबेरा, चोबाखिया और नांगलनाका, इनमें पहाड़ों से पानी आकर के घरों में घुस जाता है। पानी जब घरों में घुस जाता है तो सारा गांव बाहर आ जाता है। बच्चे मर्द, औरतें वे गांव से बाहर आकर के एक तरफ रहते हैं, जब तक पानी बाहर नहीं निकल जाता। मेरा निवेदन है कि विभाग तुरन्त ध्यान देकर वहां पर एक छोटा बांध बनवाएं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब मनुवादी की बात नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप कह रहे हैं कि मनुवादी की बात नहीं बोल रहा, तो चलो मैं मनुवादी की बोल देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मनुवादियों की बात भी सामने आ गयी है। सिंचाई विभाग में 1996–97 में 221 सहायक अभियंता डिग्रीधारी पदों हेतु पदोन्नति की गयीं। हम विधान सभा में 1985 से दलित वर्ग के हितों की बात करते आ रहे हैं। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मण्डल आयोग लगने के बाद में मण्डल आयोग की, जो भर्तियां हैं उनमें हमें जो भाग मिलना चाहिए, वह हिस्सा नहीं मिलता। अभी विभाग ने कितना बड़ा मजाक अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1996–97 में, दिनांक 12–3–99 को सहायक अभियंताओं की एक लिस्ट जारी की गयी। उसमें 221 पद भर दिये गये। हमारे हिस्से के अनुसार अनुसूचित जाति के 35 और अनुसूचित जनजाति के 27 पद बनते हैं। परन्तु उनमें से मात्र 4 पद तो सिर्फ अनु–

(श्री जगत सिंह दायमा)

सूचित जाति के लिये गये हैं और 2 पद अनुसूचित जनजाति से भरे गये हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात तो पदोन्नति में अभी नहीं आयी है। परन्तु यह जो हमारा हिस्सा है, 35 और 27 का, वह नहीं दिया गया है, जानबूझकर नहीं दिया गया।

इन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें वरिष्ठता से 111 पद और मैरिट से 110 पद, उनमें मात्र 4-5 व्यक्ति लिये गये हैं। उनके सामने सिर्फ इन्होंने एस. सी. लिखा है बाकी किसी के सामने एस. सी. नहीं लिखा। जबकि होना यह चाहिए कि जब यह पदोन्नति की गयी 221 पदों की, तो उनके सामने, दोनों सूचियों में उनको एस. सी. और एस. टी. लिखना चाहिए। यह सूची मेरे हाथ में है। मंत्री महोदया, अगर इसकी जानकारी चाहें तो मैं या तो पढ़कर बता देना चाहता हूं या मेरे ख्याल से ये जानकारी ले रही हैं तो मुझे इस बात की खुशी है।

जो मेरी मांग है, वह यह है कि आरक्षण होते हुए भी वे कौन ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने जान बूझ कर यह लिस्ट जारी की और उसमें एस. सी. और एस. टी. का कोटा काट दिया? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन अधिकारियों ने ऐसा गलत कार्य किया है, उनके खिलाफ विभागीय जांच करवाएंगी? मेरी दूसरी मांग यह भी है कि कनिष्ठ अभियन्ता, डिग्रीधारी हेतु जो अन्तिम वरिष्ठता सूची है, उसको ठीक करवाया जाए।

मेरी तीसरी मांग है कि 1996-97 की विभागीय पदोन्नति समिति को संशोधित किया जाए। चौथी बात है, अभी वंचित रहे अनुसूचित जाति, जनजाति कनिष्ठ अभियन्ताओं को वर्ष 1996-97 की विभागीय पदोन्नति में शामिल किया जाए और बिना संशोधन किये विभागीय पदोन्नति समिति की सूची लागू नहीं की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने तो नाड़ हिला दी और मैं भी समझ गया कि आप कह रहे हैं कि जगत सिंह बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पानी की बात तो कहना नहीं चाहते हो, आप पदोन्नति की बात कह रहे हो।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं यह पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी तो नहीं हैं, माननीय मंत्री महोदया से, कि जो बात आप कर रही हैं, मेरी बात की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें वित्त मंत्री ज्यादा सार्थक होंगे, वे सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, इसको मजाक में लिया जा रहा है। यह हक मारने वाली बात है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, वित्त मंत्री जी इसमें ज्यादा सार्थक हैं। वित्त मंत्रीजी आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, एक बात बताइये। पहले तो इनके पीछे पड़ गये, भारतीय जनता पार्टी के पीछे कि ये मनुवादी हैं, मनुवादी हैं, मनुवादी हैं। हम लोगों ने डेढ़-सौ जगह बड़ी मीटिंग्स करके इन मनुवादियों को ठिकाने लगा दिया। पूरे राजस्थान में माहौल बनाया और माहौल बनाकर के हमने एक तरीके से कहा कि जहां हम कमजोर हैं वहां कांग्रेस पार्टी के लोगों को वोट दे जाओ। (व्यवधान) हमने यह बात कही, मैंने नहीं कही, मेरे नेता मान्यवर कांशीरामजी साहब ने यह कहा। जब हम ऐसी पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी में हैं और उसमें रहकर के इतनी बड़ी सूची जारी हो जाती है और उसमें अगर हमारा हक मारा जाए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कांग्रेस पार्टी को भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बजट भाषण में भी कहा था।

एक मिनट, मैं अपनी बात कह दूं, फिर आप बोल लेना।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : चुनावों से पहले तो....

श्री जगत सिंह दायमा : मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप बानसूर पर आ जाओ न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर,

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बिलकुल उसी पाइंट पर आ रहा हूं। मैंने बजट में भी अपनी बात कही थी, निवेदन किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को मानते हैं कि जहां पचास साल पहले एस.टी. और एस.सी. जहां पर पड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं था, पड़ा हुआ था आज भी वहीं की वहीं पर पड़ा हुआ है। मुख्य मंत्रीजी इस बात को महसूस करते हैं। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं परंतु उपाध्यक्ष महोदय, उनके रहते हुए भी अगर फिर हमारा हक मारा जाए तो

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आखिर हम किसको अपनी बात कहें? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने ऐसी गंदी घिनोनी हरकत की है, मैं कह रहा हूं कि उनके ऊपर विभागीय जांच होनी चाहिए और यह जो लिस्ट जारी हुई है, उसको तुरंत रुकवायी जाए। और रुकवा कर जो हमारा हक बनता है, अनुसूचित जाति और जनजाति का, वह दिलाया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि ध्यान अच्छी तरह से आकर्षित कर दिया है और ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और उन अधिकारियों और मंत्रियों का घेराव करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, नयी सरकार के आते ही.... (व्यवधान) ...

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, इस बारे में बता तो दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे न। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कोई जवाब तो आ जाए, ऐसा नहीं हो कि यह..(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : साहब ऐसा है कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य ने बहुजन समाज के हितों से जुड़ी बात की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना ही नहीं, उससे पहले क्यों शंका कर रहे हो। पहले जवाब तो सुनो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बहुजन समाज का वह हक डूब जाएगा तो..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो सुनो पहले।

श्री जगत सिंह दायमा : सर, कितनी बड़ी बात है, आप देखो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : सर हक मारा जा रहा है, सारा इसका तो.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो जवाब तो आने दीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : औरों के मामले में मैंने देखा है कई बार...(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपकी भी बड़ी बात है और किरोड़ी लाल जी की भी बड़ी बात है। सबका एक साथ ही जवाब आ जाएगा। डा. साहब आपकी भी बड़ी बात है इसलिए सबका जवाब एक साथ ही हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : चलो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप भी मनुवादी हो।

डा. किरोड़ी लाल : महा मनुवादी।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, महा मनुवादी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सरकार के नुमाइन्दों ने इस प्रदेश में घूम-घूमकर के एक बात को प्रचारित किया कि अगर उनके हाथ में शासन और सत्ता आ गयी तो किसानों की बहबूदी के लिए, किसान की खुशहाली के लिए वे काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा कहर अगर किसी पर टूटा है तो उस किसान पर टूटा है जो अन्नदाता है। धरती का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सीना चीरकर प्रश्न पैदा करता है। जब हारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री के पद पर शपथ ली, किसानों में चर्चा हो गयी थी कि अब उल्टी चाकू की धार से काटने वाले व्यक्ति के हाथ में कलम आयी है। 17 साल बाद आबयाना और सिंचाई शुल्क एक साथ शत–प्रतिशत बढ़ा दिया। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रचण्ड बहुमत से आयी हुई सरकार है, इसकी उल्टी गिनती प्रारम्भ हो गयी। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : कैसे करते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री महोदया, एक चिन्ता व्यक्त की गयी थी कि इस बार 27 मार्च से 4 अप्रैल तक, और 4 अप्रैल के आगे भी इन्दिरा गांधी नहर, सर हिन्द फीडर पर बंदी ली गयी थी और इस बंदी के पीछे कारण भी था कि मुक्तसर के पास सर हिन्द फीडर और आई.एन.जी.पी. के नीचे से पंजाब की सरकार साइफन बनाना चाहती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बंदी पहली बार नहीं हुई है। यह वर्षों से है। पंजाब सरकार जब अपनी सहूलियत देखती है। जब राजस्थान के किसान के खेत में पानी की आवश्यकता होती है तब बंदी ले ली जाती है और इसके पीछे कारण एक ही है; उपाध्यक्ष महोदय, कि चाहे हरिकापत्तन हो, रोपड़ और फिरोजपुर हो, इनके सारे हैड-वर्क्स का नियंत्रण पंजाब सरकार के पास है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जो बंदी हुई है, उससे चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर इन जिलों में पानी की समस्या तो है ही परंतु इसके साथ ही 145 लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र के किसानों के सामने एक संकट खड़ा हो गया और यह बात कई बार विभिन्न मंचों से बार बार उठती रही। हमारे वित्त मंत्री और मंत्री महोदया भी इस चीज की साक्षी रही कि इन हैड-वर्क्स का प्रबंधन का काम; इनकी कंट्रोलिंग अथोरिटी बना दी जाए और भाखड़ा-व्यास प्रबंधन मण्डल को यह सारा काम सौंपा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी बात नहीं है। 1972 में, उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाकर कहा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इन सबकी, इस फैसले को निपटाओ, इसका कण्ट्रोल कैसे हो और उसके बाद 4 अगस्त, 1973 को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री को फिर यह प्रकरण सौंपा गया कि इसका कोई उचित निर्णय हो।

उपाध्यक्ष महोदय, देश की लोकशाही पर तानाशाही के जब बादल मण्डराये थे उस आपातकाल के काले बादल के बीच तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने एक फैसला किया, जो उचित फैसला था। वह फैसला उन्होंने यह किया था कि हैड-वर्क्स का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नियंत्रण का काम भाखड़ा–व्यास प्रबन्धन मण्डल को सौंपा जाए। वह फैसला हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु पंजाब सरकार ने इस पर अमल नहीं किया और इसके बदले में पंजाब में एक जन-आन्दोलन हुआ और आनन्दपुर साहिब का प्रस्ताव पारित हुआ। और इसके बाद 1979 के अंदर, थीन बांध की बैठक के अन्दर तत्कालीन प्रधान मंत्री के सम्मुख फिर प्रस्ताव आया।

परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, कोई नतीजा नहीं निकला और, उपाध्यक्ष महोदय, आज क्या हो रहा है? आज तो पंजाब के सिंचाई मंत्री और पंजाब के दूसरे लोग यह आवाज उठाने लग गये हैं कि जो अन्तरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 है, इसकी पुन: समीक्षा करो। इस अधिनियम के तहत जो जल का बंटवारा हुआ था, उसमें पंजाब का अहित हुआ है इसलिए इसकी पुन: समीक्षा हो। और साथ ही यह बात भी कहने लग गये कि 24 मार्च, 1976 को जो अधिसूचना जारी हुई थी कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा, यह अधिसूचना भी रद्द होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्य का दिन था, इस राजस्थान के लिए। तत्कालीन प्रधान मंत्री को खुश करने के लिए राजस्थान के हितों का बलिदान किया गया था, 1981 के अन्दर यह फैसला करके तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी आ गये थे कि हमारा जो हिस्सा है, व्यास, सतलुज, रावी में हमारे हिस्से का उपयोग जब तक हमारे में क्षमता नहीं है, तब तक नहीं करेंगे। और इसका परिणाम क्या रहा, उपाध्यक्ष महोदय, कि....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : राजेन्द्र सिंहजी, ऐसे असत्य वचन मत करो। और इतने ही आप हिमायती हो राजस्थान के, तो आपके जो जसवंत सिंहजी हैं न राजस्थान के डिफेंस मिनिस्टर साहब, उनको कहो कि पंजाब सरकार में आप उनके साथी हो तो राजस्थान के हितों को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते हो। यहां यह बताते हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर मैं मेरी बात रख रहा हूं और मैं राज्य के हित की बात रख रहा हूं। और ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य, इस काले अध्याय को लिखने के अन्दर आपकी भी भूमिका रही है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो कहता हूं। मैं मंजूर करता हूं और मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा हितकर निर्णय नहीं हो सकता था। यहां तो आप असत्य बोल-बोल कर हमें इस सदन के माध्यम से भ्रमित मत करो। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे इस स्टेट के उस समय...(व्यवधान) नहीं, अभी दो साल पहले, एक साल पहले की बात कह रहा हूं। जब प्रकाश सिंहजी बादल पंजाब के मुख्य मंत्री आये और

(श्री चन्दनमल बैद)

उनकी कोठी पर उन्होंने बयान दिया कि इस पानी पर, राइपेरियन स्टेट चूंकि राजस्थान नहीं है, इस वास्ते राजस्थान का कोई हक नहीं है। और भैरोंसिंहजी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोले और आप शिक्षा दे रहे हो हम लोगों को।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, भैरोंसिंहजी केवल बोले ही नहीं। उन बादल साहब ने जो प्रेस-कान्फ्रेंस ली उसमें साथ बैठे और बादल साहब ने जो राजस्थान के अहित में निर्णय लिये उसमें उनकी भागीदारी थी।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिए। समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे यह समझ में नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब सच्चाई सामने आती है, उस समय आपको इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : जब सच्चाई सामने आती है तब आदमी लड़खड़ा जाता है। सच्चाई जब सामने आती है तो आदमी लड़खड़ा जाता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय वित्त मंत्रीजी,....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सच्चाई यह है कि भैरोंसिंह जी के सामने प्रकाश सिंहजी बादल ने यह कहा कि आप राइपेरियन स्टेट नहीं हैं, इस वास्ते इस पानी पर आपका कोई हक नहीं है। यह उन्होंने जयपुर में आकर के कहा और आपके मुख्य मंत्रीजी बोले तक नहीं। +++।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी, आपके मुख से...(व्यवधान) आपके मुख से इस तरह के शब्द उचित नहीं लगते। +++ और कौन शेर है, इस बात का तो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्य, आप सच्चाई का तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुतिकरण नहीं करें क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि.... (व्यवधान).... क्योंकि हमारी गवर्नमेंट आयी, आपकी गवर्नमेंट आयी, फिर हमारी आयी, फिर आपकी आयी....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो राजस्थान का किसान ही बताएगा समय रहते आपको लेकिन जब आप जवाब दें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय आप जवाब देंगे न....(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम खड़े हैं तो सवाल करते हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हम खड़े हैं तो जवाब देते हैं। आप एक मिनट में टोक देते हो। (व्यवधान) एक मिनट में बोल देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप जवाब देंगे न, आप जवाब देंगे, इनको सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब मैं कह रहा था...तब तो नहीं खड़े हुए और आप कह रहे हैं बैठ जाओ तो खड़े हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप भी बैठ जाओ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : राठौड़ साहब, मैं तो आपको ..(व्यवधान) और साथ में मैं बहुत आदर करता हूं। आप बहुत अच्छे बोलते हैं। आप ज्ञानी हैं। लेकिन जब असत्य बोलेंगे, राजस्थान के अहित के लिये बोलेंगे तो हम टोकेंगे, यह हमारा अधिकार है। मेहरबानी करके यह सोच लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो, सरकार पूरे राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा के लिये हो। सरकार, वह चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो और उस सरकार के अन्दर इस तरह के काले फैसले हो जाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तरफ देखिये आप। फिर जोश आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उन पर विवेचना होनी चाहिये। मैंने यह सवाल सदन में इसलिए खड़ा किया कि आज आवश्यकता इस बात की है कि सारा सदन एकमत होकर यह फैसला करे, प्रस्ताव पारित करके कहे कि इन हैड वर्क्स पर, पंजाब सरकार का नियन्त्रण नहीं रहे, इन पर इस तरह की अथॉरिटी, जो अथॉरिटी बीच के अन्दर भाखड़ा–व्यास प्रबन्धन मण्डल की बात चली जिसके अन्दर सारे राज्यों के प्रतिनिधि रहे। अगर इस तरह का हो, तो पंजाब सरकार मर्जी के अनुसार जिस दिन चाहे उस दिन राजस्थान के किसानों का गला घोंटने के लिये जब चाहे बंदी कर दे, उसकी यह दादागिरी खतम हो जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पानी को 1981 के समझौते के तहत माननीय वित्त मंत्रीजी, आप छोड़कर आये थे। मैं समझता हूं कि शायद आप भी उस वक्त दिल्ली में ही थे और आपको एक बार तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने बुलाकर कह दिया कि इस फैसले पर दस्तखत करके चलो तो एक मिनट में दस्तखत कर दिये। आज उस पानी का पंजाब उपयोग करते-करते उस पानी पर अपना हक जताने लग गया। आज इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं। और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि 1992 के अन्दर पंजाब के मुख्य मंत्रीजी ने यह बयान दिया था कि राजस्थान का कोई हक नहीं है।

परन्तु उसके साथ माननीय चन्दनमल जी, आप इस चीज को भूल गये कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने उस वक्त जब इस मुद्दे पर प्रधान मंत्रीजी के पास पत्र लिखा और यह कहा कि राजस्थान के अन्दर आज सिंचित क्षेत्र मात्र 24.70 प्रतिशत है। अब बढ़कर हमारे राज में 29 प्रतिशत से ऊपर चला गया और पंजाब का 91.2 प्रतिशत और हरियाणा का 69.1 प्रतिशत, इसलिए झगड़ा पंजाब और हरियाणा के बीच में रहे, पर राजस्थान का हित सुरक्षित रहे।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह फैक्ट्स को इतना ट्विस्ट करके रख रहे हैं. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अभी आप जवाब देंगे तब बता देना।

श्रीमती कमला : कि जैसे राजस्थान की सरकारों ने कभी इसके लिये कोई काम नहीं किया और पहली बार आपको ही यह बात सूझी है। चाहे वह पाइंट 6 का मामला हो और पहले हैड वर्क्स के कंट्रोल का मामला है, बिलकुल ट्विस्ट कर रहे हैं सारे फैक्ट्स को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप जवाब देंगी अभी। माननीय सदस्य, बैठिये। इनको समाप्त करने दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदया, यह इनकी गलती नहीं है। यह सिर्फ वाक्य इनके हैं, सोच किसी और की है। यह सिर्फ पाइरेटिंग हो रही है यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे न तो आपके जितना ज्ञान है, न अनुभव है पर भगवान के लिये सारी चीज...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : सन 1992 की बात कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं 1997-98 की बात। जब प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्य मंत्री बनकर आये और आपके मुख्य मंत्रीजी के बंगले पर प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही कि राजस्थान का इस पानी पर कोई हक नहीं है। क्योंकि राजस्थान राइपेरियन स्टेट नहीं है और आपके मुख्य मंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले। यह अखबारों की खबर है और मैंने इस बात को विधान सभा में उठाया था प्रतिपक्ष की तरफ से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का मुख्य मंत्री किसी भी स्थान पर जाकर कोई अपने राज्य के हित की बात करेगा पर मुझे यह गर्व है कहते हुए, कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने, आज यमुना का पानी राजस्थान में नहीं आ रहा है, परन्तु आपका शासन भी तो रहा था। आज कम से कम यमुना के पानी पर हमारा अधिकार तो सुरक्षित हो गया। और राजस्थान के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुख्य मंत्रीजी ने 1981 में राजस्थान के हितों को .. (व्यवधान)

श्रीमती कमला : वह अधिकार तो पहले से ही सुरक्षित था आपने तो सिर्फ नारियल फोड़ने का नाटक किया था। वह अधिकार तो पहले से ही सुरक्षित था और बी. बी. एम. बी. के कन्ट्रोल के लिये इतने वर्षों से राज्य सरकार इसके लिये कह रही है। कितना अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत कर रही है। आपकी सरकार यहाँ थी, आपकी सरकार केन्द्र में थी, आपने भी खूब चेष्टा की और मुख्य मंत्रीजी ने खूब चेष्टा की। उसके बावजूद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। फैक्ट्स को ट्विस्ट करके मत रखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : ... (व्यवधान) नियुक्ति में एस.सी.,एस.टी. के साथ अन्याय की बात उठायी तब तो यह बात आ गयी कि जब मंत्रीजी जवाब देंगी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिये। आर्डर। आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : और अब इन मुद्दों पर बीच—बीच में जवाब दिया जा रहा है। (व्यवधान) एस. सी., एस. टी. के लिये चिन्तित नहीं है सरकार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब बुलवाते न आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : एस. सी.,एस. टी. पर कितना अन्याय हो रहा है, देखिये। जब तो क्यों एस. सी., एस. टी. की बात कहूँ। आपने जब कहा बैठ जाइये तो फिर मेरा भी जवाब दे देते बीच में। थोड़ा धन्यवाद देता मैं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : मैंने तो सुना ही नहीं इसलिए कहां से दे देती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं साहब, मैं अब नहीं बैठूंगा क्योंकि माननीय मंत्री महोदया ने कह दिया कि मैंने आपकी बात सुनी ही नहीं। मुझे दुबारा टाइम दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी, रिकार्ड में तो है आपकी बात। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप कह रहे हैं, मेरे सामने कह रहे हैं मैंने सुना ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने नहीं सुनी। मैंने....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। (व्यवधान) मैं दुबारा से बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारी बात है-- (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। आर्डर आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो एक बहुत गंभीर बात है।(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य की बात को इन्होंने सुना ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आपकी बात ....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकार की बात है। आप मेरी व्यवस्था बताइये। मैं क्या करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। मैं बताता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको यह मालूम है कि दो माननीय मंत्री यहां बैठी हैं। एक माननीय मंत्री यदि उपस्थित नहीं होंगी तो दूसरी माननीय मंत्री ने सुनी है, वह जवाब दे देंगी। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? क्यों उत्तेजित हो रहे हैं आप ? जरूरी नहीं कि कोई मंत्री नहीं हों तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बैठे-बैठे उन अधिकारियों से बात कर रही थीं, जिन्होंने हमारे पर जुल्म किया है, उनसे बात कर रही थीं। हम देख रहे थे इस बात को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे न। आपका जवाब नहीं आवे तो फिर बात करना। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह ज्यादा में आते हैं हमसे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब नहीं आवे तो फिर बात करना। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : कि उन अधिकारियों से गुफ्तगू करें और हमारी बात नहीं सुनी जावे। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : कोई गुफ्तगू नहीं थी। माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके मुद्दे के बाबत में चर्चा कर रही थी। आपका मुद्दा उस वक्त निकल गया, गलती हो गयी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह अधिकारी हमारे हक काटते हैं। (व्यवधान) यह हक की बात है हमारी। (व्यवधान) यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपके अधिकारी हैं तो आप अपने चैम्बर में बुला लेतीं और बात कर लेतीं। मैं तो समझा कि..(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यहां पर करने की परम्परा है इसलिए मैं कर रही थी। अगर नहीं होती तो मैं भी नहीं करती। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह कोई बानसूर क्षेत्र के हक की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई नई बात नहीं है माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय वहां जाकर के सलाह हमेशा करते हैं। कोई नई प्रेक्टिस नहीं है। यह कोई नई बात नहीं हुई है। (व्यवधान) इसमें आपको इतना उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सलाह करें तो फिर यूं कह तो दें। यह कह रही हैं कि मैंने आपकी बात सुनी ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपको इसका जवाब नहीं मिले उसके बाद बोलना। अभी जवाब ही नहीं आया। क्यों आप इतना उत्तेजित हो रहे हो? लैट द रिप्लाई कम।

श्री जगत सिंह दायमा : तो फिर आप यूं क्यों कह रहे हैं कि मैंने सुना ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तसल्ली रखो, जवाब दिया जाएगा। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप कह दें आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दिया जाएगा। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : दिया जाएगा। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कुछ तथ्य हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो ? खतम होने दो न इनका।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक प्रश्न, जो बीच में आया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खतम होने दो न इस बात को .(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं इन्हीं का टाइम ले रहा हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इन्हीं का टाइम ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इनका टाइम क्यों ले रहे हैं आप ? इनका टाइम इनको लेने दो । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जो बात आयी है । उन्होंने अभी एक बात कही; उसका स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपका प्रश्न नहीं है, उनको समाप्त करने दें ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं, यह बात आ गयी तो दो मिनट ले लेता हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, इनको समाप्त करने दें । यह नहीं बोलेंगे उसके बाद ..(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 1990 के अंदर यहां पर काफी माननीय सदस्य, उस टाइम थे और 1985–90 का यह किस्सा है जब राजीव गांधी जी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, मंत्री महोदया जब जवाब देंगी, उसके बाद पूछ लेना । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : तत्कालीन प्रधान मंत्री और भिंडरवाले के बीच जो समझौता हुआ था....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब जवाब देंगे, उसके बाद पूछ लेना न आप । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं । उसके अंदर हमारे यहां पर जो मुख्य मंत्री थे माथुर साहब, वहां पर गये और उनके समय के अंदर हमें पूरे पानी का हक नहीं मिल सका था । यह बात रखी थी और यह सही है । पूरे हाउस में उस टाइम एक रिजोलुशन भी पास किया था....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई रिजो–लुशन पास नहीं हुआ था । कमला जी खुद प्रतीक हैं उसकी । रिजोलुशन आपके होशियार, बड़े कैलकुलेटेड नेताजी, कोशिश कर रहे थे पूरे हाउस को भ्रमित करके लोंगोवाल अकोर्ड पर और उसके बाद में वह रिजोलुशन पास नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वह तो आपने नहीं किया । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और राठौड़ साहब, मैं तो सिर्फ आपसे एक अर्ज कर दी

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

अगर आप ट्रेस करना चाहो तो यमुना वाटर के लिये आप स्वर्गीय यदुनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना, जिन्होंने आपके नेताजी का ज्ञानवर्धन किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट की रिप्लाई आयेगी, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह बीच में बोलेंगे तो हमें भी मौका मिलना चाहिये। आप उनको भी नहीं बोलने दें तो हम भी नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट की रिप्लाई आएगी। आप भी विराजें और वह भी विराजें। आप समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अगर बीच में वह डिस्टर्ब करते हैं, हम कोई स्पष्टीकरण देना चाहें उस समय आप आपत्ति कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सर्वोच्च सदन के अंदर अच्छा रहे कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सारी उन चीजों को भूल जाएं। माननीय वित्त मंत्रीजी, शासन जो करता है, उसमें गलतियां भी होती हैं, कुछ अच्छे काम भी होते हैं। तो इस गलती को स्वीकार कर लेने में आपका बड़प्पन ही होगा। पर अब इसको दुरुस्त करने का समय आया है। कम से कम हेड वर्क्स पर जो पंजाब सरकार का नियन्त्रण है, यह नियन्त्रण हटे। बोर्ड के पास जाए इसके लिये तो प्रयास करें। दूसरा मैं निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आपने कहा दो मिनट, उसके तो 15 मिनट ले लिये आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अभी सिंचाई शुल्क इन्होंने दोगुना कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह दिया न आपने पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र है वहां कितना पानी मिलता है, आउटलेट तय कर रखे हैं। आउटलेट के बाद में जितना पूरे क्षेत्र के अंदर सिंचित क्षेत्र है उसके अन्दर अलग-अलग समय का आवंटन हो जाता है। आज की तारीख में चाहे आई.जी.एन.पी. का पानी हो, चाहे और किसी का पानी हो, उस पानी से अकेले से सिंचित नहीं हो सकता है पूरा क्षेत्र। लोगों ने अपने निजी ट्यूबवैल लगा रखे हैं। अब ट्यूबवैल और दोनों का पानी मिल कर वो सिंचाई करते हैं। आप आंकलन करते हैं सिंचाई शुल्क का पूरे उसकी फसल के हिसाब से। तो कम से कम इसको भी दुरुस्त करने का आप काम करें।

तीसरा, मैं निवेदन कर रहा हूं कि अभी यहां बड़े जोर-शोर से फैसला किया; बजट में भी कहा कि हम 3 लाख 57

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हजार हैक्टेयर भूमि बेचेंगे और 200 करोड़ की आय प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर पर माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि आपकी सरकार के सम्मुख जो प्रस्ताव आया था जिस प्रस्ताव के अनुसार आपकी सरकार के समय में तय किया था कि इसमें विशेष आवंटन कितने प्रतिशत होगा, भूमिहीन किसानों को कितने प्रतिशत मिलेगा, यह कह कर अब इन्होंने इस बात का उत्तर दे दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो काम किये, अच्छा किया या बुरा किया, आप क्या उनकी समीक्षा, आप तो बड़े गरीबों के हिमायती हो न, कौन आयेगा इस विशेष आवंटन के अंदर? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस जिले से आते हैं उस जिले के किसानों ने 1976 या 1974 के अंदर एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन आगे गयी नहीं, किसी न किसी तकनीकी कारण से जिला कलक्टर, चक्र में रह गयी। कम से कम उन आवेदन पत्र पर आप विचार कर लें। इस तरह का मन तो आप बनाइये।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, इन्होंने राजस्थान की नहरों के साथ, राजस्थान के नालों के साथ एक तरह से अन्याय कर रखा है। हरियाणा के अंदर जो घग्घर का पानी वहां से आता है, उसके अंदर सारा गंदा पानी डाल देते हैं। वह पानी आगे जाकर हमारी इन्दिरा गांधी नहर में मिल जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में यह जो पीलिया का प्रकोप फैला है, यह उसी का नतीजा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कम से कम इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सेम की समस्या के लिए बड़ी चर्चा की।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न अंतिम बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, कि पिछली बार यह निश्चित हुआ था कि जहां सेमग्रस्त क्षेत्र है, वहां ट्यूबवैल खोद कर और उनका पानी वापस मैन कैनाल में डाल दिया जाय। यह सिस्टम इतना फ्रूटफुल नहीं है। आज एक विचार आया कि उसके पैरेलल एक ड्रेन खोद दी जाय। आप इसके लिए कुछ तकनीकी लोगों का, जिनके पास ज्ञान हो, अनुभव हो उनका कोई दल बनायें। और यह समस्या जहां ड्रेनेज है वहां किसान बरबाद हो रहा है और यह कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है। इसके लिए कम से कम कोई योजना बनाएं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसानों के साथ वापस राजस्थान उन लोगों के हाथ में आ गया जिन्होंने राजस्थान के भविष्य को बिलकुल कलंकित करने का काम किया। (व्यवधान) उस सरकार से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं। इसलिए मैं पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : गलत कह रहे हैं, माननीय सदस्य, कोई कलंकित करने का प्रयास नहीं किया। आपने बहुत अच्छा किया है।

श्रीमती कमला : आप सुबह वाली बात वापस दोहरा रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री जी। (व्यवधान) जवाब दीजिये, माननीय सिंचाई मंत्रीजी। आप पहले देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : कमला जी पहले.... (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया था। आपने व्यवस्था दी थी। आप सर्वोपरि हैं, आपकी व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपका नाम पुकारा आप थे ही नहीं। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुरिया : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अब बुलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आपने व्यवस्था दी थी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम इस लिस्ट में.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

माननीय चन्दनमल जी।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय लूंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम पुकारा, आप थे नहीं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : हमारे जालौर जिले में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रतनाराम चौधरी : मंत्री महोदय जो रिप्लाई दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे क्षेत्र का पांचना बांध, इंदिरा लिफ्ट योजना, गम्भीरी नदी का एनीकट...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह कर हास्पिटल गया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसे गम्भीर मामले में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मेहरबानी करके विराजें। (व्यवधान) आसन पैरों पर, विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री रतनाराम चौधरी : कुछ सुझाव देंगे। (व्यवधान) 1994 में हमारा बांध टूट गया था। (व्यवधान) इसलिए आज सुझाव नहीं देंगे तो ऐसे कैसे होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, विराजिये। माननीय चन्दनमल जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है सूची में, मैं अनुमति नहीं दे सकता, विराजें। सचेतक महोदय से कहिये पहले नाम भेजें। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री रतनाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय रामस्वरूप जी मीणा, विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिये। यह हमारा काम है। आप समय पर उपस्थित नहीं हों, यह मेरा दोष नहीं है। आपको बुलाया, आप थे नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, मेहरबानी करके विराजिये। प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्यामजी, आप विराजिये।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री चन्दनमल बैद (इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई की बहस पर बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं। सिचाई की दरों के बारे में भी मुद्दा उठाया गया। सिचाई के जो मुद्दे उठाये गये हैं उन पर तो मेरी सहयोगी, आदरणीय कमलाजी आपको जवाब देंगी। दरों के बारे में जो आपने मुद्दे उठाये हैं, उसका मैं जब बहस का जवाब दे रहा था तो मैंने बात कही थी और जब एप्रोप्रिएशन बिल की बहस का जवाब दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा और इसका जवाब दूंगा।

इस समय मैं केवल इंदिरा गांधी नहर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर एक ऐसी योजना है जो सारे हिन्दुस्तान की एक निराली योजना है। यह वो योजना है जो रेगिस्तान को हरा-भरा करने वाली है। यह योजना वहां जा रही है जहां पहले कुछ होता नहीं था और यह योजना वहां की जमीन को सरसब्ज कर रही है, उन लोगों को रोजगार दे रही है जिनको पहले कभी रोजगार मिला हुआ नहीं था। यह वहां पैदा कर रही है जहां पहले कहीं कुछ होता नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के कारण से आज लाखों-लाखों आदमियों को बहबूदी मिली है, विकास मिला है, प्रगति मिली है और उनको आज एक अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिला है। यह वह योजना है जिस योजना का अगर मैं ताजमहल से मुकाबला करूं तो मैं कहूंगा कि यह योजना बहुत उपयोगी, भव्य और लाभ देने वाली योजना है जैसी योजना आज हिन्दुस्तान में दूसरी कोई नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस योजना में इन कठिन परिस्थितियों में हमारे जिन मजदूरों ने, इन्जीनियर्स ने काम किया है उनको हम को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : वह तो ठीक है लेकिन घोटाला कितना हुआ था इसमें ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : हर बात में खड़ा होना जरूरी है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : इस योजना पर मैं कम से कम 50 बार गया हूं और मुझे देख कर खुशी हुई कि जो जलवायु है वहां की, गर्मियों के दिनों में आप खड़े नहीं रह सकते, पेड़ की छाया नहीं है वहां। और सर्दी के दिनों में वहां पर आप जिस डाक बंगले में ठहरते हैं, डाक बंगला भी उपयुक्त नहीं है; ठहरते हैं वहां बर्फ जम जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे मजदूर और इंजीनियर्स वर्षों तक जो काम करते रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने वर्षों तक मेहनत कर के, काम कर के और आज उस एरिया को सरसब्ज किया है और सरसब्ज किये जा रहे हैं, इसके लिए हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस योजना के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता

(श्री चन्दनमल बैद)

हूं कि इस योजना पर आज तक दो हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और यह योजना जब पूरी हो जायेगी तो शायद दो हजार करोड़ रुपये और खर्च हो जायेंगे। कुल चार हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अब तक हम दस हजार करोड़ रुपये की इससे फसल ले चुके हैं। आप सोचिये, ऐसी कौनसी योजना है जिसमें चार हजार करोड़ रुपया खर्च होगा, और आज दो हजार करोड़ खर्च कर के हम दस हजार करोड़ रुपये की फसल उससे ले चुके हैं। अगर हम इसमें से, किसानों की दस हजार करोड़ की फसल में से 40 परसेंट उनकी मेहनत के बाद ही दे दें, तो किसानों का कम से कम छः हजार करोड़ का फायदा हुआ है। कौनसी योजना है ऐसी ?

इस योजना में प्रति एक हैक्टेयर सिंचाई युक्त क्षेत्र पर व्यय 15 हजार 770 रुपये है। कुल व्यय 15 हजार 770 रुपये हुआ है और इसमें हम सिंचित क्षेत्र विकास का खर्चा अगर जोड़ लें तो भी वह 24 हजार 800 रुपया बैठता है और राजस्थान की किसी भी दूसरी योजना पर जो खर्चा होता है, सिंचित क्षेत्र पर, एक हैक्टेयर पर 50 हजार से 70 हजार रुपये होता है और उस पर सिंचित क्षेत्र विकास का खर्चा शामिल नहीं है। और हिन्दुस्तान की बात लें तो हिन्दुस्तान में एक हैक्टेयर पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए 80 हजार रुपये खर्चा होता है। तो आप बताइये कि इससे सस्ती योजना और कौन सी हो सकती है। और वह योजना भी उस जगह है जहां पर आज तक कुछ होता नहीं था उस रेगिस्तान में जहां कभी आज तक खेती हुई नहीं, उस रेगिस्तान में जहां पीने का पानी नहीं मिलता था उस जगह यह योजना बनी है।

मैं कहता हूं कि यह योजना, अगर मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि यह राजस्थान के लिए एक वरदान है, राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा है तो मैंने गलत नहीं कहा है। इस योजना से आज तक जितनी सिंचाई हुई है, जैसाकि मैंने आपको बताया कि 10 हजार करोड़ की फसल हो चुकी है तो इस योजना के कारण...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन सेम समस्या के लिए आपने जो पैसा रखा है इस योजना में.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने आपको बताया कि आज तक 10 हजार करोड़ की फसल हो चुकी है। (व्यवधान) 1200 क्यूसेक पानी इस योजना से पेयजल के लिए रखा हुआ है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वाटर लॉगिंग। सेम समस्या के बारे में..(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : जी, हां। सेम समस्या के बारे में मेरी मित्र, मेरी सहयोगी श्रीमती कमलाजी बोलेंगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पैसा तो आप दे रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पैसा तो आपकी तनख्वाह का भी मैं ही दूंगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष जी, पैसे की बात ये कह रहे हैं, सिंचाई योजनाओं के लिए 14 अरब का बजट है। उसमें से इस इन्दिरा गांधी नहर के लिए तो दो अरब 27 करोड़ का ही बजट है। कुल 14 अरब का बजट है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, सारी समस्याओं के बारे में बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा धैर्य रखिये।

श्रीमती कमला : इतना क्या उतावले हो रहे हो, भाषण खतम हो गया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा पेशेंस रखिये।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह कहा था कि इस योजना से इस साल हम 50 हजार हैक्टेयर भूमि में और सिंचाई की क्षमता प्राप्त करेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इंजीनियर्स और सारे लोगों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 50 हजार की जगह सिंचाई का जो क्षेत्र है वह 75 हजार तक पहुंच जायेगा। हमारी यह कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी इस योजना से जो लाभ हमको मिलने वाला है उसको हम दिलावें और बढ़ावें आगे क्योंकि ऐसी दूसरी उपयोगी योजना कोई भी आज नहीं है। हम जितना पैसा इसमें खर्च कर सकते हैं, हम को करना चाहिए लेकिन हमारे पास जो धन की उपलब्धता है, हमारे पास जो काम करने की शक्ति है वहां की जलवायु की जो स्थिति है उन सारी स्थितियों को देखते हुए यह काम करना पड़ता है।

अभी दो-तीन दिन पहले गड़रा रोड की समस्या के बारे में बात आयी। अब गड़रा रोड के एरिये में पीने का पानी ही नहीं है तो नहर बनाने के लिए जो पानी चाहिए वह इन्दिरा गांधी नहर से पहले पानी ले जाते हैं फिर उसके बाद उस नहर से पानी लेकर दूसरा काम होता है। तो यह एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन के कारण से हमारे काम में बाधा आती है लेकिन फिर भी हम यह कोशिश कर रहे हैं अभी, गड़रा रोड पर पिछले साल 30 करोड़ का, अभी इस साल हमने उसको 65 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है।

हमारी मंशा यह है कि हम जहां-जहां भी हो, चाहे लिफ्ट योजनाएं हों, चाहे फ्लो की हों हम उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें और पूरा करके जो लाभ हमको इससे मिलने वाला है वह लाभ हम जनता को दिलायें, ऐसी हमारी मंशा है। अब आपने कहा कि

(श्री चन्दनमल बैद)

जमीन का अलाटमेंट नहीं हुआ। जमीन का अलाटमेंट, 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर जमीन का अलाटमेंट नहीं हुआ और 75 हजार हैक्टेयर हम इस साल और खोलेंगे तो यह 4 लाख हैक्टेयर जमीन से ज्यादा अलाटमेंट हमको करना है उसको आप बेचना कह रहे हैं। अलाटमेंट दो तरह के आपने ही तय किये हैं। हमने तो अभी तक गौर ही नहीं किया। सोचा ही नहीं है कि 50 प्रतिशत साधारण आवंटन होगा, 50 प्रतिशत विशेष आवंटन होगा। और जो रेट आपने तय की है वही रेट हमने रखी है। आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कहना क्या चाहते हैं। (व्यवधान) हां, आप यह कहना चाहते हैं कि आपने गलती की। यही कहना चाहते हैं मैं समझ गया, बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह कहना चाह रहा था कि एक विशेष आवंटन के द्वारा जो दर रखी है वह दर चाहे हमने रखी हो, हमने ज्यादा रख दी तो आप कर दो कम। आप तो कल्याणकारी लोग हो न। कम कर के दिखाओ कुछ।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, आप अकल्याणकारी लोग थे। हम कल्याणकारी हैं तो हम कुछ न कुछ सोचेंगे। आपके जैसे अकल्याणकारी काम हम नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सोचो, करो कुछ। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : ....(व्यवधान) डबल किये डबल। 52 हजार से एक लाख किया सामान्य आवंटन में।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस योजना से सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वह यह हुआ कि यह योजना हमारे उस बार्डर पर बन रही है जिस बार्डर की हमें रक्षा करनी पड़ती है। जब वहाँ पानी आ जायेगा तो सिंचाई हो जायेगी। और वह लोग बस जायेंगे तो अपने आप उस बार्डर की रक्षा हो जायेगी। आज बार्डर की रक्षा इस वास्ते नहीं हो रही है कि वहां कोई बसता नहीं है। जब यह नहर उस बार्डर पर पूरी बन जायेगी जैसाकि आप नक्शे में देखें तो आपको मालूम पड़ेगा शायद आप अभी इस नहर पर गये नहीं हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं जब मई और जून में जाऊं तब आप मेरे साथ चलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पक्की बात है। आपको साथ ले जाना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : हां, मैं ले चलूंगा आपको लेकिन आप बीमार मत पड़ जाना। क्योंकि एक बार आपके नेता महोदय गये थे और वहां बीमार हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बहस इन दोनों के बीच में ही करा रहे हो क्या? आप सारी बहस दो के बीच में ही करवा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह मामला चूरू और तारानगर का ही है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : इससे भी अगर सबका भला हो जाए तो आपको क्या एतराज है ?

श्री जगत सिंह दायमा : काश, माननीय कमलाजी मेरे लिए भी ये शब्द कह देतीं कि मैं विभाग में आपको साथ ले जाऊंगी और जांच करवाऊंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम : ....(व्यवधान) क्या यह योजना बढ़िया नहीं है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सारे माननीय सदस्यों से इस बात की प्रार्थना करता हूं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस नहर पर चलें। देखें उसको जो काम हो रहा है। मैं सही कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं। आप उसको देखकर इतने खुश होंगे और आपको इस पर इतना गर्व होगा कि हमारे राजस्थान में ऐसी महत्वपूर्ण और महत्वशाली योजना बन रही है। यहां इतना बड़ा काम हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय; इनकी योजना का किसी ने भी विरोध नहीं किया। इन्दिरा गांधी नहर मंत्री बोल रहे हैं। इनकी योजना का किसी ने भी विरोध नहीं किया। सब उस योजना की तारीफ करते हैं। एक भी व्यक्ति ने इन्दिरा गांधी कैनाल की उपयोगिता के बारे में एतराज नहीं किया और न कोई कर रहा है। यह तो ऐसा सत्य है जैसा सत्यमेव जयते। इन्दिरा गांधी कैनाल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप हमको लेकर चलिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ऐसी एक योजना चम्बल में भी बनाइये।

श्री चन्दनमल बैद : आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप भी चलिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मेरा निमंत्रण है सब लोग आइये जैसलमेर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिए न। आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि 1200 क्यूसेक पानी पीने के लिए इसमें रिजर्व रखा है जो पीने के लिए भी काम आ सकता है और उद्योग धंधों के लिए भी काम आ सकता है। आपको शायद यह अच्छी तरह से मालूम है उपाध्यक्ष महोदय, कि जोधपुर के लिए पीने का पानी भी इसी नहर से आया है। और इस नहर से; जर्मन सरकार के सहयोग से झुन्झुनूं तक पीने का पानी आयेगा।

मैं यह सोचता हूं कि जन स्वास्थ्य

(श्री चन्दनमल बैद)

अभियांत्रिक विभाग इस बात के लिए योजना बनाये कि जहां जितनी दूर तक पानी ले जाया जा सकता हो वह ले जाएं। अभी नागौर के लोग मुझसे कह रहे थे कि नागौर में आप इस पानी को नहीं ला रहे हैं।

मैंने कहा देखिए, जहां हमने नागौर की योजना बनायी थी, केबिनेट ने इसको पास किया था लेकिन चूंकि नागौर की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है इस नहर से और प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि 60 मीटर से ज्यादा की योजना को सिंचाई के लिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रैक्टीकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। (व्यवधान) ठहरिये साहब, क्यों बीच में बोल रहे हैं ?

मेहरबानी करके सुन तो लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि पीने के पानी के लिए कोई योजना बनायी जाती है तो हमें उसमें एतराज नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि शायद सिंचाई की योजना नागौर के लिए और दूसरी जगहों के लिए नहीं बना सकें लेकिन पीने की योजना बना सकते हैं और पीने के लिए पानी इसमें मौजूद है और हम दे सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की योजना झुन्झुनूं जिले के लिए 100 गांवों की बनी हुई है। दो करोड़ रुपये भारत सरकार से राजस्थान सरकार के पास एडवांस आये हुए हैं।

प्रधान मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल जब झुन्झुनूं आये, बिसाऊ में, तब उन्होंने 2 करोड़ का चैक उनको दिया था आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। और अब इस मामले के अन्दर आप चूक के लिए बोल रहे हो। जोधपुर के लिए बोल गये, नागौर के लिए बोल गये आपका पड़ोसी जिला झुन्झुनूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : झुन्झुनूं के लिए बोले ना।

श्री चन्दनमल बैद : झुन्झुनूं के लिए बोला हूं। आपने सुना नहीं, मैं क्या करूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं। इन्होंने झुन्झुनूं के लिए बोला है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां पासिंग रैफरेन्स झुन्झुनूं का नाम ले दिया नागौर की तो इतनी विस्तृत, डिटेल बोली है।

श्री उपाध्यक्ष : झुन्झुनूं के लिए इन्होंने कहा है। नागौर का जब आपने प्रश्न उठाया तब कहा है। झुन्झुनूं पहले ही कह दिया इन्होंने।

श्री रामनारायण चौधरी : तो नागौर का क्यों बोल रहे हैं इतना, जोधपुर का इतना क्यों बोल रहे हैं। झुन्झुनूं जिला भी हुआ है। इनके पड़ोस में है 100 गांव उसमें हैं। भारत सरकार ने उसके लिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिना आप...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : 1 अरब 34 करोड़ की जर्मन योजना में झुन्झुनूं के लिए अलग स्पेशल मंजूरी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। यह नागौर का प्रश्न उठा इसलिए इन्होंने कहा, बाकी झुन्झुनूं पहले ही कह दिया इन्होंने। झुन्झुनूं पहले ही कह दिया इन्होंने।

श्री रामनारायण चौधरी : तो नागौर का कहां प्रश्न उठा था, पार्लियामेंट में उठा था। यहां कौनसा...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ नागौर का? कटमोशन में है न।

श्री चन्दनमल बैद : कटमोशन में है....

श्री उपाध्यक्ष : नागौर के सदस्य बोले न।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने यह कुछ भी नहीं कहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां फ्लोराइड है....(व्यवधान) झुन्झुनूं जिले का रैफरेन्स नहीं आया।

श्री चन्दनमल बैद : आया है।

श्री उपाध्यक्ष : आया है माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : 1 अरब 34 करोड़ की वह स्कीम है और 2 करोड़ रुपये एडवांस भारत सरकार ने भेजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : और बोल दें। विराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : और कोई एक्शन उसके बाद नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। रिपीट करा देते हैं आप चाहो तो।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, झुन्झुनूं के लिए केवल इतना आया कि झुंझुनूं को पानी मिलेगा। जो 2 करोड़ रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिये हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। धीरे-धीरे कहीं यह उदयपुर नहीं पहुंच जाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : गम्भीरता से विचार करना होगा। अण्डर ग्राउण्ड वाटर की बात....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : जो 2 करोड़ रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आपके पास आये हुए हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : आगे आने वाले समय में पीने का पानी नहीं होगा और यह स्कीम आपको अभी बनानी पड़ेगी जब तक आप कोई बड़ी स्कीम बनाने का विचार नहीं करेंगे कोई बड़ी योजना आप नहीं बनायेंगे..(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उनका उपयोग आप इस स्थान पर आप किस तरह से करना चाहते हैं। कोई रेफरेन्स नहीं आया है। इसलिए झुन्झुनूं में आपकी क्या योजना है, कब से काम शुरू कर देंगे यह बात हमारे सामने आनी चाहिए।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने चम्बल परियोजना के बारे में कुछ भी नहीं बोला जहां से पानी सिंचाई के लिए आयेगा, चम्बल परियोजना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इन्दिरा गांधी कैनाल की बात हो रही है। चम्बल का प्रश्न बाद में आयेगा।

श्रीमती कमला बृजलाल : इन्दिरा गांधी नहर का नाम है वैसे ही चम्बल परियोजना है.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अण्डर ग्राउण्ड वाटर की जो पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको सीकर जिले के लिए भी कोई स्कीम बनानी चाहिए। पेयजल की भारी समस्या है वहां भी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी विराजिये।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जर्मन सहायता से योजना बनी है वह साढ़े 8 सौ करोड़ रुपये की योजना है। आपको मालूम नहीं है।... (व्यवधान) मेरी बात सुनिये आप। आप बहुत बोल रहे हैं आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास उनकी सारी योजना मौजूद है। मैं उसकी कापी आपको दे दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे को मत दिखाइये। क्या मुझे मालूम नहीं है? मेरे को मालूम है झुन्झुनूं की 1 अरब 34 करोड़ की अलग है और वह झुन्झुनूं अलग है आप इन कागजों में देखिये। देखिये पहले। 1 अरब 34 करोड़ की झुन्झुनूं की अलग है 99 गांव की, 99 विलेजेज झुन्झुनूं डिस्ट्रिक्ट सेपरेट है और आई.के. गुजराल घोषणा करके गये 2 करोड़ रुपये एडवान्स आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके फाइनेन्स मिनिस्टर को दे करके गये हैं। और उन्होंने एडमिट किया है कि मेरे पास 2 करोड़ रुपये एडवान्स आ गये हैं। कौनसे जमाने की बात कर रहे हैं आप।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिए पहले। आप पूछ लेना बाद में।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, समाप्त तो यह करें....

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिए। यह वक्तव्य समाप्त ही नहीं होगा ऐसे।

श्री शिवनाथ सिंह : सही लाइन पर समाप्त होना चाहिए। जो आपने कहा कि साढ़े आठ हजार करोड़ की है....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे इनका वक्तव्य समाप्त ही नहीं होगा । समाप्त करने दीजिए फिर पूछ लेना ना आप । आपको अवसर देंगे । इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं । माननीय सदस्य मेहरबानी करो । प्लीज ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े आठ सौ करोड़ की यह योजना है जिसमें फर्स्ट फेज का काम अभी चल रहा है और झुन्झुनू जिसके लिए आप बहुत उतावले हो रहे हैं, चाहे मुख्य मंत्रीजी ने या प्रधानमंत्री ने कितना ही पैसा दिया हो, यह सैकण्ड फेस में है । मेरा कसूर नहीं है....

श्री रामनारायण चौधरी : उसको अलग फेज बना दिया भारत सरकार ने उसके लिए आदेश हुए हैं आप देख लेना । अलग फेज बनाया है और 1 अरब और 34 करोड़ रुपये दिये हैं और उसके लिए 2 करोड़ रुपया एडवान्स दिये हैं वाटर वर्क्स के लिए । 2 करोड़ एडवान्स दिये हैं । औरों को नहीं दिये हैं । वह 8 करोड़ की एक सामूहिक योजना है कम्पोजिट योजना है वह तो रतनगढ़ तक है । बहुत लम्बी स्कीम है । यह तो अलग स्कीम है उसमें से काट करके भारत सरकार ने 1 अरब 34 करोड़ रुपया अलग कर दिया । 2 करोड़ रुपये अलग दिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके ना यह बात तो ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो सारी डुबो रहे हैं । कह क्या दिया ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय वित्त मंत्रीजी इसको समझें तब है ना कह तो दिया हमने ।

श्री रामनारायण चौधरी : समझने की कोशिश ही नहीं की । आप कागजों में देखो । कितना है, एक अरब 34 करोड़ अलग है और 2 करोड़ एडवांस है, अलग है । तो यह 100 गांवों के लिए चुरू उसका हेड बनेगा फिर वहां से एक बिसाऊ में बनेगा दूसरा बिरमी में बनेगा और वहां इसके लिए अलग लाइन आयेगी साहबा से । चूरू की अलग है, झुन्झुनू की अलग है । (व्यवधान) वहीं से आयेगा जहां से आपका आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : वहीं से आयेगा । लेकिन यह लाइन अलग आयेगी झुन्झुनू में, चूरू तक ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो रहे हैं । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, विराजिये आप ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता चूंकि यह दूसरे विभाग की बात है । और

(श्री चन्दनमल बैद)

ठीक है मैं यह मान लेता हूं कि मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है । लेकिन जब तारानगर में इन्दिरा गांधी नहर के नोहर साहवा लिफ्ट का पानी आ जायेगा तब तारानगर से पानी लेकर के पानी झुन्झुनू की तरफ आयेगा । मुझे मालूम है ।

लेकिन मैं फिर भी बहस में नहीं पड़ना चाहता । आप बहुत सही होंगे लेकिन जब तारानगर पानी आ जायेगा नोहर साहवा लिफ्ट योजना का तब उस तारानगर के पानी से झुन्झुनू की तरफ पानी भेजा जायेगा यह मुझे मालूम है । तारानगर में आयेगा तब ही छोड़ेंगे ना ।

श्री रामनारायण चौधरी : नोहर साहब से चूरू आने वाली अलग लाइन है और वहां से झुन्झुनू के 99 गांवों के लिए चूरू तक अलग लाइन आयेगी और उसका एक हैड बनेगा बिसाऊ में और दूसरा हैड बनेगा बिरमी के पास । और वह पानी जो है वह बह करके इन 99 गांवों में जायेगा । चूरू के, आपकी जो लाइन है उसके पहले लायेगा । यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया का अलग है । बाइफरकेट किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एग्जामिन करवा लेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि इसको एग्जामिन करवा लेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : हो सकता है मेरे को नहीं मालूम हो आपको ज्यादा मालूम हो ।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय, नहरों का जाल फैला रहे हैं । पाली जिले में.. खारा एवं फ्लोराइडयुक्त पानी है । मैं पीने के पानी की मांग कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कहां है इसमें? आस-पास ही नहीं है मामला विराजो आप । आर्डर प्लीज ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी निवेदन करना है कि जहां सन् 1983 में गडरा रोड तक नहर बढ़ाने का निर्णय लिया गया वहां यह 6 लिफ्ट नहरें भी बनाने का निर्णय लिया गया । उसमें गजनेर, कोलायत, पोकरण, फलोदी, बांगडसर, साहवा यह 6 लिफ्ट योजना बनाने का भी काम किया गया और इसमें प्लानिंग कमीशन ने यह कहा कि 60 मीटर की लिफ्ट हम मंजूर कर सकते हैं उससे ज्यादा की लिफ्ट हम मंजूर नहीं करेंगे । इस वास्ते जो आप कह रहे हैं ना कि पहले नागौर का नाम कैसे आया। केबिनेट ने नागौर की भी लिफ्ट की योजना उसके साथ में भेजी थी । मैं उस वक्त मंत्री नहीं था, मैं एम.एल.ए. ही नहीं था ।

श्री रामनारायण चौधरी : केबिनेट में

(श्री रामनारायण चौधरी)

तो आपकी ही मर्जी आयेगी। जिसका फाउण्डेशन आई.के. गुजराल रखने वाले थे खिलाफ में, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण फाउण्डेशन रखा नहीं जा सका सारी तजबीज हो गयी थी। सब फाउण्डेशन रख दिये गये थे। सब व्यवस्था कर दी थी और यह कहते हैं कि वह तो उसके साथ जुड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कह चुके हैं कि हो सकता है मुझे मालूम नहीं हो। यह इस बात को कह चुके हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कल आप केबिनेट में बैठे हो, उपाध्यक्ष महोदय, कल आप दूसरा फैसला कर दोगे तो हम क्या करेंगे इसका। किसी जमाने में नागौर की केबिनेट थी इसलिए नागौर का हो गया। दूसरे की केबिनेट होगी दूसरी जगह हो जायेगा। कल हमारा चूरू का हो जायेगा। साहब, में आप पानी ले लेंगे और आपके तारानगर में पानी आ जावेगा। आ जायेगा। समय की बात है। फिर कभी हमारा भी समय आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। अब आप तो विराजो।

डा. किरोड़ी लाल : हित में कोई है ही नहीं। हमारे हित कौन देखेगा।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बात दूसरी कह रहा हूं। आप मेरे से जबरदस्ती नाराज हो रहे हैं। मैं बात यह कह रहा हूं कि आपने कहा कि नागौर का नाम कहां से आ गया मैं यह कह रहा था कि जब 6 लिफ्टें मंजूर हुईं उसके साथ नागौर की लिफ्ट का भी नाम भेजा गया था। चूंकि प्लानिंग कमिशन ने उसको मंजूर नहीं किया, इस वास्ते नागौर का सिंचाई का पाइन्ट रह गया और यह 6 लिफ्टें मंजूर हो गयीं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं और आप ...

श्री उपाध्यक्ष : — (व्यवधान) माननीय रामस्वरूपजी, विराजो।

श्री रामस्वरूप मीणा : करौली जिले का मामला है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या लेना-देना है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : झुन्झुनूं की बात कहां हो रही है, अभी तो रतनगढ़ तहसील में ही नहीं आ रहा है पीने का पानी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर ...(व्यवधान) माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : शामिल कर रखा है यह बात सही है; लेकिन उस गवर्नमेंट ने झुन्झुनूं के नाम को काट दिया था, उसको बाद में जुड़वाया और उसकी एक अलग, सेपरेट योजना है। और आई.के.गुजराल इसका फाउण्डेशन करने वाला था लेकिन इलेक्शन कमिशन

(श्री रामनारायण चौधरी)

की आचार संहिता लगने के कारण वह फाउण्डेशन नहीं हो सका ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बात को आप कई दफा कह चुके । इन्होंने स्वयं ने कह दिया कि हो सकता है कि इसकी जानकारी नहीं हो, एग्जामिन करवा लेंगे । उसके बाद इसमें बहस क्या है ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय रामनारायणजी, रतनगढ़ का नाम नहीं है यह दूसरे फेज में है । इसमें नहीं है । हां, दूसरे में है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो वह नहीं आएगी ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हां, तो कोनी आवे तो कोनी आवे ।

श्री रामनारायण चौधरी : वह अब जो है दूसरे में भी ले रहे हैं क्या ? अब सिवाय तारानगर के और कुछ नहीं होने वाला ।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, फिर हमारे जालोर का क्या होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : और पूरा पानी जो मिलता इन्दिरा कैनाल को यह जब तारानगर आएगा....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वह तो तब आएगा जब वित्त की व्यवस्था होगी । वित्त अभी है ही नहीं । पैसा ही नहीं है कहां से आएगा । पैसा होगा तब आएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, आप तो बहुत अनुशासित आदमी हैं, विराजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सुनिये । मैंने यह निर्णय कर लिया है कि आपसे टाइम मांगने पर टाइम नहीं मिलता इस–लिये मैं अपनी बात आपकी बिना इजाजत के ही कहूंगा । यह मैंने निर्णय कर लिया है । जितना आदमी अनुशासित रहता है उसके साथ उतना ही ।+++ ।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, शासन को चुनौती दे रहे हैं । आपकी इजाजत के बिना ही बोलेंगे । कोई आपकी बात को काट रहा है और आप समर्थन दे रहे हैं ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपसे टाइम मांगो तो आप टाइम देवो नहीं तो फिर बोलने का तरीका क्या है....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : किसको मना किया है मैंने ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : फिर तो तरीका यही है कि जब दस और बोलते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो एक भी सदस्य जिसने टाइम मांगा उसको रोका नहीं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप खड़े हो गये, हम भी खड़े हो जाएं फिर अपनी बात को कह दें। बोलने का टाइम ही नहीं दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.... (व्यवधान) आर्डर-आर्डर प्लीज। आर्डर-आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा भी नाम था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से ...(व्यवधान) आर्डर प्लीज। आर्डर.... (व्यवधान) आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आर्डर-आर्डर...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी :... (व्यवधान) रहने वाले बुजुर्ग लोगों का आप निसंदेह ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। विराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी :+++।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारे ही बुजुर्ग हैं, हमारे।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, प्लीज विराजिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं यह ज्यादा .... (व्यवधान) आर्डर प्लीज। ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी बात कह दी। मंत्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि हो सकता है जो कुछ मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं उसमें सत्यता हो सकती है। उसको एग्जामिन करवा लेंगे। उसके बाद बहस क्यों ? लैट हिम कंटीन्यू।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन कह रहा है एग्जामिन करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कहा ना इन्होंने।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन मांग कर रहा है। हम कोई एग्जामिन करने की मांग नहीं कर रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ना।

श्री रामनारायण चौधरी : शासन तथ्यों से वाकिफ नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने यह कहा है....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, क्या एग्जामिन कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : और कौन करेगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : एग्जामिंड है, मंजूरशुदा है । एग्जामिंड है । इसका बजट प्रोविजन है ...

श्री उपाध्यक्ष : तो इन्होंने यही तो कहा माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण चौधरी : दो सौ करोड़ का । नहीं, क्या एग्जामिन कर लेंगे यह । हम कोई आश्वासन नहीं चाहते हैं शासन से कि यह । एग्जामिन कर लें । हमारी एग्जामिंड है ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है तो फिर ।

श्री रामनारायण चौधरी : हमको पता है न कि इसमें सुस्ती क्यों है....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमको टाइम नहीं देते ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । ठीक है ।

श्री रामनारायण चौधरी : एग्जामिन क्या कर लोगे ।

श्री चन्दनमल बैद : यह कोई तरीका थोड़े ही है । फिर क्यों कहलवाते हैं । धन्य हो गये एकदम..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें .. (व्यवधान) आर्डर प्लीज । आर्डर ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, विराजिये प्लीज । बैठ जाओ, पास में बैठ जाओ ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता । मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं उनकी योजना मंजूर है तो फिर विवाद किस बात का है ?

श्री रामनारायण चौधरी : कोई विवाद नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर । माननीय सदस्य ..(व्यवधान) आर्डर-आर्डर प्लीज ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह स्वभाव जानते हैं ।

डा. किरोड़ी लाल : यह व्यंग्य कर रहे हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : आप बार-बार क्यों नागौर का नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं हमें मालूम है। आप झुन्झुनू का क्यों नहीं ले रहे हो, हमें मालूम है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर । माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर । आगे चलिये ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती के प्रस्ताव इन्दिरा गांधी नहर के सम्बन्ध में आये हैं। उसके बारे में जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनको जवाब मैं भिजवा दूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री चंबल के बारे में कोई वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर विराजो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर के बारे में कोई वक्तव्य दें चम्बल के पानी के बारे में। बैठ गये नागौर, झुन्झुनूं के और ऐसी लड़ाई रह गयी, बाकी सदस्य भी तो आये हुए हैं। जनता हमें यहां बैठने के लिये नहीं भेजती।

श्री उपाध्यक्ष : यह आ रहा है ना जवाब। सिंचाई मंत्रीजी बोल रहे हैं ना। सिंचाई मंत्रीजी बोल रहे हैं, सुनिये उनको।

यह उनका प्रश्न है। पता नहीं इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो आप लोग।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की मांगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत रुचि लेकर और....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्रीमती कमला : बहुत परिश्रम के साथ कटौती प्रस्तावों के माध्यम से भी और मौखिक रूप से भी इस सदन में स्थितियों का बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया और बहुत उपयोगी सुझाव भी दिये। माननीय सदस्यों ने जो मौखिक रूप से कहा है वह मैंने दर्ज भी किया है और जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनको पुस्तिकाबद्ध करके मैंने उनके जवाब लिखकर भी भेजे हैं और जो भी मुद्दा है उसके बाबत कार्यवाही करने के भी मैंने निर्देश विभाग को दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी इस बात को जानते हैं कि वायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु प्रकृति के लिये, इन्सान के लिये है तो वह जल है और उस जल के माध्यम से जो जीविकोपार्जन का, पेयजल का, अन्य घरेलू उपयोगों का और अन्य विषयों का जो उसका उपयोग किया जाता है वह अपने आप सर्वविदित है।

मैं वित्त मंत्री महोदय का आभार प्रकट करूंगी कि सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से और प्राथमिकता से देखते हुए वर्ष 1999–2000 के लिये 383.80 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, यद्यपि जो काम हमारे हाथ में हैं और जो लिये जाने हैं उनके दृष्टिगत यह फिर भी कम पड़ेगा। लेकिन

(श्रीमती कमला)

फिर भी पिछले वर्ष के सन्दर्भ में आपने 30 प्रतिशत अधिक हमें यह प्रावधान किया है, इसके लिये हम उनके आभारी हैं और यह उम्मीद करते हैं कि काम की जरूरत को और राजस्थान प्रदेश के विकास को दृष्टिगत रखते हुए हम अन्य एजेन्सीज से भी नाबार्ड से, यूरोपियन कम्युनिटी से, केनेडियन एजेन्सीज से जो मदद लेकर काम कर रहे हैं फिर भी हमें बहुत तत्परता से काम करने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि काम कम समय में हो, कीमतें कम बढ़ सकें और लाभ जल्दी मिल सके। इस दृष्टि से और भी अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम वित्त मंत्रीजी से और सरकार से मांग करेंगे।

राजस्थान में जो भू-भाग है जिसको हम सभी जानते हैं 342.52 लाख हैक्टेयर है कुल। उसमें से 257 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जो कृषि योग्य है और कृषि योग्य जो क्षेत्र है इसी को विकसित करने के लिये आजादी के बाद से और कुछ क्षेत्रों में आजादी से पहले से कार्य किया जाता रहा है और इस भूमि के विकास के लिये चाहे भू-प्रबन्धन हो, चाहे सिंचाई का माध्यम हो और चाहे सिंचित क्षेत्र में अन्य विकास की गतिविधियों को पनपाने का मामला हो, यह निरन्तर आजादी के बाद में योजना दर योजना काम किया जाता रहा है। एक ओर जहां पर कृषि योग्य भूमि 257 लाख हैक्टेयर है, उसके संदर्भ में प्रदेश में जो सतही पानी है वह 15.86 मिलियन एकड़ फीट है। इसमें से अब तक हम 52 प्रतिशत का उपयोग कर चुके हैं और 4.64 मिलियन एकड़ फीट जल के उपयोग के लिए परियोजनाएं हम बना चुके हैं। और शेष 3.03 एम. ए. एफ. जो हमारा सतही जल है राजस्थान का खुद का, उसके लिए भी प्रस्ताव विचाराधीन चल रहे हैं।

राजस्थान के खुद के सतही जल के अलावा हमने जो समय-समय पर आजादी के बाद में अन्तर्राज्यीय समझौते किये, उनसे अब तक हमें जो हिस्सा मिला है वह 14.50 एम. ए. एफ. है। उस जल के तहत हमने भाखड़ा सिस्टम हमारे राज्य में डवलप किया। इन्दिरा गांधी नहर का सारा सिस्टम हमने तैयार किया, माही बजाज सागर सिस्टम तैयार किया और चम्बल के क्षेत्र में गांधी सागर, कोटा बैराज, उसकी नहरें यह सब तैयार किया। इसी प्रकार से हमने यमुना का नर्मदा का इनका भी दूसरे स्टेट्स के साथ में समझौता किया हुआ है जिसका पानी हमें मिलेगा।

हमें अब तक जो पानी मिला है बाहर से और जो हमारा पानी है उसके तहत हम 28 लाख हैक्टेयर जमीन को नहरों से सिंचित कर चुके हैं। आजादी के समय में सिर्फ 4 लाख हैक्टेयर जमीन ही सिंचित थी और सबसे पहली जो बड़ी नहर बनी थी, आप सभी जानते हो 1919 में एक समझौते के तहत जो गंग नहर 1927 में पूरी हुई। वह सबसे पहले एक बड़ी योजना राजस्थान में आयी उसके बाद आजादी के बाद में यह सारी परियोजनाएं आयीं और उसके माध्यम से यह बड़ी

(श्रीमती कमला)

योजनाएं, मध्यम योजनाएं और लघु सिंचाई योजनाएं इन सबके माध्यम से आज हम 28 लाख हैक्टेयर राज्य का क्षेत्र सिंचित कर चुके हैं।

इसके अलावा जो कुओं से सिंचित हैं या ट्यूबवैल से सिंचित हैं वह अलग हैं। उसके बारे में हम आगे बढ़ने की चेष्टा में हैं। वह जो पहले 11.71 लाख हैक्टेयर था वह अब बढ़कर के 67.5 लाख हैक्टेयर जमीन इसके नीचे ले चुके हैं और हम अब इस कोशिश में हैं कि आगामी 5 वर्षों में प्रतिवर्ष एक लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने की दृष्टि से हम आगे से आगे इस काम को कर सकें और 5 लाख हैक्टेयर जमीन आगामी 5 वर्षों में सिंचाई के नीचे ला सकें। इसके लिये जो बाहरी एजेन्सीज हैं उनसे जो मदद लेनी है और हमारे राज्य के जो संसाधन हैं उनसे जो मदद लेनी है। या जो हम अपने कृषकों से मदद ले सकते हैं उन सभी का साझा सहयोग लेकर के हम इन कामों को तेजी से कराना चाहते हैं।

वर्तमान में जो योजनाएं चालू हैं बीसलपुर, सिद्धमुख, मोहर, नर्मदा, गुड़गांव नहर का वृहत्त सिंचाई परियोजना यह सब प्रगति पर हैं। इसके अलावा छापी, सावन-भादो, पांचना, चौली, बेतली यह सारी मध्यम और वृहत्त सिंचाई योजनाएं भी पूर्ण होने के करीब हैं और इनसे 2.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं राजस्थान को उपलब्ध होंगी।

इसके अलावा जैसी अभी चर्चा आयी थी गरड़दा बूंदी में, सौंखली सिरोही में, बांडी सेन्दरा जालौर में यह मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी स्वीकृत हो गयी हैं और इनका काम भी हम तत्परता के साथ में चलाने का मन रखते हैं। सोम, कमला अम्बा, परवन लिफ्ट और जयसमन्द आधुनिकीकरण मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और उनके अन्तर्गत जो सिंचाई का काम है वह पूर्ण रूप से चल रहा है। वर्ष 1999–2000 में सावन–भादो कोटा में, छापी झालावाड़ में करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

बीसलपुर, सिद्धमुख नहर, परवन लिफ्ट योजनाएं यह सुविधाएं भी प्रारम्भ कर दी गयी हैं। माही–II स्टेज में है। आनन्दपुरी लागवाड़ा भूंगड़ा नहरों का प्रस्तावित है। और स्टेज वन के तहत में इनके प्राथमिक क्षेत्र में जगपुरा और नरवाली नहरें बनायी जा रही हैं जो कि हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पूरी हों और सैकण्ड स्टेज में जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उनको भी तैयार कराकर हम जल्दी हाथ में लें। ऐसी हमारी भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा लगभग 40 लघु सिंचाई योजनाएं हम आगामी वर्ष में हाथ में लेने जा रहे हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हम ले सकें लेकिन फिलहाल जो लाभ, लागत रेशो के हिसाब से जितनी सिंचाई योजनाओं का सर्वे किया जा चुका है और किया जा रहा है उसके संदर्भ में मैं कह सकती हूं कि 40 योजनाएं हम लेंगे और इससे अधिक भी

(श्रीमती कमला)

जो इस काइटेरिया में आयेगी उनको भी हम लेने की चेष्टा करेंगे और राजस्थान की धरती पर एक-एक बूंद पानी का, जो हमको उपलब्ध है, उसका भरपूर संग्रहण या उसका दोहन करके और उसका बहुत ही तकनीकी ढंग से और बहुत भरपूर ढंग से उसका उपयोग कर सकें यह हमारी मंशा है।

जिसके लिए हमने इस बात की चेष्टा की कि जितनी भी व्यवस्थागत, तकनीकी, लेटेस्ट तकनीक के हिसाब से सिंचाई का, उद्योगों का, परिवार को, गृहस्थी को और तमाम चीजों को जो भी उपयोग पानी के लिये हो सकता है वह जितना कम होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वाटर लेवल घटता जा रहा है, तो उस दृष्टि से हम आने वाले समय में किस प्रकार से हमारे राज्य के पानी का भरपूर उपयोग और दोहन करें और उसका संरक्षण करें।

इसके लिये राजस्थान की सरकार ने राज्य जल नीति बना दी है और वह कैबीनेट में प्रस्तुत हो गयी है। शीघ्र ही उसका अनुमोदन हो जायेगा। इसके कारण से हम इस बात को देख सकेंगे कि हमारे पानी का उपयोग और उसका भरपूर संरक्षण इस तरह से हो कि हम अपने पानी का दोहन किसी प्रकार से भी दुरुपयोग में न जाने दे।

इसके साथ ही काफी समय से जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी और काम हो रहा था कि राज्य में जितना भी हमारा जल है और जितना भी जल बाहर से मिल रहा है और जितना भी अंतर्राज्यीय सीमाओं के अन्दर है उस सारे जल का हम इस तरह से उपयोग करें, इस तरह से योजनाएं बनायें कि हमारी सारी की सारी जल निधि जो है, वह हमारे विकास के लिए बहुत कारगर ढंग से और प्रभावी ढंग से साबित हो सके।

इसके लिये हमने एक राज्य जल संसाधन योजना तैयार की है और उस राज्य जल संसाधन योजना का यह उद्देश्य होगा कि आने वाले 50 वर्षों में हम किस प्रकार से अपने इन कामों को संपादित करें। यह राज्य जल संसाधन योजना हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके आधार पर हम आने वाले वर्षों में तमाम क्षेत्रों के जल के उपयोग को नियंत्रित करके योजनाबद्ध और आधुनिकतम तकनीकों के साथ में तैयार करके कम लागत में और जल्दी से जल्दी पूर्ति करने की चेष्टा कर सकें।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ में एक बहुत कमी रही हमेशा; और उसके कारण हमारी बहुत सारी योजनाएं लम्बित पड़ी रहीं। जितनी भी हमारी मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं उन सब को हमें सी.डब्ल्यू.सी. से मंजूर कराना पड़ता था और उसकी मंजूरी में बहुत वर्ष लग जाते थे। अभी पिछले कुछ वर्षों में यह तय हुआ कि अगर राज्य सरकारें अपने खुद का इस तरह का एक संगठन

(श्रीमती कमला)

तैयार कर लें तो जो मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं उनको हमें सी.डब्ल्यू.सी.में नहीं भेजना पड़ेगा।

मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि राजस्थान का आई.डी.आर. जो इरिगेशन डिजाइन एण्ड रिसर्च विंग है और वह आज इस स्थिति में आ चुका है कि हम उसके माध्यम से हमारी जो मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं उन्हें हमें दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले 3-4 महीनों के अंदर हम इस काम को प्रारंभ कर सकेंगे। इससे हमारी बढ़ती हुई कीमतें रुकेंगी। हमारा काम जल्दी होगा और हम जिस तरह से बार-बार उनकी क्वेरीज को सेटिसफाई करने में समय खराब करते हैं वह भी हमारा बचेगा।

इसके साथ ही हमने इस बात की चेष्टा की है, कि आम तौर पर सिंचाई के मामले में पानी नहीं पहुंचना, व्यवस्था सही नहीं होना, मोरे ठीक नहीं होना, रेट अच्छे हैं, सही हैं, गलत हैं। इन सबके निराकरण के लिए एक चेष्टा की है।

हमने नाबार्ड को जल उपभोक्ता संघ परियोजना बनाकर दी है, इसके तहत हम चाहेंगे कि जो कृषक हैं, जो पानी का उपयोग कर रहे हैं, वह अपनी योजना खालों को बनाने, रख-रखाव, अपनी शिकायतों का निराकरण और क्या रेट लग रही है और किस तरह से उसकी वसूली करें, इस सम्बन्ध में यह योजना हम लागू करने जा रहे हैं। बहुत-सी शिकायतें सभी नहरी परियोजना क्षेत्रों में आती रहती हैं, वह आम तौर पर इस तरह की आती हैं, उनके निराकरण के लिए हमने यह परियोजना तैयार की है और जल्द ही नाबार्ड हमारी इस योजना को स्वीकृति दे देगा तो बहुत से मसले इसके माध्यम से हल हो जाएंगे।

एक बड़ा मुद्दा सिंचाई योजनाओं के साथ में जो आम आदमी को दुःख देता है, वह यह कि जब कोई परियोजना बनती है तो बहुत से परिवार, बहुत-सा इलाका, चाहे वह खेती की जमीन हो चाहे परिवार, घर का हो, बस्तियां हैं, वे सारी की सारी उजड़ती हैं, उनकी कमाई का जरिया खतम हो जाता है और मुआवजा देने में रिहेबिलिटेट करने में बहुत सारा समय लग जाता है और राज्य सरकारें अपनी सुविधा के मुताबिक कभी कम-ज्यादा करती रहती हैं।

इसलिए हमने रिहेबिलिटेशन और पुनःस्थापन परियोजना के नाम से एक परियोजना तैयार की है, वह भी नाबार्ड से मंजूर हो रही है, उसमें जितनी भी बस्तियां इस तरह से डूब में आएंगी, उनको पूरी तरह से हम यह कोशिश करेंगे कि उन्हें सारी की सारी सुविधाएं—बसने की, जीवन की और जीवन यापन की दे सकें, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए। यह जो प्रमुख मुद्दे हमने अपने हाथ में लिए और जिनको पूरा करने जा रहे हैं, जिन योजनाओं को लागू करेंगे, मैंने उनके बाबत बताया है।

एक संकल्प हमने और लिया है कि

(श्रीमती कमला)

अभी तक हमारी बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में बहुत लम्बा समय लगता है और ज्यादा समय लगने से राज्य सरकार को भी हानि होती है और उस हानि के कारण से हमने उसको बचाने का यह संकल्प किया है कि हम पहले पांच साल में किसी योजना को पूरा करते थे, अब हम कोशिश करेंगे कि वह योजना तीन साल में पूरी हो जाए।

इसी तरह से लघु सिंचाई योजना को तीन-चार साल में पूरी करते थे तो उसे हम दो साल में पूरी कर लेंगे। यह एक संकल्प है, जिसको निभाने का हमारा मन है और हम इस बात को चाहते हैं कि इनके समय में कमी करके हम धन और उस एरिया के उपयोग करने का अच्छा काम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहरों से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसा माननीय सदस्य बार-बार कह रहे थे और माननीय सदस्यों ने भी उठाया है, हम सभी जानते हैं कि नहरी क्षेत्रों में सेम की समस्या बहुत भारी हो रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है, दो क्षेत्र हैं, आई.जी.एन.पी. और कोटा का चम्बल क्षेत्र, इन दोनों में सेम की समस्या है। इस सेम की समस्या के निराकरण के लिए कोशिश की गई, ट्यूबवैल भी खोदे गए, ड्रेन कैनाल्स भी बनाई गई।

लेकिन उसके बावजूद भी इस सेम की समस्या का कोई हल नहीं निकला। सेम की समस्या जो आई.जी.एन.पी. के साथ जुड़ी हुई है, उसके दो-तीन कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो काश्तकार वाटर अलाउन्स ले रहा है, भाखड़ा में जो वाटर अलाउन्स है वह टू पाइंट समथिंग है जब कि इन्दिरा गांधी नहर में यह फाइव टू थ्री है। इस अधिक वाटर अलाउन्स के कारण से नीचे पक्की जमीन होने के कारण से जिसे हम मुरण्ड भी कहते हैं; उसके कारण से सेम की समस्या खड़ी होती है। (व्यवधान) वहां भी बहुत जगह हैं, जिसकी हमने जांच करवाई है, आगे जहां-जहां पर भी नई परियोजनाएं बन रही हैं, चाहे वह नर्मदा की बन रही हो चाहे इन्दिरा गांधी नहर का सैकण्ड स्टेज का आखरी छोर हो, वहां पर हमने इस बात का पहले सर्वे करवा लिया है, इन डैप्थ जांच करवा ली है कि जहां पर जैसा स्ट्रेटा है; उसके हिसाब से उसका वाटर अलाउन्स कायम किया जाए और यहां पर चूंकि स्ट्रेटा का पहले अध्ययन नहीं करने से वाटर अलाउन्स को कायम किया और अब काश्तकार की उसको कम करने की मर्जी नहीं है तो यह भी एक स्थिति है।

दूसरे घग्घर नदी में जो फ्लड आती है, उसके कारण से सूरतगढ़ के आसपास जो डिप्रेशंस बने हुए हैं, उनमें जो पानी इकट्ठा हुआ है, उसके कारण से उस एरिया में सेम की काफी समस्या बनी हुई है। हमने इस मुद्दे को बहुत गहराई से सोचा है, चाहे कोटा की समस्या है, चाहे आई.जी.एन.पी. की समस्या है, अब तक जो भी प्रयत्न किए

(श्रीमती कमला)

गए, जो कारगर नहीं हुए, उनके प्रभावी न होने के कारण से सेम की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब ने किया, हमारी सरहिन्द फीडर को बंद करके, राजस्थान नहर को बंद करके; उन्होंने नहर के नीचे से साइफन निकाला है, जो ड्रेन बनाई है, उन्होंने सेम के पानी के लिए; उनके यहां भी बहुत भयंकर समस्या हो रही है।

हम इस बारे में यह तय कर रहे हैं कि एक पूरा का पूरा इस तरह का डेलीगेशन गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़; कोटा के क्षेत्रों में जहां–जहां यह समस्या है; उसका सारा विजिट करके, लेटेस्ट कहां–कहां, क्या–क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन पर विचार करके, अंतिम तौर पर इसका क्या प्रभावी निराकरण किया जाए, एक कम्प्रीहेंसिव प्लान इसके लिए तैयार करके उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा; उसका भरपूर इन्तजाम करके, उसके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या टेल पर पानी नहीं पहुंचने की है, चाहे वह कोटा क्षेत्र की हो; चाहे आई.जी.एन.पी. की हो; दूसरे क्षेत्रों की हो, इसमें मुख्य कारण नहरों का निरंतर रख-रखाव होना चाहिए, उनकी मरम्मत होनी चाहिए, उनकी डि सिल्टिंग होनी चाहिए, उनकी विडिंग आउट होनी चाहिए, वह अनेक वर्षों से कभी हो ही नहीं रही। आई.जी.एन.पी. जिसे आप एक तरह से गंगा के नाम से भी कह सकते हैं, इस नहर में इतनी सिल्टिंग है, इतने झाड़-झंखाड़ खड़े हुए हैं और पानी की रफ्तार इतनी कम हो जाती है, बहुत जगहों पर बैराज के आसपास भी, इसी तरह दायीं मुख्य नहर, और बायीं मुख्य नहर कोटा की है, उसमें भी ऐसी स्थिति है।

जैसा माननीय सदस्यों ने एक-दो बार कहा कि कुछ नहरों की ऐसी स्थिति हो गई है, उनमें इतनी रेत है कि उसमें गाड़े चलते हैं, इसका कारण यह है कि इनके निरंतर रख-रखाव का प्रावधान होना चाहिए, वह प्रावधान उतना नहीं रह रहा है, उसके कारण से बड़ी से बड़ी नहरें चाहे गंग नहर हो, गंग नहर की हालत इतनी खराब हो गई है, खास तौर से पंजाब क्षेत्र में, कि उसका अगर पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो वह किसी समय अपने आप में अनुपयोगी नहर होकर रह सकती है रख-रखाव के जो मामले हैं इसके कारण से टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता, फसलें खराब होती हैं, किसानों को परेशानी होती है।

इस बार रख–रखाव के लिए जो पैसा हमने दिया है, हालांकि वह देखने में काफी लग रहा है लेकिन माननीय मंत्रीजी को मैं बताना चाहूंगी कि पिछले समय में हरेक विभाग में एडहाक बेसिस पर लोअर कैडर के लोग लगाए गए हजारों की तादाद में; वे आज एक सिरदर्द बन गए हैं। चाहे वह

(श्रीमती कमला)

सिंचाई विभाग हो, चाहे सी.ए.डी. हो, चाहे कोई और विभाग हो, योजना का अधिकतर पैसा उनकी तनख्वाह में ही खत्म हो जाता है, जो पैसा बचेगा वह और कामों के लिए बहुत कम रहेगा।

आपने अभी सिंचाई की दरें बढ़ाई हैं, उसके कारण भी यही हैं कि नाबार्ड और अदर एजेंसीज थी, उनका यह दबाव था कि आप नहरें तो बनाते जा रहे हैं, परियोजनाएं बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनके रख-रखाव का कोई इन्तजाम नहीं है, आप उसका कुछ इन्तजाम करें, दूसरी तरफ हमारी फसलें खराब हो रही हैं, किसान बरबाद हो रहे हैं तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो दरें बढ़ाई हैं, उनका उद्देश्य यह है कि उन बढ़ी हुई दरों का पैसा हम रख-रखाव में लगाएं और हमारा जो सिस्टम खराब हो गया है, उसको यथावत रखने की कोशिश करें।

इसके अलावा सिंचाई प्रबन्धन की शिकायतें आती हैं। अधिकारी सुनते नहीं हैं, रिश्वत होती है, घपले होते हैं और मौके पर जाकर समस्या का निराकरण नहीं करते। इसके लिए जैसा मैंने अभी बताया हमने दो-तीन योजनाओं में जल उपभोक्ता संघ बना रहे हैं, जिनमें वह अपने आप इस कार्य को देखेंगे और पंच वर्षीय योजना में विश्व बैंक की तरफ से भी हम योजनाएं मंजूर करा रहे हैं।

दूसरा, एक जो शिकायत आती है कि कार्यों में घटिया स्तर का मैटेरियल लगता है, काम घटिया स्तर का होता है, खर्चा ज्यादा बता दिया जाता है। जांचें होती हैं, कुछ निकलती हैं; कुछ नहीं निकलती हैं। तो इस बात को देखते हुए हमने यह सोचा है कि हमारे जितने भी ये काम चलते हैं इनकी गुणवत्ता का एक अलग से इस तरह का संगठन बनाएं जो तमाम इन कार्यों को समय–समय पर निजी तौर पर जाकर देखता रहे, निरन्तर उनकी देखभाल करे, यह नहीं कि शिकायत आये तब जाकर वह कहीं देखें। इसलिए कोशिश यह की जा रही है कि कितना अपने आप में सेल्फ कन्टेन्ड एक यूनिट बने जो इस काम को पूरी तरह से....

श्री रामनारायण चौधरी : क्वालिटी कन्ट्रोल।

श्रीमती कमला : क्वालिटी कन्ट्रोल। गुणवत्ता का मतलब वही है। तो गुणवत्ता को रखने के लिए, गुणवत्ता से काम करने के लिए और जितने कम घोटाले आए हैं उनकी पहचान कर ली जाए, उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाए इसके लिए इसकी हम कोशिश में हैं और यह कायम कर रहे हैं।

एक और शिकायत आती है निविदाओं की। निविदाएं ऐसे लोगों को ले ली जिनको कुछ काम नहीं आता, कुछ ऐसे लोगों की ले ली जिनका लोअर टेण्डर नहीं था, लेकिन हायर था। इस तरह की भी काफी शिकायतें आती हैं। तो इस पद्धति को भी हम बदलने की चेष्टा में हैं।

(श्रीमती कमला)

पहली बात तो यह है कि हमारे वर्ल्ड बैंक की और दूसरी आउटर एजेन्सीज की जो परियोजनाएं हैं उसमें एक सिस्टम लागू है और वह बहुत अच्छा सिस्टम मुझे लगा कि जब हम निविदाएं लें तो पहले हम टैक्निकल टेण्डर्स लें कि उस आदमी ने कभी ऐसा काम किया भी है या नहीं, उसके पास में क्या मशीनरी है, क्या तकनीक है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसकी परफोर्मेंस की हुई है, यह उसके बाद, तकनीकी टेण्डर्स लेने के बाद में, फिर उसके जो फाइनेंसियल टेण्डर्स हैं वो हम लें। यह जो पद्धति है इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं 5–6 महीनों के अन्दर हम इन व्यवस्थाओं को माकूल ढंग से तैयार करके इसको अपनाने की चेष्टा करेंगे।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी अन्तरराज्यीय योजनाएं हैं, उनमें माननीय सदस्यों ने एक तो बी. बी.एम.बी. का मसला उठाया, एक 0.6 का मसला उठाया। आप अच्छी तरह से जानते हैं। 1966 में रोपड़, फिरोजपुर हरि के हैड वर्क्स का जो कंट्रोल बी.बी.एम.बी. को देने का है वह तब से, सन 1966 से राज्य सरकार बराबर अपना तकाजा कर रही है, बराबर लिख रही है। अनेक मीटिंग मुख्य मंत्रियों के बीच में हुई हैं, अनेक मीटिंग प्रधानमंत्री और वाटर रिसोर्स मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हुई हैं। और हर साल जो कोई भी सरकार आई है, चाहे आपकी आई, चाहे हमारी आई, हम निरंतर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तकाजा करते रहे हैं कि हैड वर्क्स का कंट्रोल बी.बी.एम.बी. को दिया जाए।

लेकिन पंजाब चूंकि अपर रिचेज में है, वो अपनी अपर रिचेज का जो नाजायज फायदा उठाना चाहता है वो आज भी, चाहे गवर्नमेंट इनके यहां भी बी. जे. पी. की थी और गवर्नमेंट केन्द्र में भी बी. जे. पी. की थी और चाहे तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपनी भरपूर चेष्टा की उसके बावजूद भी यह निराकरण नहीं हो सका। इसके पहले हमारी गवर्नमेंट ने भी चेष्टा की और अभी भी जब 28 फरवरी को सूरजकुंड में नार्दन जोनल कौंसिल की मीटिंग हुई, उस वक्त भी हमने यह मुद्दा उठाया और उस मुद्दे के साथ में यह जो आप बता रहे हैं कि आप इसकी बाबत में कुछ नहीं बोल रहे हैं, 1981 में आपने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, आप 0.6 एम.ए.एफ. उनको दे देंगे। हमने इस सद्भावना से दिया कि अभी हमारा सिस्टम डवलप नहीं हुआ था, सिद्धमुख नोहर सिस्टम। इसके लिए हमने उन को कुछ समय के लिए कहा, कि हमारा सिद्धमुख नोहर सिस्टम जब डवलप हो जाएगा तब हम इसको वापस ले लेंगे और 1981 से, 1981 में हमने कहा और 1982 से हम निरंतर उनको तकाजा कर रहे हैं कि हमारी स्कीम मंजूर हो गई है, हम इसका नेटवर्क बना रहे हैं, आप मेहरबानी करके हमारा यह पानी वापस चालू कर दें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपने भी इसकी चेष्टा की, हमने भी

(श्रीमती कमला)

चेष्टा की ओर अभी भी कर रहे हैं और हम अपना पानी नहीं छोड़ेंगे, यह आपको भी पता है कि यह बी.बी.एम.बी. हैड वर्क्स वाला फिर भी दिक्कत में हो सकता है, लेकिन इस पानी को लाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इस बात से आशान्वित हैं।

इसके अलावा माही के सिस्टम के लिए बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीरता से और बड़े विस्तार से अपनी बात को कहा और मैं इस बात को मानती हूं माही के स्टेज बन का..

श्री हीरालाल बिश्नोई : नर्बदा नहर के लिए बोलिए।

श्रीमती कमला : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करने दें।

श्रीमती कमला : वह नहर तो बन रही है अभी।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहे हैं एक–एक पर।

श्रीमती कमला : माही स्टेज बन की 80 हजार हैक्टेयर की सिंचाई योजना तैयार होने के लिए प्रस्तावित थी और जिस का काम लगभग पूरा हो चुका है उसमें लगभग 10 करोड़ रुपया और मिलने के बाद में यह फर्स्ट स्टेज पूरी हो जाएगी। सैकण्ड स्टेज में 43 हजार हैक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी। इसलिए जो आपने सागवाड़ा नहर का, अनन्तपुरी नहर का या भूंकड़ा नहर का जो प्रस्ताव दिया वह हमने प्रस्ताव के अन्दर रखा हुआ है और हम प्रस्ताव मंजूर कराकर लागू करेंगे। तो आपने यह जो विवरण बताया और जो मैंने देखा, उसको देखते हुए मैं आपसे कह सकती हूं कि जो चीफ इंजीनियर की बाबत आपने बात कही उसका अभी कोई निर्णय नहीं किया है। उस पर पुनर्विचार करेंगे और आपकी माही परियोजना को पूरा कराने का काम करेंगे। (व्यवधान)

आपने मेरी गैरहाजिरी में या मैं उधर बात कर रही थी तब कहा कि जो प्रमोशंस हुए हैं सिंचाई विभाग में उन प्रमोशंस में एस. सी., एस.टी. का जो कोटा था उसको अनदेखा की गई। मैंने जानकारी की है और मुझे लगता है कि इसमें कोई गफलत हुई है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करके इसकी दुरुस्ती की जाएगी।

श्री जगत सिंह दायमा : सिंचाई मंत्री जी, आपको धन्यवाद।

श्रीमती कमला : अभी एक महकमा और है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तसल्ली रखें, सब बातों का समाधान होता है, शांति रखें तब है ना।

श्रीमती कमला : नर्बदा की जो योजना है वह विधिवत चल रही है। अभी वह नहर गुजरात के एरिया में बन रही है और हमारे एरिया में जब आएगी उसके बाद में लगभग 78 किलोमीटर और वह बनेगी। हमने उसको रिवाइज करके कुछ नये पैटर्न के साथ में टेक-अप करने की कोशिश की है जिससे हमें लगता है हम लगभग एक लाख हैक्टेयर जमीन, और अतिरिक्त, उसी पानी से सिंचित करने की क्षमता में बन सकेंगे क्योंकि वहां पर भी बहुत–सा एरिया ऐसा है जिसका स्ट्राटा नीचे बहुत हार्ड है और इसका वाटर अलाउंस कम रखना पड़ेगा जिस पानी को बचत से हम और एरिया के अंदर पानी दे सकें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला : जहां तक भविष्य ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अभी तो बोल रही हूं। अभी भरतपुर का मुद्दा है —

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएंगे कि कब तक नर्बदा का पानी हमको मिल जाएगा।

श्रीमती कमला : ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिए, आपको अवसर देंगे पूछने का।

श्रीमती कमला : क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री हीरालाल विश्नोई : नर्बदा का पानी कब तक मिल जाएगा राजस्थान को ?

श्रीमती कमला : कब तक का तो, मैं आपको निश्चित डेट नहीं बता सकती, क्योंकि वह नहर जब राजस्थान क्षेत्र में पहुंच जाती है और उसका सारा का सारा रिपोर्ट्स के हिसाब से काम शुरू हो जाता है, तब मैं कुछ निश्चित तारीख आपको बता सकती हूं।

जहां तक भरतपुर का सवाल है, यह बात सही है भरतपुर क्षेत्र बहुत मायनों में कई तरह से पीड़ित है। एक मायने में तो यह पीड़ित है कि पूर्व में यहां पर इनम-डेशन से जो सिंचाई होती थी वो सिस्टम सारा खत्म हो गया। दूसरा, यह है कि जब भी बाढ़ आती है तो जितने बंधे बने हुए हैं वे सब टूट जाते हैं और टूटे हुए बंधों को बहुत-बहुत समय तक हम वापस मरम्मत नहीं करा पाते। उस क्षेत्र में पानी का रुकाव और भराव खतम होता चला जा रहा है।

तीसरा, हमारे जो यमुना नहर की आवक है गुड़गांव नहर के माध्यम से, कई वर्षों से इसके पानी की मात्रा हमें बहुत कम मिल पा रही है, क्योंकि इस नहर में भी इतना सिल्टिंग हुआ था, इतने झाड़-झंखाड़ खड़े थे और जगह-जगह पर

(श्रीमती कमला)

पानी पम्पिंग आउट हो रहा था। इसके कारण से हमारे हिस्से का पानी था वह भरतपुर तक नहीं पहुंच पा रहा था, जितना मिलना चाहिए था। हमने पिछले समय में दो-तीन बार हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी से बात की, मैं उनसे मिली भी और उनको तकाजा किया कि मेहरबानी करके आप इस नहर को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराएं जिससे हमारा पानी हमको पहुंच सके, और उन्होंने आश्वासन दिया। मुझे खुशी है कि अभी वहां पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आगामी रबी की फसल तक हम अपना पानी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी हमें आशा है।

जहां तक डीग एस्केप का मामला है या आगरा कैनाल से पानी का मामला है वो सारा पानी जितना मिल रहा है वह तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसके लिए बराबर हम इस कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में अपना तकाजा करते रहते हैं और पिछले वक्त में एक बार जब मैं गई थी तब उनसे मैंने कहा था कि आप यू.पी. वाले अपनी सिंचाई के लिए इतना काम कर रहे हो और हमारे यहां पीने के पानी की भरतपुर एरिया में प्रोब्लम हो रही है, इसलिए आप हमारा पानी हमको दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, मेरा बांध का और था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला : यमुना वाटर का जो राजगढ़, चूरू, झुन्झुनूं में हमारा प्रोजेक्ट है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, आपका जवाब तो मिल गया।

श्री जगत सिंह दायमा : अलग से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी पूछा ही नहीं आपने अलग से..(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदया। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अभी जो मुद्दे आए हैं उनको बोल तो दूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, छोटे से बांध की बात थी एक छोटा सा बांध कोठिया...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : कौनसा, देखिये भरतपुर के बारे में एक दो बात और कह दूं ...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अलवर के बारे में कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इसको समाप्त होने दीजिए।

श्रीमती कमला : भरतपुर तो हो ले पहले । (व्यवधान) मैंने भरतपुर के माननीय सदस्यों को एक निवेदन किया है कि असेंबली के बाद में जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, जो कुछ भी वो सुझाव देना चाहते हैं, उनके साथ अधिकारियों की बैठक कर उनकी समस्या का किस तरह से प्रभावी और स्थाई हल निकाला जा सकता है इसकी हम भरपूर चेष्टा करेंगे । इसके अलावा यमुना वाटर्स में हमारा जो हिस्सा है उस पानी को हम....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्रीमती कमला : एक तरफ तो हांसी ब्रान्च से चूरू, झुन्झुनूं में ले जाने के बीच में जो हमारे केन्द्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी शायद इसको नारनौल साइड से तैयार करने की बात चलाई । इन दोनों में से कौनसा सुविधाजनक और कोनसा आसानी से किया जा सकेगा क्योंकि नारनौल साइड से आने वाली जो योजना है, उसमें 4–5 जगह पर लिफ्ट लगाकर काम करना पड़ेगा, और हांसी से जो आता है, वह झुन्झुनूं तक फ्लो से आ जाएगा । उसके बाद में हमें लिफ्ट करना पड़ेगा तो भी हमारे राजस्थान के इन क्षेत्रों के लिए..

श्री रामनारायण चौधरी : यमुना वाटर्स की लास्ट मीटिंग तत्कालीन इरिगेशन मिनिस्टर श्री सीसराम जी ओला की अध्यक्षता में हुई थी जिसके अन्दर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, हिमाचल के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे । उसमें यमुना वाटर्स का जो पुराना दृष्टिकोण था कि सारा पानी इधर से ही दिया जाएगा, उसमें चेन्ज होकर दूसरा डिसिजन मेकप एक और हुआ है वो डिसिजन आपको मालूम होगा अन्यथा आप उसकी जानकारी करें, उसकी मिनिट्स को आप मंगवाएं । उसमें यह है कि झुन्झुनूं, चूरू और सीकर, इनको उधर से न लेकर के इस तरफ से लिया जाए और इसके लिए आपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर एग्री हो गए थे, दिल्ली वाले भी एग्री हो गए थे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी एग्री हो गए थे । लास्ट प्रोसिडिंग्स हुई हैं उसके अन्दर यह दूसरे तरह का यमुना वाटर्स का डिसिजन है ।

श्रीमती कमला : यह अभी चर्चा में है कि किस तरीके से ले जाने में ज्यादा उपयोगी रहेगा । यह अभी फाइनल नहीं हुआ है । उस बाबत में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है अभी वो चर्चा में चल रहा है और उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगे हुए हैं, इसके अलावा .. (व्यवधान) मैं वाइन्डअप कर रही हूं, आप सुनिये, इसके अलावा हमारा चंबल का बहुत बड़ा, सोर्स है । कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में हमारा जितना पानी का अपार भंडार है वह इसी क्षेत्र के अंदर है और इस चंबल के पानी को मध्य प्रदेश और हमारे बीच में किस तरह से हम अपनी योजनाएं तैयार करें, संसाधनों की दृष्टि से भी, उपयोगिता की दृष्टि से भी काफी कुछ योजनाएं, जिनके माननीय सदस्यों ने नाम लिए हैं, वह सारी की सारी प्रस्तावों के अंदर दर्ज है । 30 अप्रेल को इसी सम्बन्ध में माउण्ट आबू में दोनों मुख्य मंत्रियों की बैठकें होने

(श्रीमती कमला)

जा रही हैं। उसमें हम बहुत बड़ा लाभ उस चंबल के पानी का ले सकते हैं, आज हमारे पास में जो एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कैनाल का, आपने बात की उसकी चर्चाएं कीं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अलवर आ गया जी। भरतपुर से अलवर आना चाहिए नजदीक है जी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नहरें निकलती हैं, पिक अप नहीं हो रहे और राजा हरिश्चन्द्र बांध भी ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिए, हरेक क्षेत्र में बहुत-सी तो मांग यह है कि हमारे यहां एनीकट बनने चाहिए, हमारे यहां माइनर इरिगेशन वर्क्स बनने चाहिए; सारे सुधार होने चाहिए और नई योजनाएं ली जानी चाहिए। सभी क्षेत्रों की मांग है इसलिए मैंने कहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ग्रामीण योजनाएं हैं उन पर अब की बार आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) 40 प्रतिशत भी भूमि सिंचित नहीं हुई है।

श्रीमती कमला : जो भी आपने कहा है, जो भी कटौती प्रस्ताव आए हैं उनका मैं ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी; विराजिए, प्लीज विराजिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे अलवर में छोटे बांध का निवेदन किया था साहब; मैडम से। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : कौनसा ?

श्री जगत सिंह दायमा : उसमें कई गांवों में पानी भर जाता है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह उदयपुर डिविजन का दुर्भाग्य मानता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य उदयपुर से.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : लोगों का अनाज खराब हो जाता है, लोगों का चारा खराब हो जाता है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, कितनी ही मौतें हो जाती हैं, उसके बारे में निवेदन किया था मैंने।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा उपनिवेशन के बाबत में जो हमारे....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंग कैनाल का क्या हुआ जी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, विराजिए।

श्रीमती कमला : देखिए सवाल बहुत हैं, बहुत-सी बातें हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंग कैनाल श्री गंगानगर की कैनाल के लिए निवेदन किया था। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैंने आपके बिना कहे ही बताया है कि....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : राज्य सरकार ने क्या कोई...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्री जी भरतपुर में गंभीरी नदी है उसके बारे में ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : 500 करोड़ रुपए का आपने कोई प्रोग्राम या स्कीम बनाई है क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदय, इसमें मेरा कटमोशन है; मंत्री महोदय, मैंने कटमोशन भी लगाया है। (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुर्बिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उदयपुर की मानसी वाकल योजना जो कि लम्बे समय से लंबित है उसके बारे में आप जानकारी दें कि वह खटाई में क्यों पड़ी हुई है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय सिंचाई मंत्री जी ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : गंभीरी और ककून नदी पर जो गांव....(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सैकण्ड, मंत्री महोदय, एक सैकण्ड मंत्री महोदय... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, जितने भी आपके प्रस्ताव हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं जो आपने हमें बताई हैं, उनका मैं लिखित में आपको जरूरी तौर पर जवाब दूंगी और यह चाहूंगी कि फिर भी कोई पूछताछ करनी हो तो मुझसे मिल लें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुर्बिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि उदयपुर में एक लंबे समय से मानसी वाकल योजना खटाई में क्यों पड़ी हुई है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आपको पूछना है, मौका देंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गंग कैनाल के लिए कोई बात नहीं कही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर की मानसी वाकल योजना की क्रियान्विति क्यों नहीं हो रही

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

है, वह खटाई में क्यों पड़ी हुई है, इसके बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है, इसकी मुझे जानकारी दें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उपनिवेशन से सम्बन्धित..(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्वासन दीजिए मैं उम्मीद रखता हूं। मैं शासन से उम्मीद रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक पूछेंगे तब ही तो जवाब देंगे सब बोलेंगे तो कैसे जवाब देंगे, हम अलाऊ करेंगे, इंकार तो नहीं किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, विराजिए, विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : एक छोटा-सा सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लेना अलाऊ करूंगा मैं आपको। आप बैठो। आई विल अलाऊ यू। मैं अलाऊ करूंगा आप बैठो। मैं अलाऊ करूंगा। मैं कह रहा हूं ना आपसे।

श्री सुरेन्द्र सिंह सूपा : कुछ तो पूछ लेने दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आपको अलाऊ करूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक संकल्प में अपनी बात कहना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन के 20 एम.एल.ए. हैं। हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य, केवल माही के लिए.... (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पूर्बिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है। आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि उदयपुर का मानसी वाकल डेम एक लम्बे समय से लम्बित पड़ा हुआ है उसके बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है ? कृपया मुझे जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, माही के लिए तो जरूर, हमारे वहां के बांसवाड़ा से आने वाले सदस्य ने अपनी बात कही लेकिन उदयपुर डिविजन की जो समस्याएं हैं उनको यहां उजागर नहीं कर सके, यहां नहीं रख सके।

मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उदयपुर की मानसी वाकल योजना जिसका पानी बहकर अरब सागर में जा रहा है उसको रोकने की योजना लंबे समय से लम्बित चल रही है। मानसी वाकल योजना को पूरी कराने में आप तत्परता दिखाएंगे।

श्रीमती कमला : यह योजना मुख्यतः तो आपके ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाई जा रही थी और उसमें सिंचाई विभाग का कितना क्या काम है, यह मेरे पास न तो आपका कोई कटमोशन है न आपका कोई प्रस्ताव है, न आपका कोई उल्लेख है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राधेश्यामजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उदयपुर डिविजन के किसी भी माननीय सदस्य ने इस विषय को उठाया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं उठाया तो फिर क्या हो सकता है। आप अलग से जानकारी प्राप्त कर लेना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो पानी पीने का भी है उसके साथ सिंचाई का पानी भी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राधेश्याम जी।(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप मुझे लिखकर दे दें मैं इसको जांच करवा लूंगी और जो कुछ संभावित है उसे तत्परता से करवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय देवीलाल जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसी तरह से जाखम स्टेज सैकण्ड का था उसका काम भी अभी फाइनल स्टेज पर नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए आपको पूछने देंगे आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान) यह गति हुई है हमारी।

श्री उपाध्यक्ष : शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिए आपको पूछने देंगे। राधेश्याम जी को बोलने दो फिर पूछ लेना।(व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुर्बिया : मंत्री महोदय, आप उस योजना के लिए दो साल तक क्या किया? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : साहब हमने तो यह निवेदन किया था..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी। प्लीज,... (व्यवधान) आपको पूछने देंगे कह रहे हैं विराजिए।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : उपाध्यक्ष साहब, आपने दो साल तक उस योजना के लिए क्या किया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य, आपको पूछने देंगे प्लीज।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : उदयपुर में लम्बे समय से लम्बित पड़ी मानसी वाकल योजना, उदयपुर नगर की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, कैसे समझाएं उनको। अंकित मत करो।

श्री त्रिलोक पूर्बिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात अंकित नहीं हो रही है, आपको कह रहे हैं मौका देंगे जब बोल देना।

श्री त्रिलोक पूर्बिया : ×××

श्रीमती कमला : न तो आप कटौती प्रस्ताव दें न आप बोलें तो मैं उसका क्या इलाज कर सकती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं आपको मौका देंगे आप बैठो तो सही।

श्रीमती कमला : आपको मैंने बताया कि..मानसी वाकल योजना सिंचाई परियोजना नहीं है। यह पेयजल की योजना है।

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबानी करके विराजिये। आपको कह रहे हैं कि बोलने का मौका देंगे। अभी अंकित ही नहीं हो रहा है और आप बोले जा रहे हैं फिर क्या फायदा है उसका। आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन ...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। एक जाखम स्टेज सैकण्ड और बना हुआ था। जाखम स्टेज का काम प्रारम्भ भी हुआ, उसकी स्वीकृति भी हुई लेकिन वन विभाग के कारण से आपका काम रुका हुआ है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सदस्य, मुझे मलाइज किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राधेश्याम जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या जाखम स्टेज सैकण्ड का काम शुरू करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्याम जी। बोलो न। आपको बोलने देंगे। सबको बोलने देंगे तसल्ली रखो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानकारी चाहूंगा। गंग कैनाल के लिए गंगानगर में वर्षों पहले 1982 में पूरी कैबिनेट गयी थी। कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपये मंजूर किये थे। अब उसकी योजना 500 करोड़ रुपये की आपके विचाराधीन है। उसको अब आगे आप नवीनीकरण के लिए ले रहे हैं या भगवान के भरोसे ही छोड़ रहे हैं ? महाराजा गंगासिंह जी के टाइम की बनी हुई है जिसकी एज 50 साल थी। आज वह सांस ले-लेकर चल रही है। किसी भी वक्त सांस बन्द हो सकता है। तो यह योजना आपके विचार में है

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

या नहीं ? आप इस पर विचार करके बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के बिना पूछे ही पहले बताया था कि गंग कैनाल का पुनर्निर्माण या पुनरोद्धार तुरंत नहीं किया गया तो बहुत बुरी शेप में आ सकती है । इसलिए उसको तत्परता से लिये जाने के बाबत विचार किया जा रहा है । अब संसाधन कैसे जुटायें, क्या करें उसका भी विचार किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी । माननीय मंत्री महोदया, सबको एक दफे सुन लीजिये फिर बाद में जवाब दीजियेगा । आप बैठो, बुलायेंगे आपको, एक मिनट ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं...

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह जो गंग नहर है जिसमें हरियाणा और पंजाब की गन्दगी आती है और इस गन्दगी के कारण वहां पर हैपेटाइटिस बीमारी हो रही है । (व्यवधान) बहुत गम्भीर मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीर मसले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो गंग नहर है इसके अन्दर पंजाब और हरियाणा की गन्दगी आती है जिसके कारण हैपेटाइटिस बीमारी फैल रही है । इससे पहले भी लोग मर गये थे । यह वहां पर भयंकर फैल रही है । मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसके बारे में वहां के मुख्य मंत्री जी से और प्रधान मंत्रीजी से, सबसे बात करें ताकि यह गन्दगी आना बन्द हो वरना तो इससे भयंकर, एड्स से भी भयंकर बीमारी यहां पर पैदा हो जाएगी । जिससे लोग मरने लग जाएंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतना राम जी ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक एक का जवाब सही रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सब सुन लें बाद में दे देना ।

श्रीमती कमला : आपने जो सवाल उठाया है । बहुत-से और माननीय सदस्यों ने भी यह सवाल उठाया है और राज्य सरकार के भी पूरी तरह से ध्यान में है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री पंजाब को भी और हरियाणा को भी चिट्ठी भी लिखी है, बात भी की है और

(श्रीमती कमला)

उनसे यह कहा है कि आपके औद्योगिक इकाईयों का जो गन्दा पानी इसमें आ रहा है, यहां तक कि पशुओं की डैड बॉडीज भी कई बार इसमें आ रही है, उनको आप तुरन्त बन्द करिये और आगे न हो इसकी व्यवस्था करिये। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम इसको तुरन्त बन्द करेंगे और आपके यहां पर किसी प्रकार का प्रदूषण हमारी इकाईयों का नहीं आयेगा। हालांकि वह अभी रुका नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत कुछ मात्रा में उसको रोकने की व्यवस्था की है, रोका है और आगे पूरी तरह से रोके जाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतना राम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर नदी पर एनीकट वाली बात है साहब। बहुत गम्भीर बात है।

श्री उपाध्यक्ष : इतना ही होता है बैठ जाओ। प्लीज।

श्री रतना राम चौधरी : धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलवाना चाहूंगा कि 1990 में अतिवृष्टि के कारण हमारे विधान सभा क्षेत्र में 6–7 बांध सोतक है, तरवाड़ा है, बालवाड़ा है, बणधर है, धालेड़ा खुर्द है जो टूट गये थे। भाजपा के शासनकाल में 8 साल में उन लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोग आपमें उम्मीद रखते हैं और हम लोगों ने इलेक्शन के वक्त में लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार बनी....

श्रीमती कमला : सिंचाई के बांध हैं क्या ?

श्री रतना राम चौधरी : हां, सिंचाई के बांध हैं।

श्रीमती कमला : या गांवई बांध हैं ?

श्री रतना राम चौधरी : गांवई बांध है पर आपके भी बांध हैं। सिंचाई के बांध आपके हैं, आपके सिंचाई विभाग ने बनवाये थे। ये अतिवृष्टि से टूट गये। यह अतिवृष्टि से टूट गये थे, मरम्मत करानी है।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांध दो तरह के हैं। एक तो बांध जो पहले पंचायतों के द्वारा किसी अकाल राहत में, डी. आर. डी. ए. के द्वारा बनाये गये, वे हैं। दूसरे सिंचाई विभाग के बांध हैं। जो सिंचाई विभाग के बांध हैं उनकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। लेकिन मैं आपको एक और रास्ता भी बता रही हूं। डी. आर. डी. ए. के अन्दर जो ई. ए. एस. योजना होती है उस ई. ए. एस. योजना में भी पुराने जो क्षतिग्रस्त बांध हैं उनके पुनरोद्धार का काम कराया जाता है। इसलिए आप कुछ उसमें भी लीजिये और कुछ हम इसमें लेंगे। आपकी समस्या को हल करने की चेष्टा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलाल जी।

(श्री उपाध्यक्ष)

एक एक । आ रहा हूं न । आप लोग सब बोल चुके, ये बोले ही नहीं । एक एक प्रश्न पूछ लें ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक टेल एण्ड का जबाव नहीं आया । कुछ तो दिलाओ ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये–बैठिये ।

श्री देबीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के ऊपराने चर्चा हो रही जीके मायने मंत्री महोदय सूं निवेदन है कि पहली बात तो यह है कि जो आपने बतायी कि पिलाई बढ़ायी, तो पिलाई बढ़ाई दुगुनी कर दी । दूसरी अर्ज यह है; आपने यह भी बात बतायी कि टेल के ऊपर पानी नहीं पहुंचता है । तो मेरा यह निवेदन है कि चार पिलाई होती है जब हमारी फसल पकती है....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण मत दो । प्रश्न पूछो ।

श्री देबीलाल बैरवा : अगर चार पिलाई नहीं दो तो हमारी फसल का मुआवजा दोगे या नहीं दोगे ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई सवाल नहीं है, फसल का मुआवजा ...

श्री देबीलाल बैरवा : मेरा यही निवेदन है कि चार पिलायी....

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा भी एक कटमोशन है ।

श्रीमती कमला : जिन योजनाओं का मुआवजा नहीं मिला है वह आप मुझे बतायें, जल्दी से जल्दी मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो–बैठो । एक–एक का आने दीजिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा नम्बर तो इनके ही बाद था ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके पहले ।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आपका मूल जवाब आ गया ।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : यह पूछना चाहता हूं कि आपने माना है कि जो नहरें जिनका रख-रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, जो बिलकुल खराब पड़ी हैं, बंध बारेठा की 102 वर्ष पुरानी नहर है, उसके रख-रखाव पर आप क्या खर्चा करना चाहती हैं ?

दूसरा, मैं भरपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो मछली पकड़ने वाले ठेकेदार द्वारा सैल्यूज जो खोल दिये, उनसे जो किसानों को नुकसान हुआ है उनका मुआवजा आप देने का विचार रखती हैं या नहीं ?

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

तीसरा, जो गम्भीर नदी और ककून नदी के किनारे पर जितने गांव बसे हैं उन पर प्रोटेक्शन बांध बनाने की जो स्वीकृति है उन पर आप प्रोटेक्शन बांध बनवाना चाहते हैं या नहीं ? उन पर कुछ खर्च देना चाहते हैं या नहीं ?

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंध बारेठा का जो पानी असमय छोड़ा गया और बिना किसी जानकारी के छोड़ा गया यह एक बहुत गलत और दुख-दायी घटना हुई। उससे काश्तकारों की सारी फसलें खतम हो गयी। मैंने उसकी जांच करवाई, जांच रिपोर्ट जो मुझे प्राप्त हुई वह मुझे ठीक नहीं लगी। क्योंकि अधिकारियों ने उसमें मुझे यह बताने की चेष्टा की है कि साहब किसी मछली वालों ने नीचे कोई पत्थर लगाकर उसको ऊंचा करके पानी निकालने की चेष्टा की। वह सम्भव नहीं है क्योंकि हरेक बंध पर एक ऐसा कर्मचारी रहता है जो रात-दिन वहां पर निवास करता है।

इसलिए कोई न कोई अधिकारी जरूर इसमें जिम्मेवार है और उसकी जिम्मेदारी ठहराकर जो कोई भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है चाहे आज नियम के अन्दर उसमें मुआवजा देने का या कोई और सहायता करने का प्रावधान नहीं है लेकिन इस सम्बन्ध में हम इस बात का कोई रास्ता निकालेंगे कि उन किसानों का, जो नाजायज तौर से फसलें नुकसान की गयी हैं उनको किसी तरह से सहायता दी जाए। दूसरा, जो आपने पूछा है कि कितने पैसे देंगे मरम्मत के लिए, यह इस वक्त कहना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। तसल्ली रखिये।

श्रीमती कमला : इसमें जो आपने प्रोटेक्शन डेम की बात कही है....

श्री उपाध्यक्ष : कमलाजी आप बोल चुकीं पहले। माननीय पुबिया जी।

श्रीमती कमला : प्रोटेक्शन डेम के लिए मैं जरूरी तौर पर व्यवस्था करने की चेष्टा करूंगी क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण यूनिट है जिसके लिए काम किया जाना चाहिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : धन्यवाद।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक डिमांड और है मेरी। उपनिवेशन की दो लाइन बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ी हुई मान लो।

श्रीमती कमला : बहुत-से माननीय सदस्यों ने जैसलमेर क्षेत्र में भू-आवंटन हो रहा है आई.जी.एन.पी. के तहत, उसके बाबत में काफी मुद्दे उठाये हैं, उन मुद्दों पर....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदया, एक सैकण्ड....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कमला जी, विराजिये।

श्रीमती कमला : मैं यह तो बोल दूं, फिर पूछ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, बैठिये। नहीं, मैं उन कमला जी को बोल रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। एक कमलाजी और हैं।

श्रीमती कमला : मैं यह बोल दूं, उसके बाद में पूछ लेना। तो अभी तक जितनी जमीन ओपन हो चुकी है और आवंटित की जानी है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदया, उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इनका जवाब सुनिये। एक डिमांड और बाकी है अभी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उसी पर तो मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक डिमांड और बाकी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, मैं उसी के बारे में आपसे अर्ज कर रहा हूं।

श्रीमती कमला : उसमें से एक लाख दस हजार एकड़ जमीन के पेटे हमने सामान्य और विशेष आवेदन कर लिये हैं और उन आवेदनों के तहत आवंटन का कार्य प्रारम्भ किया हुआ है। यह दूसरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद बोल लेना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप विराजिये, प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्या बात है। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं, आपने जो सूची हमें भेजी है, उसमें मुख्य शीर्षक आपने फरमाया है, 2701, इत्यादि इत्यादि। अब उपनिवेशन का आपने उसमें लिखा नहीं है। उपनिवेशन के लिए या तो आप हमें रेवेन्यू के साथ में टाइम दीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : उपनिवेशन इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे ....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कहां लिखा हुआ है, आप पढ़िये ना।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं ना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं, आप इसमें पढ़िये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं ना, यह लिखा हुआ है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं अर्ज कर रहा हूं आपको, मेरे पास जो सूची आई है, सूची

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

संख्या एक और सबके पास यही है उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती कमला : आप रेवेन्यू के साथ और दुबारा पूछ लें, कटमोशन्स भी ले आयें और बोल भी लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं दुबारा जवाब दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, मंत्री महोदया, आप अभी तो फरमा रही हैं कि रेवेन्यू के साथ उठा लेना। उस समय कोई न कोई कहेगा पाइंट आफ आर्डर से, नहीं साहब, उस समय तो आप नहीं बोले।

श्रीमती कमला : अब कोई कहेगा जिसकी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो जवाब देने की जिम्मेदारी रखती हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हम तैयारी करके तो आते। बड़ा सीरियस सब्जैक्ट है। आपको इसको कन्सीडर करने में क्या दिक्कत है। आप अगर इसमें लिखते कि....

श्रीमती कमला : मैं तो कह रही हूं कि मैं तो रेवेन्यू के साथ में भी देने को तैयार हूं, मुझे थोड़े ही एतराज है। आप कह रहे हैं कि बाद में कोई बोल देगा, पाइंट आफ आर्डर उठा देगा, तो मैं क्या करूंगी उसमें?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, तो अभी आप इस समय क्यों, मैं आपसे यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको डुप्लीकेशन क्यों कर रही हैं? आप अब हमें कह रही हैं आज...

श्रीमती कमला : देखिये, मैं इस समय तो इसलिए बोल रही हूं कि मुझे कायदा निभाना है। उस वक्त इसलिए बोलूंगी कि आप चाह रहे हैं, इसलिए कर रही हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं नहीं; इस समय तो नहीं मंत्री महोदया...(व्यवधान) किसमें? मेरे में नहीं है। इसलिए आप उसी दिन डिस्कस कर लें, यह मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्रीमती कमला : नहीं, मैं तो बोल दी, जो बोलना था। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बूजलाल : मैं बोल रही हूं ना उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यह अर्ज कर रहा हूं मंत्री महोदया, मैं बड़ी नम्रता से अर्ज कर रहा हूं कि अभी आप इसमें टाइम लगायेंगी....

श्रीमती कमला : मैं नहीं लगाऊंगी। मैं तो, दो लाइन बोलने की थीं, वह बोल दी। एक लाख 10 हजार एकड़ जमीन का अलाटमेंट हमने जारी कर रखा है, बस इतना–सा बोली हूं ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए प्लीज। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र सिंह भाटी ने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है, वह सही है। आपने सवाल बिलकुल ठीक उठाया है, आप उस पर व्यवस्था दें। जो सूची आपने दी है....

श्री उपाध्यक्ष : यह सूची मेरे हाथ में है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई बातें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर—आर्डर।

श्रीमती कमला : बोले नहीं आप, मैं कब मना कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...जो पार्वती नदी पर एक योजना बनाकर भिजवाई हुई है ....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं तो नहीं मना कर रही हूं। आप पूछिये सवाल, मैं तो जवाब दे दूंगी।

मांग संख्या 46 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय दिलावरजी, विराजिये। जो सूची आप पढ़ रहे हैं, उसमें साफ है, अनुदान की मांग संख्या—46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर, उपनिवेशन सहित) पर विचार एवं मतदान, यह इसमें साफ लिखा हुआ है। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर, उपनिवेशन सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,80,02,92,000 (रुपये चौदह अरब अस्सी करोड़ दो लाख बानवें हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 13-4-1999 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.04 बजे मंगलवार दिनांक 13-4-1999 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 300 का विवरण)

जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., जयपुर
राशन दुकानदारों की तरफ बकाया राशि की सूची
वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक

क्र.सं.	पार्टी का नाम	उचित मूल्य दुकान नं.	बकाया राशि
1	2	3	4
1.	रविन्द्र कुमार शर्मा	46	19098.75
2.	राजेश कुमार अजय कुमार	25बी.	808.50
3.	राजेन्द्र कुमार	32 ए.	310.30
4.	राजकुमार शर्मा	54/56	2677.70
5.	रामजी लाल	77	917.00
6.	अशोक कुमार अग्रवाल	123	856.35
7.	परमेश्वर लाल	150	476.15
8.	रामेश्वर दयाल सत्यनारायण	155	522.00
9.	बद्रीनारायण	156	622.00
10.	राजकुमार	166	560.00
11.	गौरी देवी	272	161.80
12.	हनुमान सहाय	305	198.40
13.	कैलाश चन्द गुप्ता	316	687.60
14.	कैलाश चन्द	336	465.70
15.	अमर चन्द कुमावत	368	1035.00
16.	विनोद प्रकाश	372ए.	557.10
17.	सुरेश चन्द रावत	389/388	1707.40
18.	राजकुमार मीणा	394/395	7403.10

1	2	3	4
19.	भंवर लाल जैन	413/422 ए.	2889.60
20.	रामजी लाल अग्रवाल	423/424	1613.70
21.	कैलाश चन्द गुप्ता	437	170.00
22.	राम जीवन शर्मा	451	24810.55
23.	रमेश चन्द	454/453	300.70
24.	रामअवतार गुप्ता	482	4710.75
25.	रमेश कुमार अग्रवाल	490	988.75
26.	अविनाश कुमार खण्डेलवाल	494/500	1921.00
27.	बिरदी चन्द अग्रवाल	512/513	530.75
28.	राज. सैक्रेटेड कर्म, सह.समिति	535	313.40
29.	सूरज मल मूडोतिया	545	3053.75
30.	रमेश चन्द सिंघल	556	2994.40
31.	जगदीश नारायण राणा	557	1491.70
32.	धर्म चन्द जैन	568/568ए/569	2343.80
33.	बाबू लाल सैनी	576	1326.30
34.	श्याम ट्रेडर्स	709	1227.70
35.	गोपाल सिंह	714/716	2064.30
36.	शमशुद्दीन	71	916.70
योग			92632.80

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या-302 की सूची)

परिशिष्ट–'अ'

सांचोर तहसील के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृत (कि.मी.)	वर्तमान प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित समय
1	2	3	4	5
1.	सम्पर्क सड़क एन. एच. 15 झाव रोड कि. मी. 17 से जोधावास	10.50	5 किमी में डब्ल्यू. बी. एम. का कार्य पूर्ण ।	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित
2.	सं. सम्पर्क अडवा सुराचन्द रोड से सुथड़ी	4.00	सी. डी. कार्य प्रगति पर है ।	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित
3.	देवड़ा से निवाउ	6.00	कार्य आदेश जारी नहीं किया गया है ।	—
4.	सं. सड़क सांचोर बिछवाड़ी रोड से बिछवाड़ी	2.00	सामग्री एकीकरण का कार्य प्रगति पर है ।	इन तीन सड़कों का कार्यादेश पैकेज के रूप में जारी किया

1	2	3	4	5
5.	सं. सड़क सेवरा देवरा रोड किमी 19 से सुली	2.00	कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।	गया है। तथा कार्यों को कार्यादेशानुसार पूर्ण करने की सम्भावित दिनांक 20-11-99 है तथा निर्माण कार्य निश्चित अवधि में ही पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।
6.	,, ,, एन.एच. 15 ओलड़ा से मालवाड़ा	3.00	सी. डी. कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।	

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती के वाइस चांसलर के विरुद्ध शिकायत प्रकरण

304. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के वाइस चान्सलर के विरुद्ध गम्भीर अनियमितता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद आदि की शिकायतें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर को निलम्बित कर जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम 1987 की धारा 8 के प्रावधानों के आधार पर महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति ही विश्वविद्यालय के प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं ।

अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुलाधिपति महोदय से निवेदन कर दिया गया है ।

(2) इस सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार कुलाधिपति महोदय द्वारा ही कोई कार्यवाही की जा सकती है ।

जनता जल योजना के मानदण्डों में संशोधन

305. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अन्य विभाग भी कई योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल योजनाएं स्वीकृत करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं को जनता जल योजना में लेने का विचार रखती है ?

(2) जनता जल योजना के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) क्या सरकार राज्य में बन्द पड़ी योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिये उक्त मानदण्डों में संशोधन का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय मानदण्ड के अनुरूप पेयजल योजनायें होने पर उनको जनता जल योजना के अनुसार भी संधारित किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा।

(2) जनता जल योजना के मानदण्ड सलंग्न परिशिष्ट 'क' पर है।

(3) जनता जल योजना वहां की पंचायत अथवा नागरिकों की समिति के द्वारा संकल्प लेकर उनके द्वारा ही चलाई जाती है। योजना के संचालन में अवरोध आने पर सरकार मानदण्डों में संशोधन करने पर विचार कर सकती है।

प्रपत्र-'क'

राजस्थान सरकार

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग

क्रमांक: एफ-1 (1) पी एच ई/94 जयपुर, दिनांक : 28-3-1994

परिपत्र

माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय द्वारा विधान सभा में 'जनता जल योजना' प्रारम्भ करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा यह अनुभव किया गया है कि पिछले वर्षों में योजनाओं का सरकारीकरण बढ़ा है तथा उपभोक्ताओं की योजनाओं में भागीदारी के लिए विशेष प्रयास नहीं हो सके हैं। विभिन्न योजनाओं के संचालन में सामान्य उपभोक्ताओं की भूमिका यदि बढ़ती है तो उन योजनाओं की सफलता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। ऐसे क्षेत्रों में जहां से पानी उपलब्ध कराने का कोई साधन नहीं है अथवा विभागीय मापदण्ड के अनुसार अपर्याप्त है वहां 'जनता जल योजना' स्वीकृत की जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत उस क्षेत्र में उपलब्ध कुंए का पानी पीने के लिए यदि वहां की पंचायत अथवा कोई नागरिकों की समिति पानी उपलब्ध कराने का संकल्प लेती है तो उस कुंए पर प्रति माह राजस्थान विद्युत मण्डल को बिजली खर्च के पेटे जमा करायी जाने वाली विद्युत राशि का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जावेगा। आवश्यकतानुसार कुंआ विभाग

द्वारा गहरा भी कराया जा सकता है । मोटर मरम्मत के लिए भी विभाग की ओर से अनुदान देने की व्यवस्था की जावेगी । इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं ।

(1) स्वीकृति :

अभी तक इस प्रकार की योजनाओं की स्वीकृति विभाग की सर्वोच्च समिति पी.पी.सी. द्वारा दी जाती थी परन्तु इस कार्य को विशेष गति देने की दृष्टि से अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है तथा प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर एवं अधीक्षण अभियन्ता की समिति द्वारा स्वीकृतियां दी जा सकेगी । प्रत्येक स्वीकृति की प्रति राज्य सरकार व मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) को प्रेषित की जावेगी ।

(2) मोटर :

सामान्य जिलों में कुओं पर मोटर की व्यवस्था स्थानीय समिति द्वारा करनी होगी । परन्तु रेगिस्तानी जिले तथा ऐसे जिले जहां पर पानी विशेष गहरा है, वहां मोटर की व्यवस्था भी विभाग द्वारा ही की जावेगी ।

जिन जिलों में मोटर लगायी जावेगी वे जिले निम्न हैं:-

(1) बाड़मेर (2) बीकानेर (3) चूरू (4) जैसलमेर
(5) झुन्झुनूं (6) जोधपुर (7) नागौर

(3) बजट :

मौजूदा बजट की राशि समर कन्टेनजेंसी (ग्रामीण व नगरीय) क्षेत्रों के लिए आवंटित की गयी है । इस राशि में से आवश्यकतानुसार 'जनता जल योजना' के कार्यक्रम हाथ में लिये जा सकते हैं तथा इस उपलब्ध राशि से इस योजना में व्यय किया जा सकता है । अन्य मामलों में समय समय पर आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध होने पर योजना स्वीकृत की जा सकेगी ।

(4) कर्मचारी :

कुंए पर लगी मोटर को चलाने आदि के लिये कोई भी विभागीय कर्मचारी नहीं होगा । स्थानीय समिति को इसके लिए अंशकालीन व्यवस्था करनी होगी । यदि

समिति उचित समझे तो योजना को चलाने के लिए ठेके पर भी दे सकती है।

(5) घरेलु कनेक्शन :

इस योजना के अन्तर्गत यदि समिति चाहे तो अपनी ओर से घरेलू कनेक्शन भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सकती है। अतः इस कार्य के लिए प्रत्येक परिवार से माहवारी वसूल करने के लिए समिति अधिकृत है। इसी प्रकार सामान्य रख-रखाव के लिए यदि प्रत्येक उपभोक्ता से समिति कुछ राशि वसूल करना चाहे तो अधिकृत होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि 'जनता जल योजना' के अन्तर्गत प्राप्त कुल आय समिति की होगी तथा विभाग का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। आवश्यकतानुसार इन योजनाओं के अन्तर्गत कुए गहरे कराये जा सकते हैं।

(6) टी. एस. एस. योजनाएं :

विभाग ने मौजूदा टी.एस.एस. योजनाओं को भी पूरा सहयोग एवं समर्थन दिया जाना है तथा वहां पर भी यदि योजना के चलाने में कुछ अवरोध हो तो उसको हटाने का प्रयास चाहिये। यदि मोटर कम हार्स पावर की है तो उसे कंटीजेन्सी की राशि से अधिक हार्स पावर की मोटर की व्यवस्था की जा सकती है।

(7) जनसंख्या :

ऐसी योजनायें अभी तक 2000 से अधिक की जनसंख्या के लिए ही स्वीकृत की जा सकती थी, परन्तु अब 500 की जनसंख्या के लिए भी यह व्यवस्था की जा सकेगी।

एसडी-
(पी.एन.भण्डारी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रपत्र–'क'

जनता जल योजना

माननीय मंत्री महोदय की विधान सभा सदन में 'जनता जल योजना' की घोषणा की अनुपालना में प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने इनकी क्रियान्विति बाबत परिपत्र क्रमांक एफ–1/पी.एच.ई./94 दिनांक 28-3-94 जारी किया गया था। तत्पश्चात् राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सिवरेज बोर्ड की नीति निर्धारण समिति ने 115वीं बैठक में दिनांक 26-7-1994 को विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। तदानुसार :–

1. जनता जल योजना (पम्प व टैंक/पाइप्स) ऐसे गांवों/ढाणी व मजरों में लागू की जा सकती है, जिनकी आबादी 500 से अधिक है। लेकिन मरुस्थलीय जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुन्झुनूं, जोधपुर व नागौर) में 250 से अधिक आबादी पर भी लागू की जा सकती है।

2. जनता जल योजना लागू करने में अगर विद्युत कनेक्शन लिया जाना है तो गैर मरुस्थलीय जिलों में इसका व्यय पंचायत/एन. जी. ओ./स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ही वहन किया जायेगा। लेकिन यह राशि बहुत ज्यादा होने पर रु. 50,000/- या इससे कम (वास्तविक राशि) की राशि का, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा तथा इससे अधिक धनराशि का व्यय स्वयं पंचायत/एन.जी.ओ./स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ही वहन किया जायेगा।

3. पंचायत/एन.जी.ओ./स्वयंसेवी संस्थाओं को ऐसी योजनाओं को चलाने हेतु निम्न राशि का पुनर्भरण जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जायेगा :–

   (अ) रु. 500/- प्रति योजना प्रतिमाह लेबर चार्जेज।

   (ब) रु. 1000/- प्रति जल स्रोत प्रति वर्ष मोनो ब्लाक पम्प सैट की रख रखाव हेतु।

   (स) रु. 400/- प्रति हार्स पावर प्रति जल स्रोत सबमर्सिबल पम्प सैट की रख रखाव हेतु।

4. बिजली के बिल का भुगतान प्रतिमाह विभाग द्वारा सीधे ही विद्युत विभाग को किया जायेगा ।

5. पानी के कनेक्शन पंचायत/एन.जी.ओ./स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दिये जायेंगे एवं राजस्व भी उनके द्वारा एकत्रित किया जायेगा ।

6. इन योजनाओं का पुनर्गठन/संवर्धन, जहां आवश्यक होगा विभाग द्वारा ही कराया जायेगा ।

7. ऐसी योजनाओं की स्वीकृति प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर एवं अधीक्षण अभियन्ता की 'जल समिति' द्वारा की जायेगी ।

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के पिछड़े वर्गों के ग्रामों का विद्युतिकरण

306. श्री आदराम मेघवाल (टीबी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अधिकांश ग्राम पंचायत मुख्यालय घरेलू विद्युत कनेक्शनों से वंचित हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के हरिजन मोहल्ले को विद्युतिकरण से भी वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार शत प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के गांवों का विद्युतिकरण निःशुल्क करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत केवल 7 ग्राम पंचायत मुख्यालय घरेलू विद्युत कनेक्शनों से वंचित थे, उनमें से चक 4 सी. वाई. एम. का विद्युतिकरण का कार्य माह मार्च, 1999 में कर दिया गया है । शेष रहे पंचायत मुख्यालयों का विद्युतिकरण निर्धारित नीति व संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार आगामी वर्षों में किया जाना संभव हो सकेगा ।

(2) विद्युतिकृत घोषित गांवों के हरिजन मोहल्लों का विद्युतिकरण सरपंच, ग्राम पंचायत व समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुमोदन करने पर किया जाता है । उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग से उक्त क्षेत्र की हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः मण्डल द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ;

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी हां। मण्डल द्वारा साध्य पाये जाने वाले सभी अनुसूचित जाति/जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के ग्रामों का विद्युतिकरण करने का विचार रखती है। लेकिन विद्युतिकरण उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप शनैः शनैः किया जाना संभव होगा।

अवैध खनन पर रोक प्रकरण

307. श्री निर्मलाल (रूपवास) एवं श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर/करौली/भरतपुर/जयपुर/राजसमन्द/अजमेर/उदयपुर में अवैध खनन कार्य किया जा रहा है? क्या इन्हें समय पर रोक कर अवैध खनन बन्द कराया गया? यदि नहीं, तो क्या उनसे शास्ति राशि नियमानुसार वसूली गई? यदि नहीं, तो क्या उक्त पट्टों को निरस्त किया गया? क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध खनन से सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो अब उक्त क्षेत्र से अवैध खनन कब तक रोक दिया जायेगा?

उत्तर

यह सही नहीं है कि जिला धौलपुर/करौली/भरतपुर/जयपुर/राजसमन्द/अजमेर/एवं उदयपुर के क्षेत्रों में निरन्तर व्यापक रूप से अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। विभाग को अवैध खनन की जब भी जानकारी प्राप्त होती है उसे तत्काल बन्द कराने की कार्यवाही की जाती है। अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पंचनामें तैयार किये जाते हैं, शास्ती के रूप में राशि वसूल की जाती है, मौके पर औजार जब्त किये जाते हैं तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जाती है। खनन पट्टा क्षेत्रों में होने वाला खनन कार्य अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में खनन पट्टों को निरस्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। फिर भी पट्टाधारियों द्वारा अवैध खनन किये जाने पर उनके विरुद्ध उनके पट्टे निरस्त किये जाने सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। यह सही नहीं है कि उक्त क्षेत्रों में अवैध खनन से राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। जब भी अवैध खनन पकड़ा गया है उस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है तथा विभाग ने अवैध खनन को तत्परता से रोकने का प्रयास किया है।

जयपुर के अवैध कब्जों का नियमन

308. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) एवं श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर निगम, जयपुर ने गत 3 वर्षों में कितने अवैध कब्जों का नियमन किया? उक्त नियमन किन-किन के पक्ष में किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(2) नगर निगम जयपुर ने गत 3 वर्षों में कितने व्यावसायिक संस्थान या व्यक्तियों को तामीर करने की स्वीकृति प्रदान की है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर ने गत 3 वर्षों में अवैध कब्जों का नियमन किया है, उनकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) नगर निगम, जयपुर ने गत 3 वर्षों में जिन व्यावसायिक संस्थाओं या व्यक्तियों को तामीर करने की स्वीकृतियां दी हैं, उनका विवरण सदन की मेज पर सूची "बी" में रख दिया गया है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला स्तरीय भू-समिति द्वारा निर्धारित भू-दरें

309. **श्री यमीन खान (शिव) एवं डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) एवं श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में कृषि/ आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि के भाव आधे से भी कम रह गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला स्तर पर बनी जिला कमेटी हर वर्ष मनमाने तरीके से रजिस्ट्रेशन के मकसद से भूमि की बाजार दर बढ़ा देती है ?

(3) क्या यह सही है कि स्टाम्प ड्यूटी हेतु जिला कमेटी जो दर तय करती है उसमें सड़क से दूरी का ही पैमाना मान लिया जाता है ? क्या उक्त समिति उबड़-खाबड़ भूमि की कैटेगरी तय नहीं करती है ?

(4) क्या सरकार कई जगह जो भाव मान कर स्टाम्प शुल्क लेती है उस भाव पर भूमि खरीदने को तैयार है ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । जिला स्तरीय समिति के समक्ष उप पंजीयकरण बाजार दर तय करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, तत्पश्चात जिला स्तरीय समिति विचार विमर्श के उपरान्त दरें निर्धारित करती है ।

(3) जी हां । जिला स्तरीय समिति द्वारा भूमि की लोकेशन व उपयोग को मद्यनजर रखते हुए दरें तय की जाती है । उक्त जिला स्तरीय समिति द्वारा उबड़-खाबड़ भूमि की अलग से केटेगरी तय नहीं की गई हैं, परन्तु विशेष परिस्थिति की भूमि की कीमत उप पंजीयक द्वारा रेफरेन्स करने पर निर्धारित विधिक प्रावधानों के अनुसार कलक्टर (मुद्रांक) के स्तर पर जिला स्तरीय समिति की दर से कम दर पर तय की जाती हैं ।

(वित्त मंत्री)

(4) जी नहीं । भारतीय मुद्रांक अधिनियम–1899 के तहत इस प्रकार से भूमि क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

निदेशक आयुर्वेद द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना प्रकरण

310. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि याचिका सं. 6/92 में उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं की गई और न ही न्यायालय निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है ।

(2) क्या यह भी सही है कि याचिका सं. 6/92 में उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने के कारण राज्य सरकार को अवमानना याचिका में दो लाख सैंतालीस हजार तीन सौ छियालीस रुपये का भुगतान करना पड़ा और अधिवक्तागणों की भारी फीस का भी भुगतान करना पड़ा ?

(3) यदि हां । तो इस प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें । क्या उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने अथवा समयावधि में अपील नहीं करने के लिए दोषी आयुर्वेद निदेशक के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त याचिका सं. 6/92 में निर्णय के अनुरूप योग्यताधारी वेतन लाभ प्राप्त करने वाले नर्स/कम्पाउण्डर कर्मचारियों की संख्या कितनी है व इससे सरकार पर कितना आर्थिक भार पड़ेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि याचिका द्वारा उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 4-4-74 के विरुद्ध खण्डपीठ में स्पेशल अपील दायर की गई थी ।

(2) जी नहीं । याचिका सं. 6/92 में पारित निर्णय का निर्वचन जो विभाग द्वारा किया गया था, उसके अनुसार निर्णय की पालना की जा चुकी थी, किन्तु उस निर्णय का न्यायालय द्वारा अन्यथा रूप में निर्वचन कर, विभाग को पालना नहीं करने का दोषी माना और अवमानना प्रकरण में दंडादेश जारी करने के फलस्वरूप इस राशि का एवं अधिवक्ताओं की फीस का भुगतान किया गया ।

(3) उक्त प्रकरण में कोई भी विभागीय अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना कर दी गई थी ।

(4) निदेशालय, आयुर्वेद विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार; याचिका सं. 6/92 में न्यायालय निर्णय अनुसार

(राज्य मंत्री; आयुर्वेद)

भाषा रत्न; बम्बई हिन्दी विद्यापीठ की योग्यताधारी निम्न 5 नर्स/कम्पाउण्डर हैं:—

1. श्री अर्जुन देव, सेवानिवृत हो चुके हैं।
2. श्री पुखराज शर्मा, सेवानिवृत हो चुके हैं।
3. श्रीमती शारदा देवी
4. श्रीमती चन्द्रकला शर्मा
5. श्री सोहन लाल शर्मा

सेवानियमों के प्रावधान अनुसार उक्त योग्यताधारियों को कनिष्ठ नर्स/कम्पाउण्डर का वेतनमान नहीं दिया जा सकता, अतः आर्थिक भार पड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। किन्तु यदि न्यायालय से निर्देश प्राप्त होते हैं, उनकी पालना की जावेगी।

उदयपुर भूमि विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण प्रकरण

311. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्ष 1997 में उदयपुर भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल की पहली बैठक में लम्बित ऋण स्वीकृति हेतु पत्रावलियों पर विचार किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के ऋणों की पत्रावलियों पर विचार हुआ ?

(2) क्या ट्रैक्टर ऋण हेतु राजस्थान एग्रो एवं अन्य व्यवसायियों ने एच.एम.टी. ट्रैक्टर के अपने मूल्य कोटेशन दिये थे ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नियमों की अनदेखी कर किसी विशेष व्यक्ति को व्यवसायिक लाभ देने हेतु निर्णय लिया जिस पर उप रजिस्ट्रार एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के आयोजना अधिकारी ने असहमति व्यक्त की थी ? यदि हां, तो उक्त पत्रावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल की पहली बैठक दिनांक 3-2-97 को हुई थी। इस बैठक में लम्बित 114 ऋण पत्रावलियों पर स्वीकृति हेतु विचार किया गया था। इस बैठक में फार्म मंत्रीकरण, डेयरी, अकृषि उद्देश्य एवं बाह्य ऋण हेतु पत्रावलियां स्वीकृत की गई थीं।

(2) भूमि विकास बैंक ट्रैक्टर ऋण हेतु कोटेशन सीधे प्राप्त नहीं करता बल्कि काश्तकार स्वयं अपनी इच्छानुसार ऋण पत्रावली के साथ कोटेशन प्रस्तुत करता है। राजस्थान कृषि उद्योग निगम एवं अन्य व्यवसायियों से एच.एम.टी. ट्रैक्टर के प्रति प्राप्त कोटेशन का विवरण निम्नानुसार है :—

(सहकारिता मंत्री)

एच.एम.टी. ट्रेक्टर्स की अश्वशक्ति अनुसार तुलनात्मक मूल्य सूची

क्र.सं.	अश्वशक्ति माडल	कम्पनी मूल्य (फारमर किट सहित)	व्यवसायिक फर्म मूल्य (फारमर किट सहित)	राज्य कृषि उद्योग निगम (बिना फारमर किट)	राज्य कृषि उद्योग निगम (फारमर किट सहित)
1	2	3	4	5	6
1.	एच.एम.टी. 3511 (8 प्लाई)	209206.55	209206.55	207318.00	209568.00
2.	एच.एम.टी. 2522 (8 प्लाई)	184940.90	184940.90	182712.00	184962.00
3.	एच.एम.टी. 2522 (12 प्लाई)	185791.20	185791.20	183565.00	185815.00

(3) जी नहीं।

फूलों को कृषि जिन्सों में शामिल करने संबंधी प्रकरण

312. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समितियां फूलों पर 10% की आढ़त वसूल करती है ?

(2) क्या यह सही है कि अन्य कृषि जिन्सों पर मण्डी समितियां केवल 2% आढ़त वसूल करती है ?

(3) क्या फूल राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कृषि जिन्सों की अनुसूची में शामिल नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फूलों को कृषि जिन्सों की अनुसूची में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। आढ़त मण्डी समिति द्वारा वसूल नहीं की जाकर आढ़तियों द्वारा की जाती है।

(3) जी हां। फूलों को कृषि जिन्सों की अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्यों कि फूलों का धार्मिक उपयोग ज्यादा तथा व्यापारिक उपयोग कम होता है।

गंग नहर/लिंक नहर का मरम्मत प्रकरण

313. श्रीमती विजय लक्ष्मी बिश्नोई (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले की गंग नहर की मरम्मत हेतु एक लिंक नहर का निर्माण किया गया है ?

(2) क्या यह लिंक नहर पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर का विस्तार प्रकरण

314. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार श्री गंगानगर जिले में मेडिकल व इंजिनियरिंग महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार राजकीय महा–

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

विद्यालय श्री गंगानगर में भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों सहित एम.एस.ई. की कक्षाएं प्रारंभ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं,तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के विधि संकाय में "डिप्लोमा इन लेबर ला" प्रारंभ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त राजकीय महाविद्यालय को जयपुर यूनिवर्सिटी से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में गंगानर जिले में मेडिकल व इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों के परिणामस्वरूप राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर में विज्ञान संकाय के भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों में एम.एससी. कक्षायें प्रारंभ किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। बार काउन्सिल आफ इंडिया के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बहु संकायी महाविद्यालय के विधि संकाय के विषय प्रारंभ नहीं किये जा सकते हैं।

(4) जी नहीं। यह प्रकरण प्रदेश में नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़ा है।

बाड़मेर शहर की पेयजल समस्या का समाधान प्रकरण

315. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर में पेयजल की आपूर्ति भारत सरकार द्वार निर्धारित मापदंड एवं मात्रा के अनु-सार नहीं की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर शहर का मुख्य स्रोत माडली में निर्मित नलकूपों से है ? क्या उक्त स्रोत में पानी की कमी आती जा रही है ?

(3) क्या उक्त मुख्य स्रोत बाड़मेर शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये एवं घटती हुई गुणवत्ता को लगातार कमी को देखते हुए अविश्वसनीय एवं अपर्याप्त है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने बाड़मेर शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु इन्दिरा गांधी नहर को जल स्रोत मानकर मोहनगढ़ से बाड़मेर लाने की योजना बनाई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(5) उक्त योजना को राज्य सरकार स्वीकृत कर कब तक क्रियान्वित करेगी ?

(6) उक्त योजना का जब तक क्रियान्वयन न हो तब तक की अल्प अवधि में बाड़मेर शहर के पेयजल के समाधान के लिये राज्य सरकार क्या वैकल्पिक योजना तैयार कर राहत पहुंचायेगी ? वैकल्पिक योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, परन्तु स्रोत में पानी की कमी नहीं आ रही है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(6) वैकल्पिक योजना की आवश्यकता नहीं है पेयजल समस्या के लिए आवश्यकता होने पर वर्तमान योजना की संवर्धन योजना बनाकर समस्या का समाधान किया जा सकेगा ।

तहसील सपोटरा के ग्रामों का विद्युतिकरण प्रकरण

316. श्रीमती कमला बुजलाल (सपोटरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार मंडरायल तथा करणपुर डांग में विद्युतिकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) सपोटरा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी डी.पी. जली हुई हैं और इन्हें कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

(3) क्या सपोटरा क्षेत्र में खुशालसिंह, माधोराजपुरा में ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) तहसील सपोटरा में कितने गांव विद्युतिकृत हैं ? क्या सरकार शेष ग्रामों का विद्युतिकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । मण्डरायल एवं करणपुर डांग क्षेत्र में क्रमशः 39 व 11 गांवों को विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त डांग क्षेत्र के शेष बचे हुये गांवों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों में निर्धारित ग्रामीण विद्युतिकरण नीति व उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जावेगा । इस सम्बन्ध में निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

(2) सपोटरा क्षेत्र में वर्तमान में निम्न 6 ग्रामों के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं :-

(ऊर्जा मंत्री)

1. गोठड़ा	4. रायथरा
2. निसाना	5. अमावरा
3. खानपुर	6. इनायती

चूंकि सम्बन्धित ग्रामों के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराई गई इस कारण इन जले हुए ट्रांसफार्मरों को नहीं बदला जा सका। बकाया राशि जमा कराने पर जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदल दिया जायेगा।

(3) सपोटरा क्षेत्र में खुशाल सिंह व माधोराजपुरा में ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) तहसील सपोटरा के कुल 167 गांवों में से 103 गांवों को विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है शेष 64 गांवों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों में निर्धारित नीति व उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जा सकेगा।

जिला जैसलमेर में रॉक फॉस्फेट का सर्वे

317. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के भू-गर्भ में रॉक फॉस्फेट उपलब्ध है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या उक्त कार्य किसी निजी/सरकारी उपक्रम को लीज पर दिया हुआ है? यदि हां, तो आज तक कितना उत्पादन हुआ है और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जैसलमेर के फतेहगढ़, बिरमानीय क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट उपलब्ध है।

(2) जी हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण दल ने 1968-70 में इस क्षेत्र में फास्फेट की सम्भावना का पता लगाने हेतु भूगर्भिक सर्वेक्षण किया एवं 2053.89 मीटर छिद्रण (68 बोर हाल) की मदद से 4.89 मिलि. टन 7 से 11 प्रतिशत फास्फोरस पेन्टा आक्साईड श्रेणी का आंकलन किया। सन 1989-90 में खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने इस क्षेत्र का पुनः आंकलन किया, जिसमें कोई नये उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सर्वश्री आर.एस.एम.डी.सी. लि. से प्राप्त पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र आवेदन दिनांक 11-4-90 पर बिरमानीया क्षेत्र में 4 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनन करने की कार्यानुमति आदेश क्र. प.3 (30) खान/2/91 दिनांक 14-6-91 से जारी की गई। निगम ने

(राज्य मंत्री, खनिज)

सूचित किया है कि उन्होंने जी. एस. आई. द्वारा लगाये गये बोर-होल्स की डिटेल को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर ट्रेंचिंग करा कर खनिज के नमूने इकट्ठे किये तथा उनका रासायनिक परिक्षण कराया जो कि निम्न श्रेणी का पाया गया है। इस निम्न श्रेणी के फास्फेट हेतु मार्केट सर्वे किया गया परन्तु श्रेणी निम्न होने के कारण मार्केट उपलब्ध नहीं हो सका है। इस कारण उक्त क्षेत्र में उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। पुनः शासन द्वारा आदेश दिनांक 20-2-98 से इस क्षेत्र हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकार किया गया है, जिसका संविदा निष्पादन दि. 30-7-98 से एक वर्ष के लिए किया गया है।

राज्य की कच्ची बस्तियों का नियमन प्रकरण

318. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किन-किन जिलों में कौन कौन सी कच्ची बस्तियों में वीडियोग्राफी/तारबंदी की गई है? मय लम्बाई व चौड़ाई के सूची मय नाम पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सर्वे/वीडियोग्राफी, तारबंदी में कितनी लागत आई व कौन-कौन से नगर विकास न्यास/नगरपालिका/परिषद ने कितना भुगतान इस मद में किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने नियमन के नये नियम/दरें निर्धारित की हैं? यदि हाँ, तो आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो नियमन कब से, किस दर पर करने का विचार है?

उत्तर

(1) नगरीय क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में विडियोग्राफी/तारबंदी की अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर सुधार न्यास, दो नगर निगमों एवं 98 नगरपालिकाओं, 3 नगर परिषदों से प्राप्त सूचना का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। शेष सूचना प्राप्त की जा रही है। वीडियोग्राफी/तारबंदी के आधार पर सम्बन्धित कच्ची बस्ती की लम्बाई चौड़ाई मय नाम पते के सूची सहित विवरण तैयार करने में अत्यधिक समय लगना स्वाभाविक है। अतः इतने अल्प समय में उपरोक्त विवरणों सहित सूची तैयार करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(2) अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर व्यय हुई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) नियमन की दरें निर्धारण का प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

परिशिष्ट "क"

राज्य के नगरीय क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों की वीडियोग्राफी/तारबंदी एवं किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	निकाय का नाम	विडियोग्राफी/तारबन्दी की गई है या नहीं	व्यय राशि भुगतान कर दिया गया है	व्यय राशि भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	नगरपालिका, उनियारा (टोंक)	नहीं	....	....
2.	नगरपालिका; बिलाड़ा (जोधपुर)	हां	3500/-	....
3.	नगरपालिका, सलूम्बर (उदयपुर)	नहीं	....	....
4.	नगरपालिका, बाड़मेर	हां	9300/-	....
5.	नगरपालिका, राजगढ़ (चूरू)	नहीं	....	....
6.	नगरपालिका, खेडली (अलवर)	नहीं	....	....
7.	नगरपालिका, निवाई (टोंक)	नहीं	....	....
8.	नगरपालिका, रतनगढ़	हां	2500/-	....

1	2	3	4	5
9.	नगरपालिका, रावतसर (हनुमानगढ़)	हां	1000/-	....
10.	नगरपालिका; कपासन (चित्तौड़गढ़)	हां	1740/-	....
11.	नगरपालिका, पुष्कर (अजमेर)	नहीं	....	....
12.	नगरपालिका; सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)	नहीं	....	....
13.	नगरपालिका, नगर (भरतपुर)	नहीं	....	....
14.	नगरपालिका, झुन्झुनूं	नहीं	....	....
15.	नगरपालिका, नाथद्वारा (उदयपुर)	हां	8000/-	....
16.	नगरपालिका, श्रीकरणपुर	हां	4500/-	....
17.	नगरपालिका, शाहपुरा (जयपुर)	नहीं	....	....
18.	नगरपालिका, दौसा	नहीं	....	....
19.	नगरपालिका; भवानीमण्डी, झालावाड़	हां	2100/-	....
20.	नगरपालिका; उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	नहीं	....	....
21.	नगरपालिका, किशनगढ़ (अजमेर)	हां	....	40,000/-अनुमा.
22.	नगरपालिका; आसीन्द (भीलवाड़ा)	नहीं	....	....
23.	नगरपालिका; चूरू	नहीं	....	....
24.	नगरपालिका, विराटनगर	नहीं	....	....

1	2	3	4	5
25.	नगरपालिका, चाकसू (जयपुर)	नहीं	....	....
26.	नगरपालिका, रामगंजमण्डी (कोटा)	नहीं	....	....
27.	नगरपालिका, नावा (नागौर)	नहीं	....	....
28.	नगरपालिका, टोडाभीम (करौली)	नहीं	....	....
29.	नगरपालिका, मालपुरा (टोंक)	नहीं	....	....
30.	नगरपालिका, फतेहपुर (सीकर)	हां	....	....
31.	नगरपालिका, किशनगढ़ रेनवाल	नहीं	....	....
32.	नगरपालिका, गंगापुर (भीलवाड़ा)	नहीं	....	....
33.	नगरपालिका, सरवाड़ (अजमेर)	नहीं	....	....
34.	नगरपालिका, तारानगर (चूरू)	नहीं	....	....
35.	नगरपालिका, फलौदी (जोधपुर)	हां	....	5,000/-
36.	नगरपालिका, फतेहनगर (उदयपुर)	हां	....	3,000/-
37.	नगरपालिका, बारां	हां	....	30,000/-(अनुमा.)
38.	नगरपालिका, बीदासर (चूरू)	नहीं	....	....
39.	नगरपालिका, झालावाड़	हां	2485/-	....

1	2	3	4	5
40.	नगरपालिका, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	हां	3500/-	....
41.	नगरपालिका, बाली (पाली)	नहीं	....	—
42.	नगरपालिका, सांगोद (कोटा)	हां	....	6,000/-
43.	नगरपालिका, बालोतरा (बाड़मेर)	हां	1390/-	....
44.	नगरपालिका, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)	हां	1900/-	....
45.	नगरपालिका, कुचामनसिटी (नागौर)	नहीं	....	....
46.	नगरपालिका; गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	हां	1500/-	....
47.	नगरपालिका, पदमपुर (गंगानगर)	हां	2000/-	....
48.	नगरपालिका, रामगढ़ शेखावटी (सीकर)	हां	2626/-	....
49.	नगरपालिका, चौमू (जयपुर)	नहीं	....	....
50.	नगरपालिका; बेगू (चित्तौड़गढ़)	नहीं	....	....
51.	नगरपालिका, जैसलमेर	नहीं	....	....
52.	नगरपालिका; श्रीमाधोपुर (सीकर)	नहीं	....	....
53.	नगरपालिका, कुम्हेर (भरतपुर)	नहीं	—	....
54.	नगरपालिका; पिलानी	नहीं	—	—

1	2	3	4	5
55.	नगरपालिका, विद्याविहार, पिलानी	नहीं	...	—
56.	नगरपालिका; बयाना, भरतपुर	नहीं	....	....
57.	नगरपालिका, परबतसर; नागौर	नहीं	....	—
58.	नगरपालिका, कुम्हेर, भरतपुर	नहीं	—.	....
59.	नगरपालिका, विजयनगर अजमेर	हां	1000/-	....
60.	नगरपालिका, हिण्डौन, करौली	नहीं	....	....
61.	नगरपालिका, सवाईमाधोपुर	नहीं	....	....
62.	नगरपालिका, खेतड़ी, झुन्झुनूं	नहीं	....	....
63.	नगरपालिका, अनुपगढ़	हां	1900/-	....
64.	नगरपालिका, तिजारा	नहीं	....	—
65.	नगरपालिका; सादड़ी; पाली	नहीं	....	....
66.	नगरपालिका, खेतड़ी	हां	4728/-	....
67.	नगरपालिका, खण्डेला; सीकर	नहीं	....	....
68.	नगरपालिका; श्रीडूंगरगढ़, चूरू	नहीं	....	—
69.	नगरपालिका, भादरा; हनुमानगढ़	नहीं	....	....

1	2	3	4	5
70.	नगरपालिका, मूण्डवा, नागौर	नहीं	....	....
71.	नगरपालिका, संगरिया, हनुमानगढ़	हां	500/-	....
72.	नगरपालिका, गंगापुरसिटी (स.मा.)	नहीं	....	....
73.	नगरपालिका, छबड़ा, कोटा	हां	40,000/-	....
74.	नगरपालिका, सुडाला, पाली	नहीं	....	....
75.	नगरपालिका, भीनमाल, जालोर	हां	....	6500/–
76.	नगरपालिका, तखतगढ़, पाली	नहीं	....	....
77.	नगरपालिका, लाडनूं, नागौर	नहीं	....	....
78.	नगरपालिका, सुजानगढ़	नहीं	....	....
79.	नगरपालिका, पीपाडशहर	हां	9802/-	....
80.	नगरपालिका, धौलपुर	नहीं	....	....
81.	नगरपालिका, रतन नगर	नहीं	....	....
82.	नगरपालिका, कांमां, भरतपुर	हां	1344/-	....
83.	नगरपालिका, गंगापुर सिटी	नहीं	....	....
84.	नगरपालिका, इन्द्रगढ़	नहीं	....	....
85.	नगरपालिका, छोटी सादड़ी, चित्तौड़गढ़	हां	900/-	....

1	2	3	4	5
86.	नगरपालिका, सागवाड़ा, डूंगरपुर	हां	....	....
87.	नगरपालिका, बिलाड़ा, जोधपुर	हां	3500/-	....
88.	नगरपालिका, डीडवाना, नागौर	नहीं	....	....
89.	नगरपालिका, मांगरोल, बारां	हां	4500/-	....
90.	नगरपालिका, रैनवा, बूंदी	हां	....	5580/-
91.	नगरपालिका, आबू पार्वत	हां	....	1900/-
92.	नगरपालिका, देवली, टौंक	नहीं	....	....
93.	नगरपालिका, बांदीकुई, दौसा	हां	....	1000/-
94.	नगरपालिका, लालसोट, दौसा	हां	...	700/-
95.	नगरपालिका, बूंदी	हां	12555/-	....
96.	नगरपालिका, के.पाटन	हां	2000/-	....
97.	नगरपालिका, लाखेरी	हां	5939/-	....
98.	नगरपालिका, कापरेन	हां	1200/-	....
99.	जयपुर विकास प्राधिकरण	हां	....	18810/-
100.	नगर सुधार न्यास, अजमेर	हां	22667/-	....
101.	नगर सुधार न्यास, अलवर	हां	....	4353/-

1	2	3	4	5
102.	नगर सुधार न्यास, कोटा	हां	10280/-	....
103.	नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा	हां	....	2000/-
104.	नगर सुधार न्यास, उदयपुर	हां	6500/-	....
105.	नगर सुधार न्यास, गंगानगर	हां	800/-	....
106.	नगर सुधार न्यास, जोधपुर	हां	71300/-	....
107.	नगर सुधार न्यास, भरतपुर	नहीं	....	....
108.	नगर सुधार न्यास, बीकानेर	नहीं	....	....
109.	नगर परिषद्, बीकानेर	हां	19500/-	....
110.	नगर निगम, जयपुर	हां	....	49420/-
111.	नगर निगम, जोधपुर	हां	....	11175/-
112.	नगर परिषद्, टोंक	नहीं	....	....
113.	नगर परिषद्, अलवर	नहीं	....	....

अधिनस्थ लेखा सेवा कर्मियों की वरिष्ठता सूची

319. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 4 फरवरी, 1999 को राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा के लेखाकारों की रिव्यू डी.पी.सी. निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा जारी की गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या रिव्यू डी.पी.सी. की सूची जारी होने के बाद जो लेखाकार वर्ष 1993-94 की सूची में कनिष्ठता के निचले क्रम में आ गये हैं और वे लेखाकार होते हुए भी सहायक लेखाधिकारियों के पदों के विरुद्ध पदस्थापित हैं? यदि हां, तो क्यों और उन्हें पुनः लेखाकार के पद पर पदस्थापित करने में क्या आपत्ति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रिव्यू डी.पी.सी. की सूची जारी होने के पश्चात अब जो लेखाकार वर्ष 1993-94 में वरिष्ठ हो गये हैं को ही जिलावार सहायक लेखाधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो क्यों और अब सरकार कब तक वांछित आदेश जारी कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग की स्वीकृति क्रमांक प.2 (4) वित्त/राजस्व/90 दिनांक 01-12-97 के अनुसरण में राजस्थान, अधिनस्थ लेखा सेवा के लेखाकार के पदों की रिव्यू डी.पी.सी. की सिफारिश के आधार पर दिनांक 4 फरवरी, 99 को आदेश जारी किये गये हैं।

राजस्थान विधान सभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति की सिफारिश पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प 2(4) वित्त/राजस्व/90 दिनांक 1-12-97 के क्रम में कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद की वर्ष 1987-88 से 1994-95 की रिव्यू डी.पी.सी. की सिफारिशों के आधार पर पदोन्नति आदेश 4 फरवरी, 99 को जारी किये गये हैं।

(2) जी हां, रिव्यू डी.पी.सी. की सूची जारी होने से जो लेखाकार वर्ष 93-94 की सूची में कनिष्ठ हो गये हैं और वह सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पदों के विपरीत स्वयं की वेतनश्रृंखला में पूर्व से ही कार्यरत हैं। ऐसे लेखाकार इनकी पूर्व की वरिष्ठतम पात्रता के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था हेतु स्वयं की वेतन श्रृंखला में सहायक लेखाधिकारी पद के विपरीत पदस्थापित किये गये थे। उक्त लेखाकारों को पुनः लेखाकार के पदों पर पदस्थापन राज्य सरकार के पत्र क्रमांक आउस/वित्त/राज दिनांक 16-3-99 के द्वारा 17-3-99 से 30-6-99 तक स्थानांतरण पर लगाये गये प्रतिबन्ध के पश्चात् विचार किया जावेगा।

(3) रिव्यू डी.पी.सी. की सूची जारी

(वित्त मंत्री)

होने के पश्चात् अब जो लेखाकार वर्ष 1993-94 में वरिष्ठ हो गये हैं, को जिलेवार सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पदों के विपरीत पदस्थापित नहीं किया गया है। वर्ष 1995-96 से नियमित विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित करने के प्रयास जारी है। विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के अनुसार पदोन्नति कर दी जावेगी।

राज्य की एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना

320. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान में एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना लागू की जा रही है ?

(2) उक्त योजना राज्य के किन-किन जिलों में कब से प्रारम्भ की जा रही है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

(4) क्या उक्त परियोजना के भावी विस्तार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य में एकीकृत विकास परियोजना छः जिलों में यथा अलवर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर एवं उदयपुर में प्रारम्भ की गई है। यह परियोजना चार वर्ष में 42.82 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर पूरी की जावेगी। विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(3) उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्न निर्धारित किया गया है :—

1. प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच व गुणवत्ता में सुधार करना
2. प्रजनन तंत्र संक्रमण से बचाव एवं उपचार के लिए सेवाओं की शुरूआत करना
3. महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये योगदान देना
4. किशोर आयु समूह को स्वास्थ्य, शारीरिक संरचना व उत्तरदायी योन व्यवहार की जानकारी देनी। योजना को निम्न प्रकार क्रियान्वित किया जावेगा :—

(अ) राज्य स्तर पर सामाजिक विपणन प्रणाली हुए प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(ब) परियोजना के माध्यम से विभागीय

(राज्य मंत्री, परिवार कल्याण)

एवं स्वैच्छिक स्तर पर अभिनव गतिविधियां चलाई जायेगी एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी शोध कार्यों को शुरू किया जाएगा।

(स) जिला व राज्य स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों, महिला समूहों के प्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विशिष्टजनों व सहभागी सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को सलाह से किया जावेगा।

(4) जी नहीं। वर्तमान में लागू योजना की प्रगति के आधार पर उक्त परियोजना का विस्तार भारत सरकार व संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहमति से सम्भव होगा।

परिशिष्ट-एक

एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना के अनुसार सम्भावित व्यय राशि विवरण

	गतिविधि	राशि (लाखों में)
1.	शिक्षण प्रशिक्षण	984.86
2.	आधारभूत सुविधाएं (लेबर रूम, उपकरण आदि पानी-बिजली)	1969.72
3.	सूचना शिक्षण एवं सम्प्रेषण	299.74
4.	गैर सरकारी संस्थाएं	171.28
5.	सर्वेक्षण एवं शोध	471.02
6.	संस्थागत व्यय	385.38
	कुल योग	4282.00

राज्य में कार्यरत मेडिकल रिलीफ सोसायटीज में अनियमितताएं

321. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कितनी मेडिकल रिलीफ सोसायटीज कहां-कहां, कौन-कौन सी कार्य कर रही हैं ? क्या इनके लेखा-जोखा का कोई सरकारी अंकेक्षण होता है ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौनसी सोसायटी हैं जिनमें अनियमितताएं पाई गई और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि कई मेडिकल रिलीफ सोसायटी धन कमाने एवं गरीबों का शोषण करने का कार्य कर रही है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी और नहीं, तो क्या सरकार इसमें सुधार के लिये कोई जांच एजेन्सी नियुक्त करेगी ?

(3) गत 3 वर्षों में सरकार द्वारा किस-किस मेडिकल रिलीफ सोसायटी को कितनी-कितनी सहायता दी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में 67 मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कार्यरत हैं, सूची संलग्न है। मेडिकल रिलीफ सोसायटीज, राजस्थान सोसायटीज रजि. एक्ट 1956 की धारा 20 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है, जिनका अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। अंकेक्षण कार्य चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा करवाया गया है, सूची संलग्न है। सोसायटीज की अनियमितता के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तथ्यों सहित इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सरकार जांच करवाकर कार्यवाही करेगी।

(3) राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 18 (20) एफ.ई./ग्रुप-1/95 दिनांक 9-2-96 के द्वारा रुपये 108.75 लाख, क्रमांक 13(18) विस्वा/95 दिनांक 26-5-97 के द्वारा रुपये 217.50 एवं रुपये 47.50 लाख, क्रमांक प. 13(22) विस्वा/2/97 दिनांक 4-9-97 के द्वारा 47.06 लाख रुपये मार्जन मनी के रूप में स्वीकृत किए गए। सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 अप्रेल, 1999)

नगरपरिषद पाली सीमा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का भूमि प्रकरण

123. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगर परिषद् पाली की सीमा के आबादी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कितनी भूमि छोड़ी गई है ?

(2) उक्त नगर परिषद् सीमा के आबादी क्षेत्र में नगर नियोजक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से कितनी दूरी पर पूर्व में योजना स्वीकृत की गई है ?

(3) वर्तमान में आबादी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से कितनी दूरी पर मकान एवं दुकानें बनी हुई हैं ?

(4) उक्त नगरपालिका क्षेत्र के भूमि रूपान्तरण कार्यालय में ऐसे कितने प्रकरण विचाराधीन हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से पचास फीट की दूरी पर हैं ? क्या सरकार इन प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् पाली की सीमा के आबादी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु सड़क के मध्य से 75-100 फुट भूमि छोड़ी गई है ।

(2) नगर सीमा के आबादी क्षेत्र में नगर नियोजक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 80 फुट छोड़कर ही पूर्व में योजना स्वीकृत की गई है ।

(3) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 से 100 फुट की दूरी पर दुकानें एवं मकान बनें हुए हैं ।

(4) भूमि रूपान्तरण कार्यालय पाली में नगर परिषद् क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 से 60 फुट दूरी के 14 प्रकरण विचाराधीन हैं । प्रकरणों की जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ल्ड बैंक की सहायता से जिला राजसमन्द का विकास प्रकरण

322. श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक से राजसमन्द जिले के बहुमुखी विकास हेतु राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपयों की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु नये विभाग का सृजन कर योजना का प्रारूपीकरण निश्चित करने में ही दो वर्ष लगाकर उक्त योजना की समय अवधि पार कर उक्त योजना को ही समाप्त कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब राजसमन्द के विकास हेतु केन्द्र सरकार से कोई योजना स्वीकार करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। लेकिन विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित "जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" राजस्थान के सात जिलों में चलाने का प्रस्ताव है। इसमें राजसमन्द भी सम्मिलित है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 525 करोड़ रुपये है। इसमें से राजसमन्द जिले के लिए 82.95 करोड़ रुपये का वितयोजना प्रस्तावित है। विश्व बैंक का एप्राइजल मिशन शीघ्र ही परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए राजस्थान आवेगा।

(2) जी नहीं। इस परियोजना निर्माण का कार्य नवम्बर 1994 से विश्व बैंक दल के राजस्थान आगमन से प्रारंभ हुआ था तथा विश्व बैंक के दिश निर्देश के अनुसार परियोजना निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना को क्रियान्विति के लिए राज्य व जिला स्तर पर परियोजना प्रबन्ध इकाईयों का गठन करना प्रस्तावित है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग या राज्य डी. पी. आई. पी. सोसायिटी बनाई जावे यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं है।

जिला डूंगरपुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत एनीकट निर्माण

323. श्री माघू राम अहारी (डूंगरपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में जिला डूंगरपुर में सरकार द्वारा किस–किस योजना में एनीकटों का निर्माण कराया गया? सूची मय गांव, व्यय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एनीकटों के निर्माण के लिए निविदायें आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो किसको मंजूरी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदारों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन को मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में जिला डूंगरपुर में सिंचाई विभाग द्वारा आश्वासित रोजगार योजना एवं जवाहर रोजगार योजना (जीवनधारा) के अन्तर्गत एनीकटों का निर्माण कार्य करवाया गया था। जीवनधारा रोजगार योजना एवं आश्वासित रोजगार योजना में कराये गये कार्यों को क्रमशः ग्राम वार सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना (जीवनधारा) के अन्तर्गत एनीकटों के निर्माण कार्य में आने वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदायें आमंत्रित की गई थी। सभी निविदायें सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराई गई थी।

(सिंचाई मंत्री)

स्वीकृत कराई गई निविदाओं की सूचि परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । यह सही है कि उक्त कार्यों में से कुछ कार्यों पर ठेकेदारों को अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि कुछ कार्यों पर स्वीकृति से अधिक राशि व्यय हो गई थी जिसके कारण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डूंगरपुर द्वारा और राशि स्थानांतरित नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जा सका । डी.आर.डी.ए. द्वारा जिन कार्यों पर स्वीकृति से अधिक राशि का व्यय हुआ है उनकी संशोधित तकनीकी स्वीकृति चाही गई थी जिसे विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति जारी करा, अभिकरण को सूचित कर दिया गया है । जैसे ही बाकी राशि विभाग को उपलब्ध हो जायेगी संबंधित ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जावेगा । बकाया भुगतान की सूची परिशिष्ट "द" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजकीय महाविद्यालय नोहर का क्रमोन्नत प्रकरण

324. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ के राजकीय महाविद्यालय नोहर को स्नातकोत्तर स्तर तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय की प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में गत सत्र से बन्द किये गये गणित विषय को पुनः शुरू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । शीघ्र नियुक्ति के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(3) नोहर के महाविद्यालय में गणित विषय बन्द नहीं किया गया है । राज्य सरकार की प्रवेश नीति के अनुसार न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध न होने के कारण सत्र 1998-99 में प्रथम वर्ष गणित में प्रवेश नहीं हो सके । द्वितीय व तृतीय वर्ष गणित में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ।

विधान सभा क्षेत्र डग की पेयजल समस्या

325. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मदन लाल वर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मंडी व डग में पेयजल समस्या गम्भीर है ? क्या उक्त क्षेत्र में जल के स्रोत खत्म हो चुके हैं ?

(2) क्या सरकार इसके विकल्प के लिए कोई भावी योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

(3) अब कब तक इस समस्या का समाधान कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1 जी हां । शहरी जल-प्रदाय योजना भवानी मण्डी के जल स्रोत आहू नदी के देह सागडिया में पानी सूख गया है; तथा ग्रामीण जल प्रदाय योजना डग के स्रोतों की आवक क्षमता कम हो गई है ।

(2) जी हां । वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था की कार्यवाही युद्धस्तर पर की जा रही है ।

(3) शहरी जल प्रदाय योजना भवानी मण्डी के लिए वैकल्पिक स्रोत के रूप में आहू नदी के नाहर पट्टा देह से पानी लिया जा रहा है एवं मोगरा बांध से भी पानी लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । ग्रामीण जल प्रदाय योजना डग के लिये वैकल्पिक स्रोत के रूप में खुले कुए किराये पर लेकर जल वितरण की कार्यवाही की जा रही है । उक्त सभी कार्य इस माह के अन्त तक पूर्ण होना संभावित है ।

उदयपुर संभाग में विद्युत समस्या समाधान शिविर

326. श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किसानों, आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्यमियों को बिजली संबंधी शिकायतों के निवारण के लिये विद्युत उपभोक्ता सम्मेलन कहां-कहां अब तक आयोजित किये जा चुके हैं ?

(2) क्या सरकार ने उदयपुर संभाग के लिये कोई सम्मेलन आयोजित किया है? यदि हां, तो सम्मेलन में किस प्रकार की कठिनाईयां सामने आयी और इन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय अब तक किये जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) आम उपभोक्ताओं से सीधा सम्वाद स्थापित करने और बिजली सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु अब तक निम्न संभागीय मुख्यालयों पर उपभोक्ता सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं :—

क्र.स.	सम्भाग मुख्यालय का नाम	सम्मेलन की तारीख
1.	कोटा	7-2-99
2.	अजमेर	18-2-99
3.	बीकानेर	27-2-99
4.	जयपुर	11-3-99
5.	उदयपुर	13-3-99

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। उदयपुर सम्मेलन के दौरान कुल 54 शिकायतें पंजीकृत हुई थी। इन शिकायतों में से 14 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष पर कार्यवाही की जा रही है। पंजीकृत हुई शिकायतों का विषयवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.स.	समस्या/कठिनाई का प्रकार	शिकायतों की संख्या
1.	कनेक्शन बाबत जैसे कृषि/घरेलू/रोड लाईट/कुटीर ज्योति	10
2.	समझौता समिति के निर्णय बाबत	2
3.	कम वोल्टेज मिलना/शाम को बिजली नहीं मिलना आदि	7
4.	नाम परिवर्तन/बिल व मीटर संबंधी	19
5.	सतर्कता/चैकिंग बाबत	3
6.	लाईन/ट्रांसफार्मर/हटाने/लगाने/ढीले तारों से सम्बन्धित	9
7.	बस्ती विद्युतीकरण बाबत	2
8.	इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन से प्राप्त	1
9.	कनिष्ठ अभियन्ता/कर्मचारी के रिक्त पद बाबत	1
	कुल	54

नगरपालिका किशनगढ़ का महिला छात्रावास प्रकरण

327. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगरपालिका किशनगढ़ द्वारा बनाये जा रहे महिला छात्रावास का निर्माण कार्य रुका हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

नगरपालिका किशनगढ़ द्वारा बनाये जा रहे महिला छात्रावास के निर्माण का कार्य नगरपालिका एवं ठेकेदार के बीच काफी समय से चल रहे विवाद के कारण आंशिक रूप से अधूरा है। नगरपालिका द्वारा ठेकेदार को बार-बार नोटिस दिये जाने के उपरांत भी कार्य पूरा नहीं किया गया है। प्रकरण की जांच करवाकर निर्माण कार्य पूर्ण करवाने की नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जावेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या-328

(स्थगित)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या--390 की प्रति)

समझौता पत्र

आज दिनांक 28 अक्टूबर, 1998 को राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से शासन की वार्ता के पश्चात् निम्न बिंदुओं पर सहमति हुई।

(1) कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान 3050–4590 से संशोधित कर 4000-6000 किया जाना।

(2) जिन कनिष्ठ लिपिकों की सेवा वर्तमान संशोधन के प्रभावी दिनांक को 9 वर्ष से कम की है उनके मामले में चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सेवा की गणना संशोधन के दिनांक से ही की जाएगी।

(3) मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ लिपिक के अतिरिक्त पदों के वेतनमानों में संशोधन संबंधी प्रकरण वेतन विसंगति निराकरण समिति को रेफर किया जाएगा।

(4) वेतनमानों में उपरोक्त संशोधन 1-9-1998 से प्रभावशील किए जाएंगे।

शासन का अधिकृत प्रतिनिधि	राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के अधिकृत प्रतिनिधि
विनोद पंड्या 28-10-1998 उप शासन सचिव, वित्त विभाग	1. लल्लूसिंह राजावत प्रदेश अध्यक्ष रा.रा.कर्म. महासंघ जयपुर, राजस्थान 2. सूरज प्रकाश टांक संयोजक प्रदेश संघर्ष समिति राज. 3. पी. के. अवस्थी 28-10-1998 प्रदेश महामंत्री रा.रा. कर्म. महासंघ

4. रमेशचन्द्र गुप्ता

स. प्रान्तीय उपाध्यक्ष

5. त्रिभुवन भार्गव

सदस्य संघर्ष समिति

6. राधेश्याम पिण्टो

प्रमुख सलाहकार

7. जी. के. मीणा

सह. संयोजक

संघर्ष समिति जिला जयपुर

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–401 का विवरण)

परिशिष्ट–'1'

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार; सहकारी समितियां; दौसा

क.सं.	नाम समितियां	अवसायन में लाने के आदेश क. व	दिनांक	अवसायक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	धनाऊ कला ग्राम सेवा सहकारी समिति	371–79	19–2–98	श्री रामेश्वर
2.	खेड़लावास ग्राम सेवा सह. समिति लि.	90-94	5-1-77	प्रसाद चौधरी
3.	बस्सी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	3398-3604	13-11-98	निरीक्षक, कार्य.
4.	जटवाड़ा ,, ,,	3591–97	13-11-98	,,
5.	मोहनपुरा ,,	3605–11	13-11-98	,,
6.	खोरी श्रमिक ठेका स.स.लि.	3725-31	16-11-98	,,
7.	काशीपुरा ,,	3732-38	16-11-98	,,

1	2	3	4	5
8.	बस्सी आदिवासी स. स. लि.	3739-45	16-11-98	श्री रामेश्वर प्रसाद
9.	दूधली बुनकर सहकारी समिति लि.	3584–90	13-11-98	चौधरी निरीक्षक; कार्य.
10.	जीतावाला ;;	3634-40	16-11-98	;;
11.	कानोता बुनकर ;;	3641-47	16-11-98	;;
12.	दामोदरपुरा बुनकर ;;	3655-61	16-11-98	;;
13.	देवपुरा बुनकर ;;	3662-68	16-11-98	;;
14.	बांसखो चर्म उत्पादक स.स.लि.	3676-82	16-11-98	;;
15.	बांसखो लोहा लकड़ी उत्पादक स.स.लि.	3683-89	16-11-98	;;
16.	मोहनपुरा कली चूना उत्पादक स.स.लि.	3690–96	16-11-98	;;
17.	राजा का धोक कली चूना ;;	3697—3703	;;	;;
18.	बांसखो शिलिका उत्पादक ;;	3718-24	16-11-98	;;
19.	विनोद ईंट कली चूना उत्पादक लि. रामसिंहपुरा	3704-10	16-11-98	;;
20.	बस्सी चर्म उत्पादक सहकारी स.लि.		20-11-73	;;
21.	मोहनपुरा बुनकर सहकारी समिति लि.	3648-54	16-11-98	;;

परिशिष्ट–'2'

कृषकों व अन्य सदस्यों पर बकाया ऋण की सूची दिनांक 31–3–99

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति	सदस्य संख्या	बकाया ऋण	विशेष विवरण
1.	खोडलावास बहुधन्धी स.स.लि.	उप. नहीं	12719.00	रिकार्ड के अभाव में सूची उपलब्ध नहीं है।
2.	बस्सी चर्म उत्पादक स.स.लि.	" "	4444.00	" "
3.	बस्सी गृह निर्माण स.स.लि.	" "	11814.00	" "
4.	मोहनपुरा गृह निर्माण स.स.	" "	74557.00	" "
5.	जटवाडा ग्राम सेवा स.स.	" "	17200.00	" "
6.	जोतावाला बुनकर सह.स.	" "	7209.00	" "
7.	मोहनपुरा बुनकर स.स.	" "	3750 00	" "
		" "	9000.00	" "
8.	दामोदरपुरा चर्म उत्पादक स.स.	" "	अनु.अनुदान 40.00	" "
9.	बांसखो चर्म उत्पादक सह.स.	" "	465.00	" "

नोट:–क्रम संख्या 1 से 9 तक अंकित सहकारी समितियों के सदस्यों की तरफ कुल बकाया का रिकार्ड उपलब्ध आडिट रिकार्ड के आधार पर दर्शाया गया है, किन्तु व्यक्तिगत सूची उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट—'3'

बनाऊकला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. बनाऊकला

बकाया सूची दिनांक 31-3-99

क्र.सं.	नाम श्रेणी		बकाया ऋण
1	2		3
1.	श्री प्रसाद पुत्र छोटू		1200.00
2.	श्रीमती सूरज कंवर पत्नी विशन सिंह		663.00
3.	श्री जगदीश/कल्याण		392.05
4.	श्री बदरी/गोरी		498.00
5.	श्री गोल्या/माधा		802.00
6.	श्री प्रभु/भेरू		921.00
7.	श्री बदरी/धाधा		533.00
8,	श्री लालू/देवा		525.00
9.	श्री रामसहाय/देवकरण		1318.00
10.	श्री माधा/रादेव		200.00
11.	श्री नेनू/सुखा		1757.00
12.	श्री मांगीलाल/गणेश		3000.00
13.	श्री रामफूल/मंगला		1150.00
14.	श्री लादू/नालगा		1506.95
15.	श्री सुल्तान/नारायण		400.00
16.	श्री ग्यारसा/बिरदा	केवल ब्याज	1524.00
17.	श्री गंगासहाय/ मांग्या	केवल ब्याज	377.00
18.	श्री ग्यारसी/भीमा		688.00
19.	श्री जगन्नाथ/काना		637.00
20.	श्री हनुमान/रंगनाथ		200.00

1	2		3
21.	श्री रामदेव/धन्ना		1368.00
22.	श्री नाथ/रामदेव		1121.00
23.	श्री मोतीलाल/भोंरी लाल		733.00
24.	श्री किशोर/लक्ष्मा		1200.00
25.	श्री सुवालाल/राम सहाय	केवल ब्याज	—
		योग	20791.20

परिशिष्ट–'4'

क.सं.	नाम सहकारी समिति	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	भवन का क्षेत्रफल	पट्टा जारी है अथवा नहीं
1	2	3	4	5
1.	दनाऊकला ग्रा.से.स.स.लि.	1260 वर्गगज भूमि दनाऊकला ग्राम में स्थित है। इस में से 400 वर्गगज भूमि पर समिति का गोदाम बना हुआ है, शेष भूमि खाली है।	400 वर्गगज	पट्टा जारी है, प्रति संलग्न है।
2.	खोरलावास बहुधन्धी स.स.लि.	1.अपूर्ण गोदाम (ढांचा) बिना छत है। 2- लोहे की गार्डर दो एवं पट्टियां छोटी बड़ी कुल 30 नग 3- ग्राम खोरलावास में स्थित है (अवसायन कार्यवाही के दौरान इसे जटवाड़ा ग्राम सहकारी समिति में स्थानान्तरित किया जा रहा है)	100 वर्गगज	काफी वर्षों से रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
3.	बस्सी चर्म उत्पादक स.स.	एक चलिय (टिनसैड) बस्सी ग्राम में स्थित है	भूमि संबंधी कोई रिकार्ड उपब्ध नहीं है।	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

1	2	3	4	5
4.	जोतावाला बुनकर स.स.लि.	फर्नीचर राशि 5445/- मशीनरी राशि 29745/- जोतावाला ग्राम में समिति के सदस्यों के पास में है		
5.	राजाधोक कली चूना उत्पादक सहकारी समिति लि.	चूने का भट्टा एक (ग्राम पंचायत ऊर में)	निल	रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
6.	बांसखो चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि.	एक चर्म कुण्ड (ग्राम बांसखो में)	"	" "

नोटः—1. क्रम संख्या 3 से 6 तक मात्र आडिट रिपोर्ट के आधार पर दर्शाया गया है, राजस्व रिकार्ड (टाईटल) के अभाव में उक्त समितियों का भौतिक कब्जा अवसायक द्वारा नहीं लिया गया है।

2. शेष 15 समितियों की चल/अचल सम्पत्तियों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट–6

(तारांकित प्रश्न संख्या–405 का विवरण)

परिशिष्ट–'अ'

धौलपुर जिले में स्थित बांधों का विवरण

क्र.सं.	बांध/तालाब का नाम	तहसील	बांध का प्रकार	भराव क्षमता
1	2	3	4	5
1.	पार्वती बांध	बसेड़ी	मध्यम	4069.5 एम.सी.एफ.टी.
2.	घोरें बांध	"	लघु	31.50 "
3.	बांसरई बांध	"	"	16.00 "
4.	सरमा बांध	"	"	12.00 "
5.	बिगाचदी बांध	"	"	14.48 "
6.	रामसागर बांध	बाड़ी	मध्यम	983.49 "
7.	तालाबशाही बांध	"	लघु	85.00 "
8.	आर.टी.बांध	"	"	25.00 "

1	2	3	4	5	
9.	उमोद् बांध	बाड़ी	लघु	75.00	एम.सी. एफ.टी.
10.	नादरोली बांध	"	"	65.00	"
11.	डी.बी.आर. झील	"	"	100.00	"
12.	हुसैनपुर बांध	"	"	40.00	"
13.	बरीपुर बांध	"	"	23.00	"
14.	सुनीपुर बांध	"	"	02.00	"
15.	उर्मिला सागर बांध	धौलपुर	मध्यम	573.00	"
16.	मेन सागर बांध	"	लघु	36.00	"
17.	नरपुर बांध	"	"	30.00	"
18.	कूकपुर बांध	"	"	21.00	"
19.	राता की खाल	"	"	27.00	"
20.	सिगोरा बांध	"	"	1.91	"
21.	साहपुर बांध	"	"	68.50	"
22.	बाजना बांध	राजाखेड़ा	"	98.00	"
23.	दिहोली बांध	"	"	20.00	"
24.	नेवरा बांध	"	"	31.00	"
25.	धारापुरा बांध	"	"	35.00	"

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–417 की प्रति)

परिशिष्ट–'क'

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

No. F. 1 (42) PHE/95

Jaipur, Dated : 9-1-97

Chief Engineer (HO)
Public Health Engg. Department,
Jaipur.

Sub :–Upgradation of the posts of Junior Engineers to the posts of Assistant Engineers.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to the upgradation of 204 posts of Junior Engineers to the post of Assistant Engineers simultaneously abolishing 204 posts of JEN's in the PHED on the following conditions :—

1. No post of Junior Engineer will be created in future in PHED as a result of the aforesaid upgradation. This one time upgradation, shall not be treated as procodence in future.

2. All persons posted on upgraded posts as Junior Engineer's to Assistant Engineer's/will work at same place/J. Eng. headquarter may be deemed as A. Ens. Headquarter under the

administrative control of sub-division/division of the present system.

3. The upgradation from J. Ens. to A. Ens. will be applicable only on the posts of quality control, survey, design, research, legal cell and non-field posts available in the office of the CE. ACE. SE. and XEn.

4. All duties which are being performed by such JENs presently shall continues to be performed by the officers posted against upgraded post without any odjection.

5. Work relating to checking of M. R. S. quality control or any other work prescribed in PWF&AR and Departmental Manual. Rules and Guidelines shall be performed and Public Health Engineering Departments shall make such amendment/instructions in rules that the Officer even after upgradation shall be bound to perform duties as were being performed before upgradation.

6. Posts of 204 Junior Engineers, since these posts have upgraded as AEn shall sland abolished.

The details of the 204 posts of JEn upgraded in the posts of AEn are as per statement appended with this order.

The expenditure is chargeable to the following Heads :

(i) 2215-02-001	(i)	Direction–Non Plan
(ii) 2215-02-001	(i)	Direction–Plan
(iii) 2215-02-001	(ii)	Supervision–Plan

(iv) 2215-02-001 (iii) Supervision-Non Plan

(v) 2215-005-S&1 (CSS)

(vi) 2215-02-001 (iii) Expenditure-Plan

(vii) 2215-02-001 (iii) Expenditure-Non Plan.

This issues with the concurrence of Finance Secretary vide their I. D. No. 3029/FD/Exp. III/96 dated 16-12-1996 and 3146/PSF/96 dated 17-12-1996.

Yours faithfully,
Sd/-
Dy. Secretary to Govt.

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-419 की सूची)

परिशिष्ट "क"

पेयजल योजना विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	कोड सं.	जनसंख्या (1991)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बसई	प्रतापगढ़	182	2852	वर्तमान में क्षेत्रीय जल योजना से जल वितरण चालू है।
2.	अमलावद	,,	159	1773	,, ,,
3.	चेनियाखेड़ी	,,	161	629	,, ,,
4.	खेरियाखेड़ी	,,	160	295	,, ,,
5.	बजरंगगढ़	,,	244	1141	क्षेत्रीय जल योजना से बेलारा गांव में
6.	असावता	,,	243	1119	पानी चालू। अन्य गांवों में पाइप लाइन

1	2	3	4	5	6
7.	ठीकरिया	प्रतापगढ़	242	426	टैस्टिग कार्य चालू है। हैण्ड पम्प मापदण्ड
8.	बैलारा	,,	240	300	अनुसार लगे हुए हैं।
9.	सुहागपुरा	,,	313	800	पनघट योजना से वर्तमान में जल वितरण चालू है।
10.	देवगढ़	,,	139	1216	,,
11.	रायपुर	अरनोद	124	834	,,
12.	अमीरामा	,,	173	4044	,,
13.	बड़ी सागथली	,,	155	1935	,,
14.	बोरदिया	,,	153	1523	निर्माण कार्य चल रहा है। गांव में 8 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
15.	अरनोद	,,	30	4457	वर्तमान में नल कनेक्शन से जल वितरण चालू है।
16.	दलोट	,,	119	3565	,,
17.	नोलोर	,,	149	1904	,,
18.	सालमगढ़	,,	107	2220	नल कनेक्शन से जल वितरण चालू है।

1	2	3	4	5	6
19.	सेवना	धरनोद	110	2782	पनघट योजना से जल वितरण चालू है।
20.	ओलर	प्रतापगढ़	137	1016	पेयजल चालू है।
21.	धगरी	;;	138	1355	;;
22.	रामपुरिया	;;	201	1215	;;
23.	कुलथाना	;;	349	1003	;;
24.	बड़ोलाव	;;	194	1210	नये कुएं का निर्माण कार्य चालू है। गांव में 6 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
25.	पण्डावा	;;	279	1103	पूर्व में गांव विद्युतीकरण नहीं हुआ था विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र जमा कर दिया गया है। गांव में 4 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
26.	खिरावता	धरनोद	88	1014	योजना चालू कर दी गई है।
27.	धवलावदा	धरनोद	32	1370	कुएं का कार्य चालू है। गांव में 12 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
28.	मोहेड़ा	;;	67	1307	कुएं का कार्य चालू है। गांव में 9 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।

1	2	3	4	5	6
29.	बेकमा	घरनोद	27	835	कुएं का कार्य चालू है। गांव में 5 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
30.	चूपना	,,	64	1525	पाइप लाइन टैस्टिंग चालू है। गांव में 10 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
31.	बांसवाई	,,	156	1019	ट्यूबवैल असफल रहने से योजना चालू नहीं की जा सकी है। गांव में 5 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
32.	बोरी	,,	137	1231	वर्ष 1999-2000 में कार्य चालू किया जा सकेगा। गांव में 5 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
33.	कानगढ़	,,	171	1462	वर्ष 1999-2000 में कार्य चालू किया जा सकेगा। गांव में 9 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
34.	जाठीनेरा	,,	21	556	गांव में 4 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–420 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

1. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पेयजल योजनायें :

नगरीय योजना	ग्रामीण योजनाओं का प्रकार एवं संख्या						कुल
	क्षेत्रीय	पनघट	पाइप्ड	सं.डिग्गी	हैण्ड पम्प	जेजेवाई (जनता जल योजना)	
1	12	1	1	3	13	0	31

2. श्री गंगानगर जिले में कार्यरत पेयजल योजना :

10	393	28	26	111	784	38	1390

परिशिष्ट—"ख"

श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में समस्याग्रस्त गांव कालोनीज के नाम :

समस्याग्रस्त गांव के नाम	समस्याग्रस्त कालोनीज के नाम	
	(ब) श्री गंगानगर शहर की निम्न कालोनी	
1. 3 एम.एल.	1. राणाप्रताप कालोनी	2. रूप कालोनी
2. 4 एम.एल	3. शंकर कालोनी	4. बैंक ,,
3. 1 एल एन पी	5. सरस्वती ,,	6. रतन ,,
4. 3 एल एन पी	7. पूजा ,,	8. सेतिया ,,
5. 1 जोझोटी	9. प्रेम नगर	10. भरत नगर
6. 17 एल एन पी	11. अर्जुन नगर	12. सुरजीत सिंह कालोनी
7. 21 एल एन पी	13. गुरुगोविन्द सिंह नगर	14. लालूराम की ढाणी
8. 22 एल एन पी		

परिशिष्ट-'ब'

श्री गंगानगर जिले में निर्मित जी. एल. आर. का विवरण

खण्ड का नाम	कुल जी एल आर	चालू जी एल आर	खराब जी एल आर	जी एल आर जो विभिन्न कारणों से कार्य नहीं कर रहे हैं।	जी एल आर बन्द होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1. श्री गंगानगर (ग्रा.)	325	316	शून्य	10	कुल 42 कार्य में नहीं आये
2. सूरतगढ़	155	153	शून्य	2	जी एल आर में से 24 जी एल आर
3. अनूपगढ़	544	514	शून्य	30	अवैध जल सम्बन्धों के कारण 4 जी एल आर

1	2	3	4	5	6
					के पाइपों के क्षति-ग्रस्त होने के कारण व 14 जी एल आर जो कि नये बनाये गये हैं हेतु पाइपों की आपूर्ति न होने के कारण कार्य नहीं किये जा रहे हैं।
कुल	1025	983	शून्य	42	

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या–423 की सूचना)

परिशिष्ट-'अ'

क्र.सं.	नाम दुकानदार	कब से कार्यरत है	दिसम्बर; 98				जनवरी, 99				फरवरी; 99				मार्च; 99			
			चीनी	गेहूं एपीएल	गेहूं बीपीएल	केरोसीन	चीनी	गेहूं एपीएल	गेहूं बीपीएल	केरोसीन	चीनी	गेहूं एपीएल	गेहूं बीपीएल	केरोसीन	चीनी	गेहूं एपीएल	गेहूं बीपीएल	केरोसीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	चन्द्रप्रकाश छाबड़ा	25-6-92	8	46.71	0.60	3300	8	45.65	2.90	3300	9	....	....	2404	10	....	9.90	3680
2.	मोहम्मद इलीफ	3-8-95	9	46.90	3.00	3450	8	47.40	....	3450	9	....	....	2640	6	....	—	1760
3.	नोरतमल पंवार	25-6-92	8	—	—	1540	8	....	....	3450	9	....	—	2420	6	....	....	2080
4.	जयराम दास	1-3-87	6	46.71	—	2580	6	50.20	....	2500	8	....	....	2640	6	....	....	1420
5.	जगदीश माली	18-12-96	7	46.90	—	1540	4	—	....	2950	9	....	....	2100	....	....	....	1760
6.	शिवराज चौधरी	18-12-96	6	46.71	0.60	2700	7	46.85	0.60	2700	7	....	....	2640	....	....	....	1760
7.	महिला सह.उप.भ.	28-3-77	7	48.00	—	3300	7	46.50	....	3300	9	—	....	2200	....	—	....	1760
8.	रामस्वरूप नायक	21-5-86	7	47.45	3.00	3440	8	97.05	....	3150	8	....	....	2640	5	....	....	3080
9.	गुमानमल जैन	30-11-85	7	47.40	—	3080	7	46.60	0.20	3060	9	....	....	2620	....	....	....	1100
10.	किशनचन्द सिंधी	16-5-89	8	52.70	—	3080	8	46.30	—	3000	9	....	....	2640	5	....	....	1760
11.	रमेश नायक	3–8–95	8	45.80	—	3080	8	47.05	....	3000	9	....	....	2420	5	—	....	1540
12.	रामगोपाल शर्मा	31-5-86	9	48.60	—	3040	9	45.10	1.15	3140	10	....	....	3080	11	....	....	4180
13.	विजय एल.एस.एस.	26-2-88	9	46.65	2.90	3410	9	45.65	2.75	3440	9	....	—	2640	8	....	—	3960
14.	चन्द्रप्रकाश चौधरी	18-12-96	8	47.00	—	3240	8	45.00	3.60	3140	9	....	....	2640	8	....	....	1760
15.	दिनेश राठी	18-12-96	7	42.30	—	3080	7	47.40	—	3160	8	....	....	1980	....	....	....	1760

नोटः--चीनी; ए.पी.एल.; बी.पी.एल. गेहूं की सूचना क्विंटल में तथा केरोसीन की सूचना लीटर में दी गई है।

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–430 की सूची)

उदयपुर के प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित किए जाने वाले
62 राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.सं.	राजस्व ग्राम
1	2

(अ) गिर्वा तहसील

1. अम्बेरी
2. आयड़
3. बलीचा
4. बड़गांव (मजरा मनोहरपुरा सहित)
5. बड़ी
6. बेदला
7. बेड़वास (मजरा धोजी की बावड़ी सहित)
8. भाइयों की पंचोली
9. भुवाना
10. बिछड़ी
11. बिलिया
12. ब्राह्मणों का गुड़ा
13. चिकलवास
14. डांगियों की पंचोली
15. देबारी
16. देवाली (मजरा सहेलियों की बाड़ी सहित)
17. ढीकली

1	2
	18. घोल की पाटी
	19. एकलिंग पुरा
	20. गड़रियावास
	21. गोवर्धन विलास
	22. गोवला
	23. हवाला बड़ा
	24. हवाला खुर्द
	25. झरनों की सराय
	26. लकड़वास (उत्तरी भाग) (एकलिंगपुरा, बिलिया एवं लकड़वास राजस्व ग्रामों के संगमी बिंदु से नाले के साथ-साथ, नाला और आयड़ नदी के जक्संन तक जोड़ने वाली सीमा का उत्तरी भाग)
	27. कमलोद डूंगर
	28. कानपुर (भाग) (आयड़ नदी से उत्तरी भाग)
	29. कोडियात(भाग) (बड़ी, मोरकानियां एवं कोडियात के संगमी बिंदु से सिसारमा की उत्तरी सीमा को सीधे जोड़ने वाली सीमा का पूर्वी भाग)
	30. लियों का गुड़ा
	31. लोयरा
	32. मादड़ी पानेड़ियान
	33. मादड़ी पुरोहितान
	34. मनवा खेड़ा
	35. मटून
	36. पालड़ी
	37. पनवाड़ी
	38. पारड़ा

1	2

39. फान्दा
40. परतापुरा
41. पुलां
42. रेबारियों का गुड़ा
43. रघुनाथपुरा
44. सबलपुरा
45. साफेटिया
46. सवीना (भाग)
(सवीना खेड़ा, सवीना एवं काया के संगमी बिन्दु से सवीना, तीतरड़ी एवं डाकन कोटरा के संगमी बिन्दु तक सीधे जोड़ने वाली सीमा का उत्तरी भाग)
47. सवीना खेड़ा
48. सोभागपुरा
49. सीसारमा (मगरा सहित)
50. सुखेर
51. सुन्दरवास
52. टीला खेड़ा
53. तीतरदी
54. थूर
55. उदयपुर शहर

(ब) मावली तहसील

56. डबोक
57. गाड़वा
58. गुडली
59. तुलसीदासजी की सराय

1	2

(स) वल्लभनगर तहसील

60. टूस डांगियान (भाग)

(डबोक, नन्दवेल एवं टूस डांगियान के संगमी बिन्दु से गनोली, मांडेसर एवं टूस डांगियान के संगमी बिंदु से सीधे जोड़ने वाली सीमा का उत्तरी भाग)

(द) गिर्वा तहसील

61. कमलोद

62. लई का गुड़ा

ह०
वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न सं.--437 की सूचियां)

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	कालोनी का नाम
1	2	3
1.	गणेश पुत्र केशर लाल	लालकोठी चक सुदर्शनपुरा
2.	रामअवतार पुत्र केशरलाल	उपरोक्त
3.	दयाल उर्फ रामदेव	उपरोक्त
4.	बेनीदास कोटावाला	लालकोठी डिस्टिक शोपिंग सेन्टर
5.	सागर मल बेनीवाल	संजय शिक्षा समिति लालकोठी
6.	एन.सी.नाहर	16-17 रघुविहार लालकोठी
7.	लक्ष्मीनारायण वगैरह	चक सुदर्शनपुरा लालकोठी
8.	बी.एम.नाग	कृष्णा नगर लालकोठी
9.	श्रीमती इन्दिरा देवी पंसारी	बोहराजी का बाग टोंक रोड
10.	अब्दुल दबीर	लालकोठी डिस्टिक शोपिंग सेन्टर
11.	अध्यक्ष, गणेश नारायण व्यास	आदर्श विद्या मंदिर जनता कालोनी
12.	रूपचन्द महेश्वरी	तबेला चौमू कोठी सी स्कीम जयपुर
13.	मुरारी मेघानी	सुभाष मार्ग सी स्कीम जयपुर
14.	करीम बक्स	सुभाष मार्ग सी स्कीम जयपुर
15.	नरेश जैन	झालाना संस्थानिक क्षेत्र
16.	नरेन्द्र सिंह	मालवीय नगर जयपुर
17.	श्रीमती जयश्री कंवर	मालवीय नगर जयपुर

1	2	3
18.	उमराव सिंह मीणा	कच्ची बस्ती मालवीय नगर जयपुर
19.	हरिनारायण मीणा	झालाना कच्ची बस्ती मालवीय नगर जयपुर
20.	श्रीमती प्रभा सक्सैना	स्कीम न. 1 क्लार्क आमेर के सामने
21.	श्रीमती शशी पारख पत्नी श्री जी.डी. पारख	गोकुल वाटिका
22.	श्रीमती रेणु सांड पत्नी राजेन्द्र सांड	गोकुल वाटिका
23.	शिवेन्द्र कुमार मुकिम	गोकुल वाटिका
24.	पुष्पेन्द्र कुमार मुकिम	गोकुल वाटिका
25.	साहबराम चौधरी	बजरंग विहार
26.	बुद्धराम माली	बजरंग विहार
27.	श्रीमती कौशल्या देवी	बजरंग विहार
28.	मुरारी लाल	बजरंग विहार
29.	वैध पुरुषोत्तम शर्मा	बजरंग विहार
30.	रामेश्वर सैनी	बजरंग विहार

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	कालोनी का नाम
1.	श्रीमती घोसी देवी	गौरव नगर, सिविल लाइन जयपुर
2.	श्री रामकरण गुर्जर	विद्युत अभियन्ता कालोनी मालवीय नगर, जयपुर
3.	शंकरलाल श्योजी राम गुर्जर	उपरोक्त
4.	हरिनारायण गुर्जर	उपरोक्त

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या–438 का विवरण)

परिशिष्ट–"अ"

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	निविदा स्वीकृति का विशेष विवरण
1.	सम्पर्क सड़क फूल बड़ौद	3.5	28.84	स्वीकृत
2.	सम्पर्क सड़क दिलोद	7.5	61.80	स्वीकृत
3.	सम्पर्क सड़क गगचाना	8.00	65.62	स्वीकृत
4.	सम्पर्क सड़क फलिया	4.60	37.90	स्वीकृत
5.	सम्पर्क सड़क सारथल से भावपुरा	4.00	32.96	स्वीकृत
6.	सम्पर्क सड़क कोटरापार	7.00	56.68	स्वीकृत
7.	सम्पर्क सड़क तेलनी	3.60	29.68	विचाराधीन

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या--440 का विवरण)

परिशिष्ट-'क'

जिला चूरू में कार्यरत तीन रिजर्व कम्पाउण्डर को गत तीन वर्षों में कहां-कहां व कब-कब कार्य हेतु भेजा गया, उसका विवरण :—

वर्ष : 1995-96

राजकीय आयुर्वेद औषधालय, ऊपनी तहसील श्री डूंगरगढ़
अवधि दिनांक 25-5-95 से 16-6-95 तक

वर्ष : 1996-97

आयुर्वेद चिकित्सा शिविर—ग्राम दूधवा मीठा
अवधि दिनांक 28-3-97 से 31-3-97 तक

वर्ष : 1997-98

आयुर्वेद चिकित्सा शिविर-ग्राम दूधवा मीठा
अवधि दिनांक 1-4-97 से 6-4-97 तक

नोट:—चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सांतड़ा में दिनांक 28-1-99 से 6-2-99 तक

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या–155 का विवरण)

क्र.सं.	प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वालों का विवरण	प्रार्थना-पत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण	प्रार्थी को की गई कार्यवाही की सूचना का विवरण
1	2	3	4
1.	ग्रामवासियान बल्देवपुरा	भूमि के पट्टे देने की कार्यवाही विचाराधीन है।	प्रार्थियान को सूचना दी गई।
2.	ग्रामवासियान बगली	चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।	"
3.	ग्रामवासियान बोकडा	"	"

1	2	3	4
4.	ग्रामवासियान झाल्हेड़ा	खेत भराई के विवाद का निपटारा किया गया।	प्रार्थियान को सूचना दी गई।
5.	ग्रामवासियान मोतीपुरा	वन विभाग की भूमि व चरागाह भूमि का सीमांकन किया गया।	"
6.	ट्रस्ट दि. जैन मंदिर शेरगढ़	न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से तहसील स्तर से संभव नहीं है।	"
7.	संस्थान प्रधान रा.प्रा.वि.गढ़दोलिया	प्रा. शाला भवन की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।	"
8.	रैगर समाज, गोरखी	न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से तहसील स्तर पर संभव नहीं	"

1	2	3	4
9.	ग्रामवासियान मोतीपुरा दाता	खाद बीज वितरण की व्यवस्था कराई गई।	प्रार्थियान को सूचना दी गई।
10.	ग्रामवासियान बडोरा	रास्ता खुलासा कराया गया	"
11.	ग्रामवासी भाटोन	मोके पर पहुंच कर सीमांकन कराया गया	"
12.	ग्रामवासियान मनोहरपुर	रास्ता खुलासा कराया गया	"
13.	युवा कांग्रेस (आई) ब्लाक कलाई	ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में XEn RSEB से अनुरोध किया गया	"
14.	पंचायत समिति सदस्य घटक	ग्राम पंचायत खेडलीगंज की सफाई व्यवस्था हेतु पाबंद किया गया।	"

1	2	3	4
15.	ग्राम पंचायत अन्ताना	प्राथमिक विद्यालय अन्ताना में छात्रों को प्रवेश दिलाया गया।	प्रार्थियान को सूचना दी गई।
16.	इंडियन नेशनल कांग्रेस जिला युवा कांग्रेस(C.S.S.)	मृतक गायों को हटाया गया	
17.	ग्राम पंचायत छुरी	सड़क पर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत हेतु सहायक अभियंता (P.W.D.) को निर्देशित किया गया।	"
18.	श्री देवेन्द्र यादव प्रदेश संगठन मंत्री राज.प्रदेश सेवा दल कोटा	समाज राज्य मंत्री को गिरफ्तार कर विधान सभा की सदस्यता समाप्त करने बाबत।	ज्ञापन जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया गया।
19.	ब्लाक युवा कांग्रेस कमेटी घटरू	ज्ञापन जिला कलक्टर; महो. बारां को भिजवाया गया।	सूचना दी गई

1	2	3	4
20.	ब्लाक युवा कांग्रेस आई अटरू	पिपलोद एवं छत्रपुरा फार्म पर रेलवे स्टेशन पुनः चालू करने के लिए श्रीमान डी.आर.एम. (W.R) कोटा का ज्ञापन भिजवाया।	सूचना दी गई
21.	ब्लाक युवा कां.आई अटरू	ज्ञापन जिला कलक्टर; बारां को भिजवाया गया।	;;
22.	भारतीय किसान संघ राज.प्रदेश चित्तौड़ प्रांत बटू अटरू	जिला कलक्टर; बारां को भिजवाया गया तथा अधि. अभियन्ता विद्युत मण्डल अटरू से समस्या के निवारण हेतु कार्यवाही करवाई गई।	;;
23.	देवेन्द्र यादव; संगठन मंत्री राज. दैबायल कोटा	ज्ञापन जिला कलक्टर; बारां को भिजवाया।	;;

1	2	3	4
24.	ब्लाक कांग्रेस कमेटी घटरू	ग्राम रामपुरिया से मानपुर सड़क निर्माण कार्य की जांच की गई।	सूचना दी गई
25.	श्रीमान क्षेत्रीय विधायक सदस्य विधान सभा; घटरू	जांच कर सूचना दी गई।	"
26.	श्रीमान क्षेत्रीय विधायक सदस्य विधान सभा क्षेत्र घटरू	जांच कर सूचना दी गई।	"
27.	देवेन्द्र यादव, संगठन मंत्री; राज. प्रदेश सेवादल; कोटा	श्रीमान् कलक्टर; बारां को सूचना भिजवाई गई।	"
28.	ग्रामवासियान मेरमातालाब	अधि. अभियन्ता विद्युत मण्डल; घटरू को डी. पी. न हटाने के लिए लिखा गया	"

1	2	3	4
29.	गायत्री नगर विकास समिति छेबलीगंज	अधि. अभियंता जल विभाग को समस्या निवारण हेतु अनुरोध किया गया कलक्टर बारां को सूचना दी गई ।	सूचना दी गई
30.	नगर कांग्रेस भाई लवाई	श्रीमान डी.आर.एम.(W.R.) कोटा से सालपुरा स्टेशन पर पेयजल व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया । श्रीमान जिला कलक्टर को सूचना दी गई ।	''
31.	जल विभाग तकनीकी कर्मचारी संघ उपखण्ड छबड़ा	जिला कलक्टर महो. बारां को सूचना दी गई	''
32.	गायत्री नगर विकास समिति अटरू (छेबलीगंज)	जिला कलक्टर महो. एवं अधि. अभियन्ता जल विभाग, बारां से निवारण हेतु अनुरोध किया गया ।	''

1	2	3	4
33.	ग्रामवासियान बलदेवपुरा द्वारा क्षेत्रीय विधायक महोदय; भटरू	ग्राम बलदेवपुरा की विद्युत सप्लाई के संबंध में अधि. अभियन्ता विद्युत विभाग भटरू से समस्या समाधान हेतु अनुरोध किया।	सूचना दी गई।
34.	भारतीय किसान संघ राज. प्रदेश तह. भटरू	अधि. अभियन्ता महो. विद्युत विभाग भटरू तथा जल विभाग; बारां से अनुरोध किया गया सूचना श्रीमान् जिला कलक्टर; बारां तथा उपखण्ड अधिकारी; छबड़ा, डिप्टी एस. पी. छबड़ा से अनुरोध किया गया	"
35.	श्री देवेन्द्र यादव; संगठन मंत्री राज.प्रदेश कां.से.दल भटरू, कोटा	पुलिस अधिक्षक; छबड़ा से अनुरोध किया गया	"
36.	क्षेत्रीय विधायक महो. भटरू	अधि. अभियन्ता महो. विद्युत मण्डल एवं जलदाय विभाग बारां; जिला	"

1	2	3	4
		कलक्टर; द्वारा उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, डिप्टी एस. पी. पुलिस छबड़ा से अनुरोध किया गया ।	
37.	ग्रामवासियान हरनावदा	श्मशान भूमि के प्रस्ताव जिला कल. महो. द्वारा उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, ग्राम पंचायत टोरी को भिजवाये गये ।	मौके पर सूचित किया गया